आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं सम्भावनाएं

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय् मार्ग, नई दिल्ली–110002

क्षेत्रीय – कार्यशाला

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं सम्भावनाएं

कार्यशाला स्थान	आयोजक संस्था
रांची, झारखंड	विकास भारती गुमला, बिशुनपुर
नासिक, महाराष्ट्र	माता बालक सेवा संस्थान, नाशिक
जबलपुर, मध्य प्रदेश	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरर्स इंडिया, जबलपुर
गुवाहाटी, असम	मल्टीफेरियस, गुवाहाटी
मनाली, हिमाचल प्रदेश	राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश

मार्गदर्शक – डॉ. पूर्णिमा आडवाणी,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार

प्रभारी सदस्य – सुश्री अनुसुईया उइके
सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार

कार्यशाला समन्वयक – श्री सज्जन गोयल

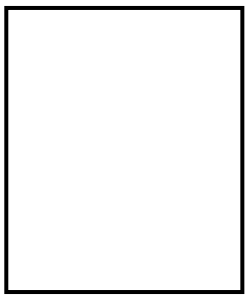

श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण–समस्याएँ एवं संभावनाएं" विषय पर रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।

आदिवासी समाज में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अहम् भूमिका निभाती हैं, इसलिए हमारे नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे पर्यावरण और आदिवासी महिलाओं के जीवन के बीच सम्बन्धों पर विशेष ध्यान दें। हमारे ग्रामीण और आदिवासी समाज में परिवार के लिए आजीविका कमाने, जैवीय विविधता का संरक्षण करने, जलसंभरों की सुरक्षा करने, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महिलाओं के बढ़ते योगदान को अब भली–भांति स्वीकार किया जाने लगा है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट देश में आदिवासी महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।

रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

नई दिल्ली
11 जून, 2002

(अटल बिहारी वाजपेयी)

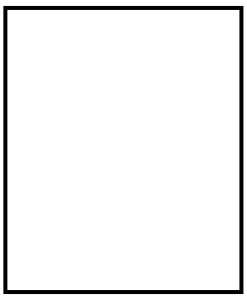

डा. मुरली मनोहर जोशी
DR. MURALI MANOHAR JOSHI

सत्यमेव जयते

मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत
नई दिल्ली–110001
**MINISTER OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
INDIA
NEW DELHI-110001**

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री अनुसुईया उइके ने आयोग द्वारा "आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं" विषय पर आयोजित पाँच कार्यशालाओं के प्रतिवेदन का एक संकलन तैयार किया है।

जनजातियों, जिन्हे भारत के मूल निवासी के रूप में जाना जाता है, ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध व विविध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनजातीय समाज में महिलाओं को उच्च दर्जा प्राप्त है जो कि स्त्री–पुरुष अनुपात, कार्यों में महिलाओं की सहभागिता, निर्णय लेने में उनकी भूमिका आदि जैसे कई सूचकांकों में परिलक्षित होता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनको संप्रेषण व उन्नत कृषि पद्धति संबंधी सुविधाएं सीमित रूप में उपलब्ध हैं। जनजातीय आबादी, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जहाँ और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

आज आधुनिक भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम अपनी जनजातीय बहनों एवं भाइयों के आर्थिक व सामाजिक विकास को उनके जीवन के पारम्परिक मूल्यों व लोकाचारों को बिना क्षति पहुंचाए यथाशीघ्र मूर्त रूप कैसे दें।

सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा किए गए प्रयास इस दिशा में निस्संदेह सराहनीय हैं क्योंकि उपरोक्त संकलन से जनजातीय समाज व उनकी संस्कृति के बारे में बेहतर समझ, प्रसार एवं विकास के लिए एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने के लिए बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

(मुरली मनोहर जोशी)

प्रस्तावना

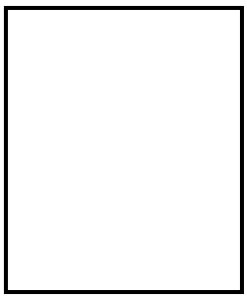

डा. पूर्णिमा आडवाणी

जनजातीय समाज विविधताओं एवं विपुलताओं से सराबोर है। 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासी महिलाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है। आदिवासी महिलाएं भारतवर्ष की कुल महिला आबादी के 10 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आदिवासियों का जीवन जल, जंगल, जमीन एवं मौसमी कृषि पर निर्भर करता है। वनों से आदिवासियों का विस्थापन उनको स्थानीय रोजगार के साधनों से भी विमुख कर रहा है। उनकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रॉची, नाशिक, जबलपुर, गुवाहाटी एवं मनाली में आयोजित की गई थी, जिनका यह संकलन है। कार्यशालाओं के आयोजन का प्रभार आयोग की ओर से सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग को दिया गया। सुश्री उइके स्वयं आदिवासी समुदाय में पली–बढ़ी एवं सशक्त आदिवासी महिला हैं । अतः सुश्री उइके आदिवासी समाज को बहुत करीब से जानती हैं। प्रस्तुत संकलन उनके जनजातीय अनुभवों से और भी प्रभावी हो गया है।

कार्यशालाओं के माध्यम से जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं वैधानिक स्थितियों का अध्ययन किया गया है।

मैं आशा करती हूँ कि यह प्रकाशन आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दिनांक : 20 जनवरी 2003 (डॉ. पूर्णिमा आडवाणी)

स्थान : नई दिल्ली

पूरोवाक्

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महसूस किया कि संकोची स्वभाव की जनजातीय महिलाएँ बहुत उपेक्षित, दयनीय एवं अशक्त अवस्था में हैं। अतः महिला आयोग ने निर्णय लिया कि संकोची जनजातीय महिलाओं की समस्याओं एवं उनके समाधान का पता लगाने के लिए उनके साथ विचार–विमर्श कर यथोचित कार्यवाही की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने यह निर्णय लिया कि पॉच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ क्रमशः रॉची, नाशिक, जबलपुर, गुवाहाटी एवं मनाली में आयोजित की जाएं। तत्पश्चात् एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

रॉची क्षेत्रीय कार्यशाला में बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रॉची कार्यशाला में झारखण्ड महिला आयोग का गठन, जनजातीय महिलाओं का नक्सली तत्वों की ओर प्रभावित होना, महिलाओं को कृषक का दर्जा दिलाना एवं उन्हें डायन करार देना आदि मुख्य मुद्दे रहे।

नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ एवं दादरा–नगर हवेली की आदिवासी महिलाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में आदिवासी क्षेत्रों, जनजातीय महिलाओं को दाई ट्रेनिंग, संभ्रान्त लोगों द्वारा आदिवासियों द्वारा एकत्रित वनीय उत्पादों को कम मूल्यों पर क्रय करना, राष्ट्रीय महिला बैंक एवं पृथक महिला कोर्ट की स्थापना आदि प्रमुख मुद्दे रहे।

जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में आदिवासी महिला क्रेडिट कार्ड, आदिवासी महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना एवं रानी दुर्गावती खेल परिसर का निर्माण आदि मुख्य मुद्दे रहे।

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला में असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालेंड एवं त्रिपुरा राज्यों की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जनजातीय परम्पराओं का प्रलेखीकरण, हस्तकला एवं हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन एवं बाजार उपलब्ध कराना तथा इस क्षेत्र को नॉन–लैप्सेबल फण्ड की व्यवस्था आदि प्रमुख मुद्दे रहे।

मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहॉ भ्रूण हत्या को रोकने हेतु महिलाओं को दाह–संस्कार अधिकार प्रदान करना, पुरानी कुरीतियों का शीघ्र निषेध करना एवं लाहौल–स्पिति को नये पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना आदि प्रमुख मुद्दे रहे।

प्रस्तुत विचार–विमर्श का संकलन 20 राज्यों की लगभग 3,000 जनजातीय महिलाएँ, लगभग 60 जनजातीय विषय विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों के लगभग 50 वरिष्ठ अधिकारियों एवं लगभग 200 गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सोच एवं परिकल्पना है जिसे रिपोर्ट के रूप में कलमबद्ध किया गया है।

मैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने विषय की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यशालाओं की कड़ी में अंतिम कार्यशाला मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करना स्वीकार कर हमें अनुगृहीत किया।

मैं माननीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के प्रति कोटिशः आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपने बहुमूल्य क्षणों में समय–समय पर मेरा यथोचित मार्गदर्शन किया जिससे अध्ययन सामग्री और प्रभावी हो गई है।

मैं डॉ. पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रति भी कोटिशः आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुख्य सचेतक के रूप में मार्गदर्शन किया एवं अध्ययन के प्रति विशेष रूचि दिखाई। साथ में आयोग के अन्य सदस्यों, अधिकारियों, गैर सरकारी संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों एवं विभिन्न सरकारी अधिकारियों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूँ।

दिनांक : 20 जनवरी 2003 (अनुसुईया उइके)
स्थान : नई दिल्ली

कैसे पढ़ें रिपोर्ट

यह प्रकाशन ''आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं'' विषय पर आयोजित पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर, गुवाहाटी एवं मनाली का संयुक्त प्रतिवेदन है। सभी पांच कार्यशालाओं में चर्चा हेतु रखे गये विषय समान थे। प्रतिवेदन को तैयार करते समय सत्र–विषय को आधार माना गया है, अतः विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं के विचार–विमर्श को संबंधित विषय के साथ रखा गया है। पाठकों की जानकारी के लिए यहॉ यह बताना आवश्यक है कि प्रतिवेदन को रूचिकर एवं सुपाठ्य बनाने के लिए विषय विशेष से संबंधित सभी कार्यशालाओं का निष्कर्ष उसी विषय के अंर्तगत समाविष्ट किया गया है।

(अनुसुईया उइके)
सदस्य
20 जनवरी 2003

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रारंभिक	1
2.	कार्यशालाओं की विशिष्टताएं	3
	मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला	4
	रांची क्षेत्रीय कार्यशाला	5
	नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला	7
	जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला	8
	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला	9
3.	उद्घाटन सत्र	11
	मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला	11
	रांची क्षेत्रीय कार्यशाला	17
	नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला	22
	जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला	26
	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला	30
4.	सत्र एवं कार्यशाला की गतिविधयां	33
सत्र 1	क्षेत्रीय आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर एक दृष्टि	33
	रांची क्षेत्रीय कार्यशाला	33
	नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला	38
	जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला	39
	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला	45
	मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला	47
सत्र 2	आदिवासी उपयोजना, आदिवासी महिलाओं के विकास में जनजाति कार्य मंत्रालय तथा आदिवासी विकास एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों की भूमिका	50
	रांची क्षेत्रीय कार्यशाला	50
	नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला	53
	जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला	56
	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला	61

सत्र 3 जल, जलाने की लकड़ी, उर्जा, भूमि एवं कृषि, रोजगार, लघु वनोपज का संग्रह एवं विपणन 63
रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 63
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 65
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 67
सत्र 4 संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा ट्रायफेड की भूमिका 69
रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 69
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 71
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 73
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला 77
सत्र 5 आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति 79
रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 79
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 82
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 83
मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला 86
सत्र 6 आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय, उनके विरूद्व अपराध एवं उनकी सुरक्षा तथा परंपरागत रुढ़ियों पर आधारित विधि व्यवस्था 89
रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 89
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 91
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 93
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला 96
मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला 99
सत्र 7 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास, लिंग भेद एवं प्रचार माध्यम 101
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 101
सत्र 8 सामूहिक चर्चा एवं विचार विमर्श 103
रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 103
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 105
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 106
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला 110

5. समापन सत्र 111

रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 111
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 114
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 117
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला 120
मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला 121

6. निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं 125

रांची क्षेत्रीय कार्यशाला 130
नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 132
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला 134
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला 135
मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला 137

7. परिशिष्ट 139

1. प्रष्ठभूमि पत्र 139
2. रांची क्षेत्रीय कार्यशाला में दिया गया, अनुसुईया उइके का भाषण 184
3. जनजातीय कृषक महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं समाधान 188
4. जनजातीय कृषि व्यवस्था एवं पारिवारिक आय में महिलाओं का योगदान तथा उनके सशक्तीकरण की रणनीति 191
5. शिक्षा एवं स्वास्थ्य 197

प्रारंभिक

आदिवासी महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे यह आभास होता है कि इन योजनाओं की संरचना एवं संचालन में कोई खामीं है। अतः राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्णय लिया कि आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाना जाए और उनके समाधान की संभावनाएं तलाशी जाएं। जिससे नई योजनाओं के सृजन में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। अतः यह निर्णय लिया गया कि पहले 'आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर, गुवाहाटी एवं मनाली में आयोजित की जाएं। तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्यशालाओं में हुए विचार विमर्श के आधार पर उभरे मुख्य मुद्दों पर चर्चा के लिये एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

आयोग ने आदिवासी महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर पहले भी कुछ साहित्य प्रकाशित किया है :–

1. आदिवासियों में स्त्री शिक्षा
2. आदिवासी महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं
3. आदिवासी महिलाओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4. आदिवासी महिला एवं रोजगार

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर आयोग द्वारा यह एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं। सशक्तिकरण शब्द से आयोग का आशय केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से आयोग का यह प्रयास है कि जनजातीय महिलाओं के कुछ अनछुएं पहलु उभर कर सामने आएं जिससे उनके लिये नीति निर्धारण में सहायता मिल सके।

आदिवासी समुदाय सर्वथा सम्पन्न समाज की उपेक्षा का शिकार रहा है। यद्यपि आदिवासी समाज में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वह घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में यथासंभव योगदान करती है परन्तु सामाजिक रीति एवं परंपराओं के दुष्परिणाम उसे ही सहन करने पड़ते है। कभी उसे धर्म परिवर्तन के नाम पर नीलाम किया जाता है, तो कभी उसे अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिये गर्म तेल में अपना हाथ डालकर शुद्धिकरण की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ऐसी परंपराओं का क्या फायदा जिसमें महिलाओं को शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़े। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिन रीतियों ने कुरीतियों का स्वरुप ले लिया है उनका तत्काल प्रभाव से निषेद्य किया जाना चाहिए।

1991 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी लगभग 6 करोड़ 78 लाख है और इनमें 500 से अधिक जनजातियों में प्रत्येक की अपनी विशेषतायें हैं। सामाजिक व्यवस्था, जीविकोपार्जन के साधन रहन–सहन और सांस्कृतिक पहलू भिन्न–भिन्न हैं। इनमें से अधिकतर जनजातियां अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करती हैं।

उनकी आर्थिक – सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुये संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में अविलंब मिलाया जा सके। उनकी गरीबी दूर हो, वे शिक्षित हों और उन्हें रोग एवं कुपोषण से बचाया जा सके। विकास की दौड़ में जमीन, जंगल और प्रकृति के साथ उनके लगाव को ध्यान में रखते हुए उनका उत्थान सुनिश्चित करना ही हमारा ध्येय है। जनजातियों में महिलाओं का विशेष स्थान है और वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह अध्ययन किया गया है। जिससे सरकार के समक्ष आदिवासी महिलाओं की आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया जा सके। ताकि उनके लिये प्रभावी नई योजनाएं बनाई जा सके।

कार्यशालाओं की विशिष्टताएं

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं

भूमिका

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, की उपधारा 1, धारा 10 के अंतर्गत आयोग के सदस्यों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिये कार्यशालाएं आयोजित करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्णय लिया कि 'आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं" विषय पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर गुवाहाटी और मनाली में आयोजित की जाएं तत्पश्चात एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो, जिससे कि आदिवासी महिलाओं से संबंधित नीति मूलक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। कार्यशालाओं में चर्चा के लिए रखे गये विषय निम्नानुसार हैं :–

1. क्षेत्रीय आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर एक दृष्टि
2. आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों की समीक्षा
3. आदिवासी मामलों के मंत्रालय, आदिवासी विभागों तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के प्रयासों की भूमिका
4. जल, भूमि एवं कृषि, रोजगार, वन, वनोपज तथा विपणन
5. संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास
6. बैंक, वित्तीय संस्थान, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा ट्राईफेड की भूमिका
7. सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा
8. संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध एवं उससे बचाव तथा आदिवासी परंपरागत रूढ़ियों पर आधारित विधि
9. राजनैतिक सशक्तिकरण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास, लिंग भेदभाव तथा प्रचार माध्यम का सुदुपयोग
10. दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ठोस प्रयास

मनाली कार्यशाला – 24 व 25 मई 2002

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन

राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 24 व 25 मई 2002 को आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल संस्थान परिसर मनाली में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यशाला में प्रमुख रुप से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डा. पूर्णिमा आडवाणी उपस्थित रहीं। इनके साथ प्रो. प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, श्री मनसा राम, मंत्री, समाज, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण, श्री गुलाब सिंह विधान सभा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, श्री किशोरी लाल उद्योग मंत्री, श्री कर्ण सिंह, शिक्षा मंत्री, श्री महेश्वर सिंह सांसद, श्री चेतराम नेगी, विधायक एवं संसदीय सचिव, श्री चन्द सेन विधायक कुल्लू सम्मेलन में विराजमान थे। इनके अतिरिक्त श्री टी. जी. नेगी, सचिव, समाज महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, श्री कश्मीर चन्द, निदेशक, समाज महिला एवं अनूसूचित जाति कल्याण विभाग आदि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

1. देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति के बावजूद श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, ने अपने बहुमूल्य क्षणों में से कुछ क्षण निकाल कर कार्यशाला का उद्घाटन किया एवं कहा कि रीति जब कुरीति बन जाए तो उस पर विराम लगाकर नई नीतियों का सृजन किया जाना चाहिए'।

2. कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश के आठ जिलों की लगभग 400 आदिवासी महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेश भूषा धारण कर भाग लिया जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खूब सराहा।

3. विधि विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डा. पूर्णिमा आडवाणी, कार्यशाला में उपस्थित रहीं तथा अपने ज्ञान एवं अनुभव से लोगों का मार्गदर्शन किया।

4. प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने भी उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यों की जानकारी उपस्थित प्रतिनिधियों को दी।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य एवं कार्यशाला की प्रभारी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर एवं गुवाहाटी में आयोजित 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं की संक्षिप्त जानकारी दी।

6. भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु विकल्प के तौर पर महिलाओं को दाह संस्कार का अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव कार्यशाला में आया।

7. जो पुरानी रीतियां आज कुरीतियां बन गई हैं उनमें संशोधन एवं उनका निषेद्य किया जाए।

8. लाहौल स्पिति में नये पर्यटन क्षेत्रों का सृजन किया जाये ताकि यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

9. छोटे–छोटे स्टाप् डेम एवं नहर बनाकर पानी के सभी स्त्रोतों का संकलन किया जाये ताकि पेयजल की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।

10. स्थानीय चर्म उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उसके विपणन के लिए सरकारी स्तर पर कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

11. महिलाओं में जागरूकता का अभाव पाया गया, उसके समाधान के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

12. आदिवासी महिलाओं को आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए जनजातीय महिला क्रेडिट कार्ड योजना का सृजन किया जाये।

13. प्रत्येक गांव से 5 बहुओं/लड़कियों को दाई की ट्रेनिंग दी जाये जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा एवं ग्राम में ही सुलभ व सुरक्षित प्रसूति की सुविधा भी होगी।

14. प्राकृतिक रुप से समृद्ध हिमाचल प्रदेश में जड़ी बुटियां, आयुर्वेदिक दवाईयों तथा हर्बल बुटियों के प्रसंस्करण के लिये अधिक संख्या में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

रांची कार्यशाला – 19 व 20 दिसम्बर 2001

रांची, क्षेत्रीय कार्यशाला विकास भारती, बिशुनपुर, झारखंड के सहयोग से राँची में 19–20 दिसम्बर 2001 को आयोजित की गई, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रतिभागी राज्यों की आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। इस कार्यशाला को विधान सभा के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। कार्यशाला की संरचना एवं परिकल्पना सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई। रांची कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

1. कार्यशाला का उद्घाटन श्री इंदर सिंह नामदारी, अध्यक्ष, विधानसभा, झारखंड ने किया।

2. श्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य मंत्री, झारखंड (मुख्य अतिथि, समापन सत्र) ने राज्य महिला आयोग के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

3. राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, मुख्य मंत्री तथा कल्याण मंत्री झारखंड ने कार्यशाला की अनुशंसाओं का यथासंभव क्रियान्वयन स्वीकार कर लिया।

4. डायन प्रथा को समाप्त करने के कार्यशाला के सुझाव को मानते हुए सरकार ने विशेष कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

5. छोटा नागपूर टेनेन्सी एक्ट 1908 एवं संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए।

6. आदिवासी महिलाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रसार, कुपोषण रोकने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुधार व भुखमरी से बचाव को प्राथमिकता दी जाए।

7. पलायन एवं नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिये रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

8. कृषि उपज एवं वनोपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये ट्रायफेड के ढांचे को मजबूत बनाया जाये।

9. आदिवासियों के वनों से विस्थापन के पश्चात पुनर्स्थापन की पूर्ण व्यवस्था हो।

10. जनजातीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाये।

11. सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु जागरुकता शिविर, कार्यशालाएं आदि आयोजित किये जाए।

12. आदिवासी महिलाओं में व्याप्त कुपोषण, अशिक्षा को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए। कुपोषण को दूर करने के लिये अन्न भंडारण की व्यवस्था की जाये।

13. ऐसे मापदंड निर्धारित किए जाए ताकि साहूकारी ऋण के बोझ तले दबे आदिवासी परिवार खासकर महिला SHG (स्व सहायता समूह) को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं दूर की जा सकें।

14. आदिवासी लड़कियों को शिक्षा, भोजन एवं पुस्तकों की मुफ्त व्यवस्था हो।

15. आदिवासी महिला के श्रम की सही पहचान की जाए ताकि वह मात्र एक रेजा या आया लायक ही नहीं, नई–नई जीविकोपार्जन के साधन अपना सके। इसके लिये उसे प्रशिक्षण दिया जाए। कुछ जगहों पर महिला को राजमिस्त्री, पम्प मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे इनका आत्म – सम्मान एवं आय में बढ़ोत्तरी हो।

16. जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक है। खाना पकाने के ईंधन के विकल्प के विकास पर ध्यान दिया जाए। गैर लकड़ी उत्पाद वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए।

17. एलोपैथी शोध और अध्ययन से निरन्तर प्रगति जरुर है, किन्तु वो काफी खर्चीला माध्यम है। इसलिए स्वास्थ्य एवं पोषण के पारंपरिक लोक ज्ञान को बढ़ावा देना होगा। साथ मेंAlternative Medicine जैसे यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद की पद्धतियों को भी बढ़ावा देना है। हरबल औषद्यीय युक्त जड़ी – बूटी आदि संपदा का प्रलेखीकरण होना चाहिए।

18. आदिवासियों के परम्परागत विधानों एवं नियमों का प्रलेखीकरण कर उसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाए।

नाशिक कार्यशाला – 3 व 4 जनवरी 2002

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं सम्भावनाएं विषय पर नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला 3–4 जनवरी 2002 को महाराष्ट्र में माता बालक प्रतिष्ठान नाशिक के सहयोग से आयोजित की गई। कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली की 43 आदिवासी महिला प्रतिनिधियों और 24 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाशिक कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

1. कार्यशाला का उद्घाटन श्री जुएल ओरम, केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य, भारत सरकार ने किया। डॉ. विमल मुदड़ा, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र सरकार ने समापन किया।
2. महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिये जिला स्तर पर एक महिला कोर्ट होना चाहिए।
3. आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिये व्यावसायिक शिक्षा और स्व रोजगार को बढावा दिया जाये।
4. आदिवासी उत्पाद के विपणन की व्यवस्था ग्राम स्तर पर हो।
5. महिलाओं के आर्थिक विकास के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला बैंक की स्थापना होनी चाहिए। जिससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को एक नई दिशा मिलेगी।
6. प्रत्येक मंत्रालय में पृथक महिला विभाग होना चाहिए, जिससे महिलाएं अधिक संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
7. वन संबंधी कानूनों का पुनरीक्षण कर, वन विकास एवं संरक्षण संबंधित पृथक नीतियों का सृजन होना चाहिए, जिससे आदिवासियों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके।
8. आदिवासी क्षेत्रों में वन संपदा एवं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये उधोगों का चयन किया जाये जिससे उपलब्ध संसाधनों का सुदुपयोग हो सके और आदिवासी आर्थिक रुप से स्वावलंबी बन सकें।
9. आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य, कुपोषण, प्रसूति आदि की आपातकालीन देखभाल हेतु एक पृथक स्वास्थ्य निधि की स्थापना की जानी चाहिए। तत्संबंधी प्रस्ताव पास करने के अधिकार ग्राम पंचायत स्तर पर दिये जाएं ताकि 24 घंटों के भीतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
10. नक्सलवादी अब आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अशांति फैलाने के लिये प्रेरित कर रहें हैं। समय रहते सरकार को विशेष प्रबंध करने चाहिए ताकि आदिवासी महिलाएं नक्सली तत्वों के चंगुल से दूर रखी जा सकें।
11. आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टर का काम भगत एवं औझा / वैद्य पुरुष लोग ही करते हैं। उनमें स्त्री रोगों के ज्ञान का अभाव पाया गया है। अतः इन भगत एवं औझा / वैद्य को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हर गांव में 4–5 महिलाओं की टीम बनाकर उनको भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे भी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकें।

जबलपुर कार्यशाला – 12 व 13 फरवरी 2002

आयोग ने दि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया), जबलपुर, मध्य प्रदेश के सहयोग से 12–13 फरवरी 2002 को आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में मध्यप्रदेश के 1979 प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के 56 और राजस्थान के 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

1. कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती सुमित्रा महाजन, तत्कालीन राज्य मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग, भारत सरकार एवं उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती जयश्री बनर्जी, सांसद, जबलपुर ने की। डा. सोनल अमीन, सदस्य, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रुप में भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला के आयोजन की प्रस्तावना प्रतिनिधियों एवं उपस्थित अतिथियों के समक्ष रखी।

2. कार्यक्रम का समापन श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य मंत्री, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्रीमती सविता इनामदार, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया।

3. कार्यशाला से यह स्पष्ट हुआ कि आदिवासी महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है और विभिन्न स्तरों पर जन जागरण शिविरों एवं कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता है।

4. रानी दुर्गावती की कर्मस्थली जबलपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का बहुउद्धेशीय आदिवासी परिसर की स्थापना होनी चाहिए, जहॉ आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिये खेलकूद, कला एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

5. आदिवासियों के विकास की गति को तीव्र करने के लिये वनोपज, वनोषधि, और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों का विकास होना चाहिए।

6. आदिवासियों को सुलभ वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आदिवासी महिला क्रेडिटकार्ड योजना का सृजन किया जाना चाहिए।

7. स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अत्यंत पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. आदिवासी महिला कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो का संपादन करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी महिलाओं की पहचान बढ़ाने हेतु उन्हें रानी दुर्गावती पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए। यह अलंकरण समारोह गणतंत्र दिवस पर आयोजित हो। पुरस्कार विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये होना चाहिए। इस कार्य हेतु एक समिति गठित की जाए।

10. अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों (PTGs) के शैक्षणिक विकास हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया जाए जहां महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है।

11. खदानों के मालिक आदिवासी महिलाओं से रात में भी कार्य करवाते हैं। इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाते हुये सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित किया जाए।

12. आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई जाए। संबंधित सरकार, सरकारी संगठन, पंचायत एवं आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा बीमा शुल्क जमा कराया जाना चाहिए।

गुवाहाटी कार्यशाला – 20 व 21 अप्रेल 2002

राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से मल्टीफैरियस संस्था द्वारा 20 व 21 अप्रेल 2002 को आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन गुवहाटी में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डा. पूर्णिमा आडवाणी ने की। प्रो. एन. के. चौधरी पूर्व कुलपति, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने इस सम्मेलन का विधिवत उदघाटन किया। कार्यशाला में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेद्यालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा एवं सिक्किम प्रदेशों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

1. अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डा. पूर्णिमा आडवाणी ने बताया कि आयोग का मुख्य आकर्षण स्वयं सेवी संस्थाओं, सहकारिता क्षेत्र, महिला बैंक, बचत योजनाओं तथा स्व सहायता समूहों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके।

2. आयोग की सदस्य सुश्री अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय महिला आयोग में नार्थ ईस्ट क्षेत्र के लिये एक पृथक सेल बनाने पर जोर दिया।

3. क्षेत्र में उन्नत हथकर्घा एवं हस्तशिल्प कला को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये इन्हें प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

4. नार्थ ईस्ट के जिन राज्यों में राज्य महिला आयोग का गठन नहीं हुआ हैं। उनमें शीघ्र आयोग का गठन किया जाये।

5. आदिवासी महिला विशेष सहायता योजना का सृजन किया जाना चाहिए जिससे जरुरतमंद आदिवासी महिलाओं को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

6. नार्थ ईस्ट क्षेत्र के लिये प्रथक नान लेप्सेबल फंड की स्थापना की जानी चाहिए। चूकिं विषम भोगोलिक परिस्थितियों के कारण योजनाओं को नियत समय में पूरा करने में काफी कठिनाईयां आती हैं।

उद्घाटन सत्र

मनाली कार्यशाला

उद्घाटनकर्ता	:	परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार।
अध्यक्ष	:	डा. पूर्णिमा आडवाणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।
कार्यशाला रूपरेखा एवं परिचय प्रस्तुतिकरण	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
विशिष्ट अतिथि	:	श्री प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
स्वागत भाषण	:	श्रीमती मालविका पठानिया, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश।
आभार प्रदर्शन	:	श्री मनसा राम, मंत्री, समाज कल्याण एंव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, हि. प्र.

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का सार

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं बैठा–बैठा सोच रहा था कि कार्यशाला में महिलाएं अधिक हैं या पुरूष ? मैं यह भी सोच रहा था कि जनजाति की महिलाएं अधिक हैं या अन्य ? यह सोच किसी भेदभाव की दृष्टि से नहीं लेकिन प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए यह आकलन जरुरी है। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला आयोग राज्य और केन्द्र में, महिलाओं की प्रगति की दृष्टि से, उन्हें परिवर्तित परिस्थितियों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिये सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जिस प्रदेश में देवी हिडिम्बा का मन्दिर है, उस प्रदेश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हमारे यहां स्त्री और पुरूष का भेद नहीं है सबको समान मताधिकार है। पश्चिमी देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा था। पुरूषों को मताधिकार पहले मिल गया था स्त्रियों को बाद में। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ प्रारम्भ से ही परस्पर बराबरी एवं पूरकता का भाव है। किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। लेकिन सभी का समान विकास होना चाहिए जो कुछ कारणों से पीछे रह गए हैं उन्हें भी शीघ्रातिशीघ्र दूसरों के समक्ष लाया जाये यही हमारा प्रयास रहा है। संविधान अपनी जगह स्पष्ट है। कानून भी बने हैं और बनाए जा रहे हैं। लेकिन संविधान

और कानूनों को अमल में लाने वाला जो समुदाय है उसकी मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। महिला वर्ग को पीछे रखकर हम नये एवं उन्नत समाज की कल्पना नहीं कर सकते।

उन्होंने अपने उद्‌बोधन में आगे कहा कि रीति अगर कुरीति में बदल जाये तो उसका निषेध आवश्यक है'। सोचने का ढंग, परम्पराओं से प्राप्त परिस्थितियों में काल के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। इसके बारे में चिन्तन और फिर आचरण करना चाहिए। इस संबंध में एक बात स्पष्ट है कि प्रगति की कुन्जी शिक्षा है। लड़कियों की शिक्षा को हम इसीलिए महत्व दे रहे हैं। लड़कियां गर्भ से ही भेद–भाव का शिकार हो जाती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, इस संबंध में कानून कड़े किये जा रहे हैं, दण्ड बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसके निषेध के लिये समाज के भीतर से ही आवाज आनी चाहिए। अगर कन्या लक्ष्मी एवं सरस्वती और शक्ति का रूप है तो जन्म से पहले ही उसकी हत्या क्यों ? हालांकि इसमें कमी हो रही है लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। राज्य सरकारें इस संबंध में प्रयत्न कर रही हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन सारे समाज को, और विशेषकर पुरूष वर्ग को, अपने सोचने की दिशा में परिवर्तन करना होगा। संविधान में जो कुछ लिखा है, कानून जिस बात का प्रावधान करते हैं आखिर उन्हें कार्यान्वित करने वाला कौन है ? और अगर उसके मन में यह भाव है कि महिलाएं हीन हैं, उन्हें पीछे ही रहना चाहिए, वो तो परिश्रम करने के लिए ही बनी है और परिश्रम ही सेवा है, यह दूषित मानसिकता का परिचायक है। आज इस सोच को बदलने की आवश्यकता है और बदली जा रही है। महिलाओं की प्रगति के लिये इस मानसिकता में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। शिक्षा इसमें परिवर्तन ला सकती है। अब तो 14 साल तक के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकारें इसका कड़ाई से पालन करें।

राज्य की आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर भी विचार होना चाहिए। पराधीनता के कारण विदेशी आक्रमण के दौरान समाज में जो निरन्तर सुधार की प्रक्रिया थी उसमें कठिनाईयां पैदा हुई और समाज में एक जड़ता आ गई जिसे बदलने की आवश्यकता है। लेकिन परिवर्तन की गति और तेज होनी चाहिए। केन्द्र और राज्य में महिला आयोग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कानून क्या कहते हैं, कानून कौन से अधिकार देते हैं, कौन से अधिकार नहीं मिल रहे जिन्हें मिलना चाहिए। इसके बारे में एक जागरण अभियान की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जा सकता है। अभी भरमौर की हमारी बहन कह रही थी कि हस्त कौशल में उस क्षेत्र की महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। यह प्राचीन धरोहर है हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है। उसको और बढ़ावा देना हाथ से बने हुए या लघु उद्योगों में निर्मित वस्तुएं लोक कलाएं विकसित हों और इनसे समाज की प्रगति में भी सहायता मिले इस दृष्टि से सरकार को प्रयास करना चाहिए।

माननीय प्रधान–मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि चुनौतियों का सामना करने में पुरूष भागीदारी करें तो सुधार हो सकता है, सुधार होना चाहिए जिससे नए समाज के बनने की कल्पना की जा सकती है। समाज सुधार सशक्तिकरण का काम शिक्षा एवं जागरूकता लाना है। रोजगार के अवसर पर उन्होंने आगे कहा कि कला कौशल के लिए छोटे – छोटे उद्योग – धन्धे हैं। छोटे उद्योग के क्षेत्र में पर्यटन को अधिक से अधिक कैसे शामिल किया जाए इसकी संभावनाओं पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

डा. पूर्णिमा आडवाणी, के अध्यक्षीय भाषण का सार

डॉ. पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने भाषण में कहा कि आज की यह कार्यशाला आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं की श्रृखंला की अंतिम कड़ी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से यहां जो मन्थन होगा, जो सुझाव और मौखिक विचार यहां से उत्पन्न होंगे उनका सीधा प्रभाव इसके बाद होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला पर पड़ेगा। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, परन्तु आज सबसे बड़ी समस्या देश की सुरक्षा है। अभी – अभी हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण करके लौटे हैं ऐसी गम्भीर स्थिति में भी उन्होंने हमारी कार्यशाला के उद्घाटन के लिए समय निकाला यह बहुत बड़ी बात है। यह इसकी ओर भी इशारा करता है कि देश की असली सुरक्षा उसके सर्वांगिण विकास में है। वो विकास जिसमें देश के सभी घटक चाहे दलित वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो सभी घटकों में महिलाएं भी सहभागी हों, तभी देश बलशाली एवं विकसित हो सकता है। हमारी आदिवासी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग देश के सीमावर्ती भागों पर रहता है और इसके सभी सदस्य चाहे पुरूष हों या महिला वे समय – समय पर सीमाओं पर उभरने वाले तनाव व संर्घष का शिकार होते हैं। इसलिए बहुत ही उचित और योग्य अवसर है कि इस प्रदेश की आदिवासी महिलाओं के जीवन से सम्बंधित समस्याओं का अवलोकन हो, उनका राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में मेल हो। महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षापायों की रक्षा के लिये 1990 में संसद में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया तत्पश्चात 1992 में इसका विधिवत गठन किया गया। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष था, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर महिलाओं के विकास का बीड़ा उठाया है।

उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी जीवन का मूल है जल, जंगल और जमीन। विकास की बहुत सी योजनाएं आदिवासियों के जीवन से आकर टकराती हैं। कभीं उनकी जमीन जाती है, कभी उनके जंगल काट दिए जाते हैं, कभी जल के संसाधन नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे में शासन को और समाज को उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक देखना होता है और जहां इसमें चूक हो जाती है वहां प्रभावित लोग संगठित हो कर शासन को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में किंकरी देवी के रूप में देखा है। उन्होंने पहाड़ों के बढ़ते हुए विनाश के प्रति अपनी आवाज बुलन्द की और पर्यावरण के संरक्षण को एक नई दिशा दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उनको महिला सशक्तिकरण वर्ष में पुरस्कार भी दिया गया था। जहां जनजाति महिला को सबसे पिछड़ा माना जाता है वहां यह भी सत्य है कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से उनका दर्जा समाज के दूसरे वर्गों की महिलाओं से कुछ ऊपर है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। किन्तु यह भी सत्य है कि आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी बहुत सी योजनायें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा :

''दीप से दीप जलाने का प्रयास है,
ये दीप, माला बनकर,
एक नई ज्योति प्रकाशित करेंगे''।

उक्त पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने पारस्परिक सहयोग की भावना पर बल दिया।

स्वागत भाषण

स्वागत भाषण में श्रीमती मालविका पठानिया, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश ने सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत किया तथा उनके साथ पधारे सभी महानुभावों का कार्यशाला में आने के लिए स्वागत व आभार प्रकट किया। उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन का अवसर हि. प्र. राज्य महिला आयोग को देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, डॉ. पूर्णिमा आडवाणी एवं सदस्य, सुश्री अनुसुईया उइके के प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व हमारी परम्पराओं और हमारे मूल सिद्धांतों के बीच सिमटा हुआ है। हम लोग आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर सत्रशः चर्चा करेंगे ताकि आने वाले दिनों में उनके निवारण के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव दे सकें। उन्होंने आगे कहा कि पहले साक्षरता दर 53.39 प्रतिशत थी जो आज 66.86 प्रतिशत है। प्रदेश का महिला साक्षरता दर अच्छा है जनजातीय महिला साक्षरता दर 58.46 है। यहां न केवल जनजातीय क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों से भी महिलाएं आई हैं।

स्वागत भाषण के पश्चात दो जनजातीय महिलाओं ने अपनी व्यथा माननीय प्रधानंमत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष रखी जो निम्नानुसार हैं :–

कुमारी ठसी पलकी :

उन्होंने सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री को लाहौल वासियों के लिये सुरंग निर्माण की स्वीकृत देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि, 'हमारे लाहौल में शादी की एक ऐसी प्रथा प्रचलित है जो कुजी के नाम से जानी जाती है। जिसमें लड़की को किसी भी समारोह से उठा लिया जाता है। जो कई बार उसकी इच्छा के विरूद्ध होता है। शादी – शुदा लड़कियों को परम्पराओं के नियमों के अनुसार तलाक देकर छोड़ देते हैं। इसलिए बहुपति और बहु–पत्नी प्रथा प्रचलित है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे जिले में लड़कियों को जमीन जायदाद में वारिसाना हक प्राप्त नही है। अतः सभी रिवाजों को कानूनी तौर पर समाप्त किया जाना चाहिए।

श्रीमती गीता देवी, (भरमौर–चम्बा):

इसके पश्चात श्रीमती गीता देवी, भरमौर (चम्बा) ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा 'मैं आपको बताना चाहती हूॅ कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में भारी हिमपात होता है और कई बार हम छः महीनों तक घर से बाहर नही निकल पाते। इस खाली वक्त में हम ऊनी जुराबें, चार सिलाई वाली जुराबें व दस्तानें, टोपियां, पट्टु और शाल भी बुनती हैं। प्रदेश सरकार हमारी इन चीजों को बेचने के लिए हमारी मदद करे तो हम इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करके अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री, हि. प्र. ने सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का इस जनजातीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए आभार प्रकट किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि, हिमाचल प्रदेश

का बहुत बड़ा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। वहां आबादी बहुत कम है। कुल आबादी का लगभग 4.22 प्रतिशत इस जनजातीय क्षेत्र में रहता है। लेकिन प्रदेश के भौगोलिक तौर पर इस जटिल क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग से रख दिया जाता है। जिससे वहां रहने वाले अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। आपके आशीर्वाद से इनके विकास के लिए धन जुटाने का एक और साधन बार्डर एरिया डवलेपमैंन्ट प्लान मिला है।

क्लाईमेटिक्ली, ज्योग्रेफिक्ली विषमताओं के कारण इन क्षेत्रों में अधिक धन लगाना पड़ता है। फिर इन क्षेत्रों में काम करने के लिए जो अधिकारी व कर्मचारी भेजे जाते थे, अक्सर वो भी जाने में दिक्कत महसूस करते थे। वर्तमान सरकार ने पहली बार इतिहास में कर्मचारियों की उपस्थिति वहां सुनिश्चित करने के लिए सब कॉडर की स्थापना की जिसके अनुसार, जिसकी नियुक्ति होगी उसको निश्चित समय 5 वर्ष तक इन क्षेत्रों में काम करना होता है। इस कारण हम स्टाफ की कमी को पूरी कर पा रहे हैं। जो स्टाफ की कमी थी डाक्टर, टीचर्स वहां पोस्ट किये जा रहे है। इसके पश्चात जो अधिकारी, कर्मचारी वहां जाते हैं उनकी आवास व्यवस्था की दिक्कत आ रही थी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर हमने हाईस्कूल और सीनियर सैकेन्डरी स्कूल में गुरूकुल यशवंत योजना प्रारम्भ की है।

प्रधानमंत्री जी जहां आपके आर्शीवाद से प्रस्तावित लाहौल टनल का बहुत बड़ा लाभ जनजातीय क्षेत्र को मिलेगा। जो बात गीता देवी जी ने कही कि हम छः महीने मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। घर के अन्दर ही महिलाएं रहकर दस्तकारी का काम करती हैं। जब यह टनल बनेगी तो अरबों रूपयों का लाभ हमारी शस्त्र सेनाओं और लोगों को होगा क्योंकि अभी उन्हें सारा साजो–सामान बाई एयर कैरी करना पड़ता है।

जैसे गीता देवी जी ने कहा कि कुछ घरेलू एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाये। प्रधानमंत्री जी, आपको जो चम्बा का रूमाल भेंट किया गया है यह पूरे विश्व में विख्यात है क्योंकि इसकी कशीदाकारी दोनों ओर से होती है। इसी प्रकार ये बहनें दस्ताने बनाती हैं, जुराबें बनाती हैं, प्रदेश सरकार अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करती है। हमारी सेनाओं और पैरा मिलिटरी फोरसेज भी इनके द्वारा बनाए गऐ पटटु जुराबें, मोजे और दस्तानों का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली अपने प्रदेश में ही अपने लिए इनको मार्केटिंग व्यवस्था मिल सकती है।

दो वक्ताओं के प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बहु–पति प्रथा एवं बहु–पत्नी प्रथा के प्रति हम सजग हो रहे हैं कानून से ज्यादा समाज और हम स्वयं प्रयास करें तो शीघ्र बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन कुछ ट्राईबल एरियाज के लिए संविधान में ही प्रोटेक्शन दी गई है। जहां बदलाव लाना काफी कठिन होता है लेकिन जब मानसिकता बदल जाये तो बदलाव लाना कठिन नहीं।

अन्त में उन्होंने कहा, 'मैं मालविका पठानिया जी और आयोग के अन्य सदस्यगण को बधाई देना चाहता हूँ। सचमुच पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले इस आयोग के द्वारा बड़ी समझदारी के साथ सुलझाए गए हैं। अदालतों के चक्करों से महिलाओं को निजात मिली है। महिला ही महिला का मर्म समझ कर उसको हल करने का प्रयास करे तो इससे अच्छा और क्या होगा? हमारी तरफ से आयोग को सशक्त करने का निरंतर प्रयास जारी है।

कार्यशाला की रूपरेखा एवं परिचय प्रस्तुतिकरण :

सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल को धन्यवाद प्रेषित किया कि उन्होंने आदिवासी महिलाओं के मर्म को जानने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से इनके लिए समय निकाला और कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना कर दिया जिसके लिये हम सब उन महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी के आभारी है।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर अभी तक चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर एवं गुवाहाटी में आयोजित की गई हैं। पिछली कार्यशालाओं के मुख्य निष्कर्ष एवं सफलताएं निम्न प्रकार हैं :–

(1) रांची, कार्यशाला में पारित प्रस्ताव के अनुसार झारखंड राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाये।

(2) झारखंड में महिलाओं को छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट एवं संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट के कारण भू–अधिकार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिसके अध्ययन के लिये एक समिति का गठन किया गया।

(3) झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी महिलाएं नक्सलवाद की ओर जा रही हैं और कुछ तो नक्सलवादी बन गई हैं।

(4) राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष सेल बनाया जाए, गुवाहाटी कार्यशाला में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया।

(5) आदिवासी महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का सृजन किया जाए।

(6) आदिवासी महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई जाए।

मनाली कार्यशाला अंतिम क्षेत्रीय कार्यशाला है। इसके पश्चात एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कार्यशालाओं से उत्पन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

आभार प्रदर्शन

श्री मनसा राम, मंत्री, समाज, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने धन्यवाद भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और कहा कि महिलाएं परिश्रम करती हैं तथा महिलाएं सम्माननीय है। महिला आयोग ने इस कार्यशाला का आयोजन किया यह एक साहसी कार्य है इसमें जो समस्यायें उभर कर सामने आएंगी उनका समाधान निकाला जायेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग को धन्यवाद दिया।

रांची कार्यशाला

उद्घाटनकर्ता	:	श्रीमती विभा पार्थसारथी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।
अध्यक्ष	:	श्री इन्द्र सिंह नामधारी, अध्यक्ष, विधान सभा, झारखंड।
स्वागत एवं परिचय	:	श्री अशोक भगत, सचिव, विकास भारती, बिशुनपुर, झारखंड
कार्यशाला परिचय	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
विशिष्ट अतिथि	:	सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्राइफेड

कार्यशाला का प्रारंभ बिशुनपुर की आदिवासी बालिकाओं के असुर जनजातीय गीत से हुआ। गीत के उपरांत मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों का फूल–मालाओं एवं पुष्पगुक्षों से स्वागत किया गया।

स्वागत एवं परिचय

श्री अशोक भगत, सचिव, विकास भारती, बिशुनपुर ने मंचासीन व्यक्तियों का परिचय देते हुए बताया कि इस कार्यशाला में गाँव की महिलाओं के साथ विद्वान महिलाएं भी आई हैं। यह जानना होगा कि महिलाओं के अधिकार क्या है ? झारखंड के गठन से यह आशा बंधी थी कि आदिवासी अंततः अब सुख–समृद्धि देखेंगे। मानवशास्त्री बताते हैं कि आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है। परंतु यह भी सत्य है कि वे सर्वाधिक शोषित भी हैं। विकास भारती द्वारा संचालित श्रम निकेतन (आवासीय पाठशाला) में 250 बच्चों में से करीब 50 बच्चों को अपने पिता के नाम तक का पता नहीं है। लातेहार में देखा था कि महिलायें दोना–पत्तल बेचकर स्वयं को एवं अपने बच्चों को पालती हैं। सुबह रेल से जाती हैं एवं रात को ही लौटती हैं। बॉक्साईट की खदानों में बी.ए./एम.ए. पास लड़कियाँ रात–रात भर खपती हैं, मना करने पर कहती हैं खायेंगे क्या ? सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं है, यहाँ की आदिवासी महिलायें आर्थिक कारणों से सबसे ज्यादा शोषित हैं। उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं होते। घर – जमीन गिरवीं रखनी पड़ती है। बच्चे कुपोषण के शिकार है। यह स्थिति 50 साल से सरकार द्वारा चलाये गये कल्याणकारी कार्यक्रमों के बावजूद है।

सरकारी तंत्र एवं अधिकारी भी कभी अत्याचार के मूल तंत्र बन जाते हैं। यहाँ की महिलाओं को तो अपने शोषित होने की समझ तक नहीं है। 90 प्रतिशत कृषि का काम महिलायें करती है किन्तु वे कृषक कहलाने की हकदार नहीं हैं। उनके लिए न उपयुक्त औजार बनाये जाते हैं और न ही उनके कृषि पहलू पर कोई शोध होता है। सरकार द्वारा संचालित आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का लाभ भी हर जरुरतमंद को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि –

बुलंद वादियों में जी कर क्या करेंगे,
मुझे मेरी जमीन दे दे,
आसमान ले कर क्या करेंगे।

आदिवासी स्त्री अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर काम की तलाश में घूमती रहती है। इतना सब करने के बावजूद भी उसे उसी के घर में महत्वपूर्ण फैसलों में कोई भागीदारी नहीं मिलती है। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि झारखंड राज्य में महिला आयोग का गठन शीध्रातिशीघ्र होना चाहिए।

कार्यशाला परिचय

सुश्री अनुसुईया उईके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला का परिचय देते हुए बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्णय लिया कि आदिवासी महिलाओं के बीच बैठकर, उनसे चर्चा कर उनके विकास के लिए उनके द्वारा ज्ञापित सुझावों को आधार मानकर योजनाएँ बनाई जाएँ। अतः इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उन्होंने आयोग के कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी भी दी। आयोग शिकायतों का निवारण, विधि सहायता एवं सलाह भी उपलब्ध कराता है। उन्होंने एकत्रित लोगों को आभास दिलाया कि आदिवासी ही भारत के प्रहरी है, जैसे, उत्तर में लद्दाख, दक्षिण – पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, पश्चिम में अरावली पर्वत में बसने वाली जनजातियॉ और पूर्व में जनजाति बहुल राज्य।

आदिवासियों ने विभिन्न आंदोलनों चाहे, वह संथाल आंदोलन हो अथवा 'हो' में बढ़ – चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बिरसा मुण्डा एवं पलामू के खेरवारों के योगदान का भी स्मरण कराया। 'हो' जाति में महिला ही ग्राम प्रमुख हुआ करती थी। नाना भगतों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। संथालों द्वारा निर्मित सुंदर कला कृतियाँ विख्यात हैं। उरांव हल द्वारा खेती में पारंगत हैं। कई आदिवासी उच्च शिक्षित भी हुए हैं एवं कुछ खिलाड़ीयों के रुप में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

महिलाओं के बिना झारखंड की कल्पना मानो खाने के बगैर जिन्दगी की कल्पना है। किन्तु झारखंड की महिलाओं में कुपोषण एवं अशिक्षा व्याप्त है। जैसे–जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है समाज में उनका स्थान भी गिरता जाता है। 60 – 70 की उम्र के होते–होते वे समाज की उपेक्षा का शिकार हो जाती है। झारखंड में भ्रूण हत्याएं तो कम होती हैं पर यहाँ वृद्ध महिलाओं को डायन करार दे कर मार दिया जाता है। ओझा अगर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं तो अपनी खामियों को वह किसी वृद्ध महिला पर मढ़ देते हैं। डायन विरोधी अधिनियम की प्रासंगिकता पर आज भी प्रश्न चिन्ह है।

सुश्री उईके ने आदिवासी एवं खासकर आदिवासी महिलाओं के समाज के अन्य भागों की तुलना में पिछड़े होने के प्रमाण स्वरुप कृषि, साक्षरता दर, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या आदि के तुलनात्मक आंकड़े दिये। कुपोषण, जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की देखभाल की समस्या, विकलांगों की देखभाल, बांझ औरतों तथा विधवाओं की समस्याओं से आदिवासी समाज आज भी ग्रसित है। इनके अलावा आदिवासी समाज कर्ज के बोझ तले दबा है। साथ

ही कानूनों के बारे में उनमें अज्ञानता व्याप्त है। इन्हें जन्म, मृत्यु, आयु, आय संबंधी आवश्यक प्रमाण – पत्रों को जुटाने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन भी उदासीन रुख अख्तियार कर उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध नहीं हो पाता। कानूनों के बावजूद आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से फिसलती जा रही है। फलस्वरुप काम की तलाश में वे अपने समाज, जमीन की परिधि से दूर, खदान, भट्टों में जाने को मजबूर हो रहे हैं।

उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे – अन्न भंडारण की उचित व्यवस्था, भुखमरी एवं कुपोषण से बचाव और बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था ग्राम स्तर पर की जानी चाहिए। उन्होंने बैंक खाताधारी महिलायें, आयकर देने वाली महिलायें, दूरभाष से लाभान्वित महिलायें इत्यादि की जानकारी के एकत्रीकरण पर भी जोर दिया। महिला कैदियों एवं पुरुष कैदियों की महिला रिश्तेदारों की अवस्था पर ध्यान आकर्षित किया। संपूर्ण भाषण परिशिष्ट 2 पर देखें।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्रायफेड ने कहा कि वनोपज के विपणन में समस्याओं के समाधान हेतु ट्रायफेड का गठन 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। देश की विभिन्न जगहों पर इसके अनेक कार्यालय हैं। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के बावजूद भी हम पूरी शक्ति से काम नहीं कर पा रहे हैं। बिचौलियों के माध्यम से काम करने में आने वाली समस्याओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

उद्घाटन भाषण

श्रीमती विभा पार्थसारथी, ने सभा के प्रारंभ में असुर भाषा में पहाड़ी गीत प्रस्तुत करने वाली छोटी– छोटी बालिकाओं को शुभाशीष दिया। झेलम, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियों का उद्गम एक छोटे से झरने से होता है। वर्तमान वर्ष को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित कर एक झरने को उत्पन्न होने का अवसर मिला है। यह एक सांकेतिक महत्व रखता है। इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता आगे भी कायम रहेगी।

महिला और पुरुष एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, वरन् पुरुष प्रधान प्रणालियाँ जो कि आज सभी ओर आच्छादित हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। समाज के रीति – रिवाज भी इसी पुरुष प्रधान प्रणाली के आधार पर तय होते हैं। घर में मर्द और औरत की भूमिका भी इसी प्रणाली के आधार पर तय की जाती है। फलस्वरुप स्त्री घर की चार दीवारी के भीतर ही कैद रहना स्वीकार लेती है।

यह कई बार कहा जाता है कि आदिवासी समाज में महिला को काफी हद तक स्वच्छन्दता प्राप्त है किन्तु हम इस सच्चाई को भी नहीं नकार सकते कि आदिवासी महिला भी आखिर महिला समाज की एक अभिन्न अंग है और वे भी उन कई सारी समस्याओं से ग्रसित हैं जिनका सामना अन्य महिलाओं को भी करना पड़ता है। श्रीमती पार्थसारथी का मानना था कि महिला सशक्तिकरण के मुख्यतः चार स्तंभ हैं :–

1. प्रशिक्षण, और शिक्षा अलग – अलग विषय है। प्रशिक्षण से तात्कालिक काबिलियत का विकास होता है।

2 शिक्षा, जो कि एक लम्बे अर्से का कार्यक्रम है का भी अपना महत्व है। पाठ्यक्रम में वर्तमान स्थिति के अनुसार बदलाव लाना आवश्यक है।

3. महिला स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। महिला के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही उसका मानसिक स्वास्थ्य टिका हुआ है।

4. आत्म रक्षा और अपने हितों की रक्षा के साथ – साथ जल स्रोत, जंगल और खेतों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान प्रणाली ही महिला के काम को monetise नहीं करती है। उसको अहमियत नहीं देती है। बहुओं के गोरे होने पर क्यों जोर दिया जाता है ? यही समाज के लोग जो गोरेपन को पूजते हैं कैसे एक सरकारी नौकरी कर रही सांवली लड़की को बेझिझक अपना लेते हैं ? विभा जी का मानना था कि आंचल के दूध के साथ – साथ महिला के जेब में अपने कमाये हुए पैसे से ही उसकी इज्जत बढ़ती है। राजस्थान में जल संग्रहण पर अच्छा काम हो रहा है जिसके फलस्वरुप पानी की सतह ऊपर आ गई है। राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में महिलाएं चापाकल की मरम्मत भी खुद ही कर रही है। इस मरम्मत के काम को करने के लिए गतिशील होना आवश्यक है। अब महिलाएं मिस्त्री का काम भी सीख गई हैं। नीति एवं परियोजनाओं के साथ घर की अंदरुनी व्यवस्था में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक महिला सशक्तिकरण असंभव है। पुरुष प्रधान प्रणाली की व्यापकता पर विभा जी ने एक उदाहरण दिया – कार्यशाला के लिये आते वक्त उनकी नजर किसी बोर्ड पर पड़ी थी जिस पर लिखा था– एक वृक्ष दस पुत्र के समान। अगर दस पुत्र के स्थान पर दस संतान के समान लिखा होता तो भी समझ में आता। परन्तु तुलना दस पुत्रों से की गयी थी। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समाज की नजरों में सौ पुत्री भी शायद एक वृक्ष के समान नहीं हैं। इस नजरिये को बदलना होगा। इस बदलाव की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे किन्तु बदलाव लाने की अपनी कोशिशों को जारी रखें।

सशक्तिकरण पर कुछ भी करने के लिए सभी सरकार एवं गैर सरकारी संस्थायों को साथ काम करना होगा। राँची में प्रथम कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि यह एक नया राज्य है। यहां के निवासी कुछ नया कर दिखाने को उत्सुक हैं।

अध्यक्षीय भाषण

श्री इन्दर सिंह नामधारी, अध्यक्ष, विधानसभा, झारखंड ने अपने भाषण में कहा कि जिस दिन महिलायें स्वाभिमान के साथ अपने आप को स्वीकारेंगी उस दिन से ही महिलाओं की 50 प्रतिशत समस्यायें अपने आप हल हो जाएंगी। जिस समाज में लड़की के पैदा होने से ही सब का चेहरा उतर जाता है और जहाँ लड़की के माँ – बाप अपने आप को अभिशप्त समझते हैं उस समाज में स्वाभिमान की पहल महिलाओं को ही करनी होगी।

श्री नामधारी खुद पाँच बेटियों के पिता हैं। उन्होंने स्मरण किया कि जब पाँचवी बेटी के जन्म पर भी वे मुस्कुराते हुए घर लौटे थे तो उनके रिश्तेदार भी चकित रह गए थे। महिलाओं को यह एहसास दिलाना अति आवश्यक है कि प्रकृति ने औरत के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। पौराणिक काल में बच्चे की माँ का परिचय ही समाज के लिए काफी था। परन्तु अब वह सबला से अबला कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि :–

अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

आदिवासी औरत दिन भर काम में जुटी रहती है। घर का काम करती है तथा खेत – खलिहान में खटती है, जंगलों से लकड़ी बटोरती है और अगले दिन रेल में सवार होकर लकड़ी बेचने जाती है तब जाकर कहीं उसके घर चूल्हा जलता है। उसकी इसी वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में हमें उसके सशक्तिकरण की चर्चा करनी चाहिए। सशक्तिकरण का ध्येय होना चाहिए कि महिलायें कभी भी अपने को समाज से उपेक्षित न महसूस करें। अगर पौने तीन करोड़ की झारखंड की आबादी में करीब 50 लाख आदिवासी महिलाओं तक यह संदेश पहुँच जाए तो एक नई दीप शिखा प्रज्जवलित होगी।

अगर एक लड़के को पढ़ाया जाता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो सारा परिवार शिक्षित होता है। कुछ कर गुजरने के लिए श्री नामधारी ने इस प्रकार आग्रह किया –

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए।

आदिवासी महिला शीला खेस ने उद्घाटन सत्र की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

नाशिक कार्यशाला

उद्घाटनकर्ता	:	श्री जुएल ओरम, केन्द्रीय मंत्री जनजातीय कार्य, भारत सरकार।
अध्यक्ष	:	श्रीमती शोभा ताई फडणवीस, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र।
स्वागत एवं परिचय	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
विशिष्ट अतिथि	:	श्रीमती नफीसा हुसैन, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग। सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्राइफेड

स्वागत एवं परिचय भाषण

सुश्री अनुसुईया उइके ने अपने स्वागत भाषण में महाराष्ट्र , गुजरात तथा दादरा व नागर हवेली की आदिवासी महिलाओं का स्वागत किया और उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को नए वर्ष की शुभकामनाएँ दी।

उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आदिवासी महिला सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला 19 – 20 दिसम्बर 2001 को रॉची में आयोजित की गई थी, जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगली कार्यशाला जबलपुर में आयोजित की जा रही है, यहॉ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आदिवासी महिलायें आमंत्रित की जाएगीं।

उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी। आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग के कुल पांच सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का अवश्य हो। आयोग के अध्यक्ष एवं पांच सदस्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर भारत सरकार मनोनीत करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिये संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षापायों का पुनरीक्षण; उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने; शिकायतों का निवारण तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर सरकार को सलाह देने का दायित्व निभाता है। आयोग जरुरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी प्रदान करता है।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी भारत की प्रमुख जनजातियॉ जैसे भील, गोंड और कोली महादेव की प्रतिनिधि महिलाऐं आज यहॉ एकत्रित हुई हैं। मैं उनके मुख से उनकी बात सुनना चाहती हूँ जिससे आयोग उनके विकास संबंधी आवश्यक अनुशंसाएं सरकार को प्रेषित कर सके। मैं मानती हूँ कि भील आदिवासी शहद इकटठा करने और महुआ तेल

निकालने में निपुण होते हैं। वे नाच और गाने में पारंगत हैं। उनमें यह मान्यता है कि पॉच माह के बाद का गर्भपात जुर्म है।

संपूर्ण गोंडवाना में गोंडो का राज्य था। बहादुरी और सैनिक परंपरा उनके खून में है। करमा पर्व इतना प्रचलित है कि वह गोंडों का पर्याय बन गया है। हलवा आदिवासी समूह की महिलाएँ चावल से पोहा निकालने में निपुण मानी गई हैं।

कटकरी आदिवासी पहले जंगल से कत्था बनाकर जीविकोपार्जन करते थे, परन्तु आजकल वे जंगल के ठेकेदारों के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है। और कहीं – कहीं कोयला बनाने में लगे हुये हैं। कोली आदिवासी जंगली जड़ी–बूटी के ज्ञानी हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। कोली ढोर आदिवासी समुदाय को अन्य आदिवासी अपने से पिछड़ा मानते हैं और हमें उन कारणों को जानना होगा कि ऐसी व्यवस्था आज भी क्यों प्रचलित है।

सन 1346 में वहामनी राजा ने महादेव कोली आदिवासी समूह के पोपेरा महादेव कोली को उत्तरी कोंकण में जवाहर जागीरदारी का मुखिया बनाया था। पड़कई नामक सहकारी व्यवस्था उनमें इतनी प्रचलित थी कि वे कुशल कृषक माने जाने लगे। 1935 और 1942 के स्वतंत्रता सत्याग्रह में महादेव कोलियों का बलिदान अविस्मरणीय है।

उन्होंने आदिवासियों के विकास से संबंधित कुछ आकड़ो पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र की 47 जनजातियों की जनसंख्या 73 लाख के लगभग है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत है। गोंड, भील, महादेव कोली प्रमुख जनजातियां हैं और कटकरी, माडिया गोंड अत्यंत पिछड़े है। जहॉ कुल महिलाओं का साक्षरता दर 52.3 प्रतिशत है वहीं आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर कुल महिलाओं की अपेक्षा आधे से भी कम यानि 24 प्रतिशत है। कक्षा I से VIII तक स्कूल छोड़ने वाले कुल विद्यार्थियों की दर केवल 50 है परन्तु आदिवासियों में यह 71 प्रतिशत के लगभग है। आदिवासियों में कृषक केवल 38 प्रतिशत है। परन्तु कृषि मजदूर 47 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक परिवार (51 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।

गुजरात की 29 जनजातियों की जनसंख्या 62 लाख के लगभग है जो प्रदेश की जनसंख्या के 15 प्रतिशत के लगभग है। भील, ठोडिया, गोंड, सिद्दी, प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर केवल 24 है जो महाराष्ट्र की आदिवासी महिलाओं के बराबर है। कक्षा I से VIII तक आदिवासी विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ने का दर महाराष्ट्र (71 प्रतिशत) की अपेक्षा गुजरात में (73 प्रतिशत) अधिक है। गुजरात में सुखद स्थिति यह है कि आदिवासियों में कृषकों का प्रतिशत (46 प्रतिशत) महाराष्ट्र (38 प्रतिशत) से अच्छा है। गुजरात में कृषक मजदूरों का प्रतिशत (39.4) भी महाराष्ट्र से कम है (47 प्रतिशत)। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से अधिक है जबकि गुजरात में यह मात्र 31 प्रतिशत है।

स्वतंत्रता से पूर्व गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेट्स आफ इंडिया सोसायटी और ठक्कर बापा की भील सेवा मंडल और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ जानी मानी स्वयं सेवी संस्थाएँ थी। नाशिक की डांग सेवा मंडल और नंदूरबार की पश्चिमी खानदेश भील सेवा मंडल तथा दोहद का भील सेवा मंडल भी अद्वितीय संस्थाएं थीं।

ज्योतिराव गोविंदराव फुले और अन्ना साहब कर्वे का त्याग, हम सभी बहने सदा याद रखेगीं। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार उन्हीं के परिश्रम का फल है। आज महाराष्ट्र और गुजरात की स्वंयसेवी संस्थाओं के कार्य कौशल और उनके स्तर पर समस्त भारतवासी गर्व करते है। ये संस्थायें पूरे भारत के लिये प्रेरणा स्त्रोत है।

महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में अपने राज्य का बजट आदिवासी उप योजना के अंतर्गत पृथक कर इसे आदिवासी विकास आयुक्त के नियंत्रण में रखा है। जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बजट का सुदुपयोग होना निश्चित ही है। परन्तु ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ स्थानों में आदिवासी बच्चे कुपोषण और भुखमरी से त्रस्त है। यह एक विचारणीय और चिंता का विषय है।

जंगल और कृषि योग्य भूमि का कम होना आदिवासी की भूमि का हस्तांतरण और जनसंख्या के दबाव के कारण आदिवासियों को गैर कृषि कार्यों में जुटना पड़ रहा है। इन अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आदिवासी महिलाएँ पुरूषों की आय में कैसे हाथ बटा सकें इसके लिये आप अपने विचार रखें।

अंत में उन्होंने कहा कि, मैं आशा करती हूं कि आप इस कार्यशाला में समस्याओं के साथ – साथ समाधानों पर भी चर्चा करेंगें। इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ।

उद्घाटन भाषण

श्री जुएल ओरम केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य, भारत सरकार ने अपने भाषण में कहा कि, आदिवासियों के लिए अनके योजनाएं हैं परंतु उनमें जो कमी है उनको पूरा करना जरुरी है। सरकार तो जनता से ही चुनकर आती है इसलिये जनता को अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखना चाहिए। समस्याओं का निराकरण कैसे हो इसके बारे में सोचना चाहिए। केवल पैसे और योजनाओं से काम नहीं चलेगा। आजकल व्यक्ति में स्वकेन्द्री प्रवृति होने से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसे दूर करने के लिये नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। योजना चलाने के लिये आवश्यक प्राथमिक सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा की आपूर्ति होनी चाहिए। योजनाओं का चयन करते समय आदिवासी जनता की अपेक्षाओं पर भी विचार होना चाहिए। देहात में जाने के लिये सड़क नहीं है इस कारण से हमारे अधिकारी देहात में जाना पसंद नहीं करते। आदिवासी युवक युवतियों को न्याय नहीं मिलता इसलिए वे नक्सलवादी बन जाते हैं। आदिवासी जनता ईमानदार होती है। सरकारी नीतियों और आदिवासी जनता की जरुरतों में खाई है। आदिवासी महिला के प्रसंग में यह खाई और भी गहरी है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और विचारों का आदान प्रदान प्रासंगिक है। अकेले नेता एवं एम . एल. ए. कुछ नहीं कर सकते। अशासकीय संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। उन्हें 75 अत्यंत पिछड़ी जनजातीय समूहों के बीच कार्य करना चाहिए। नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने का मन बनाना चाहिए। पंचायत स्तरीय कार्यो और आदिवासी महिला के शोषण पर खुली चर्चा का वे स्वागत करते हैं। इस कार्यशाला के पश्चात जो महत्वपूर्ण सुझाव सामने आयेगें उन पर हमारा मंत्रालय निश्चित रुप से कार्यवाही करेगा।

अध्यक्षीय भाषण

महाराष्ट्र की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती शोभाताई फडणवीस आदिवासी और नक्सलवादी क्षेत्र चंद्रपुर में 25 वर्षो से कार्य कर रहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं का ध्यान घरेलु कामों मे होता है। परन्तु उनमें शिक्षा का अभाव है। उनको ठीक तरह से मार्गदर्शन मिलना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल हैं, लेकिन उनके लिये 5 –5 कि. मी. पैदल चलना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्पादनों का शिक्षा में यथोचित समावेश होना चाहिए। क्षेत्रवार उत्पादों का पता लगाकर एवं उन्हें परिष्कृत करके रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उत्पाद का 50 प्रतिशत सरकारी उपक्रमों द्वारा क्रय किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। कार्यक्रम में मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं अतः हम विश्वास कर सकते हैं कि इस पर शीघ्र कोई नीति बनाई जायेगी। आज नक्सली तत्व युवतियों को भी प्रभावित कर अपने साथ कर रहे हैं। उन्होंने कुपोषण, बालमृत्यु एवं बेरोजगारी पर भी प्रकाश डाला। बैंक की सुविधा और आदिवासी क्षेत्रों में कुशल प्रशासकों की आवश्यकता पर बल दिया। कानूनों का ठीक से पालन होना नितांत आवश्यक है।

उद्घाटन अवसर पर महाराष्ट्र शासन के आदिवासी विकास आयुक्त श्री ए. अरुमुगम एवं विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री के. एस. शिदें भी उपस्थित थे।

जबलपुर कार्यशाला

उद्घाटनकर्ता	:	श्रीमती सुमित्रा महाजन, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार।
स्वागत एवं कार्यशाला परिचय	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
अध्यक्ष	:	श्रीमती जयश्री बनर्जी, सांसद, जबलपुर।
विशिष्ट अतिथि	:	श्रीमती सोनल अमीन, सदस्य, राज्य महिला आयोग म.प्र.। श्री अजय बिशनोई, विधायक, मझोली, जबलपुर। श्रीमती विजया चौहान, प्राचार्य, गृहविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।

मंगलाचरण के वेद पाठ के बीच श्रीमती सुमित्रा महाजन, केन्द्रीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग को मंचासीन किया गया। वंदे मातरम गान, दीप प्रज्जवलन एवं सरस्वती वंदना के उपरांत अतिथियों का स्वागत हुआ और उन्हें कार्यशाला का पृष्ठ–भूमि पत्र भेंट किया गया। (परिशिष्ट 1 पर संलग्न)

स्वागत एवं परिचय भाषण

सुश्री अनुसुईया उइके ने अपने स्वागत एवं परिचय भाषण में कहा कि मैं रानी दुर्गावती की नगरी में आयोजित कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर अध्ययन का दायित्व मुझे दिया गया है। इससे पूर्व दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं रांची एवं नाशिक में संपन्न हो चुकी हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण देते हुये उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं की प्रमुख समस्याएं रोजगार का अभाव, जीवन यापन के संकट और कतिपय आदिवासी महिलाओं द्वारा उग्रवाद को अंगीकार करना है। शोषण और पलायन भी उनके विकास में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक मंत्रालय में पृथक महिला प्रकोष्ठ, एवं राष्ट्रीय स्तर पर पृथक महिला बैंक की स्थापना, और वन संबंधी कानूनों में सुधार की आवश्यकता है।

रांची कार्यशाला में जो मुख्य बिन्दू उभरकर सामने आये वे इस प्रकार है :–

1. डायन समस्या

2. नक्सलवाद की ओर आदिवासी लड़कीया जा रही हैं जो कि चिंता का विषय है।

3. पलायन की समस्या

4. राज्य महिला आयोग की मांग

5. आदिवासीयों की भूमि संबंधी मुख्य समस्या का कारण छोटा नागपूर एवं संथाल परागना टेन्नसी एक्ट का स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति में होना।

नाशिक कार्यशाला में जो मुख्य बिन्दू उभरकर सामने आये वे इस प्रकार है :–

1. नक्सलवाद की ओर आदिवासी लड़कीया जा रही हैं जो कि चिंता का विषय है।

2. प्रत्येक मंत्रालय में महिला संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक पृथक महिला सेल होना चाहिए।

3. राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला बैंक की स्थापना होनी चाहिए।

4. वन संबंधी कानूनों का पुनरीक्षण कर वन विकास एवं वन संरक्षण संबंधी प्रथक नीतियों का सृजन होना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

डा. सोनल अमीन, सदस्य, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने अपने भाषण में कहा कि आदिवासी समाज में सामाजिक व्यवस्था बड़ी मजबूत है और वहॉ विधवा का भी सम्मान है। उसका पुनर्विवाह होता है। परन्तु आज बदलते हुए समाज में वह मात्र रेजा बन कर रह गई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें।

मुख्य अतिथि का भाषण

श्रीमती सुमित्रा महाजन, केन्द्रीय राज्य मंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये कहा कि आदिवासी महिलाओं का जीवन स्तर उपर उठाने के लिए सरकारी योजनाएं तो बहुत बड़ी–बड़ी बनाई गई हैं, परन्तु उन योजनाओं का लाभ वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि अब नए ढंग से उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विचार–विमर्श करके कार्य योजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बारे में नये सिरे से कार्यशैली पर विचार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में जनजातीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन एवं अध्ययन करने के लिये आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी कार्यशालाओं में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित योजना मंत्रालय को सौंपी जायेगी। उससे इस बात का निर्णय लिया जायेगा कि आदिवासी पुरूष व महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ किस ढंग से पहुॅचाया जाये। केन्द्र सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ – साथ गैर सरकारी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लेगी। आदिवासियों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में

अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। आदिवासियों के बारे में जो अध्ययन किया गया है तत्संबंधित जानकारी देश भर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जा रही है।

आदिवासी महिलाओं में हुनर व हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन आज जरूरत है उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराने की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को आदिवासियों की भरपूर चिंता है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संकल्प के साथ आदिवासियों के उत्थान में पहली बार सार्थक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यशालायें कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी। बल्कि इनके निचोड़ से योजनाओं में परिवर्तन होगा।

आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आदिवासियों के लिए पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया तथा उनके उत्थान के लिये छः सौ करोड़ रुपयों का बजट अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुये म.प्र. से अनुसुईया उइके को सदस्य बनाया गया और इन्होंने अपने दायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाया। अनुसुईया आपके क्षेत्र में 'एक माईक की तरह हैं जो वक्ता (आप सभी) की आवाज को और तेज ध्वनी से श्रोताओं तक पहुंचाती है इसी प्रकार यह भी आप सभी लोगों की आवाज को हमारे तक पहुंचाती है। आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त समस्याएं एवं सम्भावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों में होने वाले विचार मंथन व्यर्थ नहीं जायेंगे, बल्कि केन्द्र सरकार इनके निचोड़ से उत्थान की राह बनाएगी। आदिवासी महिला अपने आप में सक्षम कही जाती है जबकि वह शिक्षा व स्वास्थ्य से परे सिर्फ शोषित होती है। महिलाओं को मजदूरी भी कम मिलती है इसके बावजूद मेहनत व काम में उनकी भागीदारी अधिक होती है। अब आवश्यकता उन्हें संगठित कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की है।

उन्होंने बताया कि सात राज्यों के महिला बाल विकास मंत्रियों का समूह, योजनाओं पर समग्र दृष्टि से विचार–विमर्श कर अपने सुझाव केन्द्रीय मंत्रालय को देगा। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं एवं संभावनाओं पर वाद–विवाद एवं संवाद के जरिये रायशुमारी वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। इस महति उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये आज इस सभागार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान की महिला प्रतिनिधियों तथा समाज सेवी कार्यकर्ताओं का जमघट लगाया गया है, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आदिवासी महिलाओं के उत्थान का संकल्प लिया है। आज दुनिया काफी प्रगति कर गई है परन्तु उसका एक वर्ग शोषित, उत्पीड़ित एवं मुख्य धारा से कटा हुआ है जो कि विचारणीय विषय है। उन्होंने समाज सेवी महिला संगठनों को आह्वान करते हुये कहा कि एकजुटता के साथ आदिवासी महिला उत्थान हेतु एकमत का बनना ही आदिवासी महिलाओं के उत्थान की सकारात्मक पहल माना जायेगा।

श्रीमती महाजन ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को उग्रवादी बनने से रोका जाये और उन्हें संगठित कर सशक्त बनाया जाये। उन्होंने कहा कि आदिवासी तबके की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाये एवं आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को उचित ढंग से चलाये जाने पर भी जोर दिया जाए।

अध्यक्षीय भाषण

श्रीमती जयश्री बनर्जी, सांसद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस देश में नारी समग्र सशक्तिकरण की एक नयी भूमिका को जन्म देगी। हमारे देश में आदिवासियों की संख्या, अगर अफ्रीका को छोड़ दे, तो दुनिया में सबसे अधिक

है। भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिन्दू संस्कृति की अगर बात करें तो हमारी पूरी जीवन शैली प्रकृति के सानिध्य में सजती संवरती है। मनुष्य के जीवन विकास क्रम में जो सबसे कठिनतम अवस्था रही है वह मनुष्य का वनवासी जीवन रहा है। भौतिक संसाधनों के इस युग में, बड़े – बड़े वातानुकूलित सभागारों में बैठकर, उन परिस्थितियों की कल्पना करना भी बेईमानी है, जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति ने मानव शरीर के निर्माण, विशेष रूप से महिलाओं की शारीरिक संरचना को ऐसा आकार दिया है कि वह बहुत श्रम साध्य कार्य नहीं कर सकती। हमारे शोषित पीड़ित, दलित, वनवासी समाज में सर्वाधिक श्रम साध्य कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता है। यह सत्य है कि हम जिस सामाजिक संरचना में जी रहे हैं, वह पुरूष प्रधान व्यवस्था है। किन्तु हमारे समाज में नारी के सम्मान के लिये सदैव चिन्ता की जाती है।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" – हमारा मंत्र है। इस विचारधारा के हम वाहक रहे हैं। हमने नारी के रूप में सदैव वीरता की उपासना की है। आज के कालखंड में भी हम वीरांगना दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई, रानी चिन्नम्मा, माता गुजरी का स्मरण करना नहीं भूलते। हमारे समाज में नारी के शोषण का जो दृश्य देखने को मिल रहा है इसके पीछे कहीं वो कारण तो नहीं है जिन्हें हम भौतिक जीवन की प्रधानता की उपज कहते हैं। हमको विचार करना होगा कि हम अपने चारों ओर कैसे समाज और वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं। जल, जंगल, जमीन के संरक्षण की बात सदैव होती रही है। परन्तु वे इनमें जानवर शब्द को भी जोड़ना चाहती हैं क्योंकि इन चारों प्रकृति के मूल तत्वों, के संरक्षण की क्षमता अगर किसी समाज में है, तो उसमें वनवासी समाज प्रथम स्थान पर है। प्रकृति के लालन – पालन, पोषण और संरक्षण के मूल में अगर कोई सर्वाधिक सक्रियता के साथ संलग्न है, तो वह वनवासी नारी है। यह वो नारी है जो संघर्ष की इस श्रंखला में उपजे गतिरोधों के बाद खड़ी है और इसका अपराजित रहना ही हम सबके जीवित रहने का मूल आधार है।

पूज्यनीय है यह नारी जो प्रकृति और पुरूष द्वारा दी जाने वाली असहनीय पीड़ा को सहकर भी आने वाली संतति को समृद्ध एवं संस्कारित रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। 40 वर्षों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सैकड़ों बार उन्होंने ऐसी महिलाओं का सामना किया है जो अपनी ताकत पर, अपने कौशल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, समाज के उत्थान के लिये बिना किसी नाम की चाह के, कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हैं।

प्रतिभागियों को आव्हान करते हुये श्रीमती बनर्जी ने उनसे निवेदन किया कि वे अपने क्षेत्रों मे जाकर महिलाओं को समझाएं और उन्हें सशक्त बनाएं, तभी इस कार्यशाला के आयोजन का उद्धेश्य सार्थक होगा।

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. आई. के. खन्ना, अध्यक्ष दि इस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया), जबलपुर (प्राचार्य शासकीय इंजीनिरिंग कालेज, उज्जैन) ने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशेष अतिथियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुये कहा कि वैज्ञानिक और इंजीनियर्स भी सामुदायिक विकास के कार्यो से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उनकी संस्था को महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्षीय भाषण	:	डा. श्रीमती पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।
प्रस्तावना	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
उद्घाटन भाषण	:	डा. निर्मल कुमार चौधरी, पूर्व उप कुलपति, गुवाहाटी विश्वविद्यालय।
सम्मानित अतिथि	:	सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्राइफेड श्री एस.पी. कार, महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी., असम।
धन्यवाद प्रस्ताव	:	श्री बी.एस. बासुमतारी, अध्यक्ष, मल्टीफेरियस।

प्रस्तावना

सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला के उद्देश्यों और विषय के बारे में बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, डा. पूर्णिमा आडवाणी का स्वागत करते हुए उन्होंने बताया कि आपने महिलाओं के हितों के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर पुलिस, न्यायपालिका तथा सामान्य प्रशासन के लोगों को लिंग के प्रति सुग्राही बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। वह भारतीय महिलाओं के लिए गौरव हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्र को उनसे ऐसी और उम्मीदें हैं। उन्होंने कठोर परिश्रम तथा कार्य के प्रति समर्पण भावना से अपना स्थान बनाया है।

महिलाओं की दुःखद स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय महिलाओं को चुडैल घोषित करके सताया जाना, बेरोजगारी, व्यावसायिक शिक्षा की कमी तथा नक्सलवादियों द्वारा अपने गैंग में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया जाना जैसी समस्याओं पर इससे पहले रांची, नाशिक तथा जबलपुर में हुई क्षेत्रीय कार्यशालाओं में चर्चा की जा चुकी है। शिक्षा की कमी के कारण उन्हें श्रम दल में दिहाड़ी मजदूर के रूप में शामिल होना पड़ता है और वे जीवन भर गरीबी रेखा से नीचे की जिन्दगी बिताती हैं। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी महानुभावों से कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की समस्याओं तथा उनकी रोजमर्रा की कठिनाइयों के बारे में खुलकर और स्पष्ट रूप से चर्चा करें। चर्चा के विषय प्रचलित प्रथाओं से लेकर परिवहन तथा संचार तक हो सकते हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करें और जनजातीय महिलाओं की हालत में सुधार करने के लिए पहल करें। वह इस बात पर विचार कर सकती हैं कि क्या नीति सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग सैल खोलना जरूरी है।

उद्घाटन भाषण

अपने उद्घाटन भाषण में डा. एन.के. चौधरी, पूर्व उप कुलपति गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने सभी का अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध स्वरूप की आबादी है क्योंकि उनका सम्बन्ध अलग–अलग मानव जातियों से है। जनजातीय महिलाओं में शक्ति और कमजोरियां दोनों हैं, उनकी शक्ति यह है कि वे परिश्रमी हैं और हथकरघा उनके खून में समाया हुआ है। उनकी कमजोरियां हैं कि वे गरीब और आज्ञाहीन हैं। उन्हें ऐसे लोगों के नापाक इरादों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिएं। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि उन्हें ऐसे केन्द्रों से जोड़ा जा सके, जहाँ वे आय सृजन की परियोजनाओं का कौशल सीख सकें। तथापि, उन्होंने प्रशासन को चेताया कि विकास इस प्रकार हो, जिससे जनजातीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचे।

अध्यक्षीय भाषण

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा. पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस, न्यायपालिका तथा प्रशासन के लिए एक लैंगिक संवेदनशीलता पाठ्यक्रम तैयार किया है। जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक विशिष्ट मसौदा योजना तैयार करने के लिए आयोग का लक्ष्य गैर–सरकारी संगठनों से नेटवर्क बनाने का है। राष्ट्रीय महिला आयोग स्वैच्छिक सेक्टर, सहकारी ढांचे, महिला बैंकों, बचत स्कीमों तथा स्वयंसेवी ग्रुपों को जोड़ने के लिए लैंगिक घटक के साथ बजट स्कीमों जैसे निवेशों पर भी ध्यान देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग दूर–दराज के गांवों में सार्वजनिक सुनवाई की श्रृंखला भी प्रायोजित करेगा, जिससे जनजातीय महिलाओं की आवाज सुनी जा सके।

डा. पूर्णिमा आडवाणी, ने वैश्वीकरण का इस क्षेत्र के सिल्क बुनकरों तथा चाय उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी जिक्र किया। इसके लिए शिक्षा में कुछ बदलाव लाना होगा और व्यावसायिक शिक्षा तथा पारम्परिक हस्तशिल्प और हथकरघा की व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।

कार्यशाला के विषय पर चर्चा करते हुए डा. पूर्णिमा आडवाणी ने कहा कि जनजातीय महिलाओं के सामने दोहरी समस्याएं हैं, महिलाओं से और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं। महिलाओं को अपने घर, बच्चों की देख–भाल करनी होती है और विशेषकर जनजातीय महिलाओं को खेती का काम तथा वनों में काम करना पड़ता है क्योंकि ये क्षेत्र उनकी जीविका के स्रोत हैं। वे प्रचलित प्रथाओं की भी शिकार हैं, जो प्रत्येक जनजाति में भिन्न–भिन्न हैं। यद्यपि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं का सामाजिक दर्जा कुछ बेहतर है, फिर भी खासी तथा गारो महिलाओं को "दरबार" (ग्राम

परिषद) में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वे ऐसे प्रचलित कानूनों में बदलाव की पक्षधर हैं। उनका विचार था कि यदि सिल्क तथा चाय से जुड़े काम का प्रबन्धन ठीक प्रकार से किया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पूर्ण आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

जब जनजातीय महिलाएं काम पर जाती हैं तो उनके सामने एक समस्या होती है – बच्चे को कहां रखें? कुछ मामलों में वे बच्चे को खम्भे से बांध जाती हैं, जिससे बच्चा कुड़ा कचरा खा जाते हैं। इसके लिए स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा बाल–वाड़िया चलाई जानी चाहिए। उन्होंने गैर–सरकारी संगठनों को महिलाओं को बुलाकर आमने–सामने बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। कृषि तथा वानिकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि कार्यों के दौरान महिलाओं को बार–बार आगे की ओर झुकना पड़ता है, जिससे वृद्धा अवस्था में उन्हें कमर के दर्द की समस्या हो जाती है। उन्होंने वैज्ञानिकों तथा शिल्प वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के लिए उपयुक्त औजार तैयार करें। देश यह चाहता है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान के बने रहते उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए।

जनजातीय क्षेत्र वन उत्पदों से समृद्ध हैं, वे हमारी पूंजी हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देख–भाल करने के लिए औषधीय जड़ी–बूटियों के पारम्परिक ज्ञान को बनाए रखा जाए।

डा. पूर्णिमा आडवाणी ने बन्धुआ मजदूरी की बुराइयों, नक्सलवादी बगावत के कारण जनजातीय लड़कियों को प्रलोभन दिए जाने, बहु–विवाह के महिलाओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव, सम्पत्ति पर महिलाओं के अधिकारों तथा जनजातीय समाज में बांझ महिलाओं की खराब हालत की भी चर्चा की।

श्री बी.एस. बासुमतारी, मल्टीफेरियस ने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कार्यशाला में भाग लेने वालों तथा विषय विशेषज्ञों के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रथम सत्र

क्षेत्रीय आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर एक दृष्टि

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती ग्रेस कुजूर,
उपमहानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली

वक्ता : डा. शुक्ला मोहन्ती, प्राचार्य
ग्रेजुएट वीमेन्स कालेज, जमशेदपुर

डा. कल्याणी मीणा, राँची, झारखंड

डॉ सच्चिदानारायण त्रिपाठी,

ए. एन. सिन्हा, इंस्टीट्यूट आफ एनथ्रोपॉलोजी, पटना, बिहार

श्रीमती शुक्ला मोहन्ती ने कहा कि आज हमें सामान्य महिलाओं की वास्तविक स्थिति की भी पूर्ण जानकारी नहीं है तो आदिवासी महिला की स्थिति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी की कल्पना कैसे कर सकते हैं ? उन्होंने बताया कि भारत की महिलायें विकास के कई पैमानों पर पिछड़ी हुई हैं, उनमें से आदिवासी महिलायें, खासकर वे जो पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं, तो और भी पिछड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि 1991 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य की जनसंख्या का लिंग अनुपात 922 महिला प्रति 1000 पुरुष था, किन्तु 2001 की जनगणना के आधार पर यह अनुपात 941 हो गया। उनके अनुसार उक्त बढ़त हर्ष एवं शोघ का विषय है। क्योंकि

1. क्या परिवारों में लड़कियों के प्रति रुझान बढ़ रहा है ? या
2. मर्दों के अधिक पलायन से अनुपात में बदलाव आया है ? या
3. आम लड़कियों का इस क्षेत्र में आगमन बढ़ गया है या कुछ और कारण है ?

आदिवासी महिलाओं को कई जरुरी पहलुओं पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने झिंकपानी खदानों में महिला कामगारों की सहभागिता के बारे में अपने अध्ययन से उद्घृत कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। 1981 में 500 महिलायें वहाँ कार्यरत थी जो कि आज घटकर 150 हो गयी, उनका मानना है कि यह आंकड़ें आदिवासी महिला की स्थिति को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते है। भारत में 3 प्रतिशत महिलायें रक्त की कमी एवं रक्त में लौह की कमी से ग्रसित हैं। यह आंकड़े अस्पतालों के आंकड़ों पर आधारित हैं। अस्पताल ज्यादातर शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति के बारे में तो और भी कम जानकारी उपलब्ध है।

आदिवासी महिला के विकास के स्तंभ हैं – स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वे रोजगार के क्षेत्र में बढ़ पाने में असमर्थ है। उनका आर्थिक जीवन स्तर अनुसुचित जाति की महिलाओं से भी दरिद्र है।

डा. कल्याणी मीणा ने बताया कि झारखंड की यह जगह अत्यन्त पुरानी है। यहाँ करीब 30 जनजाति के लोग निवास करते हैं। जनजातीय संस्कृति हिन्दू जाति – व्यवस्था की कड़ी नहीं है। अपितु मानव संस्कृति का अलग ही अंग है। जनजातीय लोग प्रकृति के नियम के तहत ही अपना जीवनयापन करने पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार महिला जनजातीय समाज में पुरुष के समकक्ष ही मानी जाती है। पुरुषों के साथ डटकर उसने मुगलों की सेना को हराया था। उसी से जनी शिकार की प्रथा प्रचलित हुयी। महिला तिलका माझी ने मुण्डा विद्रोह में भी समान भागीदारी निभाई थी। नये युग में विस्थापन के विरुद्ध, खदानों के विरुद्ध आन्दोलनों में एवं झारखंड राज्य के गठन में आदिवासी महिला की बराबर की भागीदारी रही है।

संचार व्यवस्था के विकास के साथ ही आदिवासी भी एक वृहत्तर समाज से जुड़ते चले गए। उन्होंने बताया कि बीस साल पहले स्त्री – पुरुष साथ–साथ चलते थे पर साइकिल के प्रचलनोपरांत गति पर मानो पुरुष का एकाधिकार–सा हो गया। इसका असर स्कूली शिक्षा पर भी पड़ा जहाँ महिला पिछड़ती गई। इसके साथ ही महिला में हीनभावना घर करने लगी।

जिस समाज में वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता है वहां भी दहेज प्रथा धीरे–धीरे घर करती जा रही है। साथ ही दहेज उत्पीड़न भी बढ़ रहा है। उन्होंने अपने एक अध्ययन के बारे में बताया कि 4 माह की अवधि के दौरान ही 9 बलात्कार, 8 महिलाओं की हत्या, 4 डायन हत्या, तथा 4 अन्य डायन उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी। यह तो मात्र अखबारों में प्रकाशित घटनाएं हैं इसका वास्तविक स्वरुप कुछ और ही है। पुरानी आर्थिक व्यवस्था समाप्त होने लगी है। आर्थिक उन्नति से महिलाओं की हैसियत में ह्रास ही हुआ है। उनमें अविश्वास बढ़ा है। महिला को मजबूरन घर के बाहर काम पर जाना पड़ता है। महिलाओं में पागलपन की बीमारी भी बढ़ रही है।

डॉ सच्चिदानारायण त्रिपाठी ने बिहार की आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर अपने विचार रखते हुए बताया कि लोगों की यह धारणा है कि बिहार के विभाजन के बाद बिहार में आदिवासी नहीं होंगे। परन्तु आज भी बिहार में आदिवासी निवास करते हैं। 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार में पुरुष एवं महिला जनसंख्या में एक खाई है। इस खाई के मुख्य कारण पलायन, महिलाओं का शोषण इत्यादि हो सकते हैं। आज तक आदिवासियों के लिए बाहरी लोगों द्वारा Assessed need पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उनसे कभी पूछा नहीं जाता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर उनके विकास के लिए उनकी जरुरतों एवं आवश्यकताओं को उन्हीं से पूछा जाता तो वह सर्वोच्च तरीका होता।

आज के युग में आदिवासी सूचना के मामले में भी पिछड़े हुए हैं। रोजगार विनिमय कार्यालय गांव से बहुत दूर स्थित होते हैं जिन तक आदिवासी महिलाएं पहुँच नहीं पाती। आदिवासी महिला प्राकृतिक संसाधनों के बीच जीती है। सरकारी मिड डे मील स्कीम के तहत आदिवासी इलाकों से ही फल इत्यादि खरीद कर वहीं के बच्चों को मुहैया कराये जाए। स्थानीय क्षेत्र में उपजाए गए चना व अन्य दलहन इत्यादि को भी उन्हीं के बच्चों को खिलाया जाए। इस तरह

से बच्चों का पोषाहार बाजारों में बिक्री न करने दिया जाए जिससे स्थानीय ज्ञान का विस्तार एवं पोषक दलहनों के उपज को भी बढ़ावा मिलेगा।

ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो आदिवासी महिला को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। सशक्तीकरण एक सतत् कार्य है इसकी गति को और तीव्र करना होगा। स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय संस्कृति के आधार पर इसे आगे बढ़ाना होगा। आज व्यवसायिक (Vocational) प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कैसे थोड़े प्रशिक्षण के बाद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रो में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये खोखले बांसों का प्रयोग कर पानी घर के द्वार तक लाना संभव हुआ था। बॉस सड़ जाने पर केवल उसे बदलने भर की आवश्यकता है। आज बीमारी के वक्त जड़ी–बूटी का शायद कुछ लोग ही सेवन करते हैं। उन्होंने स्मरण किया कि 1960 से आज तक राँची शहर से आदिवासी विलुप्त हो गए हैं। आदिवासी महिला तो दिखती भी नहीं है लेकिन आज अन्य जातियों में अपने को आदिवासी सिद्ध करने के लिए होड़–सी लगी हुई है।

खुली चर्चा

डा. किरण, सामाजिक कार्यकर्ता

सन 1975 को अंतराष्ट्रीय महिला वर्ष उद्घोषित किया गया था। तब से आज तक महिलायें प्रतीक्षा में हैं कि कहीं से तो रोशनी आए जैसे चकोरी चाँद की ओर टकटकी निगाहें बिछाये रहती है। पर आज तक ताना – बाना में रोशनी नहीं ला सकी। अब यह भी देखना आवश्यक हो गया है कि कौन कह रहा है, किस के कल्याण की बातें हो रही हैं, उसमें उसका अपना कौन – सा हित छिपा हुआ है, वह कितना मेरे लिए एवं कितना अपने लिए सोचती है?

सरकारी उपक्रमों में रिक्त स्थानों की कितनी खानापूर्ति की जाती है, इस पर कौन नजर रखता है ? बंदरबाँट तो हो रहा है पर महिलाओं तक फायदा कम ही पहुँचता है। कोयला खदानों में महिलाओं के लिए विशेष VRS स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट योजना लागू की गयी जिसके तहत महिला के परिवार के मर्द सदस्यों को काम दिया जाता है। आदिवासी महिलाओं का आज आया – रेजा होना ही उनका परिचय बन गया है। इसे बदलना होगा और उन्हें सिन्गी देई के क्रांतिकारी परिचय से जोड़ना होगा। आदिवासी महिला और सस्ते श्रम की व्यवस्था को बदलना होगा।

बिटिया मूरमू, संथाल परगना

झारखंड की महिलाओं की स्थिति खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहद दयनीय है। अच्छे काम कर सकें उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। महिला पलायन पर अथवा दाई–आया के काम पर जीवनयापन के लिए निर्भर है। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। साधारणतः डायन उसी असहाय औरत को करार दिया जाता है, जो विधवा है, अपने भाई पर निर्भर है। ओझा अपने रोगी का उपचार न कर पाने की असमर्थता को छुपाने के लिए भी ऐसी महिलाओं को डायन बता देते हैं।

छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट तथा संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट में महिलाओं को कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है। भाई की सहमति से, केवल उपहार के रुप में ही अपने पिता की संपति से अंश प्राप्त कर सकती है। इस स्थिति में महिला के पास शरण लेने तक की जगह नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उनको मजबूरन वैश्यावृति का सहारा लेना पड़ता है। उनके साथ ऐसी महिलाओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अगर वे इस काम से इनकार कर देंगी तो खाएंगी क्या और उनके परिवार का क्या होगा ?

सुश्री रानी हँसदा, जागो नारी संगठन, पोडैयाहाट, गोड्डाः

गोड्डा में अशिक्षा व्याप्त है। साक्षरता दर मात्र 13 प्रतिशत है। अंधविश्वास, बेरोजगारी, कुपोषण प्रमुख समस्याएं है। हालांकि दहेज प्रताड़ना तो कम है लेकिन विवाह बंधन टूटना आम बात है। नशा कर मर्द द्वारा महिला प्रताड़ना भी आम बात है।

अध्यक्षीय भाषण

श्रीमती ग्रेस कुजूर उप महानिदेशक, आकाशवाणी ने सर्वप्रथम आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने झारखंड की बेटी को अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी है। शिक्षक शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते पर बच्चे भूखे पेट तो नहीं पढ़ सकते। उन्हें कंद–मूल ढूंढ़ना है, फिर उबालकर खाना है, वे जब तक यूँ ही जमीन से जुड़े रहेंगे अंकुरित नहीं होंगे तो फिर कहाँ से अपनी बात रख पायेंगे।

छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट और संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत् आदिवासी अपनी जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता है। पर बाहरी लोग आये तो कानूनों में भी फेर बदल शुरू हुआ। अब काम के लायक जो जमीन नहीं है उसे बेच सकते है। डायन करार दी गई महिला एक अभिशप्त जिन्दगी जीने को मजबूर कर दी जाती है। यह लांछन महिला पर ही लगाया जाता है पुरुष पर नहीं।

यहाँ लोग सिंचाई के साधनों के अभाव में वर्षा पर निर्भर हैं, छःमाही खेती करने को मजबूर हैं। बाकी के छः माह रोजगार के लिए भठ्ठा इत्यादि की ओर पलायन करने को मजबूर है जहाँ न स्कूल है न स्वास्थ्य केन्द्र। इससे बच्चों की पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।

दोना–पत्तल मशीनों की बात हुई। यह आज पूँजीपतियों की आय का स्रोत बन कर रह गया है। आज हम भूमण्डलीकरण की बात तो करते हैं पर अपने क्षेत्रीय मामलों में ही हम कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने भूख की महत्ता को बताते हुए कहा कि :–

पेट में भूख हो तो जीह्वा का स्वाद बिगड़ता है,
जीह्वा का स्वाद बिगड़ता है तो भाषा बिगड़ती है,
भाषा बिगड़ती है तो समाज बिगड़ता है,
और समाज बिगड़ता है तो देश बिगड़ता है।

यहाँ श्रम का मूल्य घट रहा है। आदिवासी लड़कियाँ दातुन बेचते कहीं भी देखी जा सकती हैं। मैट्रिक पास लड़किया रु1500 – 2000 कमाने के लिये भी बाहर चली जाती है, और साथ में दूसरों को भी बुला ले जाती है। हड़िया यहाँ के संस्कृति से जुड़ी हुई है। उसे पर्व–त्योहार तक ही रखना चाहिए। आय का स्रोत नहीं बनाये। आजकल पढ़ी–लिखी लड़कियाँ भी बाजार–हाट में हडिया पीती मिल जाएंगी। आज यहाँ की संस्कृति भी प्रदूषित हो रही है। संस्कृति रक्षा की दिशा में आकाशवाणी ने एक पहल की है।

उन्होंने याद किया कि जब एक बार वह पटना से राँची आई तो यह जानकर कि हवाई जहाज में प्रत्येक कर्मचारी औरत हैं बहुतो का चेहरा उतर गया। पर जब हवाई जहाज राँची विमानपटल पर सही सलामत उतार लिया गया तो भी वही लोग बोलते रहे कि उतरने में झटका तो लगा। यही गाथा महिलाओं के काम की भी है लोग छोटे–से झटके तक को याद रखते हैं।

श्रीमति उर्मिला हेमब्रम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती वृषाली पांचल

वक्ता : श्रीमती रंजना करंदीकर

वनवासी कल्याण आश्रम नांदीवली रोड, डोंबिवली, की श्रीमती रंजना करंदीकर ने सावित्री बाई फूले का स्मरण किया जिनका आज जन्म दिन है। महिला शिक्षा के लिये उन्होंने उनका जीवन समर्पित किया था। आज की कार्यशाला इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। सारा घर परिवार चलाने वाली महिला ही होती है। अगर महिला ही सक्षम नहीं हो तो परिवार कैसे सक्षम होगा ? आदिवासी क्षेत्र का इतिहास क्या है, ब्रिटिश पूर्व जनजाति की स्थिति क्या थी ? इस पर विचार होना आवश्यक है। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के कारण पूरे जंगल अंग्रजों के हो गये थे। जंगल मे केवल ऐसे वृक्षों की पैदाईश की गई थी, जो अंग्रेजों के फायदे के होते थे।

आदिवासी महिलाओं के लिये सरकार पैसा खर्च करती है, परंतु आदिवासी क्षेत्रों तक यह पैसा नही पहुंच पाता। सरकार के सिवाय बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो आदिवासी लोगों के लिये काम करते है। सरकार के लिए इनके भी विचार जानना आवश्यक है।

आदिवासी महिलाओं को शिक्षा देना जरुरी है। महाराष्ट्र में 36 प्रतिशत साक्षरता है। परन्तु 24 प्रतिशत आदिवासी महिलाएं ही साक्षर हैं। पलायन के कारण बहुत सारी महिलाएं शिक्षा नहीं ले पाती हैं। महिला अशिक्षा के कारण व्यापारी महिलाओं का आर्थिक शोषण करते है। उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है इसलिये वो अन्याय सहती रहती है। पुलिस के डर से थाने नहीं जाती, फलस्वरुप आदिवासी महिला को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि समय पर वे अपनी शिकायत ही दर्ज नहीं करा पाती हैं। अस्वच्छ पीने का पानी एवं कुपोषण से स्वास्थ्य की गिरावट शुरु होती है। अतः माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो बच्चा भी कुपोषित पैदा होता है। पीने का पानी लाने के लिये उनको दूर दूर जाना पड़ता है। महिला को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है।

वार्ली जनजाति में महिला और विशेषकर विधवा को सम्मान दिया जाता है। आश्रम शालाओं में महिला अधीक्षिकाओं की कमी हैं। आदिवासियों में कला और क्रीडा के देवप्रदत्त गुण हैं। उनका विकास किया जाना चाहिए।

श्रीमती वृषाली पांचल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती करंदीकर के जनजातियों की स्थिती पर प्रस्तुतिकरण के लिये उनके प्रति आभार प्रकट किया।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्षता : श्रीमती सोनल अमीन, सदस्य,
राज्य महिला आयोग म. प्र.

वक्ता : प्रो. डॉ. एस. के. तिवारी, विभागाध्यक्ष,
जनजाति अध्ययन केन्द्र,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

डॉ. एस. के तिवारी ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों का परिचय देते हुए कहा कि भारतीय जनजातीय समुदाय भौगोलिक दृष्टि से देश के दुर्गम भागों मे निवास करता है। इन्हें चार विभागों में बांटा जाता है। पर्यावरण, मानव प्रजाति एवं सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से इनमें काफी अन्तर है। ये विभाग क्रमशः हिमालयी, पूर्वोत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिण भारतीय और द्विपीय है। इन सभी क्षेत्रों में यदि महिलाओं की स्थिति को देखा जाये तो हम पाते हैं कि :

1. हिमालय क्षेत्र की घुमन्तू जनजातियों की महिलाओं का जीवनयापन पशु पर निर्भर है।
2. मध्य क्षेत्र की महिलाओं का जीवन पिछड़े ढंग की खेती तथा वनोपज पर निर्भर है।
3. दक्षिण भारत की टोडा जनजाति का भैंस पालन ही जीवन आधार है।
4. पूर्वोत्तर भारत की महिलायें कठिन श्रम करने वाली हैं।

ये सभी जनजातीय महिलाऐं सही अर्थों में पुरूष की ''सहचरी'' हैं। सभी आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय स्त्रियॉं या तो पुरूष के बराबर या उससे अधिक श्रम करती हैं। यही कारण है कि जनजाति समाज में, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गैर जनजाति समाज की तुलना में श्रेष्ठ है। अन्य समाज की भांति जनजातीय समाज बुराईयों से अछूता नहीं है और इसीलिये वहां भी स्त्रियों को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में लगभग साढ़े पांच सौ जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों की महिलाओं की परिस्थितियों पर यहॉं विस्तृत विचार करना संभव नहीं फिर भी विचार बिन्दुओं के माध्यम से जनजातीय महिलाओं की क्षेत्रीय परिस्थितियों के परिदृश्य को कुछ हद तक समझा जा सकता है। जैसेः– जनसंख्या की सरंचना द्वारा उनकी सापेक्ष्य स्थिति एवं वृद्धि ज्ञात होती है तथा सामाजिक संरचना एवं अर्थव्यवस्था पर घ्यान देने से उनकी सामजिक भागीदारी, जीवन शैली एवं जीवन मूल्यों का पता चलता है। इसके पश्चात सशक्तिकरण का विचार आता है, जिसमें विचारकों की, शासन की एवं वृहत्तर समाज की भागीदारी होती है। सशक्तिकरण पर विचार करने के पूर्व जनजातीय महिलाओं की स्थिति को समझा जाना आवश्यक है।

जनसंख्या

भारत विश्व की सबसे अधिक जनजातीय महिलाओं का देश है। भारत में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या लगभग 6.77 करोड़ थी। इस जनंसख्या का लगभग आधा भाग अर्थात 3.3 करोड़ जनजाति महिलाओं का है। जनजाति जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत गैर जनजाति जनंसख्या में महिलाओं के प्रतिशत से अधिक है। महिलाओं का यह सापेक्ष्य अनुपात जनजातीय समाज में उनकी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को भी दर्शाता है। भारत में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्यप्रदेश में है।

जनसंख्या संबंधी क्षेत्रीय विषमतायें

भारत की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति का विस्तार मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश मे गोंड जनजाति का लिंगानुपात 1011 है। गौडों के अतिरिक्त जिन जनजातीय समूहों में स्त्रियों की संख्या अधिक है वे हैं – भैना, भतरा, बिंझवार, बिरहुल, हलवा, कमार, कंवर, मवासी, नगेसिया, उंराव, परधान, सवर, भुंजिया, मुंडा तथा साओरा हैं। अन्य प्रमुख जनजातियों का लिंग अनुपात निम्नानुसार है :–

जनजातियां	लिंगानुपात प्रति 1000
हलवा	1034
भतरा	1013
बिंझवार	1019
उरांव	1027
साओरा	1027

उपरोक्त तालिका से स्पस्ट हैं कि सर्वाधिक लिंग अनुपात हलवा (1034) जनजाति में है। जनजातियों के दूसरे वर्ग अगरिया, बैगा, भारिया, भील बियार, दामोर, धनवार, गड़बां, खैरवार, कोल, कोरकू, कोरवा, मांझी, मंझवार, मीणा, पनिका, पाओं, पारधी, सहरिया, सौर तथा सउर हैं। इस वर्ग की जनजातियों में लिंगानुपात 950 से 1000 तक है। आदिवासियों में भ्रूण हत्या का प्रचलन नहीं के बराबर है।

समाज में स्थिति

(अ) पुत्री का जन्म– अधिकतर जनजातियों में पुत्री जन्म पर न तो कोई विशेष प्रसन्नता की बात है और न ही यह दुख का विषय है। कुछ जनजातियों में जिनमें हिमालय की थारू जनजाति या पूर्वोत्तर भारत की खासी जनजाति प्रमुख हैं इनमें पुत्री जन्म पर विशेष प्रसन्नता मनाई जाती है क्योंकि ये जनजातियॉ मातृ सत्तात्मक या मातृकुल प्रधान हैं। ऐसी ही कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में भी हैं। जौनसार बावर क्षेत्र में बहुपति प्रथा विद्यमान है।

(ब) विवाह– भारत के मध्य क्षेत्र में अर्थात् मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा की लगभग सभी जनजातियों में पुत्री के विवाह पर 'वधूमूल्य' लेने की प्रथा है। 'वधूमूल्य' गैर जनजातीय समाज के 'दहेज' का

विपरीत स्वरूप है। जनजातियों की आय के स्तर को देखते हुये यह बहुत अधिक होता है, जिसे चुका पाना भावी वर के पिता के लिये बहुत कठिन होता है। अतः जब यह कहा जाता है कि जनजातियों मे बाल विवाह प्रचलित नहीं है या उनमें वयस्क विवाह ही होता है, उस स्थिति में इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह स्थिति सामाजिक नियमन के कारण बनी है। इस प्रथा के अनेक दोष वर और वधू को संकट में डालते हैं। गोंडों में 'लमसेना' स्वीकार्य है। अर्थात् यदि भावी वर, वधूमूल्य देने में असमर्थ है तब उसे एक लम्बी अवधि तक भावी पत्नी के पिता के घर में रहकर कृषि या आखेट आदि में बिना वेतनभोगी नौकर की तरह सेवा देनी पड़ती है, और इस अवधि में वह अपनी भावी पत्नी से सम्पक्र नहीं रख सकता।

जनजातियों में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, मध्यक्षेत्र में प्रचलित प्रमुख विवाह पद्धतियां निम्नलिखित हैं :–

1. क्रय विवाह (वधूमूल्य द्वारा)
2. सेवा विवाह (लमसेना पद्धति द्वारा)
3. अपहरण विवाह
4. गन्धर्व विवाह (अनेक क्षेत्रीय नाम)
5. हठ विवाह (स्त्री द्वारा पुरूष का व उसके घर जाकर वरण)
6. परीक्षा विवाह (स्वयंवर का आदिम रूप जैसे भीलों में गोल गधेड़ी)
7. परिवीक्षात्मक विवाह (नगण्य)
8. विनिमय विवाह

जनजातीय विवाहों की प्रचलित मूल पद्धतियों के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं :–

1. विवाह उम्र अनेक बार सामान्य वैवाहिक आयु के बहुत अधिक हो जाती है।
2. सम्पन्न आदिवासी बहुविवाह करते हैं।
3. अनेक प्रकरणों में बेमेल विवाह एक सामान्य समस्या है।

अर्थ व्यवस्था में भागीदारी

भारतीय जनजातियों में सात प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सामान्यतः एक या एक से अधिक व्यवसाय उस अर्थ व्यवस्था में निहित होते हैं। केवल कुछ ही उदाहरणों में एक ही व्यवसाय प्रमुख होता है। प्रत्येक व्यवसाय में महिलाओं का कार्य सुनिश्चित होता है। जनजातीय अर्थ व्यवस्था (म. प्र.के संदर्भ में) के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. आखेट :– केवल आखेट पारधी जनजाति में स्थापित अर्थव्यवथा थी, किन्तु अन्य सभी जनजातियां आखेट करती रही हैं।

2. आखेट, संचयन एवं मछली पकड़ना :– यह अधिकांश जनजातियों की अर्थव्यवस्था है, किन्तु बिरहोर जैसी पिछड़ी जनजातियों में आज भी मूल अर्थव्यवस्था यही है।
3. स्थानान्तरित कृषि :– यह बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध तक बैगा लोगों की प्रमुख अर्थव्यवस्था थी।
4. निम्न श्रेणी कृषि :– यह वर्तमान में अधिकांश जनजातियों की अर्थव्यवथा है।
5. प्राचीन उधोग, हस्तकला आदि :– अगरिया तथा खैरवारों की अर्थव्यवस्था इसी वर्ग की है।

भारत के अन्य प्रदेशों में पशुचारण भी एक प्रमुख जनजातीय अर्थव्यवस्था है। इन अर्थव्यवस्थाओं में अनेक स्तर पाये जाते हैं। मध्यप्रदेश में जनजातियों के व्यवसाय क्रमशः काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पशुपालन, उत्खनन, गृह उधोग, बड़े उधोग, निर्माण, व्यापार, परिवर्तन और अन्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये हैं। किन्तु अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अधिकांश जनजातीय समाज मुख्यतः दो वर्गो में बंटा है, कृषक एवं खेतिहर मजदूर। उदाहरणार्थ दो तिहाई गोंड काश्तकार और एक चौथाई से कुछ अधिक खेतिहर मजदूर हैं। यह क्रम सभी जनजातियों में एक सा नहीं है कोल जनजाति में 13.6 प्रतिशत व्यक्ति काश्तकार हैं और 72.6 प्रतिशत खेतिहर मजदूर।

सशक्तिकरण :

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि जनजातीय महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का न केवल बोध कराया जाए वरन उन्हें आवश्यक जिम्मेदारियों को निभाने के लिये योग्य बनाया जाए। इसके लिये आवश्यकता है जनजातीय महिलाओं को साक्षर बनाने की, स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाने की तथा वे जिस भी व्यवसायों में कार्यरत है, उनमें उनकी योग्यता को बढ़ाने की।

अध्यक्षीय भाषण

डा. सोनल अमीन सदस्य, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सशक्तिकरण की परिभाषा, आदिवासी का स्वास्थ्य, समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अविनाशलिंगम विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के महिला अध्ययन केन्द्र में महिला सशक्तिकरण वर्ष में आयोजित एक संगोष्ठि का संदर्भ देते हुये, डॉ अमीन ने कहा कि वहॉ सशक्तिकरण की 15 परिभाषाएं उभर कर सामने आई थी। जिन महिलाओं में आज हम सशक्तिकरण देख रहे हैं वो अधिकतर शहरी, साक्षर, मध्यमवर्गीय महिलाएं हैं। परन्तु लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये अधिकतर कृषि मजदूर या रेजा के रूप में कार्य करती है। इनके लिये जीवन का क्रूर संघर्ष है जीवित रहने के लिये कठिन परिस्थितियों का सामना करना। जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पानी, ईधन, चारा लाना भी अब चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। सशक्तिकरण से दो अर्थ हैं –

(1) स्वयं में परिवर्तन
(2) परिस्थितियों में परिवर्तन

स्वयं में परिवर्तन से अर्थ है अपने आप को ''अबला'' से ''सबला'' समझना, आत्मविश्वास व स्वयं में शक्ति का अनुभव, असहायता या निराशा की मनोदशा से आत्मविश्वास या शक्ति में जाना, ये परिवर्तन तब संभव है जब हम समझें कि निराशा के कारण क्या हैं ? महिलाओं की शक्तिहीनता के कारण क्या हैं ? वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, कानून संबंधी असमानता है। परिस्थिति को बदलने का अर्थ है महिलाओं को संसाधन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना। अतः सशक्तिकरण सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाएं अपनी संभावनाएं, तलाश कर जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम हो सकें।

सशक्तिकरण का अर्थ, पुरूषों पर आधिपत्य जमाना कदापि नहीं है। पुरूष प्रधान समाज के स्थान पर स्त्री प्रधान समाज लाने की बात नहीं है। संक्षेप में, सशक्तिकरण का अर्थ है – महिलाओं की शक्तिहीनता कम करना और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाना।

वन जाति या प्रकृति पुत्र को आदिवासी इसलिये कहते हैं क्योंकि वे भारत के प्राचीनतम निवासी हैं। वेरियर एलविन कहते हैं, 'इनकी तुलना में भारत में सभी विदेशी हैं। आदिवासी भारत वर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है'।

आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं निम्नानुसार हैं :–

1. अलग रहने से वे मुख्य धारा से हट गए। इनका शोषण गैर आदिवासियों जैसे सूदखोरों, बिचौलियों द्वारा किया गया।
2. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसीमिलेशन की बात की। इससे ये आदिवासी संस्कृति से दूर होने लगे और गैर आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना स्वीकारने लगे।
3. विकासवादियों ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया परन्तु पहचान बरकरार रखते हुए क्रियान्वयन में आदिवासी को ही योजना के अनुरूप ढलना पड़ रहा है। वास्तव में योजनाओं को आदिवासियों के अनुकूल होना चाहिए था।

यह देखते हुये पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में ''पंचशील'' के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार आदिवासी उत्थान का उल्लेख किया है। वन आदिवासी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लघु वनोपज इकठ्ठा करने में, चारा, ईधन, पानी लाने में, औषधीय पौधे आदि इकठ्ठा करने में, झूम खेती (अबुझमाड़) व कृषि से 90 प्रतिशत आदिवासी जुड़े हुए हैं। अकुशल मजदूर, रेजा, इसके अतिरिक्त बच्चे को देखना, गृह कार्य, पशुपालन आदि उनके अन्य कार्य हैं। बाहरी संपक्र के नकारात्मक प्रभाव से उसके आर्थिक व शारीरिक शोषण के द्वार खुले। भोजन की वस्तु और जड़ी बूटी कम हो गई और लघु वनोपज के लिये अधिक चलना पड़ता है।

डा. अमीन ने आदिवासी महिलाओं की निम्नलिखित समस्याओं को प्रमुख माना

1. जंगलों की कटाई से परिश्रम बढ़ा है।
2. बाह्य जगत के संपक्र से शोषण हुआ है।

3. सामुदायिक सहयोग प्रणाली के टूटने से महिला पर बुरा प्रभाव हुआ है।
4. पुरूषों द्वारा बाह्य मूल्यों को अपनाना और विशेषकर महिला हित को अनदेखा करना।
5. औद्योगिकरण, जंगलों का उजड़ना और ठेकेदार द्वारा शोषण
6. सरकारी नीतियों द्वारा नियंत्रण
7. शिक्षा का अभाव
8. स्वास्थ्य की अनदेखी

उनके सुझाव निम्नांकित थेः–

1. स्थानीय संसाधनों का उपयोग और महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे कत्था बनाना, बांस से बर्तन, मधुमक्खी पालन, रेशम बनाना, दोना पत्तल, घास की रस्सी, बनाना इत्यादि। महिला हुनर के अनुसार प्रशिक्षण व उद्योग स्थापित करना चाहिए।
2. खेती के उन्नत तरीके सिखाए जाएं।
3. रेजा का शारीरिक और आर्थिक शोषण रोका जाए।
4. हस्त शिल्प को बढ़ावा दिया जाये।
5. साक्षरता दर बढ़ाने के लिये शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए।
6. वृक्षारोपण आदिवासी महिलाओं की सलाह से किये जाएं।
7. ईधन लकड़ी का उपयोग कम किया जाए ताकि आदिवासी महिला का स्वास्थ्य खराब न हो। धुआं रहित चूल्हे का चलन बढ़ाया जाए।
8. योजनाओं का क्रियान्वयन लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।
9. स्वास्थ्य सेवाएं गांव के पास हों, सस्ती हों, और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रख कर हों। महिला डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
10. स्वयंसेवी संगठनों को यथोचित स्थान दिया जाए।
11. महिलाओं पर काम का अत्यधिक बोझ रहता है, इसे कम किया जाए।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : डा. नलिनि कांत दत्ता,
कृषि वैज्ञानिक

प्रस्तुतीकरण : श्रीमती सुनीति सोनोवाल
अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता

श्रीमती सुनीति सोनोवाल, अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं की स्थिति देश के अन्य भागों से बेहतर है। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक प्रगति तथा संस्कृति को बढ़ावा देने आदि के बारे में जनजातीय समाज में काफी बदलाव आया है। इन परिवर्तनों के बावजूद जनजातियां अपने रीति रिवाजों और परम्पराओं को बनाए हुए हैं। अपनी पहचान तथा अस्मिता की सुरक्षा करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि मेघालय में खासी तथा गारों मातृक जनजातियां हैं। मातृक प्रणाली के बावजूद महिलाओं को सम्पत्ति हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। उसे केवल सम्पत्ति की अभिरक्षा का अधिकार है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रथा में सबसे छोटी पुत्री के अतिरिक्त अन्य पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है।

क्षेत्र के कुछ जनजातीय महिलाएं प्रशासन तथा राजनयिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पदों पर हैं जैसे मिस रोज बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही हैं और मिस पावेल जोरदना दिंग दोह को इथोपिया में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, उनमें से बहुत सी महिलाएं गरीबी से जूझ रही हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। असम की बोडो, राभा, कचारी तथा कारबी जनजातीय महिलाएं किणवन तथा अवैध शराब का धन्धा करने के लिए विवश हैं।

क्योंकि सरकारी प्रयासों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, उन्होंने गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों से अनुरोध किया कि वे समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से आपस में मिलकर काम करें।

कार्यशाला में भाग लेने वालों के विचार

असम के जोरहाट जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता, श्री देवरी की राय थी कि कुछ मामलों में, विशेषकर यौन उत्पीड़न के मामलों में सामाजिक रीति–रिवाजों का लाभ उठाने से जनजातीय महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। किसी न किसी कारण से उत्पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। सामान्यतः असहाय महिला पर अपना दोष स्वीकार करने के लिए हर प्रकार से दबाव डाला जाता है। इस प्रकार बहुत से मामलों में अपराधी बरी कर दिए जाते हैं। परिवार के बंटवारे के मामले में संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति के बंटवारे के मामले में लिखित कानून के अभाव में फैसला करने वाले लोगों में पूर्वागृह होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जनजातीय प्रथाओं के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए, स्थिति की तुरन्त समीक्षा करने और प्रचलित कानूनों के संहिताकरण की तत्काल आवश्यकता है।

असम के कोकराजहर जिले की श्रीमती उमा रानी बासुमतरी, अध्यक्ष, जुगोनी सोसाइटी ने कहा कि जनजातीय रूढ़ियों तथा प्रथाओं में खामियां हैं, जिनसे महिलाओं को अवैध शराब के धंधे के आतंक का एक–जुट होकर मुकाबला करना चाहिए। थोड़ी सी रकम कमाने के लिए वे अगली पीढ़ी को खराब कर रही हैं। अच्छा वातावरण तथा माता का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण स्वस्थ बच्चा पैदा करना असम्भव है। राज्य में शराब ज्यादा होने के कारण वातावरण तथा पर्यावरण दूषित हो गया है।

मेघालय से आई श्रीमती ई.डी. शिरा ने महिलाओं के प्रति अपराधों की दर में वृद्धि पर भी गहरी चिंता जताई और इसके समाधान के लिए उचित उपाय करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग का ध्यान आकर्षित किया।

पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय अशांति पर चर्चा

प्रस्तुतिकरण : श्री पी. बसुमतारी (आई.ए.एस. सेवा–निवृत्त)

श्री पात्रेश्वर बसुमतारी ने पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय अशान्ति पर बोलते हुए कहा कि मूल रूप से जन–जातियां जीवन के सभी पहलुओं में सादगी पसन्द करती हैं। उनकी यह विशिष्टता उनका शोषण करने के काम आ रही है। स्वर्गीय श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जनजातीय हितों की रक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने में अग्रणी थे। भूमि जन–जातियों की मुख्य सम्पत्ति है और उनका जीवन कृषि पर आधारित है। अब इस भूमि के लाड़ले यह महसूस करते हैं कि वे असुरक्षित तथा वंचित हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वे अपने हितों की रक्षा तथा न्याय के लिए अपनी इच्छा के उपाय करें, हालांकि उनके कुछ कार्यकलाप समाज को स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर भारत में शांति और सामंजस्य के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए :–

(1) जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में गैर–जनजातीय लोगों के आने पर रोक लगाई जाए।

(2) जनजातीय क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, कारखानों के लिए प्रभावित लोगों के पुनर्वास के उचित उपाय किए बिना भूमि का अधिग्रहण न किया जाए।

(3) शिक्षा, संस्कृति, सड़कों, परिवहन, स्वास्थ्य, पेय जल आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के लिए वास्तविक रूप में विकास प्रक्रिया शुरू की जाए।

(4) विभिन्न जनजातीय ग्रुपों को विश्वास में लेकर और उनके सहयोग से सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप शुरू किए जाएं।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाए, जिसका कार्य केवल जन–जातीय प्रथागत कानूनों, भूमि हस्तांतरण की समस्याओं तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न ग्रुपों के अनुरूप उनका निपटारा करना हो।

मनाली कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती शीला भ्यान, अध्यक्ष,
राज्य महिला आयोग, हरियाणा।

वक्ता : श्री टी. जी. नेगी,
सचिव, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

श्री चेतराम नेगी, विधायक, किन्नौर,
सचिव, संसदीय कार्य, हिमाचल प्रदेश

श्री आर. के. शर्मा
जिला कार्यक्रम अधिकारी, लाहौल – स्पिति।

श्री आर. के. शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी लाहौल – स्पिति ने 3 वर्ष के सेवा काल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर आदिवासियों में प्रचलित कुछ प्रथाओं का ब्यौरा दिया जो निम्नानुसार हैं :–

कुजी प्रथा :– उन्होंने बताया कि विवाह से सम्बन्धित कुजी प्रथा एक प्रकार का चोरी का विवाह है। जिसमें कोई भी पुरुष किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना उठा कर ले जाता है और उसे शादी के लिये मजबूर करता है। यह प्रथा लाहोल में प्रचलित है। लेकिन ज्यों – ज्यों शिक्षा का विस्तार हो रहा है और लोगों में जागरूकता आ रही है, इस प्रथा में कमी आई है।

जमीन से संबंधित अधिकार महिला को नहीं हैं लेकिन जिस परिवार में केवल पुत्रियां ही हैं, यह अधिकार उनको मिल जाता है।

चामो प्रथा :– उन्होंने बताया, कि चामो एक धार्मिक प्रथा है। जो पूर्णरूप से देवदासी प्रथा की तरह तो नहीं है परन्तु उससे कुछ मिलती जुलती है। इस प्रथा में एक महिला समाज के दबाव में साध्वी बन जाती है और सारा जीवन मठों में व्यतीत करती है। वृद्धावस्था में उसकी दुर्दशा होती है। इस प्रथा पर रोक लगनी चाहिए।

श्री टी. जी. नेगी, सचिव, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश ने जो स्वयं जनजातीय क्षेत्र एवं समुदाय से हैं ने विस्तारपूर्वक जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं और रीति–रिवाजों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के कस्टमरी लॉ में सरकार कानून बनाकर बदलाव ला सकती है। इसके लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। जाति प्रथा के बारे में उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया जहां जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर किसी को पानी न भरने दिया गया हो।

उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इन योजनाओं को जानने हेतु उपस्थित महिलाओं ने बहुत उत्सुकता दिखाई एवं अपनी समस्याओं को भी रखा। कुछ महिलाओं ने अपनी समस्याएं इस प्रकार रखी :–

1. भरमौर से आई महिला सुश्री अनीता ने बताया कि उनके क्षेत्र में आई. सी. डी. एस. की सेवायें ठीक ढंग से संचालित नहीं हो रही हैं।

2. सुश्री जुल्मी देवी ग्राम प्रधान ने, उनके क्षेत्र में कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता के विरूद्ध शिकायत करते हुए कहा कि वह 2 साल से छुट्टी पर है और चना, मुंगी के अलावा अन्य कोई पोषाहार प्राप्त नहीं हो रहा है।

3. श्रीमती जावित्री देवी, सदस्य, राज्य महिला आयोग हि. प्र. ने महिला मण्डल लाईब्रेरी बनाने की बात कही।

4. लाहौल महिला मण्डल प्रधान ने विचार प्रकट किये कि उनके क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी उपलब्ध नहीं होते।

अध्यक्षीय भाषण एवं खुली चर्चा

श्रीमती शीला भ्यान, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, हरियाणा ने उपस्थित महिलाओं से पूछा कि क्या आप लोग दहेज में विश्वास रखती हो ? क्या मां–बाप को दहेज देना चाहिए ? इस पर उपस्थित महिलाओं का जवाब था कि मां–बाप अगर अपनी मर्जी और खुशी से दहेज देते हैं तो ठीक है परंतु दहेज मांगना गलत है। फिर श्रीमती भ्याण ने कुजी प्रथा एवं अन्य प्रथाओं पर महिलाओं के साथ उन्मुक्त विचार विमर्श किया जो इस प्रकार थे :–

1. सुश्री बिमला देवी ने कहा कि वह कुजी प्रथा से सहमत नहीं है परंतु लड़की सहमत हो तो ऐतराज भी नहीं है।

2. श्रीमती शीला भ्यान ने जब पूछा कि क्या महिलाएं आपस में इस संबंध में चर्चा करती हैं ? तो उनका जवाब था कि महिला मण्डल की बैठकों में इस पर अक्सर चर्चा होती है और महिलाएं इस प्रथा में बदलाव चाहती हैं।

3. सुश्री सकीना ठाकुर, मण्डी ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। गांव में लड़कों को अधिक और लड़कियों को कम शिक्षा दिलाई जाती है।

4. सुश्री चन्द्रकला, मण्डी ने मांग की कि महिलाओं को दाह संस्कार का अधिकार होना चाहिए। जिन माँ–बाप के पुत्र न हो तब दामाद को भी दाह संस्कार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

इस पर श्रीमती शीला भ्यान, ने विचार रखे कि इस पर कोई कानून बनाना असम्भव है। केवल मानसिकता बदलने एवं समाज में जागरूकता लाने से ही ऐसा हो सकता है।

5. सुश्री कमला ढोलंग ने विचार रखे कि भाई बहन को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। जिस लड़की की शादी नहीं होती और अगर वह मां–बाप के घर रहती है तो उसे भाई के बराबर पैसा और जायदाद मिलनी चाहिए।

6. सुश्री दिनेश्वरी, मनाली का कहना था कि मायके वालों से तो हिस्सा मांगा जाता है परंतु ससुराल वालों के घर में पति और पत्नी का बराबर का हिस्सा होना चाहिए।

7. सुश्री सलोतमा शर्मा, जगतसुख का कहना था कि पति के घर में जमीन का अधिकार पत्नी को जरूर मिलना चाहिए।

8. सुश्री सन्तोष कौर, कुल्लू ने सम्पत्ति में हक की बात कही। उनका विचार था कि जो महिलाएं स्वयं ऋण लेकर काम करना चाहती हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके नाम से जमीन नहीं होती।

9. सुश्री लीला वर्मा, कुल्लू ने रीति–रिवाजों पर विचार रखते हुए कहा कि शादी लड़की की रजामन्दी से होनी चाहिए। लड़कियों को सम्पत्ति का अधिकार भी बराबर मिलना चाहिए। मन्दिर में यदि साध्वी बनने के लिए लड़की अपनी मर्जी से जाती है तो ठीक है परंतु जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।

10. सुश्री चन्द्रकला, मण्डी ने विचार प्रकट किये कि आज की महिलाएं कमजोर नहीं हैं। उनके अनुसार यदि जन–जागरण अभियान चलाया जाये तो धार्मिक रीति–रिवाज में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई जा सकती है।

उपरोक्त विचार विमर्श के बाद श्रीमती शीला भ्यान, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग हरियाणा ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में बदलाव और जागरूकता आ सकती है।

द्वितीय सत्र

रांची कार्यशाला

आदिवासी उपयोजना, आदिवासी महिलाओं के विकास में जनजाति कार्य मंत्रालय तथा आदिवासी विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों की भूमिका

अध्यक्ष : सुश्री अनुसईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

वक्ता : डा. पी. के. मोहंती, निदेशक,
जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

डा. आर. के. श्रीवास्तव, विषय विशेषज्ञ,
राष्ट्रीय महिला आयोग

डा. पी. के. मोहंती ने आदिवासी उपयोजना के संचालन से परिचय कराते हुए कहा कि आदिवासी समाज में व्याप्त अशिक्षा, स्कूल से बीच में पढ़ाई छोड़ देना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना मुख्य समस्याएँ हैं। भारत सरकार तो राज्य सरकारों को राशि प्रदान करती है, परन्तु उसका समय पर समूचा उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त पिछड़ापन, विकास के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। अक्तूबर 1999 में नव गठित जनजाति कार्य मंत्रालय की जानकारी से भी उन्होंने अवगत कराया।

डा. मोहंती ने कहा कि देश की आबादी का 8 प्रतिशत आदिवासी है। भारत की साक्षरता दर 52 प्रतिशत है जबकि आदिवासी में यह 39.6 प्रतिशत है एवं आदिवासी महिलाओं में यह 18 प्रतिशत ही है। भारतवर्ष में स्कूल छोड़ने की दर हायर–सेकेन्डरी स्तर पर 88 प्रतिशत, मिडिल में 82 प्रतिशत और प्राथमिक स्तर पर 66 प्रतिशत है। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं का अनुपात 927 है। आदिवासियों में बाहरी परिवेश से शाइनेस आफ कान्टेक्ट है।

संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर भी आदिवासी क्षेत्र नक्सलवादी गतिविधियों की चपेट में है। केन्द्र सरकार आदिवासी सब–प्लान के अंतर्गत अनुदान देता है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं। इनके तहत अच्छे और गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ काम करना और अनुदान देना मान्य है। यह योजनाएं खाद्य सुरक्षा, आदिवासी लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था, ट्रायफेड के तहत विपणन, कोचिंग स्कूल चलाना, बुक बैंक स्कीम, बारहवीं कक्षा के छात्र – छात्राओं के लिए कोचिंग, आदिवासियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण, आदिवासी सांस्कृतिक पर्व का आयोजन इत्यादि है। देश में 15 आदिवासी शोध संस्थाएं हैं। हालांकि कुछ में कर्मचारियों का अभाव है। फिर भी इनसे संपक्र करें एवं इनकी सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयास करें। उन्होंने गैर – सरकारी

संस्थाओं से सीधे या जहाँ जरुरी हो राज्य सरकार के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन के लिये प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया।

ट्रायफेड एवं टी. सी. डी. सी. का गठन आदिवासियों को सही मूल्य दिलाने के लिए किया गया था परंतु वांछित फल प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि योजनाओं की कमी नहीं है। इनके प्रभावी क्रियान्वन की आवश्यकता है। इतने सालों में जहाँ आदिवासियों का सशक्तिकरण नहीं हुआ वहाँ आदिवासी महिला सशक्तीकरण तो और भी दूर की बात है। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में सड़क व स्कूल बनाने का प्रावधान है, परन्तु राज्य शासन की उदासीनता के कारण काफी पैसा लेप्स हो जाता है।

डा. आर. के. श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब प्रत्येक मंत्रालय से पूछा गया कि वह आदिवासी उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, तो विज्ञान संबंधी मंत्रालय थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। क्योंकि वह तो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के बारे में चिन्ता करता है। इसी मंथन से विचार सामने आया कि सामाजिक उत्थान में विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है ? कुछ उदाहण देते हुये उन्होंने स्पष्ट किया कि :–

1. मिट्टी के बर्तन न टूटें इसके लिए क्या करना होगा ?
2. मधु इक्ट्ठा करते वक्त मधुमक्खियों का डंक सहना पड़ता है। इसके उपाय के लिये वर्धा, महाराष्ट्र में डंक से बचने के लिए एक लेप बनाया गया है।
3. हंसिया, कुल्हाड़ी गेती, फावड़ा आदि बनाने के लिए पहले लुहार के पास जाना पड़ता था फिर बढ़ई के पास। लेकिन अब एक ही व्यक्ति को औजार बनाने का पूरा प्रशिक्षण दिया जाने लगा है।
4. केरल व मद्रास में महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे उनकी दिन की कमाई 30/– से बढ़कर 80/– रु हो गयी है।
5. पशु पालन के तहत मुर्गी एवं खरगोश के पालन को बढ़ावा दिया गया। मरने के बाद खरगोश के चमड़े से मनमोहक वस्तुओं का निर्माण भी हो सकता है।
6. मकैनिकल यांत्रिकी की मदद से महिलाओं के लिये उपयुक्त खेती के औजारों का अनुसन्धान किया जा रहा है।
7. अब मशीन के सहारे वनोपज से ऐसी रस्सी निर्मित हो रही है जिन्हें जहाज के लंगर डालने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
8. दोना–पत्तल को बेहतर बनाने के लिए अब प्लास्टिक की पन्नी बीच में चिपकाने की तकनीक का विकास किया गया है।

तालाबों में लिमनोलॉजी के विकास से मछली उत्पादन, पानी के पौधों की बढ़त के साथ पशु को नहलाने के लिए भी तालाब के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर–सरकरी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के दर्मियान सूचना एवं संवाद का अभाव है। खेद की बात तो यह है कि आदिवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव

ही विभाग को प्राप्त नहीं होते है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मोड्युल्स तैयार करा कर उन का परीक्षण कराता है इनका प्रचार–प्रसार एवं रेपलिकेशन करने के लिए अन्य संस्थाओं को आगे आना होगा।

सुश्री अनुसुईया उइके ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निवेदन किया कि वे शासन की विभिन्न योजनाओं को समझें और उनका लाभ उठायें।

खुली चर्चा

पूरबी पॉल श्रमजीवी महिला संगठन ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मोड्युल्स तैयार कराती तो है पर हर क्षेत्र की जरूरतें अलग – अलग होती हैं। स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर इन मोड्युल्स को बनवायें जिससे लोगों की जरूरतों के अनुरूप इनका शोध एवं विकास किया जा सके।

श्रीमती खलखो, वार्डन, दीपशिखा महिला छात्रावास, कारावटी राँची ने बताया कि वहाँ कि स्थिति बेहद दयनीय है। वहाँ कुछ विषयों की शिक्षिका भी नहीं है। न दोपहर के भोजन की व्यवस्था है और न ही कभी कोई निरीक्षण ही हुआ है।

श्री आर. के. राय ने बताया कि वेतन भुगतान नहीं होने के कारण PIL दायर किये गए हैं। शहर के सरकारी स्कूल जर्जर हाल में है। जेलों में भी कैदियों की हालत अत्यंत खराब है।

डा. रोज केरकेट्टा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्षता : श्रीमती नफीसा हुसैन, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

वक्ता : श्री प्रकाश वाणी, उपायुक्त
आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र

श्री एस. पी. बाघ, परामर्शदाता नाशिक
सूचना तकनीकी केन्द्र

श्री प्रकाश वाणी आदिवासी विकास उपायुक्त ने आदिवासी उपयोजना और शासकीय प्रयास, विषय पर कहा कि अनुसूचित जनजाति के बारे में उप जिलाधिशों तक को भी कोई खास जानकारी नहीं होती कि उनकी क्या विशेषताएं है। कौन – कौन से व्यक्ति इस श्रेणी में आते है। इसे समझने के लिये संविधान के अनुच्छेद 342 का ज्ञान होना आवश्यक है। आदिवासियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना और एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्पों का 1976/77 में निर्माण किया गया था। कार्यशाला से संबंधित राज्यों की जनजाति एवं उनकी संख्या का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	राज्य	जनजाति संख्या	जनजाति जनसंख्या
1.	महाराष्ट्र	47	73.18 लाख
2.	गुजरात	29	61.62 लाख
3.	दादरा नगर हवेली	07	09.09 लाख

उपरोक्त राज्यों में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं के उद्धेश्य निम्नानुसार है :–

1. आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच की खाई को दूर करना।
2. आदिवासियों के रहन सहन में सुधार लाना।
3. उनका शोषण रोकना।
4. सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति बढ़ाना।
5. राज्य की कुल निधि में से आदिवासी विकास हेतु प्रथक राशि निर्धारित करना।

सन 1992 में महाराष्ट्र में उपरोक्त कार्यकलापों के लिये नई पद्धति का प्रारंभ किया गया था, जो महाराष्ट्र पॅटर्न के नाम से जानी जाती है। 1992 से 2000 तक संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अतंर्गत 33.19 लाख और विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत रुपये 162.90 लाख खर्च हो चुके है। उसमें 60 प्रतिशत राशि क्षेत्र विकास के लिये लगाई गई है। महिलाओं के लिये किये गये प्रयासों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. साक्षरता के लिये शैक्षणिक स्कूल बनाना,
2. लड़कियों के लिये 24 आश्रम शालाएं बनाई गई,
3. अन्य आश्रम शालाओं में 50 प्रतिशत आदिवासी लड़कियों के लिये आरक्षण
4. आदिवासी लड़कियों के लिये 66 उच्चस्तरीय छात्रावास
5. लड़कियों को पुलिस में भर्ती के लिये प्रशिक्षण
6. स्व–सहायता समूहों का संचालन
7. सिलाई, नर्सिंग, ब्यूटी पार्लर और खिलौने बनाने का प्रशिक्षण
8. शासन की योजनाओं में महिलाओं का नाम जोड़ने का प्रावधान
9. स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन

श्री वाणी ने बताया कि आदिवासी योजनाओं में आदिवासी महिलाओं के लिये पृथक योजनाएं नहीं के बराबर हैं। अशासकीय संस्थाए केवल शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। विकास के अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान नगण्य है। उनका सुझाव था कि परिवारोन्मुख योजनाओं का 20 प्रतिशत अंश आदिवासी महिलाओं पर व्यय किया जाना चाहिए।

श्री एस. पी. वाघ, परामर्शदाता, नाशिक सूचना तकनीकी केन्द्र ने विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के प्रयासों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने 40 – 42 वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं शुरु की है। देश में जो कच्चा उत्पादन है उसके व्यापारिक एवं औधोगिक विनियोग पर प्रयोगशालाएं कार्य करती है। आदिवासी क्षेत्रों में निम्नांकित कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं:–

1. महिलाओं के दैनिक श्रम को कम कर उन्हें पेड़ों के पतों से पत्तल, कटोरे बनाने में लगाया जा सकता है।
2. जूट से रस्सी बनाना।
3. मूंगफली से फल्लियॉ निकालना।
4. पापड़ बेलने के लिये विविध यंत्रों को उपयोग मे लाना।
5. सौर उर्जा एवं कुड़े से ईधन बनाना जैसे वैकल्पिक उर्जा स्त्रोतों का विकास किया जा सकता है।
6. कृषि एवं वन उत्पाद को प्रोसेस करके बिक्री करने से उत्पाद के विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा सकते हैं।
7. कृषि के लिये उच्च तकनीक के औजारों का सृजन किया जाना चाहिए।
8. पर्यावरण एवं प्रदूषण का महत्व समझाने की आवश्यकता है।
9. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिये शौच बनाने की आवश्यकता है।

10. शुद्ध पेयजल की सुचारु व्यवस्था के लिये नई योजनाएं बनाई जाएं।
11. अनाज, फल, सब्जी एवं शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के रख–रखाव का प्रशिक्षण देना।
12. सरकारी योजनाएं एवं नई तकनीक का अधिकाधिक प्रचार – प्रसार करना चाहिए।
13. मैसूर के रिसर्च सेन्टर द्वारा विकसित अन्न पदार्थ की नई तकनीकी का विस्तार करना।
14. महिलाओं को रोजगार देने हेतु नई योजनाओं का विकास करना।

आदिवासी महिलाओं को उपरोक्त योजनाओं से संबंधित मशीनों के रख–रखाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिला उधोग केन्द्रों को गांव की ओर ले जाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती नफीसा हुसैन, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। हमें आशा है स्वयंसेवी संस्थाएं इसका भरपूर लाभ उठाएंगी।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार शुक्ल, निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर,

वक्ता : डॉ. एस. एस. बिसेन, वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

डॉ. आर. के. श्रीवास्तव, विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय महिला आयोग।

डॉ. एस.एस. बिसेन ने अपने भाषण में कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक संसाधनों में वन, खनिज, जल, भूमि इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राकृतिक वन सम्पदा का उपयोग मानव किसी न किसी रूप में अपने जीवन काल में निरंतर करता रहता है। आज के आधुनिक युग में भी ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, जड़ी–बूटियां, फल–फूल तथा अधिकतर उद्योगों के कच्चे माल हेतु मनुष्य वनों पर ही निर्भर है। किन्तु वर्तमान परिवेश में वनों पर बढ़ते जैविक दबाव एवं बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनोपज पर आधारित अनेक उद्योगों की आपूर्ति के फलस्वरूप प्राकृतिक सम्पदा सिकुड़ती चली जा रही है। यदि हम अभी भी वन पर्यावरण एवं इससे सम्बद्ध संसाधनों के बारे में कोई सोच उत्पन्न नहीं करते हैं, तो जीवधारियों के इस सुव्यवस्थित प्राकृतिक क्रम को असंतुलित वातावरण की ओर अग्रसर होने से रोक पाना लगभग असंभव होगा।

भारतवर्ष में लाखों महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना है। ग्रामीण महिलाएं ईंधन एवं चारा वनों से इकट्ठा करती हैं। वे अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय और शक्ति का उपयोग इन्हीं दो साधनों को जुटाने में व्यतीत करती हैं। अकाष्ठ वन उपज जैसे महुआ, चिरौंजी, साल बीज, तेन्दु पत्ते का संग्रहण ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं ही इन अकाष्ठ वन उत्पादों का पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान रखती हैं जैसे :– किस समय इनका संग्रहण किया जाए, कैसे सुखाया जाय और कैसे बाजार में बेचा जाये इत्यादि।

ग्रामीण महिलाओं का वन विभाग से नाता सिर्फ ईंधन और चारा संग्रहण से नहीं है। उनका वनों से संबंधित ज्ञान उन्हें वन संवर्द्धन, वनौषधियों, फल और फूलों का संग्रहण करने के तरीके ही वनों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सबसे महवपूर्ण समूहों में लाकर खड़ा कर देते है। ग्रामीण महिलाएं वन कार्यों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वनों पर आधारित उद्योग, रोपणी कार्य, सड़कों का निर्माण, वनों की कटाई जैसे कार्य करने में ग्रामीण महिलाओं का योगदान निश्चय ही पुरुषों से कभी भी कम नहीं रहा है। अकाष्ठ वन उपज ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यह माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में वनों से प्राप्त होने वाले राजस्व का 2/5 भाग एवं निर्यात का 3/4 भाग अकाष्ठ वन उत्पादों से आता है। रोटी पकाने के लिए ईंधन तथा मवेशियों के लिए चारे की कमी होना वनों के विनाश के कारण हो सकते हैं, लेकिन यह कारण पर्याप्त नहीं है जिसके कारण सारा दोष ग्रामीण महिलाओं पर मढ़ दिया जाए। ग्रामीण महिलाएं प्रायः अकाष्ठ वनोपज जैसे कि– वनस्पतिक रेशे, वनौषधियां, फल, फूल, बीज, गुठलियां, खाद्य

तथा औद्योगिक महत्व के तेल और गोंद का संग्रहण करती हैं। वनोपज ग्रामीणों को सूखा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने एवं ग्रामीण परिवारों के भरण–पोषण में बहुत सहायक होते हैं। ये वनोपज न केवल उन्हें अन्न प्रदान करते है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं।

अकाष्ठ वनोपज के संग्रहण के अलावा ग्रामवासी वनों पर आधारित उद्योगों में भी रोजगार पाते हैं। इन रोजगारों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का एक अध्ययन द्वारा किये गये विश्लेषण से निम्नलिखित बिन्दु सामने आये :–

(1) उन उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है जिनमें

(अ) पारम्परिक कुशलता तथा ग्रामीण तकनीकी द्वारा वनोपजों का संग्रहण तथा उपयोग किया जाता है।

(ब) ऐसे उद्योग जिनमें स्वरोजगार की संभावनाएं अधिक हैं।

(स) घरेलू–कुटीर उद्योग।

(2) मशीन या उच्च तकनीक के उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर है।

क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अकाष्ठ वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय हैं, उनकी कार्यक्षमता तथा उनकी भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अकाष्ठ वनोपज का बाजार अभी भी अव्यवस्थित व्यवसायों में गिना जाता है, जिनमें स्थायी बाजार तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं न होने से ग्रामीण महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने में काफी कठिनाईयां आती हैं। निम्न तालिका में ग्रामीण महिलाओं की वानिकी कार्यक्रमों में भागीदारी दर्शायी गई है।

संग्रहकर्ता	विभिन्न अकाष्ठ वनोपजों का परिवार के भरण–पोषण तथा आय अर्जित करने के लिए योगदान
वनों पर आधारित उद्योग	वनो पर आधारित उद्योगों में श्रमिक तथा वनों में पौधे लगाना, सड़क बनाना, कृषि वानिकी में भागीदारी।
श्रमिक	रोपणी कार्य तथा अन्य वन विभाग के कार्यों में भागीदारी।
प्रबन्धक	अपने खेतों में अकाष्ठ वनोपज देने वाली प्रजातियों की खेती तथा उनका प्रसंस्करण।

वानिकी ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपनी अर्थपूर्ण भागीदारी निभा सकती हैं। यह निर्विवाद है कि ग्रामीण महिलाएं अकाष्ठ वनोपजों का संग्रहण और व्यापार बहुत अच्छे तरीके से अपनाकर उसे अच्छी तरह से संपादित कर सकती हैं।

डॉ. आर.के. श्रीवास्तव ने आदिवासी विकास हेतु भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी, जो अधोलिखित है :–

(1) विशेष केन्द्रीय सहायता

(2) अनुच्छेद 275 (1) के अधीन सहायता

(3) बालक एवं बालिका छात्रावासों का निर्माण

(4) कम महिला साक्षरता वाले जिलों के लिए शैक्षणिक परिसर

(5) व्यावसायिक प्रशिक्षण

(6) आदिवासी वित्त एवं विकास निगमों तथा ट्रायफेड को सहायता

(7) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अन्न भंडार

(8) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

(9) शोध एवं प्रशिक्षण, फेलोशिप आदि

(10) अत्यन्त पिछड़े जनजाति समूहों का विकास

(11) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

(12) आई. ए. एस. आदि परीक्षाओं के लिए कोचिंग

(13) बुक बैंक

(14) मेरिट बढ़ाने हेतु छात्रवृत्ति

(15) विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति

श्रीमती कृष्णा दास, सामाजिक कार्यकर्ता, बस्तर ने अबुझमाड़ के लिए विशेष योजनाएं निर्मित करने का सुझाव दिया।

अध्यक्षीय भाषण में श्री प्रमोद कुमार शुक्ल ने पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा कि पर्यावरण का अर्थ हमारी धरती, हवा, पानी, रोशनी, जंगल, पशु – पक्षी यानि कि हमारे आसपास के वातावरण से है, जिसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं। इस सृष्टि में मनुष्य के साथ लगभग 2.5 लाख प्रजातियों के पेड़–पौधे एवं लाखों प्रकार के कीड़े, मकोड़े एवं जीव जन्तु हैं। इस प्रकार वन हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसमें न केवल पेड़–पौधे एवं जन्तु हैं बल्कि हम स्वयं भी वन अथवा वन के आसपास निवास करते हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि एक वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक जंगल नष्ट होते हैं तो लगभग 250 प्रकार के पेड़ – पौधे, पशु – पक्षियों एवं कीटाणुओं के नष्ट होने का संकट आ जाता है।

आदिवासियों का एवं वन का अटूट संबंध है। हमारी आदिवासी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा तथा अन्य कमजोर वर्गो का बड़ा हिस्सा वनों में अथवा वनों के आसपास निवास करता है। जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों एवं जीविकोपार्जन हेतु वनों पर निर्भर है। आदिवासी महिलाएं वनों से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अनेक प्रकार के लघुवन उपज के संग्रहण के साथ – साथ वानिकी कार्यों में श्रमिक के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा अनुमान है कि वनों से जुड़ी गतिविधियों से लगभग 5 करोड़ 75 लाख महिला दिवस रोजगार उपलब्ध होता है, जिसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा

लघुवन उपज उपयोग करने वाली छोटी औद्योगिक इकाईयों से जुड़ा है। यदि हम महिलाओं की वनों से जुड़ी गतिविधियों को देखें तो इनमें प्रमुख कार्य स्वयं के उपयोग तथा बिक्री हेतु जलाऊ लकड़ी का संग्रहण, पशुओं हेतु चारे का संग्रहण, अन्य लघु वन उपज संग्रहण जिनमें भोज्य पदार्थ, जड़ी–बूटियां, बीज, पत्तियों तथा मकान बनाने हेतु सामग्री आदि आते हैं। वनों से मिलने वाली दो प्रमुख लघु वन उपज, साल बीज तथा तेंदुपत्ता संग्रहण में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। ऐसा अनुमान है कि 3,50,000 टन के करीब तेंदुपत्ता संग्रहण में 6,00,000 महिलाओं एवं बच्चों की भागीदारी है।

परिस्थितियों में बदलाव एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण हमारी वन नीति में भी बदलाव की पहल शासन ने की है। 1988 की वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता संरक्षण के साथ सामाजिक न्याय भी था। 1988 की वन नीति में स्पष्ट रूप से आदिवासियों एवं अन्य गरीब तबकों की वनों पर निर्भरता को स्वीकारा गया है। नई नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र शासन ने वर्ष 1990 में एक आदेश जारी कर सभी राज्यों के बिगड़े वन प्रबंधन एवं सुधार में ग्राम समितियां तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने संबंधी निर्देश जारी किये थे। इन निर्देशों के तारतम्य में लगभग 20 राज्यों ने भी इस संबंध में अपनी नीति तय कर ली है। आदिवासीयों ने भी वनों पर अपनी निर्भरता एवं आवश्यकता को पहचानते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन के इन प्रयासों के पूर्व ही अपनी पहल पर वनों के पुनःस्थापना एवं सुधार का कार्य शुरु कर दिया। इस कार्य की पहल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों के आदिवासियों ने की थी। आज पूरे देश में हजारों की संख्या में वन समितियां कार्य कर रही हैं एवं उनके सहयोग से लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र का प्रबन्धन हो रहा है। इन समितियों ने अपने स्वयं के नियम बनाकर तथा जिम्मेदारियों का बंटवारा कर वनों की सुरक्षा का कार्य शुरू किया है। मध्य प्रदेश में लगभग 5,700 ग्राम वन समितियां एवं 5,000 वनसुरक्षा समितियां हैं। जिनके माध्यम से 59 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण एवं प्रबन्धन किया जा रहा है। इन समितियों ने न केवल वन विकास के कार्य किये हैं बल्कि वनों के समीपवर्ती गांवों में अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य जैसे– स्टापडेम, ट्यूबवेल, तालाब, कुओं, सड़क निर्माण, रपटे, पुलिया निर्माण, स्कूल भवन, आंगनवाड़ी भवन आदि के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समितियों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की समितियों में प्रत्येक परिवार से एक महिला भी समिति की सदस्य है। वनों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ–साथ वनों से जीविकोपार्जन को सतत् बनाए जाना परम आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता एवं व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। पहले शहर का बड़ा व्यापारी मूल आदिवासी संग्राहक की तुलना में बहुत अधिक कमाता था, परन्तु शासन के प्रोत्साहन से प्राथमिक सहकारी समितियों (लेम्पस) को सशक्त बनाया गया तथा भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और तिलहन महासंघ (आइल फेड) को सक्रिय किया गया जिससे आदिवासियों को दुगुनी दर प्राप्त हुई।

वन उपज को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है कि हम परम्परागत पद्धति के साथ–साथ नई एवं उन्नत तकनीकी को भी सीखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए लघु वन उपज को परम्परागत पद्धति यानि की धूप में सुखाने से उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है जिससे बाजार में उसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ने कम लागत का एक ड्रम ड्रायर बनाया है जिसकी कीमत मात्र 2500/– रुपये है और

इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह रोसा घास, लेमन घास आदि से तेल निकाला जा सकता है। यदि हम परम्परागत पद्धति के स्थान पर एक छोटा डिस्टिलेशन प्लांट लगाएं जिसकी कीमत लगभग 2,00,000 रुपया आती है तो अधिक उत्पादन के साथ अच्छी गुणवत्ता का तेल मिलेगा और उसका अधिक मूल्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार अलग–अलग क्षेत्रों के औषधीय पौधों में अलग–अलग मात्रा में रासायनिक पदार्थ होते हैं एवं उन पौधों से प्राप्त लघु वन उपज का मूल्य भी तदनुसार अलग–अलग होता है। अतः यदि हम औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता के बीज/पौध का उपयोग आवश्यक है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान, जबलपुर ने कई औषधीय पौधों जैसे :– सफेद मूसली, बच, अश्वगंधा, सर्पगंधा आदि पर कार्य किया है।

लघु वनोपज के संबंध में एक भ्रांति यह भी है कि हम इसको मात्र जंगल से प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई लघु वन उपज हम अपने घर की बाड़ी, खेत में कुंए के पास आदि स्थानों पर भी लगा सकते हैं और यदि चाहें तो बड़े पैमाने पर इनकी खेती कर इसे रोजगार के रुप में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए बच का पौधा जो कि दलदली भूमि पर उगता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्मरण शक्ति को बढ़ाने तथा त्वचा को निखारने में किया जाता है। इस पौधे को हम अपनी बाड़ी में भी लगा सकते हैं।

वनों के अंदर चराई एक ऐसी गतिविधि है जो वनों को प्रभावित करती है। हमारे वनों में चराई क्षमता से कहीं ज्यादा जानवर विचरण करते हैं। अत्यधिक एवं अनियंत्रित चराई से जमीन सख्त हो जाती है। नयी पौध जानवरों के पैरों के नीचे दबकर नष्ट हो जाती है। वनों का विकास नहीं हो पाता है। जानवरों के बाहर विचरण करने से मालिक को गोबर का लाभ भी नहीं मिल पाता है। पालीथीन बैग इत्यादि के खाने से हर वर्ष हजारों जानवर मौत का शिकार होते हैं। इस विषय पर गंभीर चिन्तन आवश्यक है। शासन इस दिशा में उन्नत किस्म के जानवरों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है ताकि अनुत्पादक जानवरों की संख्या में कमी हो। वनों में चराई का दबाव कम करने के लिये उन्नत नस्ल के जानवर पाले जायें और स्टॉल फीडिंग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जानवरों से प्राप्त गोबर का उपयोग बायो गैस संयंत्र में किया जा सकता है। इससे घरेलू उपयोग हेतु ऊर्जा प्राप्त होगी और खाद भी मिलेगी। इसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि उन्हें चूल्हा जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी एकत्र करने हेतु वनों में नहीं भटकना पड़ेगा और धुएं से आंखों को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा।

वन एवं पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की अहम भूमिका है। बच्चों की सोच एवं समझ पर मां का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि मां प्रारम्भ से ही बच्चों में पौधों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित संस्कार देगी तो निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी अपने दायित्वों के प्रति अधिक सजग होगी।

श्रीमती शोभना बिलैया, डिंडोरी (मंडला) ने बैगा आदिवासी महिलाओं की कृषि भूमि पर अधिकार से संबंधित समस्याएं रखी।

श्रीमती कृष्ण कांता तोमर, भिंड ने बताया कि आदिवासी महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार शुक्ल, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और आदिवासी महिलाओं के विकास में जल, जंगल, जमीन की महत्ती भूमिका को बताया।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : डा. एन.के. दत्ता, कृषि वैज्ञानिक

प्रस्तुतीकरण : डा. पी.के. मोहन्ती, संयुक्त निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय

डा. गौरंग शर्मा, असम प्रबन्ध संस्थान

डा. मोहन्ती ने कहा कि सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयासरत है। जनजातीय विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान सरकार ने दो संस्थाएं बनाई हैं पूर्वोत्तर मामले विभाग जिसके प्रभारी मंत्री, श्री अरूण शौरी हैं तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसमें श्री जूएल ओरम केबिनेट मंत्री हैं तथा श्री फग्गन सिंह कुलस्ते राज्य मंत्री हैं।

उन्होंने कहा कि जनजातीय उप योजना तथा वार्षिक योजना के तहत काफी पैसा खर्च किया गया है परन्तु संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ राज्यों में जनजातीय विकास के लिए रखी गई निधियां डी.आर.डी.ए. के कार्यों में खर्च कर दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय के कुल बजट आबंटन में से 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निश्चित की जाए।

उन्होंने खेद पूर्वक कहा कि भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत तथा छठी अनुसूची के तहत सृजित स्वशासी जिला परिषदों को करोड़ों रुपये की राशि प्रदान की है। परन्तु अभी तक कोई विशेष परिणाम नहीं निकले हैं। जन–जातियों के शैक्षणिक विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को काफी पैसा दिया गया है। उन्होंने गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से समर्पण की भावना के साथ कठिन परिश्रम करने का अनुरोध किया।

जन–जातियों द्वारा एकत्रित कृषि तथा वन उत्पादों के लिए उचित दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्राइफेड को सुदृढ़ किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जन–जाति वित्त तथा विकास निगम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से काम करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग करें परन्तु ऐसा अनुभव हुआ है कि केवल पैसे से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए इच्छा और उत्साह की आवश्यकता है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में अशांति है। उन्होंने गैर–सरकारी संगठनों से अनुरोध किया कि वे दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जन–जातियों के लिए शिक्षण तथा परामर्शी केन्द्र स्थापित करें। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में की गई पहलों की भी चर्चा की, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं :–

(क) राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे योजना बनाने और जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधियां प्रदान करने में महाराष्ट्र की पद्धति को अपनाए।

(ख) जन–जातियों के द्वारा आदान–प्रदान की एक नई स्कीम शुरू करना।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जन–जाति वित्त तथा विकास निगम का गठन।

असम प्रबन्ध संस्थान के डा. गोरंग शर्मा का विचार था कि जनजातीय लोग परम्पराओं, संस्कृति तथा रूढियों से समृद्ध हैं, जिसके कारण वे अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने से देख जा सकता है कि वे शिक्षा तथा आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जनजातीय महिलाओं में बुनाई तथा रेशम पालन में अन्तर्निहित व्यावसायिक कौशल है परन्तु वे अभी भी पुरानी तथा पारम्परिक विधियों का अनुसरण कर रही हैं। जनजातीय महिलाओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर उन्हें पुराने तथा पारम्परिक नजरियों से मुक्त किया जा सके।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के समुचित समावेश के अभाव में जनजातीय विकास की गति बहुत धीमी है। वे कृषि, निर्माण तथा दिहाड़ी पर किए जाने वाले अन्य कार्यों में लगी हैं परन्तु न्यायपालिका, विज्ञान अनुसंधान कार्यों में उनकी उपस्थिति नगण्य है। यह वास्तव में बहुत चिन्ता की बात है कि अपनी रोजी–रोटी कमाने के लिए जनजातीय महिलाएं अपने आपको अवैध शराब के धन्धे में लगा लेती हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि केवल खाना पकाने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से जनजातीय महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। बॉयो–गैस एक उपाय हो सकती है, जिसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

तृतीय सत्र

जल, जलाने की लकड़ी एवं उर्जा, भूमि एवं कृषि, रोजगार, लघु वनोपजका संग्रह एवं विपणन

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती सीमा पात्रा, सामाजिक कार्यकर्ता

वक्ता : श्री बी. निजलिंगप्पा, संयुक्त सचिव,
झारखंड शासन, राँची

डा. श्रीमती निभा बारा,
प्रो. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची

प्रो. आर. पी. रतन,
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची

श्री एस. निजलिंगप्पा ने बताया कि आज पानी, दूध से भी ज्यादा महंगा है। जहां बोतलबन्द पानी आज रु 12/– प्रति लीटर की दर से बिकता है वहीं गरीब औरत गाय का दूध रु 8/– प्रति बोतल/लीटर बेचती है। झारखण्ड के कुल 79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत का 29 प्रतिशत जंगल है। जनसंख्या पौने 3 करोड़ है जिसका करीब 70 प्रतिशत यानी 2.1 करोड़ जनसंख्या गाँवों में रहती है। यह आबादी 'बायोमास' – पेड़ – पौधों से प्राप्त जलावन को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है। एक रुपये प्रति मास के हिसाब से भी यह रु 2.1 करोड़ प्रतिदिन हो जाता है। खाना पकाने हेतु जलावन के वैकल्पिक स्त्रोतों पर अध्ययन आवश्यक है, नहीं तो यहाँ भी उत्तर भारत जैसा हाल हो जाएगा जहाँ लोग पुआल, प्लास्टिक आदि कुछ भी जलाकर खाना बनाने को मजबूर हैं।

आज पानी रोको अभियान की आवश्यकता है। पानी को छोटे से तालाब, चेक डैम, कनटूर बनडिंग के जरिए रोकना होगा। इससे पानी भी मिलेगा एवं भू – जल सतह भी ऊपर उठेगी। झारखण्ड की 15–20 नदियों में से आज मात्र दो नदियों पर पानी से बिजली बनाने हेतु एवं अन्य कार्यों के लिए पानी रोककर बांध बनाये गये हैं, बाकी नदियों का पानी बेकार बह जाता है। पानी से निर्मित बिजली सबसे सस्ती होती है। कुऑ निर्माण चापाकल से अधिक उपयोगी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का इस्तेमाल भी जरुरी है जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा। कोयला भी एक विकल्प है। भारत का 33 प्रतिशत कोयला झारखण्ड में पाया जाता है अतः ताप विधुत गृह की स्थापना की जानी चाहिए। गृह निर्माण में इस्तेमाल लायक गैर लकड़ी उत्पादों के विकास की भी आवश्यकता है। जैव विविधताओं का संरक्षण भी आवश्यक है। ट्रायफेड के द्वारा इनके विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ट्रायफेड के द्वारा मात्र 5–6 वनोपज की बिक्री ही संभव हो पाई है। साबाई घास, खुखरी आदि की बिक्री व्यवस्था करनी होगी। स्व सहायता समूहों के लिए कई

कार्यक्रम है जिसके तहत महिलाओं को बैंक से ऋण दिया जाता है। इसके अंतर्गत टसर विकास चाईबासा, लाख उत्पादन दुमका, तथा मशरुम उत्पादन राँची में काम किया गया है।

डा. श्रीमती निभा बारा, ने बताया कि समता मूलक समाज के निर्माण में कृषि का काफी योगदान होता है। आज गरीबी, बेरोजगारी का पर्यायवाची बन गई है। रोजगार के साधनों की तलाश सबको है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 'इंस्टीट्युशन विलेज लिंकेज' प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जिसमें संस्थाओं को सीधे गाँव से जोड़ा जा रहा है। अब तक टॉप डाउन प्रणाली का बोल बाला रहा है जिसमें लोगों की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था। महिलाओं के लायक कुछ योजनाएं इस प्रकार हो सकती हैं :–उन्नत मुर्गी पालन, उन्नत सुअर पालन, बकरी पालन, मछली–बत्तख का संयुक्त पालन, जैविक खाद यानी की वर्मी कम्पोस्ट, चटाई बुनना, मशरूम, लाख उत्पादन, दोना पत्तल, रस्सी तैयार करना, मधुमक्खी पालन, साग–सब्जी की खेती भी आदिवासी स्त्रियाँ बखूबी कर सकती हैं। उनमें जन चेतना और शिक्षा को बढ़ावा देना परमावश्यक है। आपका विस्तृत लेख परिशिष्ट 3 पर दिया गया है।

प्रोफेसर आर. पी. रतन ने बताया कि 1950–70 के दशकों में महिलाओं को कल्याण के पात्र के रूप में देखा जाता था। 1970 में समतुल्य या इक्यूटि का दौर आया। 1985 में एफिशियन्सी या क्षमता विकास का युग आया। फिर आर्थिक स्वावलंबन का, और आज सर्व सशक्तिकरण का युग है।

वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं का 60 प्रतिशत तक कृषि कार्यों में योगदान रहता है चाहे वह फसल के उपज में, बागवानी में, पशुपालन में या वानिकी में हो। झारखण्ड में महिलाओं का कृषि कार्यो में 75 प्रतिशत से अधिक योगदान है। फिर भी महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं दिया गया है।

कृषि विकास की रणनीति, कुछ क्लस्टरों को चुनकर बनाई जानी चाहिए। कृषि अनुसंधान में देशज/पारम्परिक लोक ज्ञान को स्थान देना चाहिए। उनको बताना भर नहीं है, उन्हें सिखाना भी है। अन्यथा यह पाया जाता है कि जब तक उन्हें खाद बीज दिये जाते है तब तक तो वह नयी कृषि तकनीक अपनाते हैं पर जैसे ही यह सब देना बंद हो जाता है, वह पुराने तरीकों को अपनाने लगते हैं।

सशक्तिकरण उचित प्रशिक्षण से संभव है। प्रशिक्षण, क्षमता एवं नेतृत्व विकास के लिए होना चाहिए। प्रशिक्षण आर्थिक समझ विकसित करने के लिए हो ताकि वे बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकें। स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए अन्यथा वे किसी भी दिन बिखर जाऐंगे। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में महिलाओं की सदियों से अहम् भूमिका रही है। आपका लेख परिशिष्ट 4 पर दिया गया है।

अध्यक्ष श्रीमती सीमा पात्रा ने सरकारी कार्यक्रमों को कारगर एवं वास्तविक बनाने पर जोर दिया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : डॉ. इन्दू ताई नाकाड़े, विधायक,
गढ़चिरोली, महराष्ट्र,

वक्ता : श्री सूर्यकांत माने, वन अधिकारी

डॉ. दफतरदार पुणे, कृषि प्राध्यापक

श्री सूर्यकांत माने वन अधिकारी, नाशिक ने जल, जंगल, जमीन एवं जलाने की लकड़ी और उर्जा संबंधी विषय पर अपने विचार रखे। जमीन ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है, जहां से खाद्यान्न तथा फल आदि प्राप्त होते हैं। उसके अधिक उपयोग से उसकी उपजाऊ शक्ति का ह्रास होता है। भू – भाग का 33 प्रतिशत क्षेत्र यदि वनों से आच्छादित रहे तो यह श्रेयस्कर अवस्था होगी। वनों का दोहन भी सीमित मात्रा में होना चाहिए। व्यापारियों और शराब की भट्‌टी के लिये लकड़ी एकत्रित की जाती है। जंगलों से लकड़ी ले जाकर बेचना आम बात है।

सन 1990 से पानी की समस्या के लिये जल संधारण संबंधी कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। श्री ना. धो. महानोर, आण्नासाहब हजारे, औरंगाबाद के विजय बोराड़े ने एक समिति बनाई, जो आज करीब 65 गांव में काम करती है।

पुराने जमाने में तालाब होते थे परन्तु अब नये तालाबों का निर्माण नहीं हो रहा है। आदिवासियों को बीज बोने की सही तथा आधुनिक जानकारी नहीं होती है। उन्हें भू संरक्षण के नये तंत्र सिखाना चाहिए।

श्रीमती पटवर्धन :– आदिवासी महिला अपना पेट पालने के लिये पुलिस से छुपकर लकड़ी बेचती है। आदिवासी आज के नये आयाम को मानते नहीं हैं उनको समझाना होगा एवं उन्हें जागरुक करने के लिये वृहत कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए।

डॉ. श्रीपद दफ्‌तरदार जनसेवा फॉउन्डेशन पुणे ने कृषि वनोपज का संग्रह एवं विपणन संबंधी विषय पर अपने विचार रखे। आदिवासी क्षेत्र में धान की उपज ज्यादा होती है। अतः इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। महिलाओं के समूह बनाकर उनमें आधुनिक चूल्हों का प्रचलन बढ़ाया जाना चाहिए। धान के छिलके जलावन के रुप में उपयोग किए जा सकते हैं। बीज बोने के नये तरीके सिखाने से उपज दुगुनी होती है। जंगल में इमली होती है, जो कि शहरों में अच्छें दामों में बिकती है। इसलिये इमली को साफ करके पैकेट में भरकर शहर में बेचने का काम प्रारंभ किया जा सकता है। इससे आदिवासियों की आय में वृद्वि होगी। हरी घास से खाद का निर्माण किया जा सकता है। पत्तल और दोने बनाने का कार्य भी आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभ किया जाना चाहिए।

महुआ के लिये आम आदमी के मन में तिरस्कार है, क्योंकि उससे शराब बनाई जाती है, लेकिन महुआ जरुरत के समय खाद्‌य वस्तु के रुप में उपयोग होता है। 2000 महुआ पेड़ों से 10 टन महुआ बीज मिलता है, जिससे 4000

लिटर तेल बनाया जा सकता है और अवशेष से खाद भी बनाई जा सकती है। आदिवासी क्षेत्र की उपज से ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के नये अवसर तलाशने होंगें जिससे उनका विकास सुनिश्चित हो सके।

श्रीमती इंदू ताई नाकाडे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पुराने तालाबों का जीर्णोधार एवं नये तालाबों का निर्माण तथा फीडर नहरों के विकास पर जोर दिया।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष	:	श्रीमती जयश्री बनर्जी
अतिथि	:	डॉ. सोनल अमीन, सदस्य, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश
वक्ता	:	डॉ. श्रीमती सविता इनामदार, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश
		डॉ. पी.एस. दुबे, अध्यक्ष, प्रदूषण निवारण मंडल, भोपाल

डॉ. इनामदार स्वयं प्रख्यात बाल चिकित्सा विषेशज्ञ हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि आदिवासियों के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मामले उनकी जी सकने की लालसा से जुड़े हैं। आदिवासी महिला को जागरूक कर बताना होगा कि समाज और परिवार के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। हमें एक ऐसा नेटवक्र बनाना है जिसमें आदिवासी महिला की देखभाल आंगनवाड़ी से लेकर पंचायत तक हो, स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों तक उसे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। नशापान रोकने और परिवार कल्याण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर लगाये जाए। साफ–सुथरे कपड़े और पौष्टिक भोजन, स्थानीय फल तथा सब्जियों का उपयोग बताया जाना चाहिए। वनों से प्राप्त मौसमी फलों का उपयोग भी स्वास्थ्यवर्धक होता है।

सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, डॉ. इनामदार को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉ. इनामदार के विचार मौलिक हैं। आदिवासी महिला से उनका लगाव चिरपरिचित है और वे भील जनजाति की महिलाओं में काफी जानी मानी हस्ती हैं। आदिवासी महिला पर उनके विचारों, सुझावों और परामर्श का काफी असर पड़ता है।

डॉ पी. एस. दुबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण निरोधक प्रयास आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में महत्व रखते हैं। लकड़ी के धुएं से प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव महिला पर ही पड़ता है, क्योंकि वह दो – तीन घंटे लगातार रसोई में काम करती है। आदिवासी घरों में रसोई के पास खिड़की या रोशनदान के महत्व को बताया जाना चाहिए। साधारण हिदायतों को घर–घर तक पहुंचाना चाहिए जैसे :–

1. सब्जी को काटने से पहले पानी से धोयें।
2. कीटनाशक दवा छिड़कने से पहले मुंह पर कपड़ा रख लें।
3. लहसुन का उपयोग करें – भीलों में हृदय रोग की बीमारी कम होती है।
4. अजवायन और अदरक का उपयोग करें।

5. केवल सूखी लकड़ी ही जलाएं, गीली लकड़ी का धुंआ आंख के लिए हानिकारक होता है।
6. भोजन को गर्म करके ही खाये।
7. पोलिथीन का उपयोग बंद कर दें।

यह कुछ ऐसी बातें है जिसका प्रचार – प्रसार आदिवासियों में अत्यंत आवश्यक है।

श्रीमती रजनी यादव, जनपद अध्यक्ष, पनागर ने महिलाओं की ईधन की समस्या, लकडी की अनुपलब्धता, मिट्टी के तेल की बढ़ती किमतें, हैंड पम्पों एवं कुंओं में गंदे पानी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

सांसद, श्रीमती बनर्जी ने डॉ. दुबे को स्मृति चिन्ह भेंटकर धन्यवाद ज्ञापित किया।

चतुर्थ सत्र

संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा ट्रायफेड की भूमिका

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्रायफेड,

वक्ता : डा. श्रीमती एस. मोहंती, प्राचार्य,
जमशेदपुर महिला कालेज।

श्री आर. वैद्य, मुख्य प्रबंधक, ट्रायफेड

डा. श्रीमती एस. मोहंती ने बताया कि संगठित क्षेत्र में मात्र 6 प्रतिशत लोग ही कार्यरत हैं और शेष 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्रमशः घट रही है। रोजगार के अवसर मात्र 1.74 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। 46 प्रतिशत आदिवासी कृषि में कामगार के रूप में काम करते हैं, वहीं 43 प्रतिशत कृषक हैं एवं बाकी 11 प्रतिशत घरों में काम करते हैं। कृषि मजदूर में उनकी भागीदारी क्यों बढ़ रही है ? क्यों उनके हाथ से जमीन जा रही है ? आदिवासी समाज में महिलाओं को हल चलाने का अधिकार नहीं है अन्यथा वह कृषि के हर कार्य को कर पाती। यहाँ फसल को बाजार में जाने से पहले ही किसी व्यापारी को बेच दिया जाता है।

सड़क के अभाव में विपणन की यथोचित व्यवस्था नहीं है। वे टमाटर इत्यादि की उपज को आवागमन के अभाव में अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते। सड़क के अभाव में इन्दिरा आवास योजना जरुरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पहाड़, नदी एवं दुगर्म स्थानों के उस पार सड़क के बिना, सीमेन्ट नहीं पहुँचाया जा सकता। आदिवासी महिला के विकास के चार स्तम्भ हैं –

- महिलाओं को व्यवहारिक शिक्षा देनी होगी। उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराना होगा।
- उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देनी होगी।
- महिलाओं की कृषि में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए।
- मजबूरन यहाँ के लोगों को काम की तलाश में पलायन करना होता है। यह एक विडंबना ही है, कि संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में लोगों को काम मुहैया नहीं होता। रोजगार के अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

श्री आर. वैद्य, प्रबंधक, ट्रायफेड ने बताया कि यहाँ के लोग चिरौंजी जैसी मूल्यवान चीज भी नमक आदि के बदले में विनिमय कर लेते है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रायफेड कार्य करती है। ताकि इन लोगों के हितों की रक्षा की

जा सके। यहाँ आदिवासी और महाजन के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता होता है। आदिवासी महाजन से कर्ज लेता है और वनोपज भी उसी को नगण्य दामों पर बेच देता है इस व्यवस्था को तोड़ने के लिये ट्रायफेड प्रयासरत है।

सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्रायफेड ने लोगों के कहने पर सभागार में उपस्थित लोगों से पूछा कि यहां उपस्थित कितने लोगों को ट्रायफेड के बारे में पूर्व से पता था ? जवाब में केवल 2–4 हाथ ही उपर उठे। ट्रायफेड के अस्तित्व मात्र से महाजनों को अपना दाम बढ़ाना पड़ता है जिससे आदिवासी को उसके सामान की अच्छी कीमत मिलती है। आदिवासी सहकारिता विकास समितियों (लैम्पस) के माध्यम से ट्रायफेड वनोपज क्रय करता है। वनोपज के विभिन्न उत्पादों में से कुछ को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है जैसे :– साल, डोरी, तेन्दू, पत्ता, बाँस इन्हें सरकारी निगमों के जरिये ही खरीदा – बेचा जा सकता है और अन्य को खुले बाजार में क्रय विक्रय किया जा सकता है। अभी भी कोल्ड स्टोरेज में कई टन इमली रखी हुई है क्योंकि दक्षिण में इमली की अधिक खपत होती है। वहाँ इसके दाम गिर गए हैं, फिर भी ट्रायफेड इस सीज़न में भी इमली क्रय करेगा। ट्रायफेड चिरौंजी 150/– प्रति किलो (बीज निकालने के बाद) खरीदती है पर यह दाम दूसरों से मिल पाना कठिन है।

खुली चर्चा

सुश्री पूरबी पाल ने कहा कि आज उदारीकरण के नाम पर महिलाओं की छटनी हो रही है। महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में तथा राजनीतिक पक्ष में भी कमजोर पड़ जाती हैं। असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं असमान मजदूरी पाती हैं। सरकारी दफतरों की साज–सज्जा में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का इस्तमाल क्यों नहीं होता है ? इससे उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को भी एक बड़ा 'बाजार' प्राप्त होगा। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य बैंक का डिफाल्टर है, तो उस परिवार की महिला को बैंक ऋण प्रदान नहीं करता है। यहां यह आवश्यक है कि आदिवासी महिलाओं के उत्थान के प्रयासों में आने वाली बाधाओं को शीघ्र हल किया जाए। आदिवासी सहकारिता विकास समितियों (लैम्पस) का गठन ऋण के रूप में खाद बीज देने के लिए किया गया था इसकी पुनः व्यवस्था की जाए।

श्रीमती राजमुनिया देवी, (आदिवासी खैरबार) जिला लातेहार, ने कहा कि, वे सस्ते दामों पर वनोपज और भूमि उपज बेचने को मजबूर हैं। प्रखंड स्तर पर उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। अधिकारी कल आओ, परसों आओ कह कर टाल देते हैं। वे महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

सुश्री पूर्वीपाल, सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्रमजीवी महिला उन्नयन समिति ने धन्यवाद दिया।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती गीता कुलकर्णी, अध्यक्ष
उद्योगिनी महिला नागरी सहकारी संस्था

वक्ता : डॉ. विनायक गोविलकर

श्री गणेश उपाध्ये, संयोजक, मिटकोन

डॉ. विनायक गोविलकर चार्टर्ड आकाउटेंट ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास विषय पर अपने वक्तव्य में कहा कि आदिवासियों को उत्पादन बढ़ाकर विक्रय योग्य माल तैयार करना चाहिए। कृषि में रोजगार, नये प्रयोग तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण आज आवश्यक हो गये हैं।

उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों की जानकारी नहीं होती है। अतः स्वयं सेवी संस्थाओं को उन तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिये निम्नलिखित 5 तरीके अपनाये जा सकते हैं:–

1. आय के स्त्रोत बढ़ाना
2. उत्पाद की गुणात्मक में वृद्वि
3. वनोपज से स्वरोजगार
4. स्व – सहायता समूहों का गठन
5. बचत करने की आदत

श्रीमती पटवर्धन ने सुझाया कि आदिवासी महिलाओं का शोषण रोकने के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों के अतिरिक्त स्व सहायता समूहों को भी अधिक से अधिक जागरुकता शिविर लगाने चाहिए। इस कार्य हेतु सरकार के अन्य विभाग इन समूहों को कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करें।

श्रीमती लीला पाडवी ने स्व सहायता समूहों की सफलता पर आदिवासी महिलाओं के उत्साह की प्रशंसा करते हुये बताया कि एक समूह ने 10,000/– रुपये तक की राशि जमा कर ली है।

श्री गणेश उपाध्ये, संयोजक, मिटकोन ने राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम और ट्रायफेड की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किये। आदिवासियों का आर्थिक शोषण दूर करने के लिये ट्रायफेड की स्थापना हुई, जो विपणन के क्षेत्र में उनकी मदद करती है। आदिवासी क्षेत्र का उत्पाद अत्यंत मूल्यवान है, परन्तु आदिवासियों की निरक्षरता एवं अज्ञानता का लाभ उठाकर अन्य लोग उनका आर्थिक शोषण करते हैं। ट्रायफेड द्वारा आदिवासियों का उत्पाद उचित मूल्य पर खरीदा जाता है। उन्हें विपणन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

आदिवासी लघु उद्योगों के विकास के क्षेत्र में ट्रायफेड एक नई क्रांति लाने जा रहा है, जिससे कि लगभग 80 उत्पादों का उचित मूल्य आदिवासियों को प्राप्त हो सकेगा।

ट्रायफेड का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं, परन्तु उसकी शाखाए कतिपय राज्यों में भी गठित की गई हैं। दिल्ली में ट्राइब्स् शॉप बनाई गई है, जो कि आदिवासियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विपणन करती है। ट्रायफेड के विभिन्न कार्य निम्नानुसार हैं :–

1. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना,
2. अधिक आय प्राप्त करने हेतु विपणन के नये मार्ग सुझाना,
3. विविध उत्पादनों की कीमतों के बाजार भाव से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना,
4. वनोपज का संकलन एवं संग्रहण के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना,
5. वनोपज की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

स्व सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्थाए भी ट्रायफेड के माध्यम से गॉव – गॉव में आदिवासियों की सहायता कर सकती हैं।

श्रीमती गीता कुलकर्णी, अध्यक्ष, उद्योगिनी महिला नागरी सहकारी संस्था ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्व सहायता समूहों एवं गैर सरकारी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे अभी तक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कार्यरत थी, परन्तु अब उन्हें वन क्षेत्रों मे जाकर जल, जंगल एवं जमीन से जुड़ी समस्याओं से परिचित होकर आदिवासियों के बीच काम करना चाहिए।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष	:	प्रोफेसर आर. पी. दुबे, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
अतिथि	:	डॉ. आई. के. खन्ना, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उज्जैन
वक्ता	:	डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह, निदेशक
		डॉ. पी. सी. बर्गले, वैज्ञानिक, केन्द्रीय कृषि संस्थान भोपाल
		श्री सिद्धार्थ मैती, प्रबन्धक, ट्रायफेड, मंडला, म.प्र.

डॉ. बर्गले ने महिलाओं के लिये उपयुक्त कृषि औजारों पर जानकारी दी। उन्होनें बीज, रोपा लगाने, फसल की कटाई, फलों व बीजों का छिलका निकालना, पीसना, भंडारण जैसे विषयों पर चर्चा की। धान बोने की नई मशीन, रोपा की मशीन, निंदाई–गुडाई की मशीन संबंधी सूचना भी उन्होंने दी। स्वशक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके संस्थान द्वारा महिलाओं को विभिन्न कृषि क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। मक्का के भुट्टे से दाने निकालना, पोहा तैयार करना और मूंगफली के दानों का उपचार आदि विषयों पर विस्तृत सूचना दी गई। कृषि में लगी महिलाओं, महिला कृषि श्रमिक, महिला और कृषि यंत्रों का उपयोग, दाल ओर चावल मिलों में कार्यरत महिलाओं की समस्या पर भी चर्चा हुई। फल और सब्जी, मसालों को तैयार करना, ग्रामीण ऊर्जा और स्वरोजगार के साधनों का विकास कैसे हो, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। संस्थान में कार्यरत महिला केन्द्र की गतिविधियों से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

श्री सिद्धार्थ मैती, ने ट्रायफेड की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उनकी संस्था आदिवासी महिलाओं का किस प्रकार विकास करती है, यह जानकारी भी उन्होंने प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे :–

प्रथम क्षेत्र में कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, वन विकास, मछली पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन संबंधित कार्य आते हैं।

द्वितीय क्षेत्र में भवन निर्माण, यातायात, बिजली, गैस आपूर्ति, संचार और इस तरह की दूसरी सेवाएं जैसे बैंकिग, बीमा इत्यादि आते हैं।

तृतीय क्षेत्र में उद्योग एवं कारखाने आते हैं।

द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आते हैं। जहां पर रोजगार कुछ निर्धारित समय एवं शर्तों से निर्धारित होता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार किसी नियम एवं कानूनों में बंधा नहीं होता। यह देखा गया है कि आदिवासी महिला श्रमिक

अधिकतर असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत है। आदिवासी महिलाएं जलाऊ लकड़ी, चारा सुदूर जंगलों से सिर पर लेकर आती है। इसके अतिरिक्त फसलों की बुवाई, सिंचाई, निंदाई–गुडाई, फसल की कटाई एवं पशुपालन इत्यादि में श्रम करती है। इतना अधिक परिश्रम करने के बाद भी महिलाओं को भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं है। फलस्वरुप वह सदैव पिछड़ी रहती हैं। इस प्रकार ट्राइफेड का मुख्य ध्यान अपने उद्देश्यों के अनुसार कृषि एवं वन उपज और संबंधित कार्यकलापों जिनमें कि 90 प्रतिशत से अधिक आदिवासी महिलाएं कार्यरत हैं, की तरफ केन्द्रित है। ट्राइफेड कृषि एवं लघु वन उपजों का उचित बाजार भाव उपलब्ध कराकर आदिवासियों को विपणन में सहायता कर रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य आदिवासियों को उनकी उपज का लाभदायक मूल्य दिलाना है, ताकि निजी व्यापारियों एवं अन्य बाजार की ताकतों द्वारा उनका शोषण न किया जा सके। ट्राइफेड कृषि उपज मंडियों एवं कुछ चयनित हाट बाजारों से चलता फिरता हाट बाजार खरीदी योजना के तहत आदिवासी उपज की खरीदी करता है। देखने में यह आया है कि आदिवासी किसान बहुत छोटी–छोटी मात्रा में सिर पर बोझा लेकर (यातायात की कमी के कारण) अपना माल मंडी या हाट–बाजार में बेचने के लिए आते हैं। उनमें अपना स्टाक जमा करने की क्षमता नहीं होती। ट्राइफेड के प्रयासों से आदिवासी किसानों में उल्लेखनीय जागरूकता आई है। यह अनुभव किया गया कि व्यापारी आदिवासियों के माल का उचित बाजार भाव नहीं देते हैं। तौल में गड़बड़ी करते हैं एवं भुगतान भी पूरा नहीं देते हैं। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड द्वारा आदिवासी जनता के बीच नारा दिया गया है – 'उचित बाजार भाव, उचित तौल एवं तुरन्त नकद भुगतान,'' जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ट्राइफेड से कृषकों को नकद भुगतान मिलने से कृषि ऋणों की वापसी भी पर्याप्त मात्रा में हुई है।

विपणन सहायता के अतिरिक्त ट्राइफेड द्वारा प्लान्टेशन एवं मूल्य गुणवर्धन भी किया जाता है। कुछ वर्ष पहले लगभग 200 आदिवासी परिवारों को सुगंधित घास की खेती करना सिखाया गया, ताकि उनके पूरे वर्ष आमदनी बनी रहे और वह झूमखेती करने हेतु जंगल न काटें। लगभग एक वर्ष पहले ट्राइफेड द्वारा डिण्डौरी जिले में एक कार्यशाला आयोजित कर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करना, कटाई करना, भंडारण करना, माल सुरक्षित रखना तथा उनका मूल्य गुणवर्धन कर विक्रय करना सिखाया गया ताकि आदिवासी भाई – बहन आत्मनिर्भर बन सकें। पिछले साल ट्राइफेड ने मंडला जिले के 8 – 9 गांवों में लाख बीज का मुफ्त वितरण किया और लाख खेती का प्रशिक्षण करने हेतु मंडला जिले में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लाख की अच्छी फसल पैदा हुई है।

कुछ मूल्य गुणवर्धन प्रक्रियाएं जैसे कि इमली को बीज रहित बनाना, काजू का प्रसंस्करण करना और विभिन्न वस्तुओं की उत्तम पैकिंग करना भी ट्राइफेड द्वारा सिखाया गया है, जिससे आदिवासी महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसके साथ ही ट्राइफेड द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प जैसे बांस शिल्प, घास शिल्प, कास्त शिल्प एवं लौह शिल्प इत्यादि को भी बढ़ावा दिया गया। इस हेतु ट्राइफेड ने नई दिल्ली में ट्राइबशॉप के नाम से एक शोरूम खोला है, जहां पर हस्तशिल्प के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले अनाज एवं दालें इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति एवं हस्तशिल्प को संरक्षित करने हेतु ट्राइफेड द्वारा समय–समय पर मेले एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इस प्रकार ट्राइफेड आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा को देश में बढ़ावा दे रहा है। देखने में आया है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों से अधिक है।

ट्राइफेड ने आई. आई. टी. खड़गपुर, आई. आर. आई. रांची और दूसरे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध स्थापित किया है, ताकि इन सुप्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा डिजाइन की गई ग्रामीण तकनीकी को आदिवासी क्षेत्रों में

पहुंचाया जा सके। इस संबंध में दोना – पत्तल, माहूल पत्ते एवं अन्य पत्तियों से बिना बिजली के इस्तेमाल के बनाने की तकनीक विकसित हुई है, जिसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है।

सुझाव

(1) लघु वन उपजों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाना चाहिए जैसे कि कृषि उपजों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है।

(2) लघु वन उपजों का क्रय–विक्रय खुली नीलामी द्वारा कृषि मंडियों में नियंत्रित किया जाए जैसे कि कृषि उपजों का किया जाता है।

(3) लघु वन उपजों पर विभिन्न टैक्स कम किए जाने चाहिए या खत्म किए जाने चाहिए ताकि सरकारी विभाग निजी व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता कर सके।

(4) सभी लघु वन उपजों की खरीदी का एकाधिकार पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। आदिवासी अपने माल को खुले बाजार में कहीं पर भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र हों।

(5) आदिवासी क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा का विकास करने हेतु ट्राइफेड को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का पैकेज देना चाहिए।

(6) भारत सरकार से ट्रक, ट्रैक्टर और वाहन खरीदने हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इनकी खरीदी की कीमत कम की जा सके और आदिवासियों को उनकी उपज का अधिक लाभ हो सके।

(7) ट्राइफेड को कृषि एवं वन जनित खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण की एजेन्सी के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार लघु वन उपज का विदेशी मार्केट में अच्छा मूल्य भी प्राप्त होगा और आदिवासी भी अपनी उपज का उचित मूल्य ले सकेंगे।

(8) सभी आदिवासी जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि अधिकारी एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में रुकावट न आए और वे लम्बे समय तक आदिवासी क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर सकें।

खुली चर्चा

आदिवासी जनपद सदस्य श्रीमती गीता गोंटिया ने शिकायत की कि आदिवासी महिलाएं आज भी ट्राइफेड के कार्यक्रमों के लाभ से वंचित हैं।

कुमारी रंजीता सिंह, जोधपुर, राजस्थान द्वारा राजस्थान में ट्राइफेड की गतिविधियां, प्रचार – प्रसार के साथ संचालित करने का अनुरोध किया।

श्रीमती शकुन्तला वर्मन द्वारा जबलपुर में भी ट्राइफेड द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया।

श्रीमती वीणा मेहता ने मशीनीकरण से बढ़ने वाली बेरोजगारी के प्रति अपना प्रश्न किया।

श्रीमती कृष्णा दास (छत्तीसगढ़) द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही महिलाओं को घास से संबंधित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जनजातीय क्षेत्रों में गरीब महिलाएं कृषि यंत्रों की आधुनिक सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं।

श्री ललित मिश्रा, जय गोविन्द महिला समिति मैथिलपारा (दुर्ग) छत्तीसगढ़ ने ध्यान आकर्षित किया कि आधुनिकता एवं वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण छत्तीसगढ़ में परंपरागत धान की खेती करने की विधि समाप्त होती जा रही है और नए–नए बीज बोये जाने लगे हैं।

श्रीमती माधवी जोशी, वनवासी कल्याण आश्रम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कृषि यंत्रों पर अनुदान/सब्सिडी, प्रशिक्षण के विषय में प्रश्न किया।

श्रीमती गीता तिवारी के अनुसार आदिवासी महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी बिलकुल नहीं है।

चर्चा में भाग लेते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, ने राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला तथा बाल विकास विभाग और महिला विकास से संबंधित जानकारी दी।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

प्रस्तुतीकरण : डा. अमिया शर्मा, अर्थशास्त्री तथा
श्री पी.के. पाधी, सी.एम.डी.,
एन.एस.टी.एफ.एण्ड डी.सी.

सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, ट्राइफेड

श्री बी.एस. बसुमतारी, उपाध्यक्ष, ट्राइफेड

डा. अमिया शर्मा, अर्थशास्त्री, पूर्वोत्तर विकास तथा वित्त निगम लि. (एन.ई.डी.एफ.सी) ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई भी नागरिक मूक नहीं रह सकता। क्षेत्र की सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा जिस प्रकार जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में कार्य किया गया है, वह दुखद है। यह राज्य सरकारों की आधे - अधूरे मन से की गई कार्रवाई का परिणाम है। जनजातियों का आर्थिक विकास न्यूनतम स्तर तक भी नहीं हो सका है।

जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के बारे में उनका विचार था कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास की कमी है और क्योंकि जनजातीय अर्थ- व्यवस्था के कृषि आधारित होने के कारण जनजातियों के लोग अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में या तो घरेलू श्रम अथवा दिहाड़ी पर ठेकेदारों के तहत लगे हैं। ठेकेदारों के अधीन काम करने वाली जनजातीय महिलाओं का जीवन बड़ा दयनीय है। सरकार को तुरन्त जनजातीय महिलाओं की समाजिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने सरकार की राज - सहायता तथा सहायता - अनुदान देने की विधि के हानिकारक प्रभावों के विरूद्ध चेताया। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की जटिल प्रक्रियाओं के कारण जनजातीय महिलाएं ऐसी संस्थाओं में नहीं जाती। अभी तक जनजातीय महिलाएं केवल शराब के अवैध आसवन के कार्य में सफल रही हैं किसी अन्य व्यवसाय में नहीं। वे गैर -सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी ग्रुपों (एस.एच.जी.) के माध्यम से एन.ई.डी.एफ.सी. की माइक्रो ऋण वित्त स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। रंगिया उप-प्रभाग के तहत गोरेश्वर के नवकाता के जनजातीय महिला संघ, जिसने शुरू में 7 लाख रुपये का ऋण लिया था, ने प्रशंसनीय कार्य किया है और यह संघ अच्छा कारोबार करने के बाद ऋण की रकम लौटाने में सफल रहा है।

श्री पी.के. पाधी, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम ने" जनजातीय वित्त तथा विकास निगम की भूमिका" पर बताया कि किस प्रकार कम ब्याज पर तथा मामूली उपांतिक राशि से एन.एस.टी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने

बताया कि अपनी अवस्थापना तथा मानव शक्ति न होने के कारण यह निगम राज्य जनजातीय विकास निगमों/समाज कल्याण विभागों के माध्यम से उनकी चैनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। ऐसे ऋण के प्रारूप को संबंधित चैनलाइजिंग एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना की लागत का 10% उपान्त राशि का निवेश करके आवेदक/उद्यमी 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। जनजातीय महिला सशक्तिकरण स्कीम के तहत कोई व्यक्ति अथवा स्वयं सेवी ग्रुप 2% से 4% वार्षिक ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकता है। यह ऋण 5 से 10 वर्ष के दौरान लौटाना होता है। इस स्कीम से उन लोगों को सहायता मिलेगी, जो स्व-रोजगार में रूचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजाति के लोगों की अधिक निकट से सहायता करने के उद्देश्य से एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के आंचलिक कार्यालय को इम्फाल से गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

सुश्री सुकेशी ओरम, अध्यक्ष, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) ने अपने सम्बोधन में गौण वन उत्पादों तथा अधिशेष कृषि उत्पाद के संग्रहण तथा विपणन के संबंध में ट्राइफेड के कार्यकलापों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। ट्राइफेड पहाड़ी झाड़ुओं, विभिन्न किस्मों के फूल खरीदता है और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देता है। यह बिचौलियों द्वारा जन-जातियों के शोषण पर निगरानी रखने और उसे न्यूनतम करने में सफल हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्प की वस्तुओं, बेंत तथा बांस की चीजों, रेशम तथा हथकरघा मदों के व्यापार की संभावना है। जनजातीय दस्तकारों को नए कौशलों तथा डिजाइनों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे उत्पादों को व्यापारिक दृष्टि से अर्थक्षम बनाया जा सके। कई कारणों से ट्राइफेड पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर सका है, जैसे कि उनके कार्मिकों को क्षेत्रीय उत्पादों तथा उनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी न होना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चा माल खरीदने और तैयार माल के विपणन के लिए बाजार की कमी।

श्री बी.एस. बसुमतारी, उपाध्यक्ष, ट्राइफेड और अध्यक्ष, मल्टीफेरियस ने सुझाव दिया कि जनजातीय उद्यमियों को स्वयं सेवी ग्रुप बनाने चाहिए और मल्टीफेरियस के सहयोग से एन.ई.डी.एफ.सी. के माध्यम से माइक्रो ऋण वित्त प्राप्त करना चाहिए तथा आर्थिक रूप से आत्म - निर्भरता प्राप्त करने और व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अपना काम शुरू करना चाहिए।

पंचम सत्र

आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती विभा पार्थसारथी, अध्यक्ष,
राष्ट्रीय महिला आयोग

वक्ता : डा. आर. पी. राय शर्मा, कुलपति,
बिरसा कृषि वि. वि., राँची

डा. एस. के. मित्रा,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूक्का

डा. श्रीमती करूणा झा, प्रोफेसर,
मेडिकल कालेज, राँची

सुश्री अनुपम श्रीवास्तव, केयर, झारखण्ड

डा. आर. पी. राय शर्मा ने कहा कि स्व शक्ति का विकास जरुरी है। इसे सीखना होगा एवं अंतरण करना होगा। कृषि के आयाम में भी परिवर्तन लाने होंगे। सामाजिक पहलुओं पर गैर–सरकारी संस्थाओं को काम करना होगा। ज्ञान और विज्ञान दोनों की आवश्यकता है। रणनीति ऐसी हो कि अनुसंधान के फल दूर दराज के गाँव तक पहुँचें। पुरुष की भी भूमिका में परिवर्तन हो। बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए स्त्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना होगा।

डा. श्रीमती करूणा झा ने कहा कि यहाँ की 75 प्रतिशत महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब है। यहाँ गर्भस्थ लिंग परिक्षण तो नहीं है पर महिला की उपेक्षा है। वह कुपोषण, रूढ़िवादी, मासिक–धर्म की समस्याओं से ग्रसित है। गरीबी, अशिक्षा, कम उम्र में शादी होना एवं यौन बीमारी यहाँ की समस्यायें है। यहाँ एड्स पैर जमा चुका है। महिलाएं असुरक्षित मातृत्व भोग रही हैं, जिससे माताओं की मृत्यु भी होती है पर ऐसी 80 प्रतिशत महिलाओं को बचाया जा सकता है। महिला मृत्यु के कारण निम्न हैं : –

1. 30 – 40 प्रतिशत माताओं की मौत रक्त स्राव से होती है।
2. टॉक्सिनिया से पैर फूलते हैं, पेशाब में खून आता है।
3. अनिमिया या खून की कमी।
4. दिल की बीमारी, मलेरिया, लीवर का खराब होना, जान्डिस (पीलिया) इत्यादि।

ऐसी बीमारियों की अवस्था में अगर गर्भ ठहरे, तो ये महिलायें मर भी सकती हैं। मलेरिया के चलते भी अधिक महिलाओं की मौत होती है। बार – बार बच्चे पैदा होना भी प्रमुख कारण है।

अधिक मॉरटेलिटी (मौतों) एवं मॉरबिडिटि (बीमारी) के निम्न कारण हैं –

– महिलाओं में स्वयं के प्रति प्रेम, जीने की चाह की कमी एवं जिन्दा रहने की ललक का अभाव।
– महिलाओं में स्वावलंबन की कमी – अपनी आय न होना।
– अच्छा पौष्टिक आहार प्राप्त न होना।
– महिलाओं के लिए उचित कानून न होना।
– महिलाओं का गर्भ ठहरने से पहले स्वस्थ न होना।

इस दुष्चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है। जहाँ हर माता की मौत समाज को अखरे, ऐसा समाज तैयार करने की आवश्यकता है।

श्रीमती पार्थसारथी ने डा. करुणा को धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाएं गरीबों में और गरीब होती हैं एवं भूमण्डलीयकरण के फेर में और भी पिछड़ती जाती हैं। महिला एवं पुरुष की मानसिकता में बहुत फक्र होता है। महिला परिवार केन्द्रित होती है, पर परिवार पिता एवं पुरुष केन्द्रित होता है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में 8,000 बच्चों के अभिभावकों के साथ शोध किया गया, और यह पाया कि औसतन एक लड़के के स्वास्थ्य पर प्रति माह रु 12.5 खर्च होते है, परंतु वहीं लड़की पर मात्र 50 पैसे प्रति माह खर्च होता है। यह औरत की उपेक्षा ही तो है।

डा. एस. के. मित्रा, ने कहा कि झारखण्ड में 211 ब्लॉक हैं, 193 स्वास्थ्य केन्द्र, 502 उपस्वास्थ्य केन्द्र है, डाक्टरों के 1,873 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 1,323 डॉक्टर पदस्थापित हैं, यानी करीब 500 की कमी है। 5,000 जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए वहीं पहाड़ी इलाकों में 3,000 जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। हर स्वास्थ्य केन्द्र को रु 25 लाख दवाई के लिए मिलता है। उनकी जानकारी में ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं, जहाँ पूरे सप्ताह में मात्र एक घण्टे के लिए डॉक्टर उपस्थित रहता है। स्वास्थ्य केन्द्र गांव से 20–25 कि. मी. की दूरी पर स्थित होते है।

सुश्री अनुपम श्रीवास्तव, ने बताया कि झारखण्ड में 64 प्रतिशत महिलाओं में अनिमिया पाया जाता है, जो कि कुपोषण के कारण है। जन – वितरण प्रणाली की स्थिति एवं लाल कार्ड की दयनीय स्थिति सब को पता है। महिलाओं को चाहे वे किसी भी परिवेश से हों पोषक खाना नसीब नहीं होता है। बच्चे को माँ का खीस नहीं पिलाया जाता, जो कि उसके लिए अमृत है, उसे मधु चटाकर या बकरी का या किसी और माँ का दूध पिलाकर रखा जाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय से संबंधित सुश्री सीमा शर्मा से प्राप्त लेख परिशिष्ट 5 पर दिया गया है।

खुली चर्चा

श्रीमती पार्थसारथी ने कहा कि महिला शिक्षा है, तो कब तक ? शादी के पश्चात पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। औरत की कमाई मर्द ले जाते हैं। उसे निर्णय के अधिकार नहीं हैं। जहाँ एलोपैथिक चिकित्सा नहीं है वहाँ जड़ी – बूटियों से इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए।

डॉ. करुणा झा ने कहा कि एलोपेथी पर निरंतर शोध अध्ययन होता है, इसलिए इसके ज्ञान का विस्तार तो होता है, परन्तु ये बहुत खर्चीले भी हैं। हमारा पारंपरिक ज्ञान कई मायनों में बहुत अच्छा है। पहले 40 दिन तक माँ और बच्चे को अलग रखा जाता था। जो उनके नाजुक स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। मालिश भी अच्छी चीज है।

अंत में श्रीमती पार्थ सारथी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती विधुलता गद्रे

वक्ता : श्रीमती लता विडकर

डॉ. यशवंत बरवे, शिक्षाविद

श्रीमती लता विडकर ने आदिवासी महिला की सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय पर कहा कि आरोग्य के विषय में स्वयं सेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार के लिये बार – बार पलायन की स्थिति में आदिवासी महिला का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाता है। गरीबी अंधविश्वास और गलत प्रचार से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में शादी, गर्भ धारण और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव उसकी दशा को दुर्बल बना देते हैं। शासन द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं।

संजीवन योजना के अंतर्गत मातृत्व अनुदान प्रदान किया जाता है। गर्भवती महिला को जांच के समय अस्पताल द्वारा 50 रुपये, सांतवें माह में 150 रुपये, आंठवे, नवमें एवं प्रसूति पश्चात 100 – 100 रुपये दिये जाते हैं। पिछले साल 800 रुपये तक दिये जाते थे, परन्तु अब 400 रुपये नगद एवं 400 रुपये दवा के माध्यम से दिये जाते हैं। विडंबना तो यह है कि पुरुष यह राशि शराब पीने के लिये खर्च कर देता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति दाई द्वारा घरों में ही कराई जाती है। आजकल उन्हें दाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कुपोषण की वजह से बच्चा कम वजन का होता है। जन्म के साथ ही बच्चे को स्तनपान कराने से कई प्रकार के रोगों को रोका जा सकता है। आदिवासी महिलाओं को ऐसी जानकारी देने से बाल मृत्यु की दर में कमी लाई जा सकती है। रोग प्रतिबंध टीके और खुराक से क्षय रोग, घट सर्प एवं डिफथीरिया रोगों में कमी आई है।

माताओं को बच्चों के कपड़ों, दूध के रखरखाव की जानकारी दी जानी आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारी ग्राम स्तर पर पहुंचाने में स्वयं सेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं।

डॉ. यशवंत बरवे, शिक्षाविद् ने आदिवासी महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुये कहा कि आदिवासी महिलाओं में साक्षरता की कमी है। आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाई के लिये कमरे भी उपलब्ध नहीं हैं। उनका मानना है कि, सामान्य स्कूल का पाठ्यक्रम आदिवासी क्षेत्र के लिये उपयुक्त नहीं है। उन्हें पाठ्यक्रम के साथ – साथ भौगोलिक वास्तविकता तथा कार्यानुभव की शिक्षा भी देनी चाहिए।

वन संपदा और जंगल संबंधी अध्ययन सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। आदिवासी बालिकाओं को पढ़ाने के लिये महिला शिक्षक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। एक ओर जहां आदिवासी स्त्री में आत्मविश्वास है, वहीं दूसरी ओर उसके विकास के लिये शासन में उदासीनता है।

महिला लोक प्रतिनिधियों को जागरुक बनाया जाना आवश्यक है। जिससे वे आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकें और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा सकें। आदिवासियों में प्रचलित औषधि उपचार

को बढ़ावा दिया जाये तथा आदिवासी क्षेत्र के शिक्षकों को एवं अन्य कर्मियों को आदिवासी भाषा का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है। आदिवासी महिला अनपढ़ हो सकती है, परन्तु वह व्यवहार से परिपूर्ण है और साहसी भी है। आदिवासियों में क्रीड़ा और कला के विशेष गुण हैं, जिनकों बढ़ावा देने वाली शिक्षण पद्धति का निर्माण करना होगा।

श्रीमती विधुलता गद्रे ने अध्यक्षीय भाषण में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार हेतु आदिवासी महिला शिक्षिकाओं की नियुक्तियों पर जोर दिया। चूकिं डाक्टरों एवं नर्सो का आदिवासी क्षेत्रों में अभाव हैं अतः ऐसी व्यवस्था बनाई जाये जिससे कि रोगियों को शहरी अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। आवश्यकता होने पर विशेष खर्चा भी शासन को वहन करना चाहिए।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष	:	डॉ. आई. के. खन्ना, प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, उज्जैन
अतिथि	:	श्रीमती वीणा मेहता, शिक्षाविद्
वक्ता	:	प्रोफेसर डॉ. ए. डी. एन. वाजपेयी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रोफेसर वाजपेयी के मतानुसार आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में आदिवासी महिला का विकास तभी संभव है, जब उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये प्रयास किये जाएं। महिलाओं के वर्गीकरण के अनुसार उनकी समस्याओं को चिन्हित करना होगा, जैसे :– शहरी – ग्रामीण महिलाएं, शिक्षित – अशिक्षित महिलाएं, स्वरोजगार–नौकरीपेशा महिलाएं, गृहणी महिलाएं आदि। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उपजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं, रीति–रिवाजों, रूढ़ियों के अनुसार विकास, शिक्षा व चिकित्सा की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वर्तमान संसाधनों के अनुरूप प्रशासन तंत्र को ढालना होगा। आदिवासी महिलाओं को श्रम रोजगार से स्वरोजगार की ओर मोड़ना पड़ेगा। आदिवासी महिला की क्षमता और उद्यमता के विकास के लिए उसकी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। स्वास्थ्य और केवल आर्थिक विकास की मानसिकता से हटकर क्षेत्र विशेष और उपजाति विशेष को ध्यान में रखकर उसके उत्थान के लिये समग्र योजना बनाई जानी चाहिए।

श्रीमती संध्या मिश्रा छतरपुर ने श्री वाजपेयी से जानना चाहा कि आदिवासी महिला उद्यमी कैसे बने ?

प्रोफेसर वाजपेयी ने कहा कि पहले तो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। फिर उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पहचान कर रोजगार के अवसर ढूंढ़ने होंगे। इसके लिए एक महिला या एक परिवार को चिन्हित करने के बजाय समूचे गांव या कुछ घरों के समूह को विकसित करना होगा। आर्थिक विकास समग्रता से होता है न कि एक विशेष विधान से। अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों के विकास से संबंधित प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि इन समूहों में सर्वप्रथम जागृति और वातावरण तैयार करना चाहिए और उसके बाद विकास के प्रयास करना चाहिए।

श्रीमती भुवनेश्वरी बिसेन, सदस्य, जिला पंचायत, बालाघाट ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। भाई–भतीजावाद के कारण जरूरतमंद महिलाओं को उचित लाभ नहीं मिलता है। इस व्यवस्था में सभी अधिकरी एक जैसे हैं।

श्रीमती मालती रैकवार, सरस्वती शिशु मंदिर, पन्ना ने जानना चाहा कि आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है। उन्हें शिक्षा हेतु कैसे प्रोत्साहित किया जाए ?

श्रीमती सुषमा तिवारी, पन्ना ने कहा कि जब तक आर्थिक पिछड़ापन दूर नहीं होगा तब तक दूसरा कोई विकास संभव नहीं है।

श्रीमती संध्या, नरसिंहपुर ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि सरकारी योजनाएं विकास खंड से ग्राम स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यालय खोलकर महिलाओं में जागृति उत्पन्न करे। यह कार्यशाला तभी फलित समझी जाएगी जब उसके प्रतिफल समाज की आदिवासी महिलाओं को उपलब्ध हो सकें।

समारोह की अतिथि श्रीमती वीणा मेहता, शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि जिन ग्रामों और जनजातियों में साक्षरता कम है, उनके लिये विशेष प्रयासों और योजनाओं की आवश्यकता है।

श्री डी. सी. चौरसिया ने धन्यवाद देते हुए कहा कि शिक्षा की आवश्यकता का मंत्र गांव–गांव तक फूंका जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार को इस कड़ी में जोड़े जाने का अपना महत्व होगा। महिला शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिये शिक्षित महिला वर्ग को आगे आना होगा।

मनाली कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके,
सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।

वक्ता : श्री टी. जी. नेगी,
सचिव, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

श्री कश्मीर चन्द, निदेशक,
समाज, महिला एवं अनुसूचित जाति
कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती वीना राजू, सदस्य,
राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती जावित्री देवी, सदस्य,
राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश।

श्री टी. जी. नेगी, ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास संबंधी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता से पूर्व जनजातीय क्षेत्र में जड़ी–बूटियों, जादू–टोना, घरेलू नुस्खों, हकीमों की सेवायें सम्मिलित थी। लेकिन जनजातीय विकास की गति से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्णतया परिवर्तन किया गया है। इन क्षेत्रों में वर्ष 1999 में एलोपैथिक संस्थानों की संख्या–155 तथा आयुर्वेदिक संस्थानों की संख्या–89 थीं जिसके माध्यम से जनजातीय महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तपेदिक, कुष्ठ रोग तथा अन्य छूत की बीमारियों के निदान हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मातृशक्ति योजना, अपंगता, विधवा पेंशन, स्वरोजगार, ठाकुरसैन छात्रवृति, अम्बेडकर छात्रवृति योजना आदि के विषयों पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंनें कहा कि पहले महिला मण्डलों को एन. जी. ओ. नहीं माना जाता था क्योंकि उनके बैंक खाते सही नहीं होते थे। परन्तु अब एन. जी. ओ. मानना शुरू किया है। यूनिट उत्पाद लोन लेकर वे कोई न कोई कार्य शुरू कर सकती हैं। वे चाहे तो स्व सहायता समूह बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए छोटे – छोटे धन्धे अपना सकती हैं, जैसे – भेड़ बकरी पालन, दुधारू पशु पालन, फूल उत्पादन, जड़ी–बूटी से दवाई बनाना, कताई – बुनाई, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जुराबें, शाल, पट्टू इत्यादि बनाना। गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं भी स्व सहायता समूह बना सकती हैं।

श्री कश्मीर चन्द, निदेशक समाज एवं कल्याण विभाग, हि. प्र. ने विभाग की पूर्ण जानकारी दी और बताया कि इन कार्यक्रमों को चलाने का दायित्व पंचायतों को सौंपा है वे भली–भांति इसका अवलोकन करें तथा समय–समय पर गांव के लोगों को योजनाओं के विषय में अवगत कराते रहें।

खुली चर्चा

इसके पश्चात प्रतिनिधियों के विचारों को आमंत्रित किया गया, कुछ महिलाओं द्वारा उठाये गये विषय निम्न प्रकार हैं :–

प्रतिनिधि :– महिला मण्डल प्रधान, लाहौल ने उनके क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की ओर उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते।

वक्ता :– श्रीमती जावित्री देवी, सदस्य, राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध न होना तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी इन क्षेत्रों में जाना उचित नहीं समझते। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

प्रतिनिधि :– सुश्री अनीता, गांव, पनसेई भरमौर ने बताया कि क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं की सेवायें ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हो रही हैं। जिसके कारण इन सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाता।

उपस्थित महिलाओं ने चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझाव दिये :–

1. गांव– गांव में अस्पताल, और कॉलेज होने चाहिए।
2. हर गांव या महिला मण्डल स्तर पर दाई प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए और पंचायत स्तर पर एक प्रशिक्षित दाई होनी चाहिए ताकि गांव की एक मैट्रिक या जमा दो लड़की को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
3. जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक अस्पताल में एक सर्जन होना चाहिए।
4. स्कूलों में गृह विज्ञान का विषय छात्र व छात्रा दोनों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्षीय सम्बोधन

सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि महिलाओं में जानकारी का अभाव है, जिसके कारण समस्याएं जन्म लेती हैं। उन्होंने आयोग के ढांचे के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें पांच सदस्य एवं एक अध्यक्ष होती है जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। महिलाओं की समस्याओं को सुनने व उनके समाधान के लिए आयोग का गठन किया गया है। हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं जिससे महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, उन्हें कैसे दूर करें, उन्हें कैसे आगे बढ़ाएं इसी उद्देश्य को लेकर आयोग सेमिनार, सम्मेलन के द्वारा विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा करता है, जो समस्या सामने आती है, उसके समाधान के लिये संबंधित सरकार को अनुशंसा की जाती है। उन्होंने बताया कि आज तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर एवं गुवाहाटी में की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयास से 18 राज्यों में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। आयोग का प्रयास महिलाओं को सशक्त व जागरूक करना है और उन्हें कानूनी जागरूकता देना है। क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा 125 के अर्न्तगत पत्नी को गुजारा भत्ता 500/–

मिलता था। आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार ने बढ़ा कर पति की आय का 1/3 भाग कर दिया है। आयोग की ओर से लगभग 31 कानूनों में संशोधन की बात कही गई है। कई तरह के अत्याचार होते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम कानून बनने जा रहा है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कही, कि उन्हें अधिक काम करना पड़ता है और कम पैसा दिया जाता है, आयोग की सिफारिशों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट सत्र में उनका मानदेय दुगना कर दिया है जो कि 1 अप्रैल 2002 से लागू हो गया है। जनजाति महिलाएं अधिक सशक्त एवं कर्मठ हैं, आगे क्या चाहती हैं सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से क्या समस्याएं हैं व उनके क्या समाधान हैं आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा। आयोग आदिवासी, दलित, मुस्लिम, गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विषयों पर गंभीरता से विचार करता है। कार्यस्थल पर अगर कोई महिलाओं को तंग करता है तो उसके लिए प्रत्येक विभाग में जांच एवं निवारण कमेटी के गठन का प्रावधान है। आयोग जेलों का दौरा भी करता है। जिनके पास वकील नहीं होता उनके लिये उन्हें कानूनी सलाह देने का प्रबन्ध भी आयोग की ओर से किया जाता है। अंत में उन्होंने कहा कि मानसिकता में परिवर्तन आयेगा तो समस्त समस्याओं का समाधान होगा।

षष्टम सत्र

आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय, उनके विरूद्व अपराध एवं उनकी सुरक्षा तथा परंपरागत रुढ़ियों पर आधारित विधि व्यवस्था

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : डॉ. रोज केरकेट्टा, सेवा निवृत, प्राध्यापक, राँची

वक्ता : प्रो. श्रीमती एम. घोष, राँची विश्वविद्यालय

डॉ. प्रकाश ओराम, निदेशक,
आदिवासी शोध संस्थान, राँची

श्रीमती एम. घोष ने प्रतिनिधियों को महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित जानकारी दी जैसे :– पेरिस में ललिता उरांव नामक आया के साथ किया गया दुर्व्यवहार, एलिजाबेथ, उर्मिला समेत तीन बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद एलिजाबेथ द्वारा आत्महत्या। बलात्कार पुरुष करते है परन्तु स्त्री को बदचलन करार दिया जाता है। अलविना टुडु जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बलात्कार किया, उसे भी बदचलन माना गया और न्याय न मिला। एक बी. डी. ओ. ने आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया फलस्वरुप वह माँ बन गई पर फिर भी न्याय से वंचित रही। डी. एन. ए. परीक्षणोपरांत बी. डी. ओ. को ही बच्चे का बाप पाया गया पर तब तक समाज के तानों से तंग आकर उसने प्राण त्याग दिए थे। हजारीबाग कलेक्टर ने हड़िया खरीद बेच पर रोक लगाई। भुटवा बरकाखाना में दारु चुलाई रोकने के लिए महिलाओं को जेल में ठूंसा गया। 6 महीने के बच्चे को माँ से अलग कर दिया और गोलिया चली। राँची में PUCL की इकाई ने जेल के कैदियों के अध्ययन से पाया कि जंगल से लकड़ी काटने के जुर्म में एक महिला 7 साल की सजा काट रही है। विस्थापन की पीड़ा भी महिलाएं भोग रही हैं। वे नाम बदल कर पलायन करती हैं। इसके पीछे यह धारणा हैं कि मैं ही मैं न रहूँगी तो लोग हमारे घर गाँव को कैसे बदनाम करेंगे?

डॉ. प्रकाश ओराम ने कहा कि आज परंपरा और आधुनिक समाज के बीच आदिवासी समाज फँसा हुआ है। विभिन्न जनजातियों की संस्कृति के अनुसार विकास योजनाएँ नहीं बन रही हैं। नीतियाँ समूचे भारतवर्ष को ध्यान में रख कर बनती हैं, परंतु आवश्कता है इन्हें जनजाति विशेष के संदर्भ में परिमार्जित किये जाने की। चाईबासा की मानकी – मुण्डा परम्परा को कानून की दृष्टि में कोई स्थान नहीं है शासन यदि चाहे तो आदिवासी परंपरागत विधियों पर कानून बना सकता है।

खुली चर्चा

प्रश्नः झारखण्ड में शराब बंदी पर कानून क्यों नहीं बनाया जाता ? अब तो महिला कालेज के सामने भी शराब की बिक्री होती है।

सुश्री उईके ने बताया कि मध्यप्रदेश में आबकारी नियम के तहत् कलेक्टर को शराब बंद कराने का अधिकार है। धार्मिक स्थान, स्कूल के पास शराब की दुकानें नहीं लगाई जा सकती हैं। अगर किसी जगह की 50 प्रतिशत महिलाएं शराबबंदी के लिए लिखित अर्जी देती हैं, तो जिला कलेक्टर दुकान बंद भी करा सकता है। यहाँ भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। महिला आयोग शराबबंदी का समर्थन करता है। शराबबंदी के लिए महिलाओं को मोर्चाबंदी करना होगा।

श्रीमती मोहंती ने बताया कि शायद और कोई ऐसा धंधा नहीं है, जहाँ इतने कम निवेश पर इतना ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। इस पर हड़िया बेचनेवाली महिलाओं के लिए वैकल्पिक आय उपार्जन के साधन सृजित करने होगें।

एकता मंच की प्रतिनिधि ने बताया कि मात्र 33 प्रतिशत महिला आरक्षण से सशक्तिकारण नहीं होता है। ग्रामसभा में महिलाएं अपनी दिक्कतें नहीं बता सकती। हमें उन्हें भी प्रशिक्षित करना होगा। विवाह विच्छेद के बाद महिला न ससुराल की रहती है और न ही मायके की। शिक्षा ही सशक्तिकरण का पहला आधार है। स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में बाधाएं हैं।

डॉ. रमेश सरन, प्राध्यापक, राँची विश्वविद्यालय ने सुझाव दिया कि आदिवासी महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक आवासीय विद्यालय खोले जाए। कक्षा दस तक व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। गांवों में फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड के अध्यक्ष श्री खान ने भी महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा प्रसार को प्रमुख स्थान दिया जाना आवश्यक है।

श्रीमती रोज केरकट्टा ने बताया कि जनजातियों में आरक्षण के चलते एक संकुचन आया है। स्टाईपेन्ड मानसिकता बन गई है। छात्रवृत्ति मिलेगी, तो पढ़ेंगे अन्यथा नहीं। मद्यपान बढ़ गया है जिस पर निषेध आवश्यक है। इस बारे में आदिवासी समाज स्वयं निर्णय ले।

'जनी शिकार' में आदिवासी महिलाओं को साहसिक स्थान प्राप्त था। परन्तु अब इसमें कमी आ गई है। जमीन के कारण एक महिला को डायन कहा जाता है। एक मामले में बेटे की चाह के कारण पुरुष ने तीसरी शादी की। बेटे को रख कर पत्नी को त्याग दिया। फलस्वरुप औरत बनी सरदारिन (मजदूर)। बाद में इसी औरत को डायन करार दिया गया। डायन या दहेज की रोकथाम सिर्फ कानून से नहीं होगी। प्रताड़ित महिला के पुनर्वास हेतु योजना बनाना आवश्यक हो गया है। आदिवासी बोली को यथोचित स्थान देना होगा। इस पर उन्होंने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया :–

'बस में चढ़ी, एक मुंडारी बालिका 2 जन का किराया देकर बोली 'पीछे होगा है'। कंडक्टर कुछ और ही समझा। अगर वह 3 शब्द हिन्दी के बोल सकती है तो क्या आप उसका एक मुंडारी शब्द नहीं समझेंगे। (मुंडारी भाषा 'होगा' मतलब भाई है और हिन्दी में मल – मूत्र)

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनिता जोगलेकर, अधिवक्ता

वक्ता : सुश्री स्वपना सातपुरकर, अधिवक्ता

श्रीमती सुनंदा पटवर्धन, थाणे

सुश्री स्वपना सातपुरकर, अधिवक्ता ने आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय एवं महिलाओं पर अपराध विषय पर जानकारी दी। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार पर प्रतिबंध अधिनियम 1989 और भारतीय दंड संहिता के महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत रुप से प्रकाश डाला। इसी के साथ उन्होंने निम्न विषयों पर महिलाओं को जानकारी उपलब्ध कराई :–

1. दहेज निरोधक अधिनियम
2. भारतीय दंड संहिता के भ्रूण हत्या प्रतिरोधक संबंधी प्रावधान
3. हिन्दू विवाह अधिनियम
4. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की घारा 125 के प्रावधान
5. भारतीय तलाक अधिनियम
6. समान वेतन अधिनियम
7. विवाहित महिलाओं के संपत्ति अधिनियम

उपरोक्त वर्णित विषयों पर विशेष कानूनी जागरुकता शिविर वृहत मात्रा में आयोजित किये जाने की आवश्यकता है। जिससे कि गांव – गांव में आदिवासी महिलाओं में चेतना लाई जा सके।

श्रीमती सुनंदा पटवर्धन, प्रगति प्रतिष्ठान, थाणे ने आदिवासी पंरपरागत रुढियों और विधि व्यवस्था विषय पर अपने विचार रखे। आदिवासी लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाने से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन परिवारों में अधिक बच्चे हैं, उन परिवारों को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से भी यह काम हो सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रसूति महिलाएं ही कराती हैं, जिसका वे कोई पैसा नहीं लेती। वे इसे भगवान का काम मानकर करती हैं। एक गांव में ऐसी 2–4 महिलाएं ही होती हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं मानदेय दिया जाना चाहिए। ऐसी दाई को 10 घर दिये जाए जहां जाकर वह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सके। गांव में डाक्टरी का काम करने वाले भगत और औझा भी होते हैं। जड़ी बूटी की दवा पर आदिवासियों को विशेष विश्वास रहता है। अतः इन वैद्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

गांव में पंच व्यवस्था अति प्राचीन है। परन्तु अब ग्राम वासी कोर्ट – कचेरी जाने लगे हैं जहां न्याय देर से मिलता है। पंचायतों में न्याय जल्दी मिलता था, परन्तु अब पंचायतों पर आदिवासियों का विश्वास कम होता जा रहा है। पंचायत

व्यवस्था को कानूनी वैद्यता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति का लाभ पुलिस वाले उठाते हैं। अतः पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं न्याय व्यवस्था को सुसंगठित करना अत्यंत आवश्यक है।

शासकीय योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों और स्व सहायता समूहों की स्थापना की जाए। शासकीय मशीनरी गांव – गांव तक पहुंच सके इसमें संदेह है। प्रत्येक गांव में 4–5 महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जानी चाहिए। हर 6 माह में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे गांव की अन्य महिलाओं से जुड़ सकें और उनके विकास में परिवर्तन लाने की भूमिका निभा सकें। आदिवासी महिलाओं का विकास आदिवासी महिलाओं के माध्यम से हो इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से होनी चाहिए।

सुश्री अनिता जोगलेकर, अधिवक्ता ने अध्यक्षीय भाषण में महिलाओं को कानूनी रुप से जागरुक कराये जाने के लिए और पंच व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती रोशन रजा (पूर्व प्राचार्य/शिक्षा शास्त्री)

अतिथि : श्रीमती सविता इनामदार, अध्यक्ष
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग।

वक्ता : डॉ. दिव्या चंसौरिया, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

डॉ. दिव्या चंसौरिया, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृति किसी भी देश की क्यों न हो, वह गतिशील होती है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के विषय में यह तथ्य शत प्रतिशत सत्य है। कुछ संस्कृतियाँ अपना स्वरूप खो देती हैं, परन्तु कुछ वैसे ही रहती हैं। भारत की आदिवासी संस्कृति उन सबमें एक है, जो आज भी, अपनी सामाजिक, जातीय एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखे है, पर अब ऐसा युग आ चुका है जिससे यह धरोहर भी अछूती नहीं रह पा रही है। नवीन, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों को यह अपनाना चाहती है। साथ ही अपनी मूल परंपराओं को अनवरत जीवित रखना चाहती है। जब हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हैं, तो हम उनके मानव अधिकारों का हनन होते देखते हैं। राजनीतिक अधिकारों के हनन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदिवासी समाज में महिलाओं के अधिकार की स्थिति तो और भी दयनीय है। वास्तव में आदिवासी समाज में आर्थिक एवं सामाजकि स्थिति में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है, उनके पारिवारिक मामलों में, आर्थिक व्यवस्था में, महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है। बहुत सी जनजातियों में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के लिए स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों ने जनजातीय समस्याओं को जन्म दिया है। हमारे देश में आदिवासियों को कई स्थानों पर संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति महिला उत्थान स्वमेव निहित है, के महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद 15(4), 46, 243(डी), 243(टी) 330, 332, 339, 342, 366 (24), (25) है। छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बेहतरी के लिए विशेष व्यवस्था है। इस वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए जहां संविधान के अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान है, वहीं अनुच्छेद (46) के अंतर्गत इस वर्ग के लोगों के शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए एवं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने, उन्हें शोषण से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 (डी) में पंचायतों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 (डी) (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए संख्या के अनुपात के आधार पर लोगों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (डी) 2 के अंतर्गत ये स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 (डी) (3) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अध्यक्ष का स्थान आरक्षित करना तय किया गया है। ठीक पंचायतों की तरह, नगरपालिकाओं में भी अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान निश्चित करना तय किया गया। संविधान के 243(टी) के खंड (1),(2),(3) एंव (4) में इस हेतु प्रावधान किया गया है। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1), (2) एवं

(3) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए हैं।

केन्द्र एवं राज्यों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। संविधान के अनच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति व जाति के लोगों की बेहतरी के लिए ''अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग'' की स्थापना सुनिश्चित की गई है।

संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित प्रावधान निम्न प्रकार है :–

1. अनुच्छेद 339 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि, वह अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संदर्भ में आयोग की स्थापना कर सकता है।

2. अनुच्छेद 339(2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार उस राज्य के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों हेतु राज्य को दिशा–निर्देश दे सकती है।

3. अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से चर्चा कर राज्य की किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है।

4. अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी अनुसूचित जनजाति का नाम बढ़ा व घटा सकता है। इस तरह से संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत के कुछ राज्यों में स्वशासी (आटोनोम्स) जिले बनाने का प्रावधान किया गया है। यहां पर आटोनाम्स का तात्पर्य सेल्फ गर्वमेंट से है। अनुच्छेद 366(24) व (25) अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित करते हैं।

संविधान के तिहत्तरवें (73वें) संशोधन के अनुसार 1993 में पंचायतीराज चुनाव करवाने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश बना। इसके अंतर्गत लगभग पांच लाख प्रतिनिधियों की पहली बार सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए पंचायतीराज सरकार में पद आरक्षित हुए। पंचायतों, जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के अलावा सहकारी संस्थाओं में भी महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के कुल चार लाख त्रेसठ हजार नौ सौ सत्रह (4,63,917) स्थानों में से एक लाख त्रेपन हजार छियत्तर (1,53,076) स्थानों जिला, जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के इक्तीस हजार चार सौ छियासी (31,486) स्थानों में से दस हजार चार सौ बावन (10,452) स्थानों पर महिलाएं पदारूढ़ हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई महिलाएं अनुसूचित जनजाति की हैं। सरकारी, अर्द्धसरकारी, पंचायत, स्थानीय एवं सहकारी संस्थाओं की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अधिक आयु सीमा में छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आयु सीमा 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश पंचायतराज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा (6) 23(4) 30(5) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। जो कि महिलाओ के लिए आरक्षित सीटों

का एक तिहाई भाग है। इसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं को पंचायतराज व्यवस्था में सुनहरा अवसर प्राप्प हुआ, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं तथा जनजातीय महिलाओं का नया नेतृत्व सामने आ रहा है। ये भी इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के प्रति बढ़ती जागरूकता का परिणाम है।

डॉ. चंसौरिया ने कानून विषय की शोध छात्राओं से आग्रह किया कि, वे महिलाओं से संबंधित कानूनों का अध्ययन करें। आदिवासी परंपरागत विधि विधाओं को समझ बूझकर वर्तमान कानूनों में संशोधन सुझायें।

प्रश्नोत्तर के दौरान श्री के. के. पांडे (अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी एवं सचिव परिवार परामर्श केन्द्र, मध्य प्रदेश) ने महिला संबंधी कानूनों के दुरूपयोग का मामला उठाया। योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु जनजागरण शिविरों का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

श्रीमती कृष्णादास द्वारा अबुझमाढ़ (बस्तर–छत्तीसगढ) एवं अन्य आदिवासी क्षेत्रों में शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट की जानकारी दी गई। कच्ची शराब को बंद किए जाने हेतु अथक प्रयास किए जाने चाहिए। श्रीमती कांति रावत मिश्रा द्वारा शराब के कारण वनवासी क्षेत्रों में तेजी से पनपती जा रही परेशानियों की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया।

सिहोरा के रोतरा गांव से आई आदिवासी महिला सरपंच ने पानी सड़क, शिक्षा की समस्या प्रस्तुत की। इस सत्र में यह स्पष्ट हुआ कि आदिवासी महिलाओं को वैधानिक जानकारियां न होने से उनका शोषण हो रहा है। अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को सजग किया जाना आवश्यक है।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग।

प्रस्तुतीकरण : डा. श्रीमती जेंती बरूआ, निदेशक
विधि अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी।

श्री कुलाधर सेकिया,
उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी.।

"जनजातियों के प्रथागत कानूनों" पर चर्चा करते हुए **डा. श्रीमती जे. बरूआ** ने इस बात पर जोर दिया कि प्रथागत कानूनों को इनकी मूल भावना को बनाए रखते हुए और सरल बनाकर इनका संहिताकरण किया जाए। उन्होंने जनजातीय महिलाओं को ऐसी प्रथाओं की जानकारी दिए जाने के महत्व पर भी जोर दिया। अधिकतर महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है इसलिए उन्हें समाज में महज साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनजातीय महिलाओं की कृषि-वन कार्यों तथा घर के काम - काज में महत्वपूर्ण भूमिका है और फिर भी, उन्हें केवल सम्पत्ति का अभिरक्षक समझा जाता है और उन्हें कभी भी सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं समझा जाता।

श्रीमती कामली मसंग, पूर्व मंत्री , अरूणाचल प्रदेश तथा सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रथाओं के बारे में विस्तार से बताया जैसे विवाह के समय मीथुन को"स्त्रीधन" समझा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रथागत कानूनों में इनकी भावना को बदले बिना सम्बद्ध समुदाय के परामर्श से कुछ सुधार किए जाने चाहिएं। इस कार्य में महिलाओं से भी परामर्श लिया जाए। अरूणाचल प्रदेश के अदी गलोंग जन-जाति की कुछ प्रथाओं की तुरन्त समीक्षा की आवश्यकता है। एक ऐसी प्रथा के अनुसार यदि बड़ा भाई शिकार पर गया हुआ है या लम्बे समय के लिए किसी दूसरे काम के लिए बाहर गया है तो छोटे भाई को अपने बड़े भाई की पत्नी से यौन सम्पर्क का अधिकार है। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वह गैर सरकारी संगठनों को राज्य में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए प्रेरित करे । ऐसी महिलाएं भी हैं, जो सरकारी तंत्र तथा गैर-सरकारी संगठन के बीच अन्तर को नहीं समझती। उन्हें सुग्राहीकरण के माध्यम से और ग्रामीण स्तर के कैम्प लगा कर यह बात समझाई जाए। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कहा जाए कि वे आयु का प्रमाण पत्र न मांगे क्योंकि जनजातीय समाज जन्म कुण्डली नहीं रखते। उन्होंने कहा कि असम राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया है परन्तु आज की तिथि में इसमें अध्यक्ष नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारें केवल कागज पर ऐसे आयोग का गठन न करें अपितु इसे एक प्रभावी संस्था बनाएं। उन्होंने ट्राइफेड से कहा कि वे चाय उत्पादकों की मदद के लिए आगे आएं क्योंकि चाय का कारोबार प्रति दिन महंगा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए विकल्पों का पता लगाना होगा।

मेघालय की **श्रीमती अनिल्ला शिरा** ने कहा कि खासियों तथा गारो के दरबार (ग्राम परिषद) में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है क्योंकि इस संस्था में पूरी तरह पुरूषों का प्रभुत्व है। महिलाओं को उचित न्याय, महत्व तथा हैसियत नहीं दी जाती। यद्यपि गारो तथा खासी मातृक समाज है परन्तु वे केवल पैतृक सम्पत्ति की अभिरक्षक हैं और उन्हें ऐसी सम्पत्ति के हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है।

कोकराझर, असम की **श्रीमती उमा रानी बसुमतारी** और **त्रिपुरा की तापति कलाई** की राय थी कि जन-जातियों के सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रथागत कानूनों को कानूनी दर्जा तथा प्राधिकार दिलाए जाने के लिए इनकी संहिता तैयार की जानी चाहिए।

श्रीमती जॉय राल्ता तथा **श्रीमती लाल्हमंघैही** ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के वर्तमान वातावरण के बारे में चिंता व्यक्त की, जहां बेरोजगारी बढ़ने के कारण युवा लड़कों व लड़कियों को नशीली दवाओं की लत पड़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों, परिवहन, संचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना चाहिए। जनता तथा सरकारी तंत्र के बीच जो खाई है, उसे गैर-सरकारी संगठनों की मदद से पूरा किया जाना चाहिए। कृषि आधारित कार्यकलापों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए।

मणिपुर के प्रतिभागियों ने कहा कि जनजातीय महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं क्योंकि विकास केवल शहरों तथा कस्बों में हुआ है। राज्य में आर्थिक प्रगति के लिए हथकरघा, कुटीर उद्योग, रेशम उत्पादन तथा चमड़े के काम को समुचित स्थान मिलना चाहिए, जो चाहे किसी भी क्षेत्र तथा समुदाय में हो।

त्रिपुरा की **श्रीमती तापति कलोई** की इच्छा थी कि जन-जातियों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि त्रिपुरा में भारी संख्या में बाहरी लोगों के आ जाने से जन-जातियों की आबादी बाहरी लोगों से कम हो गई है। जनजातियों की पहचान खतरे में पड़ गई है और स्थिति गंभीर है। जनजातियों की रक्षा के स्थान पर उनका शोषण किया जा रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कृषि, हथकरघे, हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योगों जैसे कार्यकलापों में महिलाओं को मदद दी जानी चाहिए। जनजातीय क्षेत्र को उद्योग, बिजली, सड़क, पानी तथा परिवहन क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। त्रिपुरा में पर्यटन एक क्षेत्र है, जिसके विकास की काफी संभाव्यता है। राज्य में 90% जनजातियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं और यह सम्भव है कि जन-जातियों के कुछ वंश आने वाले समय में बिल्कुल ही समाप्त हो जाएं। चरम - सीमा पर पहुंच चुके मामलों में गरीबी से ग्रस्त परिवारों ने अपने छोटे-छोटे बच्चों को बेचने का मार्ग अपनाया है।

श्री कुलाधर सेकिया ने विकसित देशों (पश्चिमी) तथा विकासशील देशों में महिलाओं के प्रति अपराध तथा उनकी सुरक्षा पर एक तुलनात्मक चर्चा की। पश्चिमी देशों में अपराध अत्यधिक आर्थिक प्रगति के कारण होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अवसरों की कमी के कारण अपराध होते हैं। निम्न साक्षरता दर, निम्न प्रति व्यक्ति आय और जीविका के लिए अवस्थापना की कमी के कारण लोग वंचित हो जाते हैं। महिलाओं पर इसका असर अधिक होता है। यदि फिर वह जनजातियों के मध्य हो,

तो स्थिति सोचनीय होती है। उनमें अभी भी अन्धविश्वास बहुत है और जनजातीय महिलाएं इसके परिणाम भुगतती हैं। यदि कोई महामारी फैलती है तो चिकित्सा के बजाए वे टोने - टोटकों में लग जाती हैं। उत्पीड़न, अपमान, बलात्कार तथा यौन आक्रमण की घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं। कोकराझर और गोलपारा के जनजातीय समाज में अभियुक्त को अपनी करनी पर पश्चाताप भी नहीं होता। वे महज कानून को तोड़ते हैं। उन्होंने यह पाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब भी अनिवार्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो अपराध भी बढ़ते हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ते हैं। सभी विकासात्मक कार्यक्रमों तथा गैर - सरकारी संगठनों में महिलाओं को भागीदार बनाया जाना चाहिए।

मनाली कार्यशाला

अध्यक्ष : श्री चन्द्रसेन ठाकुर, विधायक कुल्लू

वक्ता : श्री चेतराम नेगी, विधायक

श्री सी. आर. बी. ललित, उपायुक्त, लाहौल स्पिति

श्री अर्जुन गोपाल पैसी, दावा, केलंग

सत्र का प्रारम्भ करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री चंद्रसेन जी ने कहा, कि जीवन नर और मादा से शुरू हुआ है। स्त्री पुरूष दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षित व समर्पित हैं। आधा भाग पुरूष व आधा भाग नारी से मिलकर ही संसार का सृजन हुआ है। मूल वैज्ञानिक चिन्तन में हम एक हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास स्त्री – पुरूष के बीच टकराव व तनाव का नहीं है। स्त्री के अन्दर शक्ति और अबला दोनों ही है, संसार की उत्पत्ति में जब दोनों की भागीदारी होगी तभी संरचना ठीक होती है।

श्री चेतराम नेगी ने अपने सम्बोधन में बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते हैं। पुरूषों के साथ वह सहयोग से काम करती है। उन्होंने महिलाओं को आहवान करते हुए कहा कि उन्हें स्वयं आगे आना होगा और समाज में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना होगा।

खुली चर्चा

खुली चर्चा में भाग लेते हुए महिलाओं ने अपने विचार निम्न प्रकार प्रकट किए :–

1. सुश्री गीता देवी, गांव स्ववांगी रिकांगपिओं ने कहा कि लड़का – लड़की की मंजूरी से ही शादी होनी चाहिए। बहन को शादी के बाद पिता की जमीन का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसे उसका हिस्सा दहेज के रुप में मिल जाता है। उसको उसी में खुश रहना चाहिए। महिलाओं को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझानी चाहिए।
2. श्रीमती रमा पाण्डे ने बताया कि कोई महिलाओं में सहनशीलता की ऐसी चाबी भर देता है कि, वे अपने आप ही दुख सहती रहती हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सशक्त होने की बात कही क्योंकि तभी उन्हें अपना हक मिला सकता है।

श्रीमती शीला भ्यान, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, हरियाणा ने कहा कि कोई भी कानून समाज के किसी भी रीति रिवाज में बदलाव नहीं ला सकता। इसके लिए समाज में जागरूकता और लोगों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। उनके विचार में यह बदलाव और जागृती समाज में शिक्षा के द्वारा ही लाई जा सकती है। मां बाप अपनी खुशी से बेटी को कुछ देते हैं तो वह ठीक है परन्तु दहेज मांगना गलत है।

सुश्री अनुसुईया उइके ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, कि महिलाओं ने निर्भय हो कर यहां पर अपनी बात कही। इसका श्रेय उन्होंने वहां की मातृ शक्ति को दिया जिन्होंने अपनी हिचकिचाहट को दूर करने का प्रयास किया।

अपने धन्यवाद भाषण में श्री टी. जी. नेगी, सचिव, कल्याण विभाग, हि. प्र. सरकार ने सभी उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित किया और विश्वास दिलाया कि जो समस्याएं सामने आई हैं उन्हें मैं विभाग की तरफ से सरकार के सामने रखूंगा। महिलाएं व पुरूष मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। सबको आपसी सहयोग से कार्य करना है।

सप्तम सत्र

स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास, लिंग भेद एवं प्रचार माध्यम

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : डॉ. निशीगंधा मोगल

वक्ता : श्रीमती शुभांगी नैने, जव्हार, महाराष्ट्र

श्रीमती शुभांगी नैने, जव्हार ने, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास, लिंग भेद एवं प्रचार माध्यम पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने विकास के कामों में आदिवासी महिलाओं की समस्याओं एवं बाधाओं पर चर्चा की। जो कि निम्न प्रकार हैं :–

1. महिलाओं पर होने वाला काम का बोझ, घर का काम, खेती मजदूरी और त्यौहार मनाना इत्यादि।
2. घर से मिलने वाले प्रोत्साहन का अभाव और ढेर सारे सामाजिक बंधन
3. अशिक्षा
4. आर्थिक दृष्टि से परावलंबन के कारण आत्मविश्वास का अभाव, तदनुसार वह गांव सभा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाती है।

इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुये श्रीमती नैने ने निम्नानुसार सुझाव दिये :–

1. स्त्री पुरुष के बीच काम का उचित बंटवारा होना चाहिए।
2. खुद का काम खुद करने की आदत डाली जाए।
3. बीमार व्यक्तियों की सेवा में आदिवासी पुरुष को संवेदनशील बनाया जाए।
4. बच्चों को सब काम प्रारंभ से ही सिखाए जाए। कुछ जनजातियों में यह प्रथा घोटूल के माध्यम से आज भी विद्यमान है।
5. ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सुविधा के निर्माण कार्य किये जाये।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये श्रीमती नैने ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को आदिवासी महिलाओं के काम का मूल्य समझाना होगा। उन्हें बचत और उत्पादकता बढ़ाने वाले कामों से जोड़ना होगा। महिलाओं को अपनी पसंद की चीज स्व विवेक से खरीदने की आदत डालनी होगी। महिलाओं को राजनीति में सहभागिता बढ़ाने के लिये नेतृत्व निर्माण संबंधी प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिये उनके सुझाव निम्नानुसार थे :–

1. ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं का चयन और उनका प्रशिक्षण हो।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकार के बीच नेटवर्किंग हो।
3. राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रचार प्रसार होना चाहिए।
4. राजनीति में आई आदिवासी महिलाओं के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना का सृजन किया जाना चाहिए।
5. मातृत्व अनुदान योजना से आदिवासी महिलाओं को भलीभांति परिचित कराया जाये।
6. सरकारी तंत्र को आदिवासी महिलाओं की स्थिति के प्रति संवेदनशील बनाया जाये।

डॉ. निशीगंधा मोगल ने अध्यक्षीय भाषण में महिलाओं को सामाजिक समानता दिलाने के लिये जोर दिया।

अष्टम सत्र

सामूहिक चर्चा एवं विचार विमर्श

रांची कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

डा. बिन्नी,, शाक्र ओरिया, हजारीबाग, झारखंड ने कहा कि हमारे समाज की लगभग आधी महिला आबादी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी होने के साथ–साथ राजनैतिक रूप से भी पीछे है। देश और राज्य में जो नीतियाँ बन रहीं हैं, उनमें जनजातीय महिलाओं के सर्वांगीण विकास को अनदेखा किया जा रहा है। वर्तमान झारखंड सरकार में देखा जा सकता है कि मात्र एक महिला, मंत्री है। ऐसा क्यों ? राज्य में महिला आयोग का गठन शीघ्र हो, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी अवश्य रखे जाने चाहिए।

रेशमा सिंह जागो महिला जागृति केन्द्र, हजारीबाग, ने कहा कि जनजातीय महिला अगर किसी बात को समझ लेती है, तो वह उस बात को अपने दिमाग में बिठा लेती है। आज जनजातीय महिलाओं में अक्सर पाया जाता है कि पुरुष वर्ग उन पर काफी सामाजिक व घरेलू दबाव रखते हैं। फलस्वरुप महिलाएं अपने स्तर से किसी भी कार्य को संपादित करने में हिचकती हैं। अतः वे सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं ले पाती हैं। महिलाओं में अंधविश्वास और पुरुषों के दबाव के कारण इनमें सामाजिक चेतना व जागरूकता का अभाव है। गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती है।

सेलीन हंसदा, भारत विकास संतुलन समिति, पोरैयाहाट गोड्डा ने कहा कि हमारे क्षेत्रों में काफी महिलाएं निरक्षर हैं। सिर्फ 13% साक्षरता है। स्कूलों में लड़कियां बहुत कम पहुँचती हैं। अंधविश्वास और कुप्रथाओं से हमारा क्षेत्र भरा पड़ा है। बेरोजगारी पसरी हुई है। कुपोषण एवं अस्वस्थता आम बात है। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा प्रायः कम है लेकिन विवाह–बंधन का टूटना आम है। उल्लेखनीय है कि बहुत ज्यादा परिश्रमी होने के बावजूद जनजातीय महिलाओं को अपने नशैड़ी पति की प्रताड़ना सहनी पड़ती है।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उनके सुझाव इस प्रकार थे :–

1. मानव संसाधन विकास हेतु गांव–गांव में, विशेष महिला शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाएं।
2. लड़कियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. तकनीकी एवं सूचना प्रौद्यौगिकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

4. लड़कियों के लिए अधिक मात्रा में आवासीय विद्यायल खोलें जाएं।
5. गांव स्तर के प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति की जाएं।
6. महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।
8. गांवों में महिला सांस्कृतिक उत्थान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
9. पंचायत स्तर पर महिला स्वरोजगार संवर्द्धन केन्द्र स्थापित किये जाएं।
10. सरकारी एवं गैर सरकारी केन्द्रों द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

सत्र अध्यक्ष सुश्री उइके ने सामूहिक चर्चा को संचालित किया। सामूहिक चर्चा एवं विचार विमर्श के दौरान महिला उत्थान संबंधीत विषयों को अनुसंशाओं में सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात् सुश्री उइके द्वारा कार्यशाला में पारित अनुसंशाओं को पढ़ कर सुनाया गया। इनमें कुछ और बातों को जोड़ने के बाद उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अनुसंशाएं एक मत से स्वीकार की गई। उपस्थित प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाते हुए एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहाः–

अगर हौसला हो, तो पथ भी आसान होता है,
नहीं तो रास्ता भी मौत के समान होता है।
जो हिम्मत हारते हैं, वो जिन्दगी भी हार जाते हैं,
जिनमें हौसला होता है, वे बाजी मार जाते हैं।।

नाशिक कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

श्रीमती नफीसा हुसैन, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि आयोग विभिन्न कानूनों के महिला संबंधी प्रावधानों में बदलाव लाना चाहता है। जिससे समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। इस बारे में आयोग ने अपनी ओर से विद्यमान कानूनों में संशोधनों के लिये सरकार के समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। आयोग कानूनी जागरुकता के 3 दिन के कार्यक्रम के लिये 20,000 रुपये तक और महिला पंच सरपंच प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर के लिये 14,000 रुपये प्रति शिविर अनुदान देता है। मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक दिवसीय कार्यक्रम के लिये 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। अल्पसंख्यक निगम द्वारा कढ़ाई, सिलाई की ट्रेनिंग के लिये मदद ली जा सकती है।

श्रीमती गोडबोले ने प्रतिनिधियों का ध्यान बांझ महिलाओं की समस्या की ओर आकर्षित करते हुये कहा कि ऐसी महिलाओं के पति उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं। उसे तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी महिला को उचित संरक्षण एवं न्याय मिलना चाहिए।

श्रीमती माली, मालेगांव ने सुझाव दिया कि आदिवासी महिलाओं की आज की आवश्यकता व्यवसायोन्मुखी प्रशिक्षण की है।

सुश्री अनुसुईया उइके ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर गुजारा भत्ता की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर पति की कुल आमदनी का एक तिहाई भाग तक कर दिया गया है। सारी न्यायिक प्रक्रिया मात्र 60 दिन के भीतर निपटाने का प्रावधान किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु आयोग स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दे सकता है।

जबलपुर कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती जयश्री बनर्जी, सांसद,
जबलपुर, म. प्र.

डॉ. अर्चना पांडे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं निधि सक्सेना, कृषि अभियन्ता के अनुसार आदिवासी महिलाओं के विकास से संबंधित कुछ पहलू निम्न प्रकार हैं :–

1. आदिवासी महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है।
2. स्त्री एवं पुरुष दोनों में शराब के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। शराब को आदिवासी संस्कृति का अंग प्रचारित करने वालों का तीव्र विरोध किया जाना चाहिए।
3. वन उपज आदिवासी क्षेत्रों के जीवन यापन के स्त्रोत हैं। सरकारी नियंत्रण, वन विभाग के बदलते नियम, दलालों, साहूकारों, बिचोलियों के जकड़ते जाल से परंपरागत वन आधारित जीवन व्यवस्था चरमरा गई है।
4. पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा व शिक्षा के भवन जैसी मुलभूत आवश्यकताओं के विकास के दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा है।
5. पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में अभी दूरगामी लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है।
6. वनवासी नारी के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है।
7. पलायन की प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

प्रो. श्रीमती शोभा सिंह, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर के मतानुसार आदिवासी महिलाएं हुनर और हिम्मत दोनों की धनी हैं, परन्तु उन्हें इसका अहसास नहीं है। आदिवासी महिलाएं बहुत परिश्रमी होती हैं। किसी भी तरह का कार्य करने को सदैव तैयार रहती हैं। ये महिलाएं गोंद, लाख, जड़ी – बुटियों का भी संग्रहण करती हैं। परन्तु प्रमुख समस्या बाजार की है। जलाउ लकड़ी शहरों में लाकर बेचती हैं जिसमें अधिक श्रम एवं समय लगता है। उनके निर्मित माल की बिक्री के लिये परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है, जो कि परस्पर असमानता को बढ़ावा देती है।

सरकारी योजनाएं तो कई हैं और कुछ नई योजनाएं भी बन रहीं हैं, परन्तु आज इन योजनाओं की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। योजनाओं की पर्याप्त जानकारी आदिवासी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। फलस्वरुप वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

श्रीमती मनोरमा तिवारी, पूर्व प्राचार्य, ने अपनी बात रखते हुए बताया कि नारी सदैव पूज्यनीय रही है और परिवार में उसका स्थान अद्वितीय रहा है, परन्तु कालान्तर में उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। शहरी क्षेत्रों में तो शिक्षा,

जागरुकता का प्रतिशत फिर भी उतना असंतोषजनक नही हैं। ग्रामीण अंचलों और आदिवासी इलाकों में महिला का जीवन एक संघर्षमयी नारी का है। जंगल से लकड़ीयां लाना, धुंए को सहते हुए भोजन पकाना, टपकती झोपड़ी में बीमार बच्चों के साथ थकी हारी काया को ढ़ोती हुई ग्रामीण आदिवासी महिला प्रगति के सारे आयामों को मुंह चिढ़ाती प्रतीत होती है। गांव की महिला केवल घर और बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं संभालती, बल्कि खेतों तथा कुटीर उद्योगों में बराबरी से काम कर परिवार के आर्थिक बोझ को भी कम करती है।

आज शासन और समाज की दृष्टि महिलाओं के उत्थान की ओर गई है। औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में बालिकाओं को विभिन्न सुविधाएं और छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पढ़ो – बढ़ो आन्दोलन, बालिका समृद्धि योजना, मनीषा योजना जैसे कदम महिलाओं की उन्नति के लिए उठाए गये हैं। देश में नारी उत्पीड़न, पारिवारिक शोषण, दहेज उन्मूलन तथा सम्पत्ति में बेटी के और पत्नी के उत्तराधिकार संबंधी कानून बनाए गये है। आवश्यकता कानूनों की सहीं जानकारी एवं उनके उचित प्रतिपालन की है।

आदिवासी महिला जो शरीर और साहस की दृष्टि से शहरी महिला से अधिक सामर्थ्यवान है उसकी शिक्षा, स्वास्थ, और आत्मनिर्भरता की दिशा में सही कदम उठाया जाना अपेक्षित है। आर्थिक स्वावलंबन के अपार क्षेत्र उसके सामने हैं। वनोपज का संग्रहण और विपणन का उचित प्रबंधन उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है। तेंदुपत्ता, गोंद, लाख, खजूर जैसी वनोपज और औषधीय पौधों की खेती में महिलाए कुशलता से काम कर रही हैं। उन्हें आधुनिक मशीनों, संसाधनों तथा शासन द्वारा चलाई जाने वाली विधि प्रयोजनाओं से परिचित कराया जाये तथा सम्पूर्ण उपलब्ध सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों तभी महिलाओं के आर्थिक विकास के नये क्षितिज दिखाई देगें। वे अपने स्वास्थ, परिवार के लिये पोषण युक्त भोजन तथा जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को सार्थक सिद्ध करेंगी।

प्रो. उमा नेब, सहायक प्राध्यापक, गृह प्रबंध, मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर की धारणा थी कि आदिवासी जनजातियों की समस्याएं परंपरागत तो हैं ही पर बहुत सी समस्याएं आधुनिक समाज के संपक्र में आने से भी उत्पन्न हुई है, जो कि निम्नानुसार हैं :–

आदिवासी समुदाय मुख्यतः आर्थिक रुप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। आदिवासी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषि एवं वन उपज का सहारा लेते हैं। लेकिन आजकल जंगलों पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होने के कारण आदिवासीयों के लिये विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। आदिवासी अब सरकार की अनुमति के बिना वनोपज का संग्रहण एवं उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए आदिवासी जनजातियों को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए अपने क्षेत्रों से पलायन करना पड़ता है। उद्योगों, खदानों, चाय बागानों और फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है।

सभागृह में कुछ आदिवासी महिलाएं ऐसी भी थी जो सबके सामने अपने विचार रखने में हिचकिचा रहीं थी। अतएव उनसे साक्षात्कार कर उनके विचार लिपिबद्ध किए गए। बालाघाट जिले की आदिवासी महिलाओं के उदगार निम्नानुसार थे :–

श्रीमती श्यामा मेश्राम, ग्राम कनकी, बालाघाट

अगर मुझे 10 – 20 हजार रुपये मिल जाये, तो मैं ग्राम की महिलाओं के लिए रोजगार खोलूंगी।

श्रीमती शोभा पन्दरे

मैं चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं का अतिशीघ्र सुधार हो।

कु. कविता गौतम, ग्राम बवरिया

मैं महिलाओं में जागृति लाना चाहती हूं।

श्रीमती तारावती, ग्राम कंजई, लालबरी

मैं चाहती हूं कि, आदिवासी बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित न रहें। उन्हें छात्रावास और निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये तथा पढ़ाई करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।

श्रीमती शोभा सोनी भांडामुर्री

मेरे ग्राम के आदिवासियों में शिक्षा का अभाव है जिसका कारण गरीबी है। मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करुं।

श्रीमती शांति बाई बरकाडे, टेंगनी खुर्द

हमारे क्षेत्र में कोई धंधा नही है। मैं चाहती हूं कि हमारे गॉव में लोगों को रोजगार मिले।

श्रीमती कमला बाई उइके, पंच, टेंगनी खुर्द

मेरे गॉव के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार है। उन्हें रोजगार देने की दया करें।

कुमारी कुसुमलता उइके, ग्राम केजई

मैं बहुत गरीब हूं। किसी तरह से बी. ए. पास कर लिया है। आगे पढ़ना चाहती हूं मुझे मार्गदर्शन दें।

श्रीमती तेजेश्वरी पटले, बेहरई

महिलाओं पर पुरुषों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार बंद होना चाहिए। इस कारण हम विवश है। यहां आकर हमें अच्छा लगा।

श्रीमती भुवनेश्वरी बिसेन, पंचायत सदस्य

लड़कियों की शिक्षा के लिये हर बड़ी जगह कालेज खोले जायें।

डॉ. श्रीमती ममता शर्मा, सहायक प्राध्यपक, गृह विज्ञान शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर के मतानुसार आदिवासी महिलाओं के अशक्त पहलू निम्नलिखित हैं :–

1. कुपोषण की समस्या, विभिन्न बीमारियां, दूषित जल, भोजन एवं पर्यावरण के कारण होती है। अनुवांशिक बीमारीयां, टी. बी., मधुमेह, रक्तचाप, थायराइड, एनीमिया, स्कर्वी अस्थि रोग आदि पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण उपजी बीमारीयां हैं। शराब, तंबाकू एवं नशे की लत से भी कई रोग जन्म लेते हैं।

2. आवासीय समस्याएं, संसाधनों की अज्ञानता व अनुभवहीनता, निर्णय क्षमता का अभाव, उपभोक्ता एवं मानव अधिकार संबंधी समस्याएं , वित्तीय समस्याएं आदि गृह प्रबंध से संबंधित हैं।

3. शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं, गर्भावस्था प्रसवकालीन प्रसूति समस्या, अप्रशिक्षित दाईयों द्वारा प्रसव, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कुशल डॉक्टर्स एवं अस्पताल का अभाव आदि बाल विकास से संबंधित समस्याएं हैं।

4. गरीबी के कारण तन ढकने की समस्या, वस्त्रों की स्वच्छता व निर्मलीकरण, पैरों में चप्पल न होना, मौसम से न लड़ सकना, आदि तन्तु विज्ञान संबंधित समस्याएं हैं।

5. बहुपत्नी विवाह, वैधव्य, बांझपन, जादू – टोना, अंधविश्वास एवं रुढ़िवादिता, गरीबी अभिशोषण, अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, बालविवाह, रोगग्रस्तता, अस्पृश्यता एवं बेरोजगारी सभी समाज में फैली कुरीतियों से जन्म लेती समस्याएं हैं।

सुझाव

6. दृश्य एवं श्रव्य सामग्री में दूरदर्शन, सिनेमा, आकाशवाणी, कठपुतली, नुक्कड़ नाटक आदि के प्रयोग से नवीन विचारों को ग्रहण करने में मदद मिल सकती है।

7. सरकार योजनाओं के संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं, एन. सी. सी. एवं एन. एस. एस. आदि की मदद ले सकती है।

8. आदिवसी महिलाओं को स्व रोजगार हेतु वित्तीय सहायता दी जाये जिसके लिये आदिवासी महिला क्रेडिट कार्ड नई योजना का सृजन किया जा सकता है।

9. महिला को सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला बैंक की स्थापना की जा सकती है।

गृहविज्ञान स्वरोजगार के पूर्ण अवसर जैसे अचार, बड़ी, पापड़, सूत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अगरबत्ती उधोग, मोमबत्ती उधोग, बांस एवं जूट के उधोग, फूल पत्ती उधोग आदि में पूर्ण संभावनाएं निहित हैं।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुली चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कुछ महिलाओं ने अपने - अपने राज्यों में जनजातीय महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं का जिक्र किया जिनमे से कुछेक निम्न प्रकार हैं :-

मणिपुर :"हम गरीब हैं, बिजली नहीं है, सड़कें तथा डाक्टर नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण माता तथा बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हमारी आबादी स्थिर है।"

मिजोरम :"हमें कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्नातकों में भी बहुत बेरोजगारी है। ऐसे परिवार हैं, जिनमें महिलाएं पुरूषों और बच्चों का गुजारा कर रही हैं। घर बिखर रहे हैं। शराब और नशीली दवाओं के व्यसनी बढ़ रहे है। कृपया डेयरी तथा कृषि जैसे आर्थिक विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रशिक्षित करें। राष्ट्रीय महिला आयोग को हमारी मदद के लिए आगे आना चाहिए।"

मिजोरम में प्रथागत कानून पुरूषों के पक्ष में हैं। पुरूष अपनी पत्नी की पिटाई कर सकता है, उसे तलाक दे सकता है और दूसरा विवाह कर सकता है। महिला की सहायता और सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। कुछ मामलों में पत्नी ने घर बनाने के लिए ऋण लिया और बाद में उसे तलाक दे दिया गया। प्रचलित प्रथा के अनुसार मकान पति का होता है, परन्तु गरीब महिला को अपने नियोजक/वित्तीय संस्था को गृह ऋण का भुगतान करना पड़ता है। उसे लात मार कर निकाल दिया जाता है। **मिजोरम विधान सभा में कोई महिला नहीं है**। मिजोरम में जनजातीय महिला की हैसियत की यह तस्वीर है।

असम : गांवों में महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए। इससे महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए। स्कूलों तथा कालेजों में अच्छे स्तर की शिक्षा दी जाए।

यह कहा जाता है कि गैर - सरकारी संगठन महिलाओं की मदद करेंगे, परन्तु असम में गैर - सरकारी संगठन भी पुरूषों द्वारा चलाए जा रहे हैं, महिलाओं द्वारा नहीं। सरकार को महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे गैर -सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए और जिन गैर - सरकारी संगठनों में पुरूषों का प्रभुत्व है, उन्हें महिला सुलभ बनाया जाना चाहिए। राज्य महिला आयोग को गांवों में जाना चाहिए और महिलाओं की कठिनाइयों को सुनना चाहिए।

समापन सत्र

रांची कार्यशाला

मुख्य अतिथि	:	श्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य मंत्री, झारखंड
निष्कर्ष प्रस्तुति	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग
अध्यक्षता	:	श्रीमती विनी सारंगी, सामाजिक कार्यकर्ता
विशिष्ट अतिथि	:	श्री अर्जुन मुण्डा, कल्याण मंत्री, झारखंड
आभार प्रदर्शन	:	श्री अशोक भगत, सचिव, विकास भारती, बिशुनपुर, झारखंड

मुख्यमंत्री जी के सम्मान में आदिवासी बालिकाओं ने असुर गीत प्रस्तुत किया तथा फूल–मालाओं एवं स्मृति चिन्ह से उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया।

जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण : ''समस्याएँ एवं संभावनाएँ'' विषय पर 19–20 दिसम्बर, 2001 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार एवं विकास भारती, बिशुनपुर के संयुक्त निर्णयानुसार निम्नलिखित पाँच महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य संपादन हेतु शॉल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके महिला उत्थान में किये योगदान को सराहा गया –

1. श्रीमती बिटिया मूर्मू
   संस्था : बदलाव फाउण्डेशन, मिहिजाम, जामताड़ा
   कार्य : सामाजिक चेतना एवं महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष

2. श्रीमती रामदी मून्डी
   संस्था : वनवासी कल्याण आश्रम, मूरहू
   कार्य : आदिम जाति तथा हरिजन बालिकाओं की शिक्षा।

3. श्रीमती अंजली बसु
   संस्था : महिला कल्याण समिति, सुन्दरगढ़, जमशेदपुर
   कार्य : महिला को कानूनी सहायता एवं आर्थिक सशक्तिकरण।

4. श्रीमती निकहत तबस्सुम
   संस्था : जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी
   कार्य : महिलाओं में समानता विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में।

5. श्रीमती मगदली तिर्की
संस्था : अनगड़ा, राँची
कार्य : महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन।

निष्कर्ष प्रस्तुति

सुश्री अनुसुईया उइके ने समापन समारोह में विकास की गंगा कल ही बहे यह तो नहीं कहते किन्तु मुख्यमंत्री के सहयोग के बिना यह संभव भी नहीं है इस कथन से अपनी बात शुरु की। तत्पश्चात सुश्री उइके ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के शामिल होने पर उनका हार्दिक स्वागत किया। फिर उन्होंने कार्यशाला की अनुशंसाएं मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों के समक्ष पढ़कर सुनाई। उन्होने झारखंड राज्य महिला आयोग के गठन के लिये मुख्य मंत्री से पुरजोर सिफारिश की। महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिये हर संभव लड़ाई लड़ने के लिये तैयार रहना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

श्री अर्जुन मुण्डा, कल्याण मंत्री, झारखण्ड, ने कहा कि कार्यशाला में सशक्तिकरण पर जो बातें तय होंगी उस पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी एवं उनके क्रियान्वयन के लिये कृतसंकल्प होगी। आदिवासी महिलाओं की इच्छा को सार्थक करेंगे। कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को आगे की ओर ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे।

मुख्य अतिथि का भाषण

श्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य मंत्री, झारखण्ड ने अपने आशीष वचन में कहा कि कार्यशाला की अनुशंसाओं के कई मुद्दों पर सरकार प्रयासरत है। मैं राज्य महिला आयोग का गठन एक – दो माह में करने का हर संभव प्रयास करुंगा।

महिलाओं में शिक्षा की कमी है। शिक्षा महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करती है। समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने के लायक बनाती है। माँ प्रथम शिक्षिका होती है। अगर वो पढ़ी–लिखी हो तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो जाएगी। झारखण्ड के 32 हजार गाँव हैं उसमें मात्र 16 हजार सरकारी विद्यालय हैं। अतः औसतन दो गाँवों पर एक सरकारी विद्यालय है। बच्चों को स्कुल भेजने के लिए माता–पिता को प्रेरित करने की जरुरत है। यह कार्य प्रस्ताव से नहीं होने वाला है। लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। आपने छात्रावासों की माँग की है, सरकार इस पर पहले से कार्य कर रही है। 22 जिला केन्दों में सौ सीटों वाले छात्रावास खोले जाएँगे। 19 जिलों में कार्य प्रगति पर है। तीन में जमीन की कुछ समस्या है। कार्यशील महिलाओं को बड़े शहरों में निजी मकानों में रहना पड़ता है। इसलिए राँची, जमशेदपुर, बोकारो जैसे प्रमुख शहरों में कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।

कुपोषण रोकने के लिए 212 प्रखण्डों में से 152 में आई. सी. डी. एस. चलाये जा रहे हैं। पोषाहार ठीक से मिले, इसका विस्तार हो, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। राज्य में 29 प्रतिशत वन भूमि पर पर्याप्त मात्रा में जंगल है।

सरकार प्रयत्नशील है कि जंगल का स्वामित्व आदिवासी को दिया जाए। इसका 90 प्रतिशत लाभांश भी उन्हीं को दिया जाए ताकि जंगल को बचाया जा सके। उन्हें अनावश्यक सरकारी बन्धन से मुक्त रखा जाए। चंद वन अधिकारियों के माध्यम से जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है।

ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में लैम्प को क्रियाशील करने का प्रयास चल रहा है। घर–घर पर गृह–लक्ष्मी जमा योजना के तहत 72 हजार परिवारों को बचत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज तक पाँच करोड़ रूपये जमा हुये हैं। जिसका दो प्रतिशत इसके एजेंट को दिया गया है। सावन–भादों में रोपनी के बाद खाने की दिक्कत हुई, तो चाहे 12 बजे रात को ही क्यों न हो उन्हें ऋण मुहैया कराया जाता है। झारखण्ड में पढ़ी–लिखी महिलाओं को रोजगार देने के इरादे से एक महिला हथियार बन्द पुलिस बल का गठन किया गया है। पलायन की समस्या से सरकार भी चिन्तित है। परंतु कुछ करने के लिए सरकारी व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है। जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो।

ये सच है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। इसके लिए महिलाओं को जागरूक करना आवश्यक है। कानून में बदलाव की माँग समाज से आये तो श्रेयस्कर रहेगा। महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ इसके लिए हम ठोस योजनाओं की खोज में हैं। सिर्फ प्रशिक्षण से ही ये संभव नहीं है।

शासन द्वारा हड़िया प्रतिबन्ध एक रात में करना संभव है, किन्तु अगर बहनें आगे आकर इसे बन्द करें तो अच्छा होगा। आप उन्हें प्रेरित करें एवं अच्छे–बुरे का ज्ञान दें। कानून से बढ़कर आत्मप्रेरणा है। आपके विचारों को ध्यान में रखकर आगे की कार्य योजना बनाएँगे।

अध्यक्षीय भाषण

डॉ. विनी सारंगी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हरसुंगा आदिवासियों का फूल है वह हमें भी प्रिय है। अन्य महिलाओं और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं में 19–20 का फक्र है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न होना ही महिलाओं के दुःख का कारण है। वे पुरुष पर निर्भर रहती हैं। सशक्तिकरण शत–प्रतिशत एक बार में ही फलित नहीं होगा, धीरे–धीरे आएगा। महिलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ता है। हमारे समाज की धारणा है कि जहाँ नारी स्वतंत्र हुई तो वह बिगड़ गयी और साथ में ये भी कहता है कि जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। विरोधाभास की इस स्थिति में, स्त्री जी रही है।

आभार प्रदर्शन

श्री अशोक भगत ने सभी का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया।

नाशिक कार्यशाला

परिचय	:	डॉ. निशीगंधा मोगल
अध्यक्ष	:	सुश्री अनिता जोगलेकर, अधिवक्ता
मुख्य अतिथि	:	डॉ. विमल ताई मूंदड़ा , राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र सरकार
विशिष्ट अतिथि	:	श्रीमती नफीसा हुसैन, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग
निष्कर्ष प्रस्तुति	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग
आभार प्रदर्शन	:	श्रीमती सुमन हिरे, सचिव, माता बालक प्रतिष्ठान, नाशिक

परिचय एवं स्वागत भाषण

समापन समारोह के अवसर पर पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुये डॉ. निशीगंधा मोगल ने महाराष्ट्र राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉ. विमल ताई मुदंडा का परिचय कराया। विमल ताई बीड़ जिले की है और वहां से 3 बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। समाज में आंख और कान खोलकर जनता के बीच रहने वाली नेता हैं। डॉ. मोगल ने सुश्री अनुसुईया उइके एवं श्रीमती नफीसा हुसैन का परिचय भी कराया। उन्होंने सभासदों को कार्यशाला की 2 दिनों की गतिविधियों एवं निष्कर्षों से भी अवगत कराया।

निष्कर्ष प्रस्तुति

सुश्री अनुसुईया उइके ने अपने समापन एवं निष्कर्ष भाषण में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्न योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है :–

1. आयुश्मती योजना
2. मातृत्व योजना
3. ग्राम योजना
4. समृद्धि योजना

उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनाओं में जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया एवं वृहत कागजी कार्यवाही के कारण महिलाएं इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। केन्द्र सरकार योजनाएं बनाती जरुर है लेकिन उसके संपादन एवं संचालन

का जिम्मा राज्य सरकार पर ही होता है। अतः राज्य सरकार को इनके क्रियान्वयन के लिये विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

सुश्री उइके ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको देय मानदेय की तुलना में बहुत काम करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा प्रदत्त अल्प सुविधाओं के माध्यम से ही वे अपना काम करती हैं। वर्तमान स्थिति में उनका कार्यक्षेत्र बड़ा होने से भी उनका कार्य प्रभावित होता है। फलस्वरुप राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से उन्होंने श्रीमती सुमित्रा महाजन, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय भारत सरकार को सुझाव दिया कि प्रत्येक 300 लोगों की आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाये। साथ ही साथ उनके मानदेय में 1000 – 1500 रुपयों तक की बढ़ोतरी की जाये।

सुश्री उइके ने उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग एवं सतक्र है। एक सहयोगी की तरह उनकी सहायता के लिये सदैव तत्पर है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कार्यशाला का निष्कर्ष अनुशंसाओं के रुप में सरकार के समक्ष क्रियान्वयन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य अतिथि के भाषण का सार

डॉ. विमल मूंदड़ा , राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र ने जोर देकर कहा कि, हम सब महिलाओं को ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में 73 लाख 18 हजार आदिवासी हैं। इनमें ज्यादातर लोग कृषि कार्य में संलिप्त एवं उसी पर निर्भर हैं। आदिवासी विभाग में 15 जिले, 68 तहसील, 6962 गांव और 43 क्षेत्र विकास समूह आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिये योजनाएं हैं।

लगभग 70 प्रतिशत आदिवासी महिलाए निरक्षर हैं। उनमें साक्षरता को बढ़ाने के लिये 89 शासकीय आश्रमशाला, 273 पोस्ट बेसिक शाला और 500 अनुदानित शालाये राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। डॉ. मूंदड़ा ने अपने भाषण में निम्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी :–

शासकीय छात्रावास योजना :– अभी तक महाराष्ट्र में 191 शासकीय छात्रावास संचालित हैं। उनमें 20,275 लड़के एवं 5,120 लड़कियां रहती हैं। छात्रावासों में यूनिफार्म और कॉपी किताब निःशुल्क मिलती है।

निशुल्क उर्जा योजना :– कृषि पंपो के लिये निःशुल्क उर्जा योजना संचालित है। जिसके माध्यम से 513 बिजली पंप किसानों को दिये गये हैं जो छोटे – छोटे किसानों को भी बिजली प्रदान करते हैं।

घर निर्माण योजना :– आदिवासियों की आवास की समस्या को हल करने के लिये घर निर्माण योजना के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता के रुप में राज्य सरकार की ओर से 35,000 रुपयों तक का अनुदान गृह निर्माण के लिये दिया जाता है।

विधवा महिला और समाज के समूहों के उत्थान के लिये शासन कटिबद्ध है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये मानदेय महाराष्ट्र राज्य की ओर से दिया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष मानदेय 1500

रुपये तक करने की मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहुत लगन से एवं प्रमाणिक काम करती हैं। आज उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। दिवाली के अवसर पर इन्हें 500 रुपयों की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष एवं नोराड़ के माध्यम से भी इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। महिलाओं के उत्थान संबंधी शासन के कुछ अन्य प्रयास इस प्रकार हैं :–

1. महिला अत्याचार की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने महिला सुरक्षा कानून बनाया जो कि कुछ ही दिनों में लागू होने वाला है।

2. महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिये जिला स्तर पर 9 महिला न्यायालयों की स्वीकृति है एवं 9 महिला न्यायालयों के अनुमोदन का कार्य चल रहा है।

अध्यक्षीय भाषण

सुश्री अनिता जोगलेकर, अधिवक्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि सरकार की ओर से योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन उनके सफल एवं सुचारु संचालन पर सदैव ही संदेह किया गया है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी अधिकारियों के व्यवहार में संवेदनशीलता आये और साथ ही कागजी कार्यवाही का सरलीकरण किया जाये।

आभार प्रदर्शन :– श्रीमती सुमन हिरे, सचिव, माता बालक प्रतिष्ठान, ने कार्यक्रम के अंत में सभी को आभार प्रेषित किया।

जबलपुर कार्यशाला

मुख्य अतिथि	:	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
निष्कर्ष प्रस्तुति	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
अध्यक्ष	:	डॉ. सविता इनामदार, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, म. प्र.।
विशेष अतिथि	:	श्री अजय बिश्नोई, विधायक सोनल अमीन, सदस्य, राज्य महिला आयोग म. प्र.।

निष्कर्ष प्रस्तुति

सुश्री अनुसुईया उइके ने अतिथियों का परिचय कराने के पश्चात कार्यशाला की अनुसंशाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की समस्याओं का आकलन कर सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना है, जिससे उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न स्तर का जीवन जी रही आदिवासी महिलाओं के कष्टों को उन्होंने रेखांकित किया। मुख्य प्रस्ताव/अनुशंसाएं आदिवासी महिला क्रेडिट कार्ड, गणतंत्र दिवस पर आदिवासी महिलाओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार, शैक्षणिक रुप से पिछड़े आदिवासी गांवों में विशेष शिक्षण व्यवस्था, खदानों में काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण, आदिवासी महिला पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने से संबंधित थे।

विशेष अतिथि

श्री अजय बिश्नोई, विधायक, ने कहा कि कृषि मजदूरी, वनोपज संग्रहण एवं बच्चों का पालन करने वाली आदिवासी महिलाओं की शक्ति महान है। पर्यावरण की रक्षा में पेड़ न काटने का आन्दोलन 250 वर्षों पूर्व बिश्नोई समाज की महिलाओं ने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेदरणी गांव में प्रारंभ किया था।

श्री सुरेश देशपांडे, समाजिक कार्यकर्ता ने आदिवासी महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता पर चिंता व्यक्त की। पति की मौत पर जेठ द्वारा उसकी संपत्ति हड़प लेना, जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर महिला को संपत्ति विहीन कर देना अब आदिवासी क्षेत्रों में घर कर गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला का प्रभाव उसी प्रकार होगा जैसे थोड़े

से चंदन से सारी जगह में खुशबू फैल जाती है। विचार मंथनोपरांत इतने अधिक पहलु उभरकर आये हैं कि, गागर में सागर भर गया है।

मुख्य अतिथि का भाषण

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य मंत्री, जनजातिय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी विकास उनकी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। इसी कारण 10 करोड़ की आदिवासी आबादी के लिये पृथक जनजाति कार्य मंत्रालय का निर्माण किया गया है। आदिवासियों में व्याप्त अशिक्षा, कुपोषण, अधिक शिशु मृत्यु दर, चिकित्सा सेवाओं का अभाव और अल्प रोजगार के साधन जैसी समस्याओं पर उन्होंने अपने विचार रखे। वर्तमान में आदिवासी महिलाओं में जागरुकता लाना आवश्यक है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर सकती है।

भारत सरकार ने रानी दुर्गावती समाधि स्थल हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 1 करोड़ 14 लाख रुप्ये की राशि स्वीकृत की है। आदिवासी बहुल क्षेत्र वन संपदा का धनी है। वनौषधि का भंडार है। ट्रायफेड को आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक होना चाहिए। अत्यंत पिछड़े जनजाति समूहों के लिये विशेष योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत करने को उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। किसान क्रेडिट कार्ड, हस्तशिल्प और हस्तकला के प्रचार प्रसार के लिये वे प्रयास करेंगे।

स्वास्थ सुविधाओं के अभाव का जिक्र करते हुए श्री कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आंत्रशोध की बीमारी फैलने से वे चिंतित हैं। चल चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। सड़क यातायात के अभाव में खाद्य सामग्री भी समय पर नही पहुंच पाती है। खाद्य सामग्री बैंक की योजना का संचालन इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया है। खेतिहर मजदूरों को जब तक अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण नही दिया जाएगा तब तक स्थिति में सुधार लाया जाना संभव नही है। अतः विभिन्न योजनाओं हेतु आदिवासियों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भी आदिवासी उद्यमियों को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिसका लाभ लिया जा सकता है। उनकी मंशा है कि अधिक ऋण मेले लगाएं जाएं ताकि आदिवासी लोगों को त्वरित सहायता दी जा सके।

शिक्षा के विकास को दृष्टिगत रखते हुए, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में छात्रावास खोलने पर भी सरकार प्रयास कर रही है। दिल्ली में 100 – 100 सीटों वाले बालक और बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण हेतु साढ़े आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

श्री कुलस्ते ने घोषणा की कि वे जबलपुर में प्रस्तावित आदिवासी महिला परिसर के विकास को पूर्ण सहायता देंगे, जिससे खेल–कुद, कला व शिक्षा का समन्वित विकास हो। अब महिलाओं का भी दायित्व बन जाता है कि, वे केवल मेहनतकश ही न बने वरन् अपने विकास के लिये बौद्धिक लड़ाई लड़ने को भी तैयार रहें।

अध्यक्षीय भाषण

डॉ. सविता इनामदार, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, म. प्र. ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक आदिवासी महिलाओं के समूह गठित नहीं होते तब तक सहयोग, सहकारिता और सहभागिता के मंत्र का असर नहीं होगा। अधिकारियों में आदिवासी महिला कल्याण हेतु संवेदनशीलता नहीं है। आदिवासी महिलाओं के लिये चिकित्सा व्यवस्था और बालिकाओं के लिये विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक संस्थाएं महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

आभार प्रदर्शन

सुश्री अनुसुईया उइके ने अतिथियों एवं प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

गुवाहाटी कार्यशाला

अध्यक्ष : श्रीमती कामली मसंग,
पूर्व मंत्री, अ. प्र.

धन्यवाद प्रस्ताव : सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग

अपने समापन भाषण में **श्रीमती के. मसंग** ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में लोग संवेदनशील हैं और हमेशा अभियाचक नहीं हैं। अहम और आत्म-सम्मान उनके लिए सर्वोच्च है। जमीन से जुड़े लोगों में जागरूकता पैदा करने और समर्पित गैर -सरकारी संगठनों और स्वयं-सेवी संगठनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी संस्थाएं बनें, जिनकी प्रधान महिला हो और ऐसी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं को देश के अन्य भागों में मिल-जुल कर काम करना चाहिए। केवल उन गैर - सरकारी संगठनों को सहायता दी जाए, जो निःस्वार्थ कार्य करने के लिए विख्यात हों। जनजातीय गांवों में लोगों को कानूनों की जानकारी दी जाए और सार्वजनिक सुनवाई के लिए शिविर लगाए जाएं क्योंकि इन पर जनजातीय महिलाओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का भविष्य में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है जैसे कृषि, स्वास्थ्य तथा पोषण आदि। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि इन कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए मेजबान संस्था, मल्टीफेरियस का धन्यवाद किया और कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, संसाधन व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने कार्यशाला को सफल बनाया।

मनाली कार्यशाला

मुख्य अतिथि	:	डा. पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।
निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण	:	सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।
स्वागतकर्ता	:	श्रीमती मालविका पठानिया, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग हि. प्र.।
अध्यक्षता	:	श्री टी. जी. नेगी, सचिव, कल्याण विभाग, हि. प्र.
विशिष्ट अतिथि	:	श्री चेतराम नेगी, विधायक किन्नौर, सचिव, संसदीय कार्य हि. प्र.
		श्री चन्द्र सेन, विधायक कुल्लू, अध्यक्ष, एच. पी. एम. सी.
आभार प्रदर्शन	:	श्री सी. आर. बी. ललित जिला अध्यक्ष, लाहौल स्पिति

स्वागत भाषण

श्रीमती मालविका पठानिया, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग हि. प्र., ने समापन सत्र में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला का समापन जरूर है, लेकिन यहां से हमारा कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि कार्यशाला से आये निष्कर्षों एवं सिफारिशों को सरकार से विचार विमर्श कर इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू कराने का प्रयास किया जायेगा। संकोची आदिवासी महिलाओं में व्याप्त भय निकालना ही हमारा ध्येय है न कि यह जानना कि संचालित नीतियां कारगर हैं या नही ? अंत में उन्होंनें दूर दराज से आई सभी महिलाओं को कार्यशाला में भाग लेने के लिये धन्यवाद दिया।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

श्री चन्द्रसेन, विधायक कुल्लू एवं अध्यक्ष एच. पी. एम. सी. ने अपने भाषण में सर्वप्रथम सुदूर दुर्गम क्षेत्रों से आई आदिवासी महिलाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मण्ड में जीवन की संरचना स्त्री–पुरूष के बराबर सहयोग से हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिये इस क्षेत्र में अर्धनारी नटेश्वर की धारणा

प्रचलित है। जब समान संरचना में स्त्री एवं पुरूष की भागीदारी बराबर की होगी तब ही विकास की गति तीव्र होगी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में आदिवासियों में प्रचलित रीतियों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी जैसे केरल में मामा की लड़की से शादी को मान्यता है।

विशिष्ट अतिथि का भाषण

श्री चेतराम नेगी, विधायक किन्नौर एवं सचिव, संसदीय कार्य समिति हि. प्र. ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन की राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की जाये। आदिवासियों में महिलाओं को मालिकाना हक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शादी के समय लड़की को ससुराल पक्ष की ओर से कुछ संपत्ति दी जाती थी अब यह प्रथा भी लुप्त हो रही है। फलस्वरूप उनका शोषण और बढ़ रहा है।

प्रकृति की ओर से केवल दो जातियां स्त्री व पुरूष बनाई गई हैं। परंतु हमारे समाज ने इन दो जातियों को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित कर स्त्रियों का शोषण प्रारंभ किया एवं उन्हें हर क्षेत्र में पीछे धकेलना प्रारंभ कर दिया।

निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण

सुश्री अनुसूईया उइके सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने भाषण में कहा कि पूरे देश में 50 करोड़ महिलाएं हैं। उनकी भिन्न – भिन्न समस्याएं हैं। इन समस्याओं का कैसे समाधान हो ? देश में महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। उन अत्याचारों से महिलाओं को कैसे न्याय मिले ? समाज में कई प्रकार की कुरीतियां एवं परम्पराएं हैं जिसकी वजह से भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। महिलाओं को जागरूक और शिक्षित करके कैसे उन परम्पराओं को दूर करें। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कार्य करती हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी होती है, इन परेशानियों को राष्ट्रीय महिला आयोग देखता एवं दूर करने के प्रयास करता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमनें यह कार्यशाला आयोजित की थी।

उन्होंने कार्यशाला के निष्कर्ष उपस्थित महिला प्रतिनिधियों को पढ़कर सुनाये, जिन्हें महिलाओं ने ध्वनि मत से पास कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग देश के विभिन्न भागों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करता है तथा जो सुझाव व समाधान आयोग के समक्ष आते हैं उसकी एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाती है। केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकार उन पर विचार विमर्श कर योजनाएं बनाएगी तथा उन्हें लागू करेगी।

इन दो दिनों में मैंनें देखा कि हिमाचल प्रदेश की आदिवासी बहने अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा सशक्त और कर्मठ हैं। पुरूषों की तुलना में उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत आगे है। पंचायतों में भी यहां की महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है, जो एक महिला के राजनीतिक सशक्तिकरण का द्योतक है। अंत में उन्होंने आयोजकों एवं सभी सहयोगियों को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिये धन्यवाद दिया।

मुख्य अतिथि का भाषण

मुख्य अतिथि डा. पूर्णिमा आडवाणी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीमती मालविका पठानिया, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग हि. प्र. एवं आयोग की सदस्यगण श्रीमती जावित्री देवी, वीना राजू एवं इन्दू कश्यप को टीम वक्र के लिये बधाई प्रेषित की। उन्होंने सुश्री अनुसूईया उइके सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग को ऐसी एक–दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं और आयोजित करने की सलाह दी, क्योंकि इन कार्यशालाओं से आयोग के समक्ष कुछ नये विषय सामने आये हैं। तत्पश्चात् राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाये। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला, जैसे :– उत्तरांचल में महिलाये जब काम पर जाती हैं तो अपने बच्चों को किसी पलंग या फर्नीचर से बांधकर जाती हैं, जिससे वह बच्चा वहीं पर पेशाब एवं मल करता है और कभी – कभी तो भूख लगने पर उसका सेवन भी करता है। जब यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष आया तब हमने राज्य सरकार को अधिक संख्या में बालवाड़ी खोलने का सुझाव दिया फलस्वरुप आज वहां लगभग 230 बालवाड़ियां खोली जा चुकी हैं। इससे यह परिलक्षित होता है, कि ठीक ढंग से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाये तो परिदृश्य ही कुछ और होगा। आज हम कहते हैं कि विदेशी एवं शहरी महिलायें, ग्रमीण महिलाओं की तुलना में बहुत उन्नत हैं लेकिन वे हमारी पहाड़ी बहनों की तरह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकतीं अर्थात उनकी तरह अधिक मेहनत नहीं कर सकती।

एक उदाहरण देते हुये उन्होंने बताया कि गत दिनों मुझे अलवर, राजस्थान में महिला घाट का उदघाटन करने के लिये बुलाया गया था। दुर्गम एवं कच्चा मार्ग होने के कारण पैदल चलने में मुझे दिक्कत महसूस हुई तब उन महिलाओं ने कहा कि ये गांव की सख्त धरती है यहां पर आपकी शहरी चप्पल नहीं चलेगीं और अपनी चप्पलें मुझे दीं। मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम शहर की महिलाएं कितना भी पढ़ लिख लें परन्तु वे ग्रामीण महिलाओं की तरह मेहनतकश नहीं बन सकती।

एक अन्य संस्मरण बताया कि कैसे दक्षिण में एक क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने अपने संबंधित जिला अध्यक्ष से तालाब साफ करवाने का आग्रह किया। परंतु जिला अध्यक्ष द्वारा असमर्थता दिखाने पर उन महिलाओं ने संगठित होकर स्वयं ही तालाब साफ कर दिया। इस प्रकार संगठन की शक्ति के आगे जिला प्रशासन को झुकना पड़ा और इस आन्दोलन में लगभग 30,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसके पश्चात भी इस महिला समूह ने कई जन कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया। इसके लिये उनको तमिलनाडू एवं भारत सरकार दोनों ने सम्मान स्वरूप 1,00,000 रूपये दिये।

आज हर महिला अपनी कुशलता से अपना गृह कार्य संपादित कर रही है। हमें यह सुनिशचित करना पड़ेगा कि न हम दहेज लेंगे और न दहेज देंगे तभी दहेज प्रथा समाप्त होगी। सास – बहू की कहानी को मां – बेटी की कहानी में तब्दील करने की आवश्यकता है।

जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक परिवार सशक्त नहीं होगा और बिना परिवार के सशक्तिकरण के समाज भी सशक्त नहीं होगा। आज अगर हम एक पुरूष को शिक्षित करते हैं, तो केवल एक व्यक्ति ही साक्षर होता है। वहीं अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो सारा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अधिक से अधिक महिला बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। समापन सत्र के साथ ही कार्यशाला तो

संपन्न हो जाएगी। परन्तु यहां से हमारा कार्य प्रांरभ होता है।

अंत में उन्होंने राज्य महिला आयोग, समस्त अधिकरियों एवं उपस्थित महिलाओं का आभार प्रकट किया। इससे पूर्व डा. पूर्णिमा आडवाणी ने निम्न महिलाओं को विशेष उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए :–

1. श्रीमती कमला देवी
2. श्रीमती कमलेश कुमारी गुशाल
3. श्रीमती पदमा देवी
4. श्रीमती भरमौर देवी
5. श्रीमती गंगामूर्ति देवी,

अध्यक्षीय भाषण

श्री टी. जी. नेगी, सचिव, समाज कल्याण विभाग ने कार्यशाला के निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिये समाज की मानसिकता को बदलने पर जोर दिया।

श्री सी. आर. बी. ललित, जिलाध्यक्ष लाहौल स्पिति ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष

सशक्तिकरण का अर्थ, पुरूषों पर आधिपत्य जमाना कदापि नहीं है। पुरूष प्रधान समाज के स्थान पर स्त्री प्रधान समाज लाने की बात नहीं है। संक्षेप में, सशक्तिकरण का अर्थ है – महिलाओं की शक्तिहीनता कम करना और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाना। यह कई बार कहा जाता है कि आदिवासी समाज में महिला को काफी हद तक स्वच्छन्दता प्राप्त है किन्तु हम इस सच्चाई को भी नहीं नकार सकते कि आदिवासी महिला भी आखिर महिला समाज की एक अभिन्न अंग है और वे भी उन कई सारी समस्याओं से ग्रसित हैं जिनका सामना अन्य महिलाओं को भी करना पड़ता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर, गुवहाटी एवं मनाली में आयोजित की। इन कार्यशालाओं में आदिवासी महिलाओं के उत्थान संबंधी विभिन्न विषय पर विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारीयों, आदिवासी महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। कार्यशालाओं में हुये विचारमंथन से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आये :–

1. आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि तो है लेकिन प्राथमिक शिक्षा उनकी स्थानीय भाषा में न होने के कारण वर्तमान शिक्षा पद्वति उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में बहुत जटिल लगती है।

2. आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल हैं, लेकिन उनके लिये 5 –5 कि. मी. पैदल चलना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्पादनों का उनको दी जाने वाली शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। जिससे कारण भी वे शिक्षा के प्रति उदासिन हैं।

3. मनाली, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि वहां कि महिलाएं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से बहुत चिंतित थी। उनके रोष का स्तर यह था कि उन्हें अपने क्षेत्र में और शिक्षा केन्द्रों का खोलना तक पसंद नहीं था।

4. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी महिलाएं निर्धनता एवं संसाधनों के अभाव में स्वेच्छा से एवं दबाव वश नक्सलवादियों की और आकर्षित हो रहीं हैं।

5. गुवहाटी कार्यशाला में आदिवासी महिलाओं ने बताया कि उन्हें परंपराओं और रीतियों के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। अतः उनकी मांग थी कि जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रलेखीकरण कर एक नये सर्वमान्य कानून का सृजन किया जाना चाहिएं।

6. 'जनजाजिय समाज की कुछ रीतियां आज कुरीतियों में बदल गई हैं उनका निषेध आवश्यक है'। सोचने का ढंग, परम्पराओं से प्राप्त परिस्थितियों में काल के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। इसके बारे में चिन्तन और फिर आचरण करना चाहिए।

7. कुजी प्रथा में शादी – शुदा लड़कियों को परम्पराओं के नियमों के अनुसार तलाक देकर छोड़ देते हैं। इसलिए बहुपति और बहु–पत्नी प्रथा प्रचलित है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।

8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं हथकरघा कला में निपुण है। उनकी समस्या थी कि उनके द्वारा निर्मीत उत्पाद को बाजार सुलभ नहीं हैं। अतः अगर हम उन्हें उनके द्वारा निर्मीत उत्पाद की बिक्री के लिये बाजार उपलब्ध करा सकें तो उन्हें रोजगार मिलेगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

9. आदिवासीयों का जीवन जल, जंगल जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परन्तु उन्हें पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वनों से विस्थापित किया जा रहा है। यह हमें समझना होगा कि वनों से बाहर उनका जीवन दुश्वर है। पर्यावरण संरक्षण के नियम ऐसे हो जिनसे वनों की सुरक्षा हो न कि आदिवासीयों का वनों से विस्थापन क्योंकि आदिवासी वनों के रक्षक है, न कि भक्षक।

10. रानी दुर्गावती की कर्मस्थली जबलपुर में आदिवासी महिलाओं के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये एक बहुउद्देशीय विकास की मांग बहुत पुरानी है।

11. कई आदिवासी बहुल्य राज्यों में महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है।

12. हमारी आदिवासी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग देश के सीमावर्ती भागों पर रहता है और इसके सभी सदस्य चाहे पुरूष हों या महिला वे समय – समय पर सीमाओं पर उभरने वाले तनाव व संर्घष का शिकार होते हैं।

13. उत्तर पूर्व के कई राज्यों में एवं हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में भारी हिमपात होता है और कई बार तो वहां के निवासी कई महीनों तक घर से बाहर नही निकल पाते है।

14. आदिवासियों में भ्रूण हत्याएं तो कम होती हैं परन्तु झारखंड एवं बिहार में वृद्ध महिलाओं को डायन करार दे कर मार दिया जाता है। ओझा अगर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है तो अपनी खामियों को वह किसी वृद्ध महिला पर मढ़ देते है। डायन विरोधी अधिनियम की प्रासंगिकता पर आज भी प्रश्न चिन्ह है।

15. आदिवासी औरत दिन भर काम में जुटी रहती है। घर का काम करती है तथा खेत – खलिहान में खटती है, जंगलों से लकड़ी बटोरती है और अगले दिन रेल में सवार होकर लकड़ी बेचने जाती है तब जाकर कहीं उसके घर का चूल्हा जलता है। उसकी इसी वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में हमें उसके सशक्तिकरण की चर्चा करनी चाहिए। सशक्तिकरण का ध्येय होना चाहिए कि महिलायें कभी भी अपने को समाज से उपेक्षित न महसूस करें।

16. आदिवासी पहले जंगल के राजा के नाम से जाने जाते थे, परन्तु आज वे जंगल के ठेकेदारों के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

17. जंगल और कृषि योग्य भूमि का कम होना आदिवासी की भूमि का हस्तांतरण और जनसंख्या के दबाव के कारण आदिवासियों को गैर कृषि के कार्यों में जुटना पड़ रहा है। इन अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

18. योजनाएं चलाने के लिये आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा की आपूर्ति होनी चाहिए। योजनाओं का चयन करते समय आदिवासी जनता की अपेक्षाओं पर भी विचार होना चाहिए। देहात में जाने के लिये सड़क नहीं है इस कारण से हमारे अधिकारी देहात में जाना पसंद नहीं करते।

19. आदिवासीयों की भूमि संबंधी मुख्य समस्या का कारण वन एवं भूमि संबंधी अधिनियमों की जटिलता है। जैसे झारखंड में लागू छोटा नागपूर टेनेन्सी एक्ट एवं संथाल परागना टेनेन्सी एक्ट का स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति में होना।

20. आदिवासी महिलाओं का जीवन स्तर उपर उठाने के लिए सरकारी योजनाएं तो बहुत बड़ी–बड़ी बनाई गई हैं, परन्तु उन योजनाओं का लाभ वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि अब नए ढंग से उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विचार–विमर्श करके कार्य योजना तैयार की जाए।

21. प्रकृति ने मानव शरीर के निर्माण, विशेष रूप से महिलाओं की शारीरिक संरचना को ऐसा आकार दिया है कि वह बहुत श्रम साध्य कार्य नहीं कर सकती। हमारे शोषित पीड़ित, दलित, वनवासी समाज में सर्वाधिक श्रम साध्य कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता है।

22. जनजातीय क्षेत्र वन उत्पादों से समृद्ध हैं, वे हमारी पूंजी हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देख–भाल करने के लिए औषधीय जड़ी–बूटियों के पारम्परिक ज्ञान को बनाए रखा जाए।

23. जिस समाज में वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता है वहां भी दहेज प्रथा धीरे–धीरे घर करती जा रही है। साथ ही दहेज उत्पीड़न भी बढ़ रहा है।

24. आदिवासी सूचना के मामले में पिछड़े हुए हैं। रोजगार विनिमय कार्यालय गांव से बहुत दूर स्थित होते हैं जिन तक आदिवासी महिलाएं पहुँच नहीं पाती।

25. यहाँ लोग सिंचाई के साधनों के अभाव में वर्षा पर निर्भर हैं, छःमाही खेती करने को मजबूर हैं। बाकी के छः माह रोजगार के लिए भठ्ठा इत्यादि की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

26. मेघालय में खासी तथा गारों मातृक जनजातियां हैं। मातृक प्रणाली के बावजूद महिलाओं को सम्पत्ति हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। उसे केवल सम्पत्ति की अभिरक्षा का अधिकार है।

27. आदिवासी क्षेत्रों में आई. सी. डी. एस. की सेवाओं का लाभ आदिवासी महिलाओं को नहीं मिल रहा है।

28. महिलाएं स्वयं ऋण लेकर काम करना चाहती हैं परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके नाम से जमीन नहीं होती।

29. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में सड़क व स्कूल बनाने का प्रावधान है, परन्तु राज्य शासन की उदासीनता के कारण काफी पैसा लेप्स हो जाता है।

30. आदिवासी कन्या छात्रावासों की स्थिति बेहद दयनीय है। वहाँ कुछ विषयों की शिक्षिका भी नहीं है। न दोपहर के भोजन की व्यवस्था है और न ही कभी कोई निरीक्षण ही होता है।

31. आदिवासी योजनाओं में आदिवासी महिलाओं के लिये पृथक योजनाएं नहीं के बराबर हैं। परिवारोन्मुख योजनाओं का 20 प्रतिशत अंश आदिवासी महिलाओं पर व्यय किया जाना चाहिए।

32. वर्तमान परिवेश में वनों पर बढ़ते जैविक दबाव एवं बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनोपज पर आधारित अनेक उद्योगों की आपूर्ति के फलस्वरूप प्राकृतिक सम्पदा सिकुड़ती चली जा रही है। यदि हम अभी भी वन पर्यावरण एवं इससे सम्बद्ध संसाधनों के बारे में कोई सोच उत्पन्न नहीं करते हैं, तो जीवधारियों के इस सुव्यवस्थित प्राकृतिक क्रम को असंतुलित वातावरण की ओर अग्रसर होने से रोक पाना लगभग असंभव होगा।

33. लाखों आदिवासी महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना है। ग्रामीण महिलाएं ईंधन एवं चारा वनों से इकट्ठा करती हैं। वे अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय और शक्ति का उपयोग इन्हीं दो साधनों को जुटाने में व्यतीत करती हैं।

34. आदिवासी महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है।

35. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के समुचित समावेश के अभाव में जनजातीय विकास की गति बहुत धीमी है। वे कृषि, निर्माण तथा दिहाड़ी पर किए जाने वाले अन्य कार्यों में लगी हैं परन्तु न्यायपालिका, विज्ञान अनुसंधान कार्यों में उनकी उपस्थिति नगण्य है।

36. आदिवासी क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए पानी रोको अभियान की आवश्यकता है। पानी को छोटे से तालाब, चेक डैम, कनटूर बनडिंग के जरिए रोकना होगा। इससे पानी भी मिलेगा एवं भू – जल सतह भी ऊपर उठेगी।

37. आदिवासी आज के नये आयाम को मानते नहीं हैं उनको समझाना होगा एवं उन्हें जागरुक करने के लिये वृहत कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए।

38. नशापान रोकने और परिवार कल्याण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने की आवश्यकता है।

39. लकड़ी के धुएं से प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव महिला पर ही पड़ता है, क्योंकि वह दो – तीन घंटे लगातार रसोई में काम करती है।

40. आदिवासी समाज में महिलाओं को हल चलाने का अधिकार नहीं हैं अन्यथा वह कृषि के हर कार्य को कर पाती।

41. सड़क के अभाव में विपणन की यथोचित व्यवस्था नहीं है। वे टमाटर इत्यादि की उपज को आवागमन के अभाव में अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते। सड़क के अभाव में इन्दिरा आवास योजना जरुरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पहाड़, नदी एवं दुगर्म स्थानों के उस पार सड़क के बिना सीमेन्ट नहीं पहुँचाया जा सकता। आदिवासी

किसान बहुत छोटी–छोटी मात्रा में सिर पर बोझा लेकर (यातायात की कमी के कारण) अपना माल मंडी या हाट–बाजार में बेचने के लिए आते हैं।

42. आदिवासी क्षेत्र का वनीय उत्पाद अत्यंत मूल्यवान है, परन्तु आदिवासी सस्ते दामों पर वनोपज और भूमि उपज बेचने को मजबूर है। लोग चिरौंजी जैसी मूल्यवान चीज भी नमक आदि के बदले में विनिमय कर लेते है।

43. असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत आदिवासी महिलाएं असमान मजदूरी पाती हैं।

44. उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों की जानकारी नहीं होती है। अतः स्वयं सेवी संस्थाओं को उन तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करना चाहिए।

45. महिलाएं असुरक्षित मातृत्व भोग रही हैं, जिससे माताओं की मृत्यु भी होती है यदि उन्हें समय पर सही उपचार मिले तो ऐसी 80 प्रतिशत महिलाओं को बचाया जा सकता है।

46. जन – वितरण प्रणाली एवं लाल कार्ड की स्थिति बहुत दयनीय है।

47. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति दाई द्वारा घरों में ही कराई जाती है। आजकल उन्हें दाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

48. जनजातीय क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध न होना तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी इन क्षेत्रों में जाना उचित नहीं समझते।

49. विभिन्न जनजातियों की संस्कृति के अनुसार विकास योजनाएँ नहीं बन रही हैं। नीतियाँ समूचे भारतवर्ष को ध्यान में रख कर बनती हैं, परंतु आज जनजाति विशेष के संदर्भ में योजनाएं परिमार्जित किये जाने की आवश्कता है।

50. आदिवासी लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाने से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

51. जनजातियों में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के लिए स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों ने जनजातीय समस्याओं को जन्म दिया है।

52. आदिवासी महिलाओं को पंचायतराज व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं तथा जनजातीय महिलाओं का नया नेतृत्व सामने आ रहा है।

53. आदिवासी महिलाओं को वैधानिक जानकारियां न होने से उनका शोषण हो रहा है। अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को सजग किया जाना आवश्यक है।

54. महिलाओं में अंधविश्वास और पुरुषों के दबाव के कारण इनमें सामाजिक चेतना व जागरूकता का अभाव है।

55. स्त्री एवं पुरुष दोनों में शराब के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। शराब को आदिवासी संस्कृति का अंग प्रचारित करने वालों का तीव्र विरोध किया जाना चाहिए।

56. वन उपज आदिवासी क्षेत्रों के जीवन यापन के स्त्रोत हैं। सरकारी नियंत्रण, वन विभाग के बदलते नियम, दलालों, साहूकारों, बिचोलियों के जकड़ते जाल से परंपरागत वन आधारित जीवन व्यवस्था चरमरा गई है।

57. आदिवासी समुदाय मुख्यतः आर्थिक रुप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। आदिवासी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषि एवं वन उपज का सहारा लेते हैं। लेकिन आजकल जंगलों पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होने के कारण आदिवासीयों के लिये विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है।

58. बहुपत्नी विवाह, वैधव्य, बांझपन, जादू – टोना, अंधविश्वास एवं रुढ़िवादिता, गरीबी अभिशोषण, अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, बालविवाह, रोगग्रस्तता, अस्पृश्यता एवं बेरोजगारी सभी समाज में फैली कुरीतियों से जन्म लेती समस्याएं हैं।

59. पति की मौत पर जेठ द्वारा उसकी संपत्ति हड़प लेना, जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर महिला को संपत्ति विहीन कर देना अब आदिवासी क्षेत्रों में घर कर गया है।

60. आदिवासी बहुल क्षेत्र वन संपदा का धनी है। वनौषधि का भंडार है।

अनुसंशाएं

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं में पारित की गई अनुशंसाएं निम्न प्रकार हैः–

रांची कार्यशाला

1. जनजातीय समाज महिला प्रधान होते हुए भी आदिवासी महिलाएं सर्वाधिक शोषित हैं।

2. जनजातीय समाज में महिला विरुद्ध कुरीतियों को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, जैसे डायन प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए – डायन विरोधी शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएं और द्रुतगामी पुलिस कार्यवाही की जाए।

3. आदिवासी महिलाओं में व्याप्त कुपोषण, अशिक्षा को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिएं। अन्न भंडारण की व्यवस्था की जाये। विदेशों से प्राप्त पोषक आहार पर निर्भर होने के अलावा स्थानीय फल एवं अनाजों की उपयोगिता बढ़ाई जाए।

4. आदिवासी परिवार ऋण के बोझ तले दबे हैं। जिसका निवारण जरुरी है। खासकर महिला SHG (स्व सहायता समूह) द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने में पूर्व में परिवार के पुरुषों द्वारा लिया गया सरकारी ऋण बाधा साबित होता है। ऐसे मापदंड निर्धारित किए जाए कि उक्त बाधाएं दूर की जा सकें।

5. बड़े शहरों एवं हर जिला मुख्यालय में पर्याप्त आदिवासी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाए। इससे उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आदिवासी परिवार अपनी बेटियों को घर से दूर बेझिझक भेज सकेंगे। फलस्वरुप अधिक संख्या में आदिवासी महिलाएं समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगी। सरकारी, गैर–सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

6. आदिवासी लड़कियों को शिक्षा, भोजन एवं पुस्तकें मुफ़्त दी जानी चाहिए।

7. ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की निर्णय क्षमता विकसित करने एवं वित्तीय समझ को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, ताकि वे बाजार से अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें एवं अपने व्यवसाय को ठीक तरह चला सकें।

8. आदिवासी महिला को अपनी रक्षा के लिए कानून एवं अधिकारों से वाकिफ करने के लिए कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए।

9. महिला शिक्षा जरुरी है और प्रत्येक स्तर पर सार्थक योजना बनायी जाए।

10. आदिवासी महिला खेती का 90 प्रतिशत काम करती है, परन्तु आज तक वह हल चलाने के अधिकार से वंचित है। समाज या सरकार में महिला को कृषक के रूप में नहीं देखा जाता है। सरकारी नीतियों में आदिवासी महिला को भी कृषक का दर्जा दिया जाना चाहिए। महिलाओं के उपयुक्त खेती के औजारों का अनुसन्धान किया जाए।

11. आदिवासी महिला किसान पर शोध संस्थान तथा रोजगार नियोजनालय स्थापित किए जाने चाहिए।

12. आदिवासी महिला के श्रम की सही पहचान की जाए, जिससे वह मात्र एक रेजा या आया ही नहीं, नये जीविकोपार्जन के साधनों को अपना सके। इसके लिये उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिला को राजमिस्त्री, पम्प मेकेनिक का भी प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे उसकी आय के साथ आत्म –सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी।

13. पलायन (Migration) की घोर समस्या है। यहां लोग सिंचाई साधनों के अभाव में वर्षा पर निर्भर छः माही खेती करने को मजबूर हैं। बाकी के छः महीनों में वे रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। परिणामस्वरुप बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। आदिवासी महिलाएँ बड़े शहरों की ओर काम की खोज में पलायन करती हैं। जहां कई तरह से उनका शोषण होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को कम–से–कम दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में उनके अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

14. आदिवासी महिलाओं में सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं की जानकारी का अभाव है। विभिन्न मदों में आवंटित राशि क्यों खर्च नहीं होती इसकी जाँच होनी चाहिए।

15. आदिवासी सहकारिता विकास समिति (लैम्पस) अधिकतर जगहों पर छिन्न भिन्न हो चुकी हैं, जिससे वनोपज के विपणन में आदिवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

16. जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक है। काष्ट ईंधन के विकल्प पर ध्यान दिया जाए। गैर काष्ट उत्पाद वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17. अधिकतर आदिवासी महिलाएँ असंगठित क्षेत्रों में लगी हुई हैं। वहां उनका कई तरह से शोषण हो रहा है। उदारीकरण एवं मशीनीकरण के फलस्वरूप महिलाओं के जीविकोपार्जन के साधन घट रहे हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

18. ट्रायफेड जैसी सरकारी विपणन संस्थाओं के बारे में ग्रामीणों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं में जानकारी का अभाव पाया गया है। आदिवासी ट्रायफेड के माध्यम से वनोपज का विपणन नहीं कर पाते हैं। अतः सरकारी उपक्रमों के कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

19. सशक्तिकरण, महिलाओं के कार्यों को बदलने तक सीमित न रखकर, पुरुषों के पारम्परिक कार्य – कलापों को भी बदलने की आवश्यकता है।

20. प्रजनन एवं बाल–स्वास्थ्य तथा महिला कुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

21. एलोपैथी शोध और अध्ययन से निरन्तर प्रगति जरुर है, किन्तु वह काफी खर्चीला माध्यम है। इसलिए स्वास्थ्य एवं पोषण के पारंपरिक लोक ज्ञान को बढ़ावा देना होगा। साथ में Alternative Medicine जैसे युनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद की पद्धतियों को भी बढ़ाना होगा। हरबल औषद्यीय युक्त जड़ी – बूटी आदि संपदा का प्रलेखीकरण होना चाहिए।

22. जनजातीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

23. आदिवासियों के परम्परागत विधानों एवं नियमों का प्रलेखीकरण कर उसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाए।

24. पंचायतों में आदिवासी महिलाओं को समुचित स्थान दिया जाए और इनकी समस्याओं को दूर किया जाए।

25. छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1908 एवं संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट 1948, के तहत् महिलाओं को जमीन पर स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसमें बदलाव लाकर महिलाओं को भी अधिकार दिलाया जाए।

26. झारखंड़ राज्य महिला आयोग का गठन किया जाए।

27. बड़ी – बड़ी परियोजनाओं के चलते विस्थापित लोगों के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। विस्थापनोपरान्त महिलाओं के जीवन स्तर को बरकरार रखने तथा बेहतर करने के लिये विशेष उपाय होने चाहिए।

28. सामान्य संपत्ति (Common Property Resource) पर महिलाओं के अधिकार सुदृढ किए जाए।

नाशिक कार्यशाला

1. आदिवासी महिलाओं में सरकारी योजनाओं के प्रचार – प्रसार हेतु ग्राम स्तर पर अधिकाधिक जागरुकता शिविर लगाये जाएं।

2. न्यायालयों में लंबित, महिला संबंधी प्रकरणों के जल्दी निपटान हेतु जिला स्तर पर पृथक महिला कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए।

3. शिक्षा के साथ खेलकूद, कला – कौशल एवं संस्कार दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. आदिवासी लड़कियों के आर्थिक स्वावलंबन हेतु व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार – प्रसार दूरस्थ स्थानों पर होना चाहिए।

5. आदिवासी लड़कियों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आश्रम शालाये एवं माध्यमिक शाला स्तर पर कन्या छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिए।

6. प्रत्येक मंत्रालय में पृथक महिला विभाग होना चाहिए, जिससे महिलाएँ अधिक संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसकी पहल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा होनी चाहिए।

7. ट्रायफेड को वन औषधी एवं आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये पृथक विभाग के गठन पर विचार करना चाहिए।

8. स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा स्व सहायता समूहों के गठन एवं सरकारी योजनाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. महिलाओं के आर्थिक विकास को दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला बैंक की स्थापना होनी चाहिए। जिससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को एक नई दिशा मिले।

10. वन संबंधी कानूनों का पुनरीक्षण कर, वन विकास एवं संरक्षण संबंधीत पृथक नीतियों का सृजन होना चाहिए, जिससे आदिवासियों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके।

11. आदिवासियों के उत्पाद के विपणन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए।

12. आदिवासी क्षेत्रों में वन संपदा एवं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये उद्योगों का चयन किया जाये, जिससे उपलब्ध संसाधनों का सुदुपयोग हो एवं आदिवासियों के आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त हो।

13. आदिवासियों में बचत की प्रवृति को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष जमा योजना बनाई जाये।

14. आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य, कुपोषण, प्रसूति आदि की आपातकालीन देखभाल हेतु एक पृथक स्वास्थ्य निधि की स्थापना की जानी चाहिए। तत्संबंधी प्रस्ताव पास करने के अधिकार ग्राम पंचायत स्तर पर दिये जाएं। जिससे 24 घंटों के भीतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

15. नक्सलवादी अब आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अशांति फैलाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। समय रहते सरकार को विशेष प्रबंध करने चाहिए ताकि आदिवासी महिलाएं नक्सली तत्वों के बहकावे में न आएं।

16. आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टर का काम भगत, औझा, वैद्य आदि पुरुष लोग ही करते हैं। उनमें स्त्री रोगों के ज्ञान का अभाव पाया गया है। लेकिन इन क्षेत्रों में भगत, औझा, वैद्य आदि पर ही सभी लोगों का अतिविश्वास देखने में आया है। अतः इन भगत, औझा, वैद्य आदि के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक गांव

में 4–5 महिलाओं की टीम बनाकर उनको भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वे भी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकें।

17. महिला डाक्टरों, नर्सेस तथा स्वास्थ्य सेविकाओं के लिये वाहन व्यवस्था अति आवश्यक है, जिससे वे दुर्गम स्थानों पर भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें।

जबलपुर कार्यशाला

1. आदिवासी महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव पाया गया। अतएव विकासखंड स्तर पर जनजागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

2. रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर में आदिवासी बालिकाओं के विकास से संबंधित राष्ट्रीय स्तर का एक परिसर निर्मित होना चाहिए। जहां खेलकूद, क्रीड़ा, कला एवं शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जाएं। जनजाति कल्याण मंत्रालय इस कार्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराये।

3. वन संपदा, वन औषधी एवं लद्यु वनोपज का समुचित दोहन हो और उसके लाभ आदिवासी महिलाओं को उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना बनाई जाए।

4. राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी महिलाओं की पहचान बढ़ाने हेतु उन्हें रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। यह अलंकरण समारोह गणतंत्र दिवस पर आयोजित हो। पुरस्कार विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये होना चाहिए। इस कार्य हेतु एक समिति गठित की जानी चाहिए।

5. अत्यंत पिछड़े जनजाति समूहों (PTGs) के शैक्षणिक विकास हेतु न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ग्रामों का चयन किया जाये। इस कार्य हेतु शिक्षा विशेषज्ञों के विशेष दल तैयार किये जाए और विशेष योजनाए बनाई जायें।

6. आदिवासी महिलाओं के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये आदिवासी महिला क्रेडिट कार्ड योजना पर विचार किया जाये और एक मॉडल प्रोजेक्ट मंडला जिले में चलाया जाए। इस कार्य हेतु ट्रायफेड से सहयोग लिया जा सकता है।

7. आदिवासी महिलाओं से खदानों के मालिक रात में भी कार्य करवाते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाते हुये सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित किया जाए।

8. आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई जाए। संबंधित सरकार, सरकारी संगठन, पंचायत एवं आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा बीमा शुल्क जमा कराया जाना चाहिए।

9. गृह विज्ञान, वनोपज संग्रहण एवं कृषि यांत्रिकी से संबंधित विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को करीब से जाना जा सके। इस कार्य हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय फेलोशिप प्रदान करे।

10. आदिवासी छात्राओं की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं महिलाओं को खेतिहर निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था वृहत स्तर पर त्वरित गति से की जावे।

11. आदिवासी छात्राओं के लिये अधिक पालिटेक्निकों की स्थापना और ट्रान्सफर आफ टेक्नालाजी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. आदिवासी छात्राओं के लिये अधिक संख्या में निःशुल्क आवास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए।

गुवाहाटी कार्यशाला

1. एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा आरम्भ की गई नई स्कीम, जिसे जनजातीय महिला सशक्तिकरण स्कीम के रूप में जाना जाता है, का बहुत स्वागत हुआ है। स्कीम को पूरे उत्साह से कार्यान्वित किया जाए। यह सिफारिश की जाती है कि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित कार्यकारी समिति में जनजातीय महिलाओं को शामिल किया जाए।

2. जनजातीय महिलाओं के विकास के लिए ट्राइफेड तथा एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को विभिन्न स्थानों पर जोनल तथा शाखा कार्यालय खोलने चाहिए, जो स्वयं-सेवी ग्रुपों के माध्यम से सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करें। ट्राइफेड तथा एन.एस.टी.एफ. डी.सी. को जनजातीय महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने का काम भी सौंपा जाना चाहिए। एक 20 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक जनजातीय परिवार को स्व - रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जा सकें। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधि को इस काम में प्रारम्भ से अंत तक जोड़े रखा जाए।

3. दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान हथकरघे तथा हस्तशिल्पों के विकास को उच्चतम वरीयता दी जाए क्योंकि इस क्षेत्र से जनजातीय महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। योजना आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला तथा बाल विकास विभाग और लघु उद्योग विभाग से इसके लिए आग्रह किया जाए।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल है, जिसकी अपनी समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर में उन परिवारों, जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, को न केवल अपने विकलाँग अस्वस्थ तथा बीमार पुरूष-सदस्यों की अपितु अपने बेरोजगार लड़के तथा लड़कियों की भी देख भाल करनी पड़ती है, जो कभी - कभी नशीली दवाओं के व्यसनी भी होते हैं। यह सिफारिश की जाती है किऐसे सभी परिवारों का एक सर्वेक्षण किया जाए और उसके बाद "विशेष सहायता की आवश्यकता वाली जनजातीय महिलाओं" हेतु एक योजना तैयार की जाये। राष्ट्रीय महिला आयोग को यह मामला

महिला तथा बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग और साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन -जाति आयोग के समक्ष उठाना चाहिए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जनजातीय ग्रुप के लिए जनजातीय महिलाओं के सुग्राहीकरण और उन्हें अपने अधिकारों तथा उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए गैर - सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए।

6. यह सिफारिश की जाती है कि अभिप्रेत दिशा में बढ़ने के लिए विभिन्न गैर - सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में गैर सरकारी संगठनो का एक संघ बनाया जाये। भारत सरकार में पूर्वोत्तर राज्य विभाग को कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए ऐसे संघ को संगठनात्मक सहयोग प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। संघ का राज्य के गैर - सरकारी संगठनों स्वैच्छिक क्षेत्र तथा साथ ही स्वयं - सेवी समूहों से प्रभावी नेटवर्किंग होनी चाहिए।

7. पूर्वोत्तर राज्यों में जो भारी राशि बची हुई है, उसके कारणों का आंकलन किया जाए और आने वाले वर्षों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि को कारगर बनाया जाए। यदि आवश्यक हो तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा देश के किसी अन्य भाग में नए कार्य करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेप्स न होने वाली "महिलाओं के लिए निधि" सृजित की जाए।

8. कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा वन सम्बन्धी प्रक्रियायें जनजातीय महिलाओं की जीवन - रेखा है। यह सिफारिश की जाती है कि महिलाओं के हित के मुद्दों का अध्ययन किया जाये और उनके विकास के लिए सुझाये गए कदमों के माध्यम से उन्हें प्रकाश में लाया जाए।

9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क/परिवहन, संचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की जरूरत को दोहराया जाता है और यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय महिलाओं के प्रतिनिधियों के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जाए और प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान की जाए।

10. जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप-योजना कार्यान्वित करने वाले राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देता है, न कि अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड जैसे जन-जाति बहुल राज्यों को। यह सिफारिश की जाती है कि ऐसे राज्यों में अत्यधिक पिछड़े जनजातीय ग्रुपों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक स्कीम बनानी चाहिए।

11. जमीन से जुड़ी जनजातीय महिलाओं के विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय स्तर पर तथा राज्य सरकारों को राज्य स्तर

पर महिला एकक (सेल) स्थापित करने चाहिए। महिला एककों को विचारों, प्रत्येक जनजाति के मूल्यों तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के आदान-प्रदान के लिए अन्तर्राज्य सद्भावना दौरों तथा यात्राओं को बढ़ावा देना चाहिए।

12. जनजातीय महिलाओं की समस्याओं से निपटने के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष एकक बनाया जाना चाहिए।

13. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित विभाग को भारत सरकार में सभी मंत्रालयों/विभागों तथा इनके विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे ट्राइफेड तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त तथा विकास निगम और पूर्वोत्तर परिषद के कार्यकलापों का समन्वय करना चाहिए और दसवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए जनजातीय महिलाओं के विकास के लिए एक कार्य- योजना तैयार करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातीय महिलाओं के लिए पर्याप्त निधियां निर्धारित की जाएं।

14. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिन राज्यों ने अभी तक राज्य महिला आयोग की स्थापना नहीं की है, उन्हें शीघ्र इसकी स्थापना करनी चाहिए।

15. समाज-विज्ञान अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को जनजातीय महिलाओं से संबंधित मुद्दों, प्रथागत कानूनों तथा रिवाजों की संहिता पर अध्ययन करना चाहिए। इस विषय पर मसौदा समिति में जनजातीय महिलाओं को इस समिति के सदस्यों के रूप में अवश्य शामिल किया जाए।

मनाली कार्यशाला

(1) भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु विकल्प के तौर पर महिलाओं को दाह संस्कार का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में दाह संस्कार का अधिकार केवल पुरुषों को ही है।

(2) लाहौल स्पिति, किन्नौर, भरमौर एवं चम्बा जिलों में भारी हिमपात के कारण ये जिले मुख्य मार्ग से कुछ दिनों तक कट जाते हैं। तब वहां महिलाएं अपने घरों में रहते हुए जुराब, पटटू, दस्ताने, स्वेटर आदि बुनती हैं। उनकी हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पादों की बिक्री के लिये बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(3) जो पुरानी रीतियां एवं परंपराए आज कुरीतियां बन गई हैं, उनमें तुरंत संशोधन एवं उनका निषेद्य किया जाना चाहिए।

(4) लाहौल स्पिति में पर्यटन के नये क्षेत्रों का विकास किया जाए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

(5) सुदूर भौगोलिक दृष्टि से जटिल क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि इन क्षेत्रों में डाक्टरों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में प्रसूति पूर्व मृत्यु, हल्के बुखार के बिगड़ने से मृत्यु आदि प्रकरण देखने में आये हैं।

(6) लघु, कुटीर एवं गृह उद्योगों की स्थापना अधिक की जाये ताकि लोगों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

(7) छोटे–छोटे स्टाप् डेम एवं नहर बनाकर पानी के सभी श्रोतों का संकलन किया जाये ताकि पेयजल की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।

(8) चर्म उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उसके विपणन के लिए सरकारी स्तर पर कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

(9) महिला प्रतिनिधिओं में जागरूकता का अभाव पाया गया, उसके समाधान के लिए जिला स्तर पर चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(10) भरमौर एवं इसके आस पास के क्षेत्रों में निरक्षरता को मिटाने में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाये।

(11) रोजगार हेतु लोगों के पलायन को रोकने के लिये नये रोजगार – परक संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिये जिससे रोजगार के नये साधनों का सृजन किया जा सके।

(12) प्रत्येक गांव से 5 बहुओं/लड़कियों को दाई की ट्रेनिंग दी जाये जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा एवं ग्राम में सुलभ प्रसूति की सुविधा भी होगी।

(13) शिक्षा केन्द्रों में और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

(14) प्राकृतिक रुप से समृद्ध हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियां, आर्युवेदिक दवाईयों तथा हर्बल बूटियों के प्रसंस्करण के लिये अधिक संख्या में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरणः समस्याएं एवं सम्भावनाएं

प्रस्तावना – 1991 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी लगभग 6 करोड़ 78 लाख है और इनमें 500 से अधिक जनजातियों में प्रत्येक की अपनी विशेषतायें हैं। राज्यवार जनजातियों का कुल आबादी में अनुपात परिशिष्ट 1क पर उपलब्ध है। उनकी सामाजिक व्यवस्था, जीविकोपार्जन के साधन रहन – सहन और सांस्कृतिक पहलू भिन्न–भिन्न हैं। इनमें से अधिकतर जातियां अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करती हैं।

उनकी आर्थिक – सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुये संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिससे उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से अविलंब जोड़ा जा सके। उनकी गरीबी दूर हो, वे शिक्षित हों और उन्हें रोग एवं कुपोषण से बचाया जा सके। विकास की दौड़ में जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ उनके लगाव को ध्यान में रखते हुए उनका उत्थान सुनिश्चित करना ही हमारा ध्येय है। जनजातियों में महिलाओं का विशेष स्थान है और वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।

यह सर्वविदित है कि जनजातियां विकास के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। जहां देश की कुल साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत है, वहीं जनजातियों की साक्षरता दर मात्र 29.6 प्रतिशत है। अन्य जातियों की कार्य सहभागिता की दर 37.5 प्रतिशत है। परन्तु जनजातियों की दर 49.3 प्रतिशत है। जहां कुल जनसंख्या में केवल 37.3 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं वहीं आदिवासियों में इसका प्रतिशत 51.9 है। कक्षा पहली से 8वीं तक स्कूल छोड़ने की दर सम्पूर्ण भारत में केवल 52.8 प्रतिशत है जबकि आदिवासियों में यह 77.77 प्रतिशत है। आई. ए. एस. में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व केवल 4.9 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत 8.1 है।

यदि हम आदिवासी महिलाओं से संबंधित आंकड़ों पर नजर डाले तो यह विदित होता है कि उनकी दशा पुरुषों की तुलना में अत्याधिक पिछड़ी हुई है। कुल आदिवासियों की साक्षरता दर जहां 29.6 प्रतिशत है वहीं केवल 18.2 प्रतिशत आदिवासी महिलायें ही साक्षर हैं। यह इस बात का संकेत है कि शासकीय सेवाओं में उनकी भागीदारी बहुत कम है।

आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में यह प्रावधान है कि आयोग के 5 सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का अवश्य होगा। (धारा 3 (2 ख) - राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990।

आयोग का गठन सन 1992 में हुआ था। तब से सदैव ही एक सदस्य आदिवासी महिला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर भारत सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य मनोनीत करती है। एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्यों से मिलकर आयोग का तंत्र पूरा होता है। आयोग की अध्यक्ष एवं 5 सदस्य सारे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिये संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षापायों का पुनरीक्षण; उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने; शिकायतों का निवारण तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर सरकार को

सलाह देने का दायित्व निभाता है। अपने कर्तव्य निर्वाह में आयोग ने महिलाओं से संबंधित विषय पर कुछ साहित्य भी प्रकाशित किया है, जो निम्नानुसार है :–

1. आदिवासियों में स्त्री शिक्षा
2. आदिवासी महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं
3. आदिवासी महिलाओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4. आदिवासी महिला एवं रोजगार
5. आयोग में प्राप्त शिकायत एवं निवारण संबंधी जानकारी परिशिष्ट 1 (ख तथा ग) पर दी गई है।

जनजातीय उप योजना और विकास

भारत सरकार ने जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। जनजातीय उपयोजना प्रमुख है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य की सामान्य आबादी की तुलना में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार विशेष सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी इस ओर प्रयासरत हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत भी अनुदान दिया जाता है। कतिपय विशेष केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती हैं जैसे, आवासीय विद्यालय, बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास, व्यवहारिक प्रशिक्षण, महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना, लघुवन उत्पाद कार्यकलापों के लिये राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम को सहायता, ग्रामीण अन्न बैंक योजना, स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान, आदिम जाति समूहों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता आदि। विभिन्न योजनाओं को आयोजित करने के लिये 21 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा भी सुदृढ़ किया गया है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी विकास हेतु वर्ष 1999–2000 में 558. 72 करोड़ रुपए व्यय किये और वर्ष 2000 –2001 के लिये प्रथमतः 810 करोड़ का योजना मद में प्रावधान किया है। कुछ योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1घ पर दिया गया है।

जनजातीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति और उनके सशक्तिकरण के प्रयास

भारतवर्ष की नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चली है। अब यह जानना आवश्यक है कि जनजातीय महिलाओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए हमारे अगले प्रयास क्या हों ? इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निश्चय किया कि क्षेत्रीय स्तर पर पांच कार्यशालाओं क्रमशः रांची, नाशिक, जबलपुर, गुवाहाटी एवं मनाली तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित हो। पांच कार्यशालाओं से संबंधित जानकारी अग्रानुसार है।

रांची क्षेत्रीय कार्यशाला से संबंधित जानकारी

रांची कार्यशाला में झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यशाला भारत की जनजाति की कुल जनसंख्या (678 लाख के लगभग) की एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :–

राज्य	जनजाति समुदाय की आबादी	भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी की तुलना में राज्य की अनु.जनजाति आबादी का प्रतिशत
बिहार एवं झारखण्ड	66.2 लाख	9.77 प्रतिशत
उड़ीसा	70.3 लाख	10.38 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	38.1 लाख	5.62 प्रतिशत

भारत की 75 अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों में से लगभग एक तिहाई **(**24**)** इन राज्यों में बसती हैं। इन महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए कार्यशाला दिशा निर्देश देगी। इन राज्यों में बसने वाली जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

झारखण्ड एवं बिहार

झारखण्ड व बिहार में जनजाति आबादी 66 लाख है और जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 11 जिलों में उनका हिस्सा 75.4 प्रतिशत है। इन राज्यों की 30 जनजातियों में से मुण्डा, उराव, हो व संथाल प्रमुख हैं। जहां उराव जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 32 प्रतिशत है, हो जनजाति में महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत ही है। पहाड़िया और बिरहोर तो अत्यंत पिछड़े हुए हैं। झारखंड के रांची व सिंहभूम जिले तथा पलामू और संथाल परगना के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। बिहार, झारखण्ड में जिन 9 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, वे हैं असुर, बिरहोर, बिरिजा, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सोरा पहाड़िया एवं सावर।

उड़ीसा

उड़ीसा में 62 जनजातियों की जनसंख्या 70 लाख के करीब है। इनमें प्रमुख जनजातियां बिरहोर, गोंड, जुआंग, खोंड, मुंडारी, उराँव, संथाल, थरूआ और कोरूवा हैं। मयूरभंज, सुन्दरगढ़ तथा कोरापुट जिलों के अतिरिक्त 5 अन्य जिलों के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उड़ीसा राज्य में निवास करने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजातियां 13 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं – बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगोरिया कोंध, जुआंग, खरिया, कुटिया कोंध, लांजिया सौरा, लोधा, मांकडिया, पौढ़ी भुइयॉ एवं सौरा।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 38 जनजातियों की जनसंख्या लगभग 38 लाख है। यहां की प्रमुख जनजातियॉ असुर, बिरहोर, कोरवा, लेपचा, मुण्डा व संथाल हैं। यहां बसने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजातियां जैसे बिरहोर, लोधा व टोटो हैं।

राज्यों की जनजाति विकास की जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

विवरण	भारत	बिहार एवं झारखंड	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल
जनजाति (संख्या लाखों में)	678	66.2	70.3	38.1
स्त्री अनुपात प्रति हजार पुरूष	972	971	1002	964
महिला साक्षरता दर	18.2	14.8	10.2	14.9
कक्षा 1 से 8 तक स्कूल छोड़ने की दर 1993–94	77.7	85.5	86.5	86
कार्य सहभागिता प्रतिशत	49.3	45.7	49.4	47.7
कृषक प्रतिशत	54.5	63.1	50.8	29
कृषि श्रमिक	32.7	25.5	38.3	50.7
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत–1993–94	51.94	69.75	71.26	61.95
प्रशासनिक ढांचा (संख्या में) आई.टी.डी.पी.	194	14	21	12
माडा (संख्या में)	259	41	46	–
समूह (कलस्टर) (संख्या में)	82	7	14	1
अत्यंत पिछड़ी जनजातियां (संख्या में)	75	9	13	3

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उड़ीसा की आदिवासी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई हैं। वहां के 71 प्रतिशत आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि वहां के लगभग आधे आदिवासी परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और केवल 29 प्रतिशत आदिवासी कृषक हैं अर्थात उनके पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं हैं।

आदिवासी महिलाओं का मुख्य कामगारों संबंधी विवरण परिशिष्ट 1ड में दिया गया है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले राज्यों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(संख्या लाखों में)

राज्य	कुल आदिवासी महिलाएं	काश्तकार	कृषि मजदूर
बिहार एवं झारखण्ड	7.26	4.06 (56 प्रतिशत)	2.58 (35.5 प्रतिशत)
उड़ीसा	8.09	2.53 (31.27प्रतिशत)	4.72 (53.3 प्रतिशत)
पश्चिम बंगाल	6.22	1.3 (22 प्रतिशत)	3.8 (61.25 प्रतिशत)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहां बिहार में अधिकतर आदिवासी महिलाएं काश्तकार हैं वहीं उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में उनका बहुल्य कृषि मजदूरी में है।

नाशिक क्षेत्रीय कार्यशाला से संबंधित जानकारी

नाशिक कार्यशाला में महाराष्ट्र व गुजरात के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यशाला भारत की जनजाति की कुल जनसंख्या (678 लाख के लगभग) की 14 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। जिसकी कुल संख्या महाराष्ट्र व गुजरात में क्रमशः 73.2 एवं 61.6 लाख है।

भारत की 75 अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों में से आठ इन राज्यों में बसती हैं। यह कार्यशाला राज्यों में बसने वाली महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए दिशा निर्देश देगी। इन राज्यों में बसने वाली जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में जनजाति की जनसंख्या राज्य की आबादी का 9 प्रतिशत है। राज्य की 47 जनजातियों में से भील, भुंजिया, चौधारा, धोधिया, गोंड, नायक, उरांव, पारधी, राथवा और कोली महादेव प्रमुख हैं। महादेव कोली महाराष्ट्र की एक प्रमुख जनजाति है जिसकी उत्तरी कोंकण क्षेत्र में कोली नामक जागीर थी। यह जनजाति मछली पालन, खेती, पशुपालन, दूध से संबंधित व्यापार, वन और निर्माण कार्यों के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। इनकी पंचायत व्यवस्था आदिवासी संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

महाराष्ट्र के निम्न जिलों थाणे, नाशिक, गढ़चिरोली, यवतमाल, धुलिया, अमरावती, पुणे, चंद्रपुर, जलगॉव, अहमदनगर और नांदेड़ के अधिकांश भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गए है। तीन जनजातियों को अत्यंत पिछड़ा घोषित किया गया है, जिसमें कि कटकरिया, कोलम और माडिया गोंड को शामिल किया गया।

महाराष्ट्र की कुछ विशिष्ट लाभकारी योजनायें निम्नानुसार है :–

1. मातृत्व अनुदान योजना
2. दाई बैठक योजना
3. नव संजीवन योजना
4. रोजगार गारंटी योजना

राज्य शासन कुल योजना राशि का 9 प्रतिशत राशि जनजाति कल्याण हेतु प्रदान करता है। आदिवासी कल्याण योजनाओं के संचालन का नाशिक प्रमुख केन्द्र है। जनजाति महिलाओं पर अत्याचार संबंधी एक अध्ययन से पता चला है कि अत्याचार के अधिकतर मामले भीतरी जनजाति क्षेत्रों में होते हैं। लगभग 49 प्रतिशत मामले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरूद्ध होते हैं। अपराधों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

	अपराध	प्रतिशत
1.	आर्थिक, भूमि, संबंधी विवाद	29 प्रतिशत
2.	सामाजिक विवाद	71 प्रतिशत

मामलों के निपटान में भी आवश्यकता से अधिक समय लगता है।

स्वास्थ्य और पोषाहार मूल्यांकन संबंधी अध्ययन से पता चलता है कि जनजाति क्षेत्रों में पानी जनित रोग का प्रतिशत 51 है और कुष्ठ चर्म रोग का प्रतिशत 22 है। 50 से 55 प्रतिशत गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिये 10–15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है।

जनजाति कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा संचालित उन नीतियों को सराहा है, जिसके अंतर्गत आदिवासी उपयोजना हेतु योजनाएं बनाई जाकर, वित्तीय व्यवस्था का समुचित प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपयोजना हेतु आवंटित संपूर्ण राशि राज्य सरकार आदिवासी विकास विभाग को सौंप देती है; तत्पश्चात आदिवासी विभाग आवश्यकतानुसार यह राशि विभिन्न विभागों को आवंटित करता है। यह व्यवस्था उपयोजना के तहत की गई राशि के उचित उपयोग को प्रभावी बनाती है।

गुजरात

राज्य की अनुसूचित जनजाति की आबादी 61.6 लाख है जो राज्य कि कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। 29 जनजातियों में पांच जनजातियां, जैसे काथोडी, कोट वालिया, पढर, सिद्दी तथा कोलघा अत्यंत पिछडी हैं। गुजरात राज्य की प्रमुख जनजातियां, भील, धोडिया, गोंड गामित, वर्ली, डुबला, नायक आदि हैं। राज्य का संपूर्ण डांग जिला तथा अन्य 6 जिलों जैसे सूरत, भरूच, बलसाड, पंचमहल, बडोदरा व सवार कांठा के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

यद्यपि गुजरात में जनजातियों की जनसंख्या (61.6 लाख), महाराष्ट्र (73.2 लाख) की तुलना में कम है, परन्तु गुजरात में आदिवासियों के विरूद्ध अत्याचार का प्रतिशत अधिक है। (महाराष्ट्र 3.59% गुजरात 9.49%) जो कि चिंता का विषय है।

कमजोर वर्ग के विकास के उत्थान के कार्य पुराने बम्बई राज्य (अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात राज्य) में स्वतंत्रता से पहले से प्रभावी रहे हैं। ज्ञान देव, नाम देव, तुकाराम एवं एकनाथ जैसे समाज सुधारको ने सामाजिक समरसता की वाणी से सबको एक सूत्र में पिरोने की गति दी थी। तत्पश्चात महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा को अग्रिम स्थान दिया। डा. अंबेडकर ने भी अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को विशेष स्थान देने की बात कही थी। बाद में उन्होंने संविधान में भी उन सभी मूल्यों को उचित स्थान दिया जिनके द्वारा आदिवासी महिला का उत्थान संभव है। इस परंपरा का महाराष्ट्र व गुजरात में इतना प्रभाव हुआ कि जनमानस आगे बढ़ा और अनेक स्वंय सेवी संस्थाएं सामने आईं। यही दो

राज्य ऐसे हैं जहां अशासकीय संस्थाएं शासन के साथ समुचित भागीदारी निभा रही हैं। भारत के पश्चिमी भाग में बसने वाले भील आदिवासी समुदाय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी थी। परंतु आज स्थिति यह है कि विकास की दौड़ में महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों के जंगल कट गये, भूमि गैर – कृषि कार्य जैसे सड़कें, बांध, भवन, उद्योग आदि के लिए दे दी गई और आदिवासी भूमि विहीन होकर मजदूरी करने लगे, रोजी–रोटी के लिये वे शहरों की ओर जाने लगे। वन व भूमि का अभाव और बढ़ती हुई जनसंख्या प्रमुख समस्या बन गई है। श्रम शक्ति (विशेषकर आदिवासी महिलाओं की) का उचित नियोजन कैसे हो, यह आज का मूलभूत प्रश्न है। इस समस्या का निदान ढूंढा जाना है। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों की जनजाति विकास से संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है :–

क्र.	विवरण	भारत	महाराष्ट्र	गुजरात
1.	जनजाति संख्या लाखों में	678	73.20	61.6
2.	स्त्री पुरुषअनुपात प्रति हजार	972	968	967
3.	महिला साक्षरता दर	18.2	24	24.2
4.	कक्षा 1 से 8 तक स्कूल छोड़ने की दर 1993–94	77.7	70.7	73.1
5.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	49.3	52.2	51.7
6.	कृषक प्रतिशत	54.5	37.8	45.9
7.	कृषि श्रमिक प्रतिशत	32.7	47.1	39.4
8.	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत–1993–94	51.94	50.58	31.20
9.	प्रशासनिक ढांचा (संख्या में) आई.टी.डी.पी.	194	16	9
	माडा (संख्या में)	259	44	1
	समूह (कलस्टर) (संख्या में)	82	24	–
10.	अत्यंत पिछड़ी जनजातियां (संख्या में)	75	3	5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र व गुजरात में आदिवासी महिला साक्षरता दर पूरे भारत की आदिवासी महिला की दर से अच्छी है। इन राज्यों में आदिवासी विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने का अनुपात भी कम है।

गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत केवल 31.2 है। वहीं संपूर्ण देश का प्रतिशत 51.94 है। इससे ज्ञात होता है कि गुजरात में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक अच्छी है। आदिवासी महिलाओं का मुख्य कामगारों संबंधी विवरण परिशिष्ट दृ 1ड में दिया गया है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले राज्यों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(संख्या लाखों में)

राज्य	कुल आदिवासी महिलाएं	काश्तकार	कृषि मजदूर
महाराष्ट्र	14.81	5.18 (34%)	8.50 (57%)
गुजरात	7.72	2.75 (36%)	4.34 (55%)

जबलपुर क्षेत्रीय कार्यशाला से संबंधित जानकारी

जबलपुर कार्यशाला भारत की जनजाति की कुल जनसंख्या (678 लाख के लगभग) की 31 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ को मिलाकर) और राजस्थान में आदिवासियों की जनसंख्या क्रमशः 154 लाख और 55 लाख है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या काफी कम है।

भारत की 75 अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों में से दस इन राज्यों में बसती हैं। यह कार्यशाला राज्यों में बसने वाली महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए दिशा निर्देश देगी। इन राज्यों में बसने वाली जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नांनुसार हैं :–

मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को मिलाकर)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में जनजातियों की जनसंख्या 154 लाख है जो इन 2 राज्यों की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई (23.3 प्रतिशत) है। यहां की 46 जनजातियों में गोंड, भील, उरांव, कोरकू और कंवर प्रमुख हैं। अबुझ माडिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहरिया और बिरहोर अत्यंत पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं। जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया गया है वे निम्नानुसार हैं :–

मध्य प्रदेश (संपूर्ण जिले)	छत्तीसगढ़ (संपूर्ण जिले)
1. झाबुआ	1. सरगुजा
2. मंडला	2. बस्तर
जिलों के कुछ भाग	जिलों के कुछ भाग
3. धार 4 पश्चिमी निमाड़	3. रायगढ़ 4. बिलासपुर
5. पूर्वी निमाड़ 6 रतलाम	5. दुर्ग 6. राजनांदगांव
7. बैतूल 8. सिवनी 9. बालाघाट	7. रायपुर
10. होशंगाबाद 11. शहडोल	
12. सीधी 13. मुरैना 14. छिंदवाड़ा	

कुछ जनजातियों का विवरण इस प्रकार हैः–

गोंड :– सतपुडा पर्वत से गोदावरी, उत्तर प्रदेश के गोंडा, उत्तरी बिहार और आन्ध्र प्रदेश (वारंगल) तथा महाराष्ट्र तक फैले गोंडवाना क्षेत्र में गोंडो के चार साम्राज्य थे जिन्हें गोंडवाना कहा जाता है। चन्द्रपुर, मंडला, देवगढ़ (नागपुर) और खेरला (बैतूल) में उनकी जमींदारियां थीं। इनमें एक ओर अत्यंत पिछड़े जनसमूह है तो दूसरी ओर संभ्रात परिवार। गोंडी बोली प्रारंभ में द्रविण परिवार से जुड़ी थी परन्तु अब मराठी, तेलगू और हिंदी से प्रभावित हो गई है। उनकी उत्पत्ति शिव पार्वती से मानी गई है। कृषि और पशुपालन में वे कुशल हैं। वे खदानों व जंगलों में श्रमिकों के रुप में कार्य करते हैं। 70 प्रतिशत कृषि कार्य गोंड महिलाएं करती हैं। रोपा लगाना, पशुपालन, जलाऊ लकड़ी एकत्र करना, पानी भरकर लाना उनके प्रमुख कार्य है। जगह – जगह तालाब निर्माण का कार्य गोंड राजाओं की ही देन हैं। तालाब बनाने वालों को भूमिकर (लगान) से मुक्त रखा गया था। गोंड समाज में देवारी, कटोरा, भकतल, पेरसा पेन/बड़ादेव का मुख्य स्थान है। उनकी हस्तकला वाद्य यंत्र बनाने की कला, गोदना, रंगोली, मिट्टी के बर्तन बनाना और बांस का सामान बनाने की कला काफी मशहूर है। संगीत और नाच में भी वे निपुण हैं। उनका लोक साहित्य धनी है। सरगुजा की राजमोहिनी देवी का सामाजिक सुधार अभियान आज भी गोंडों में प्रचलित है।

यद्यपि गोंड अपने सरल स्वभाव से विख्यात हैं परंतु उनके जमीन और जंगल संबंधी मामलों में वे दूसरों की दखलअंदाजी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि नक्सलवादी उनके हृदय की टीस को भांपकर उनका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से गोंडों की पृथक गोंडवाना राज्य की मांग भी कुछ सीमा तक पूरी हो गई है।

माड़िया :– बस्तर के माड़िया नाच गानों के प्रेमी हैं। उनकी सामाजिक तथा पंचायत व्यवस्था सुदृढ़ है। हिन्दू स्त्री की तुलना में माड़िया स्त्री का स्थान समाज में अच्छा है।

भील :– मध्य प्रदेश और राजस्थान के भील अपने धनुष – बाण से जाने जाते हैं। द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य एक भील बालक था। जो बगैर अंगूठे के तीर चलाने में निपुण था। आज भी भील उसका अनुकरण कर रहे हैं। होली उनका महत्वपूर्ण त्यौहार है। अरावली पर्वत श्रंखलाओं में अपने अलग – अलग घर बना कर रहने के वे आदी हैं।

उरॉव :– उरॉव जनजाति के लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। वे कुशल कृषक माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की यह प्रमुख जनजाति है जो सरकारी सेवाओं में अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही है।

कोरकू :– यह जनजातियां बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, होशंगाबाद और देवास जिलों में निवास करती है। इनके लोकगीत अत्यंत प्रचलित हैं। 1930 के वन आंदोलन में वे सक्रिय थे। उनकी मांग थी कि निस्तार के अधिकार उन्हें दिए जाएं। उनकी स्त्रियों में साक्षरता की दर कम है।

बैगा :– बैगा आदिवासियों की यह घारणा है कि उनकी उत्पति धरती माता से हुई है। बैगा का अर्थ धार्मिक पुजारी से लगाया जाता है। बैगा युवतियों में गुदने – गुदाने की प्रथा अति प्राचीन है।

भारिया :– भारिया जनजाति का बहुलय छिंदवाड़ा जिले में अधिक है। पातालकोट में वे विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में भील और सहारिया, मध्य में कोरकू तथा अन्य भागों में गोंड जनजाति की संस्कृति विद्यमान है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उरॉव और कंवर और दक्षिण में गोंड मारिया और मुड़िया जनजातियों का बाहुलय है। कुछ आदिवासियों की आर्थिक अवस्था जंगल से जुड़ी है तो कुछ की कृषि से। जहॉ भूमि व वन कम हैं, वहॉ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1994–95 व 1995–96) में दर्शाया है कि मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। जो महिलाएं मजदूरी या कृषि क्षेत्रों में काम करती हैं वे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देती हैं। क्योंकि वे लड़कियां उन्हें घरेलू कामों में मदद करती हैं और छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। कुपोषण और बार–बार बीमार होने की वजह से बच्चे कई – कई दिन स्कूल नहीं जा पाते। यह आवश्यक है कि पढ़ाई छोडने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या को रोका जाए और सुधारात्मक उपाय किए जाएं। जनजातीय क्षेत्रों में पदों को भरने पर किसी भी प्रकार की रोक नही होनी चाहिए। अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को नीति निर्धारण करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों में डाक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के खाली पड़े पदों पर भी आयोग द्वारा चिंता व्यक्त की गई है।

राजस्थान

राजस्थान राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12.4 प्रतिशत (54.8 लाख) है। 12 जनजातियों में भील, मीणा, डामोर, गरासिया, प्रमुख हैं। बांसवाड़ा और डंगरपुर जिले तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र की सूची में सम्मिलित हैं। सहारिया जनजाति अत्यंत पिछड़ी घोषित की गई है।

सहारिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सेहर से हुई है जिसका अर्थ जंगल है। ये आदिवासी वन उत्पाद एकत्र करके जीवकोपार्जन करते हैं। उनकी बोली का नाम हरौती है। वे भूमिहीन हैं और अधिकतर लोग वनों से प्राप्त मजदूरी पर आश्रित हैं। बंधक मजदूरों में उनका बहुलय है। स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है। कृषि श्रमिक के रूप में और जलाऊ लकड़ी बेचकर वे अपना जीवन यापन करते हैं।

मीणा :– मीणा राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। इस समुदाय में बाल विवाह प्रथा अभी भी प्रचलित है। प्रत्येक समूह के अपने एक देव हैं, जो वृक्ष विशेष में निवास करते है। स्त्री शिक्षा की कमी है, परंतु पुरूषों में अब शिक्षा का विकास निरंतर हो रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में मीणा प्रगति कर रहे हैं। आशा है कि मीणा स्त्रियॉ भी अब आगे आएंगी और उनके विकास की दर तेज होगी।

संविधान की पॉचवी अनुसूची के अनुसार यद्यपि जनजाति सलाहकार परिषद का गठन हो चुका है, परंतु उसकी बैठकें नियमित नहीं होती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने प्रतिवेदन (1994–95, 1995–96) में सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि (12.44 प्रतिशत) की व्यवस्था करना चाहिए। योजनाएं ऐसी हो जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पन्न कराने में सहायक हों। कार्यरत स्टाफ के बारे में उपयुक्त कार्मिक नीति लागू करना वांछनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह पाया गया है कि अस्पतालों में चिकित्सा कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। वे प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। पारंपरिक रोगोपचार की आवश्कता है। आयोग ने चिंता

व्यक्त कर सिफारिश की है कि झूठे आदिवासी प्रमाण पत्र जारी न किये जाए और अनका सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)

राज्य में पॉच जनजातियॉ अनुसूचित की गई हैं, जो इस प्रकार है – भेटिया, बुकसा, जौनसारी, थारू और राजी। वे पहाड़ी क्षेत्र के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, गढ़वाल, पिथोरागढ़, अलमोड़ा और नैनीताल जिलों में निवास करती हैं। तराई क्षेत्र में हरिद्वार, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और महाराजगंज में भी वे रहते हैं। राजी और बुकसा अत्यंत पिछड़ी जनजातियॉ घोषित की गई हैं।

राजी :– राजी जनजाति वन रावत, वन राजी, या वनमानुष के नाम से जानी जाती है। वे किराट वंश के कहलाते है। शिकार उनका प्रमुख व्यवसाय रहा है। वे लकड़ी के बर्तन बनाने में कुशल हैं। वे हिमालय के कुमाऊॅ मंडल, पिथोरागढ़ और नेपाल की सीमा से लगे गॉवों में रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे इनकी रूचि बढ़ रही है।

थारू :– यह जनजाति बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, खेरी और नैनीताल के समीप रहती है। इसकी जनसंख्या एक लाख के लगभग है। थारू की उत्पत्ति ''ठिठुरना'' से मानी गई है। शिक्षा ग्रहण करने में उनकी रूचि है। वे जागरूक हैं और विकास के साथ चलना चाहते हैं। थारू स्त्रियों का आदिवासी समाज में उल्लेखनीय स्थान है। वे अपनी आय को अपने पतियों की आज्ञा के बगैर भी खर्च कर सकती हैं। जायदाद–संपत्ति पर दोनों का अधिकार रहता है। मुर्गीपालन, मछली पकड़ना और बॉस की टोकरियॉ बनाकर जो आय वे प्राप्त करती हैं, उस पर स्त्रियों का ही अधिकार रहता है।

मैदानी क्षेत्रों में दो परियोजनाएॅ अर्थात लखीमपुर खीरी में आई. टी. डी. पी. और गोंडा जिलों में माडा संचालित हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति आयोग ने (1996–97 एवं 1997–98 प्रतिवेदन) सिफारिश की थी कि राज्य को टी.एस. पी. के लिए नियत की जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके। राज्य को चाहिए कि वह तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को संगत शक्तियॉ प्रत्यायोजित करके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करे। ऋण और विपणन की सुविधाओं की भी आवश्यकता है। बोक्सा और राजी जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह लाभोन्मुख आय सृजन की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे। रोजगार और स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करे। बच्चों को शिक्षा, और उनको विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण दे। जमीन से बेदखली पर प्रतिबंध लगाए। वन उत्पादों के लिए पर्याप्त रियायतें दे। यह भी आवश्यक है कि उन्नत प्रोद्यौगिकी, फसलों का चक्रानुक्रम आदि के बारे में प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। निःशुल्क बोरिंग और फव्वारे कुंओ का लाभ भी इन तक पहुंचाया जाए। बागवानी के क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जाए।

उत्तर प्रदेश में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय एक और भी है। यह बताया गया है कि कतिपय समूह मध्य प्रदेश में तो आदिवासी घोषित है परन्तु उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में है। कुछ दृष्टांत निम्नानुसार हैं :–

उत्तर प्रदेश (अनु. जाति)	मध्य प्रदेश (अनु. जनजाति)
1. अगरिया	1. अगरिया
2. बैगा	2. बैगा
3. गोंड	3. गोंड
4. कोल	4. कोल
5. कोरबा	5. कोरवा
6. मझवार	6. मझवार
7. सहरिया	7. सहरिया

वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवाह के पश्चात स्त्री की जाति/समुदाय परिवर्तित हो रहा है। मध्यप्रदेश की आदिवासी लड़की विवाह पश्चात उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति हो जाती है। उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे उपरोक्त समुदाय यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची से पृथक कर अनुसूचित जनजाति की सूची में समाविष्ट किया जाए।

विकास से संबंधित जानकारी

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की जनजाति विकास से संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है :–

क्र.	विवरण	भारत	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित	राजस्थान	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल सहित
1.	जनजाति जनसंख्या लाखों में	678	154.0	54.8	2.9
2.	स्त्री अनुपात प्रति हजार पुरूष	972	985	930	914
3.	महिला साक्षरता दर	18.2	10.7	4.4	19.9
4.	कक्षा 1 से 8 तक स्कूल छोड़ने की दर 1993–94	77.7	76	85	40.7
5.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	49.3	52.7	46.4	43.4
6.	कृषक प्रतिशत	54.5	63.2	76.1	69.6
7.	कृषि श्रमिक प्रतिशत	32.7	29.5	13.5	13
8.	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत–1993–94	51.94	56.69	46.23	37.11
9.	प्रशासनिक ढांचा (संख्या में) आई.टी.डी.पी.	194	49	5	1
	माडा (संख्या में)	259	39	44	1
	समूह (कलस्टर) (संख्या में)	82	8	11	–
10.	अत्यंत पिछड़ी जनजातियां (संख्या में)	75	7	1	2

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आदिवासी महिलाओं का अनुपात पुरूषों की तुलना में कम है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर केवल चार प्रतिशत है जो उनके पिछड़ेपन को दर्शाती है।

आदिवासी महिलाओं का मुख्य कामगारों संबंधी विवरण परिशिष्ट 1ड़ पर दी गई है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले राज्यों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(संख्या लाखों में)

राज्य	कुल आदिवासी महिलाएं	काश्तकार	कृषि मजदूर
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ सहित)	24.96	13.99 (55%)	9.89 (33.6%)
राजस्थान	4.69	3.24 (64%)	1.21(26%)
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	0.26	0.19 (73%)	0.3 (11%)

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यशाला से संबंधित जानकारी

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास 2.25 लाख वर्ग कि.मी. का विस्तृत क्षेत्र है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। इसकी आबादी पूरे देश की आबादी का 4% है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 104 व्यक्ति है जबकि देश में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 216 व्यक्ति है। अरूणाचल प्रदेश में यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 8 व्यक्ति हैं। लगभग 70% क्षेत्र में पहाड़ तथा पठार हैं। एक अनुमान के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ों में 75% जनजातीय आबादी है। अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें 7 राज्य हैं नामतः असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की विशिष्ट स्थिति है। 100 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। ये समुदाय विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। भूमि आदि काल से जनजातीय समुदायों की मुख्य सम्पत्ति है, परन्तु अब भूमि पर हाल ही के विकास के कारण समुदाय का नियंत्रण कम हो गया है। कई कारकों की वजह से प्रशासकों द्वारा विकास की योजना बनाते समय लोगों की भागीदारी कम रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। असम जनजाति अनुसंधान संस्था द्वारा मई 1998 में पूर्वोत्तर भारत पर आयोजित एक सेमिनार की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जनजातीय महिलाओं के विकास कार्यक्रम तथा नीतियां उनकी विशिष्ट समस्याओं के आधार पर तैयार की जानी चाहिएं। विकास में मुख्य बाधाएं हैं - अपर्याप्त विस्तार सेवाएं, सही सोच वाले गैर - सरकारी संगठनों की कमी, उद्यमशीलता की कमी, अन्तर-जातीय विकास भिन्नता तथा विकास की जनजातीय सोच को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जन जातियों के लिए स्कीमों का न बनाया जाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जन-जातियां अस्थायी वित्तीय राहत की चाह नहीं रखती अपितु स्थायी परिवार परिसम्पत्तियों की चाह रखती हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी कार्मिकों के तरीके जन जातियों के तरीकों से मेल नहीं खाते। जन जातियों के लोग अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहते हैं, न कि केवल साक्षरता अभियान।

गारों, खासी तथा राभा जनजातियां मातृक हैं अर्थात उनकी वंशावली, उत्तराधिकार, प्राधिकार तथा आवास आदि महिला के नियंत्रण में होता है, यह जरूरी है कि जब कभी कोई विकास कार्यक्रम शुरू हो तो महिलाओं से विचार-विमर्श किया जाए। भूमि स्थानान्तरण, कर्जदारी तथा विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना जन जातियों की बुनियादी समस्याएँ हैं।

संक्षेप में राज्य-वार विवरण

अरूणाचल प्रदेश (राजधानी - ईटानगर)

1. जनगणना 1991 - कुल 8.6 लाख - अनु.जन.जा. 5.5 लाख
2. लिंग अनुपात कुल 859, अनु. जन. जा. 998
3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु.ज.जा.
व्यक्ति	41.59	17.16
पुरूष	51.45	25.25
महिला	29.69	8.68

4. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, 1993-94, अनु.ज.जा. - 73.6%;
5. कृषक अनु. ज. जा. 85%, कृषि श्रमिक - 1.4%
6. गरीबी रेखा से नीचे - ग्रामीण - 1993 - 94 - 45.01%
7. प्रमुख अनु.ज.जा. अबोर, अका, अपातानी, डफला, गेलोंग, खाम्पती, खोवा, मिशमी, मोम्बा, शेरडुकपेन, सिंगफो, आबोर अत्यधिक अल्प विकसित अवस्था में है।
8. जन-जातियों को वन से जुड़े कार्यक्रमों, हथकरघा तथा दस्तकारी और बागवानी में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

असम (राजधानी - दिसपुर)

1. जनसंख्या 1991 - कुल 224.1 लाख, अनु. जन. जा. 28.7 लाख (12.8%)
2. लिंग अनुपात कुल 923 अनु.जन.जा. 967

3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु.जन.जा.
व्यक्ति	52.89	49.16
पुरूष	61.87	58.93
महिलाएं	43.03	38.98

4. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर, 1993-94, अनु. जन. जा. 66.3%।

5. कृषक अनु. जन. जा. 77.9% , कृषि श्रमिक - 10.3%।

6. गरीबी रेखा से नीचे 1993-94 , कुल 45.01% ,अनु. जन. जा. 41.44%।

7. जन-जातीय उप-योजना के तहत एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की संख्या - 19।

स्वायत्त जिले

चकमा, दिमासा, काचरी, गारो, हजोंग, हमर, कुकी, खासी, जैंतिया, सिटेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगगंम, लेखर, मन, मिकिर अत्यधिक अल्प विकसित अवस्था में है।

स्वायत्त जिलों को छोड़कर (मैदान जन.जा.)

बर्मन, बोरो, बोरो कचारी, देवरी, होजई, कचारी, सोनवाल, लालुंग, मेक, मिरी, राभा।

8. राज्य, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। (उत्तरी कचर पहाड़ी जिला तथाा कारबी अंगलोग जिला)

9. असम मैदानी जनजातीय विकास निगम 1975 में स्थापित किया गया था।

10. राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है।

मणिपुर (राजधानी - इम्पाल)

1. जनसंख्या 1991, कुल 18.4 लाख, अनु.जन.जा. 6.3 लाख

2. लिंग अनुपात कुल 958 अनु. जन. जा. 959

3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु. जन. जा.
व्यक्ति	59.89	53.63
पुरूष	71.63	62.39
महिलाएं	47.60	44.48

4. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 1993-94, 51.3%

5. कृषक अनु.जन.जा. 84%, कृषि श्रमिक - 2.3%

6. गरीबी रेखा से नीच ग्रामीण - 1993-94 - 45.01%

7. आदिम ज.जा. ग्रुप - मरम नागा.

8. अनुसूचित जन-जातियां -एमोल, अनल, अंगामी, चिरू, क्लोथे, गंगटे, हमर, काबुई, काचा नागा, कोईराव, कोइरंग, कोम, माओ, मरम, मेरिंग, मिजो, मोनसांग, मोयोन, पेटे, पुरम, रालते, सेमा, सिमटे, सूहते, टंगखुल, थाडोऊ, वैफुई तथा जोउ।

9. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं - 5

मेघालय (राजधानी - शिलांग)

1. जनसंख्या 1991, कुल 17.7 लाख, अनु.ज.जा. 15.2 लाख

2. लिंग अनुपात कुल 955, अ.ज.जा. 997

3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु.जन.जा.
व्यक्ति	49.10	46.71
पुरूष	53.12	49.78
महिलाएं	44.85	43.63

4. कक्षा 1से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर, 1993 - 94 - कुल 57.7% अनु. ज. जा. 84.3%

5. कृषक अनु.ज.जा. 61.5%, कृषि श्रमिक अनु.ज.जा.13.1%

6. गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण 1993-94 कुल 45.01%

बादलों का घर मेघालय, जहाँ चेरापूँजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, के कारण विश्व में जाना जाता है। इसकी पहाड़ियां अर्थात खासी, जयंतिया तथा गारो भी प्रसिद्ध है। जनजातीय आबादी बहुत अधिक होने के कारण राज्य, भारत के संविधान की छठी सूची में शामिल है।

राज्य के प्रमुख आदिवासी हैं - गेरा, खासी, जयंतिया, सेतेगं, प्नार, वार, भोई, लिंगगम, कुकी, चकमा, दिमेशा, काचरी, हजोंग, हमर, लाखर, मिकिर तथा पावी।

लोग

राज्य में मुख्यतः खासी, जयंती तथा गारो जैसी मातृक जनजातियां रहती हैं।

अर्थव्यवस्था

चूंकि जनजातियों की अर्थव्यवस्था मूल रूप से जनजातीय महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, अतः परिवहन तथा संचार साधनों की कमी के कारण वे अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाती। आलू, कपास, अनानास, केला, संतरा, आलू बुखारा, नाशपाती राज्य के प्रसिद्ध उत्पाद हैं। यहाँ के देवदार के वृक्ष विश्व में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। बुनाई, रेशम उत्पादन अन्य प्रमुख कार्यकलाप हैं। कृषि उत्पाद में कोई प्रगति नहीं हुई है और उत्पादकता भी राष्ट्रीय औसत से कम है।

शिक्षा

अनुसूचित जनजातीय परिवारों में नयूनतम साक्षरता जेंतिया जिले में (35%) है, जहाँ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

विकास

मेघालय एक जनजातीय बहुल राज्य है, अनुसूचित जनजातीय हितों की रक्षा मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम 1971 के तहत अच्छी तरह की गई है। सेवाओं में इनके लिए पदों के आरक्षण का उपबन्ध है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, स्वामित्व तथा संस्कृति की रक्षा के लिए स्वशासी जिला परिषदें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। राज्य में अन्य स्थानों की तुलना में शिलांग, अन्य शहरी क्षेत्रों तथा पूर्व खासी पहाड़ी जिले में विकास अधिक हुआ है।

प्रमुख मुद्दे

1. बेरोजगारी की समस्या तथा स्वरोजगार के अवसरों की कमी
2. अवस्थापना, सड़कें तथा परिवहन की कमी
3. इसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न होना
4. कारोबार के दौरान जनजातीय और गैर - जनजातीय लोगों में तनाव
5. अच्छी स्वास्थ्य सेवा परिचर्या की कमी
6. राज्य सरकार के नियंत्रण वाले कार्यालयों में सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व में सुधार। यह रिपोर्ट की गई है कि उनके लिए 85.5% आरक्षण की तुलना में सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 79.14% है।

मिजोरम (राजधानी - आइजॉल)

1. कुल क्षेत्र 21081 वर्ग कि.मी.
2. जनसंख्या 1991 कुल 6.89 लाख अनु.जन.जा. 6.54 लाख
3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु.जन.जा.
व्यक्ति	87.3	82.71
पुरूष	85.61	86.66
महिलाएं	78.6	78.7

4. लिंग अनुपात 921, अनु.ज.जाति 982
5. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 1993-94, कुल 52.4%, अ.ज.जा. 72%
6. कार्य सहभागिता दर अ.ज.जा. 48, अ.ज.जा. कृषक 67% कृषि मजदूर 3.3%
7. गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण 1993-94 कुल 45.01%
8. जनजातीय क्षेत्र संविधान की छठी सूची में शामिल है।
9. मुख्य जनजातियां मिजो, पावी, कुकी, चकमा, गारो, डिमरा, (काधरी), हजोंग, हमार, खासी, जयंतिया, लखेर, मान, मिकिर, नागा, तथा सेंतेंग।

अर्थव्यवस्था

धान, अदरक तथा बागवानी की अन्य फसलें तथा बांस की दस्तकारी आजीविका के मुख्य साधन हैं। ग्रामीण गरीबी को मिटाने और स्वरोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार की नीति का मुख्य अंग है।

शिक्षा

अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता दर ऊंची है। जिलों में आइजॉल साक्षरता में पहले नम्बर पर है (88.06%)। साक्षरता की उच्च दर और स्कूलों में दाखिलों की उच्च दर के बावजूद स्कूल में कक्षा 8 में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर पूरूषों तथा महिलाओं दोनों में काफी है - पुरूष (61%) तथा महिला (64%) और यह चिंता का विषय है। तथापि, अखिल भारतीय सेवाओं में मिजो लोगों का प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है।

सुरक्षात्मक उपाय

मिजो जिला (भू-स्थानांतरण) अधिनियम 1963 तथा मिजोरम (भू-स्थानान्तरण) संशोधन अधिनियम, 1990 में जहाँ तक भूमि हस्तांतरण का प्रश्न है, राज्य की अनुसूचित जनजातियों को सुस्पष्ट सुरक्षा प्रदान की गई है। गैर - जनजातीय लोगों द्वारा मिजोरम व्यापार विनियमन अधिनियम, 1974 और 1977 के अधिनियम में व्यापार तथा वाणिज्य में अनुसूचित जनजातियों को शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है।

"इनर लाइन" विनियम जो गैर मिजो लोगों को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास के बिना राज्य में प्रवेश की मनाही करता है, प्रत्येक क्षेत्र में एक स्पष्ट सुरक्षा है। इसलिए अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में सरकार ने कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाये हैं। चूंकि अनुसूचित जनजातियां राज्य की आबादी का 95% है, अतः सरकार के सभी कार्यक्रम अनुसूचित जन-जातियों के लिए ही होते हैं।

नागालैण्ड (राजधानी - कोहिमा)

1. जनसंख्या1991, **कुल** 12.1 लाख, अनु. जन. जा. 10.6 लाख
2. लिंग अनुपात कुल 886 अनु.जन.जा. 946
3. साक्षरता दर 1991

	कुल	**अनु.जन.जा.**
व्यक्ति	61.6	60.6
पुरूष	68	66.3
महिलाएं	54.7	55.0

4. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 1993-94 - कुल 38.1% , अनु.जन.जा. 67.7%
5. कृषक अनु. जन. जा. 81.6%, कृषि श्रमिक - 0.5%
6. गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण 1993-94 - 45.01%

लोगः यह नागा, कुकी, काचरी, मिकिर तथा गारो जैसी अनुसूचित जनजातिय बहुल राज्य है।

अर्थव्यवस्थाः आगामी तथा चाकासंघ सीढ़ीदार खेती करते हैं और दो फसलें उगाते हैं। विकास कार्यकलापों में संचार, सीढ़ीदार खेती, बेंत उद्योग, शिक्षा, वन प्रसंस्करण् उद्योग तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नागालैंड वन संसाधन, कलाएं तथा दस्तकारी में समृद्ध हैं।

शिक्षा : राज्य में 1991 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर अखिल भारतीय साक्षरता दर 52.21% से ऊंची है (61.65%)। अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं की साक्षरता दर (54.51%), पुरूषों की साक्षरता दर (66.27) से कम है। महिला साक्षरता दर तुलनात्मक दृष्टि से मोन जिले (29.10%) तथा तुनसांग जिले (41.98%) में कम है। यह रिपोर्ट है कि प्राथमिक स्कूल के बाद उच्च कक्षाओं में बच्चों का नामांकन धीरे - धीरे घटता जाता है (हाई स्कूल 20,863), डिग्री पूर्व 5,622 तथा स्नातक (2,396)। ऊबड़-खाबड़ भू-भाग तथा बच्चों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को विशेषकर लड़कियों के लिए होस्टल के निर्माण पर विचार करना चाहिए।

स्वास्थ्य : यह रिपोर्ट की गई है कि 10,000 से अधिक महिलाएं तथा बच्चे कुपोषण तथा रक्ताल्पता के शिकार हैं, मलेरिया, कुष्ठ रोग तथा तपेदिक के मामले भी हैं। चिकित्सा जन-शक्ति लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सेवा सुरक्षा उपाय : राज्य में ग्रेड III तथा IV के 100% गैर - तकनीकी पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इनके अतिरिक्त, अन्य पदों में से 80% पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

नागालैंड में सर्वाधिक आबादी अनुसूची जनजातियों की है, अनुसूचित जन जातियों के हित सुरक्षित हैं। राज्य में बिना उपयुक्त परमिट प्रवेश करने पर लगाई रोक स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा का उपाय है।

सिक्किम (राजधानी -गंगटोक)

1. जनसंख्या 1991, कुल 4.1 लाख, अनु.जन.जा. 0.9 लाख
2. लिंग अनुपात कुल 878 अनु.जन.जा. 914
3. साक्षरता दर 1991

	कुल	अनु.जन.जा.
व्यक्ति	56.94	59.01
पुरूष	65.74	66.80
महिलाएं	46.69	50.37

4. कक्षा 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर 1993-94 अनु.जन.जा. 75.7%
5. कृषक अनु. जन. जा. 62.9%, कृषि श्रमिक - 4.8%
6. गरीबी रेखा से नीचे 1993-94 - 45.01%

7. अनु.ज.जातियां - भूटिया (चूम्बिपा, दोपाथापा, दुपका, कगाटे, शेरपा, तिबेतन, ट्रोमोपा, योलमा सहित) तथा लेपचा

8. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना - 4

9. भूटियाओ तथा लेपचाओ की शिक्षा, कारोबार तथा रोजगार सृजन स्कीमों में अनुकूल प्रतिक्रिया रही है।.

त्रिपुरा (राजधानी -अगरतला)

1. जनसंख्या कुल 27.6 लाख, अनु.जन.जा. 8.5 लाख (31%)

2. लिंग अनुपात कुल 945, अनु.जन.जा. 965

3. साक्षरता दर कुल अ.ज.जा. 40.4, अ.ज.जा. महिलाएं 27.3

4. कक्षा 1 से 8 के बीच पढ़ाई छोड़ने वालों की दर (1993-94), कुल 68.4, अ.ज.जा. 84%

5. अ. ज. जा. कृषक 57%

6. अ. ज. जा. कृषि श्रमिक 30%

राज्य में अधिकतर निवास पहुंच के बाहर हैं। आबादी के बढ़ते हुए दबाव, जनजातीय अशांति तथा उग्रवादी गतिविधियों के कारण राज्य पिछड़ा हुआ है।

जनजातीय स्थिति

राज्य का सम्पूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है, जो स्वशासी जिला परिषद द्वारा प्रशासित है।

लोग

मुख्य जनजातियां हैं - कुकी, त्रिपुरी, चकमा, ओरांग, नोटिया, हलम तथा जमातिया। राज्य में रिआंग जनजाति को आदिम जनजाति माना गया है।

अर्थ व्यवस्था

जनजातीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था अधिकतर वर्षा आधारित और फसलें बदल-बदल कर बोई जाने वाली हैं। स्थलरूद्ध स्थिति, भौगोलिक अलगाव, ग्रामीण निवासों का पहुंच से बाहर होना, अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं, विपणन कठिनाइयों तथा अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण राज्य पिछड़ा हुआ है। भूमि की उत्पादकता और जन-जातीय किसानों/झूमियों द्वारा उगाई गई सभी फसलें गैर -

जनजातीय लोगों की फसलों से काफी कम होती हैं। जन-जातियों के लिए कुछ प्रमुख विकास स्कीमें हैं, झूमियों को बसाना, स्थानांतरित भूमि को वापिस प्राप्त करना और पुनर्वास के लिए भूमि खरीदना, चाय और रबड़ की बुआई और कम्पोजिट बीमा स्कीम।

शिक्षा

खराब आर्थिक स्थितियों के कारण सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और काफी बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा के प्रति माता - पिता की उदासीनता, घर में प्रतिकूल वातावरण, और स्कूल की इमारतों की खराब हालत और शिक्षण सुविधाओं की कमी जैसे अनेक कारण भी बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़ देने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकार ने जनजातीय भाषा अर्थात कोक बोरोक में शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं जिससे अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिला लें। पाठ्यक्रम भी जनजातियों की संस्कृति के हिसाब से तैयार किए गए हैं।

प्रशासन

राज्य में एक जन-जातीय सलाहकार समिति बनाई गई है।

विचारणीय मुद्दे

(क) अ.ज.जा. के जाली प्रमाण-पत्रों के मामलों में वृद्धि हो रही है।

(ख) अ.ज.जा. में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर ऊंची है।

(ग) स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) पेयजल की आपूर्ति अपर्याप्त है।

(ङ) भीतरी जनजातीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानें खोली जाएं और चलती- फिरती गाड़ियों की सहायता से चलाई जाएं।

(च) भूमि के हस्तांतरण को रोका जाए।

(छ) अ.ज.जा. विकास तथा वित्त निगम को भीतरी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

(ज) राज्य में बागवानी का काफी विकास हो सकता है।

(झ) जन-जातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जायें।

लोग

भारत के पूर्वोत्तर भाग के पहाड़ों तथा घाटियों में रहने वाली जन-जातियां मजबूत आत्म विश्वासी, सतर्क हैं और उनमें स्वतंत्रता की भावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ जनजातियों पर संक्षिप्त नोट

खासी

खासी का सम्बन्ध जनजातियों के भारत-चीन, चीन परिवार के मोन- खमेर ग्रुप से है। वे अपने घर पहाड़ों की चोटी पर नहीं बनाते क्योंकि वे चोटी से थोड़ा नीचे रहना पसन्द करते हैं। उनका अपने गांव से बहुत लगाव होता है और वे अन्य लुसाई-कुकी-चीन जनजातियों की तरह स्थान नहीं बदलते। खासियों में महिलाएं प्रमुख तथा शक्तिशाली हैं। माता परिवार की मुखिया होती है और कुल को इक्टठा रखती है। सम्पत्ति तथा बच्चों के संबंध में पुरूषों को कोई कानूनी अधिकार नहीं होते। तलाक बहुत आम बात है, बार - बार लिया जा सकता है। एक खासी कुल के भीतर कभी विवाह नहीं करता। उनमें से सबसे छोटी लड़की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी बनती है। पत्नी के घर में पति लगभग एक अजनबी होता है। खासियों में पति अपनी पत्नी के पास रहने के लिए उसकी माता के घर जाता है। इस मातृक व्यवस्था के माध्यम से पति का प्राधिकार बहुत कम हो जाता है। वह साथ मिलकर कमाता है और एक भागीदार होता है। इस प्रकार परिवार के मामलों में महिलाओं की पहल सबसे ज्यादा होती है। खासी हथकरघा कौशल तथा दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि महिलाएं खासी समाज का शासन चलाती हैं परन्तु मुखिया बन कर पुरूष खासी समुदाय पर शासन करते हैं। खासी महिलाएं बहुत पढ़ी-लिखी होती हैं और उनमें से बहुत सी सरकारी सेवाओं और उच्च पदों पर हैं।

गारो

गारो भाषायी समूह से सम्बद्ध है जैसा कि तिबेतो बर्मा परिवार वालों द्वारा कहा जाता है। ये मातृक हैं। वह यूनिट अथवा समूह, जिस पर समाज आधारित है, मेकोंग (मातृत्व) है तथा एक"मेकोंग" के सभी वशंज एक ही पूर्वज अथवा माता की संतान हैं। बच्चे माता का समूह अपनाते हैं। विवाह का प्रस्ताव हमेशा महिला की तरफ से आता है और सामान्यतया लड़की अपने पति को चुनती है। विवाह के पश्चात दामाद अपनी पत्नी के माता पिता के घर रहता है। एक पुरूष, जितने चाहे विवाह कर सकता है। उनमें कोई विवाह खर्च देने का रिवाज नहीं है तलाक बहुत आम बात है। उत्तराधिकार कानून माता पूर्वज के माध्यम से है न कि पिता से और वह महिला वंशावल तक ही सीमित रखा जाता है। कोई पुरूष सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। एक पुत्री उत्तराधिकारिणी बनती है और उसके बाद उसकी पुत्री। जब किसी महिला की कोई संतान न हो तो सम्पत्ति उसी" मेकोंग" की दूसरी महिला अथवा मातृत्व को मिल जाती है।

नागा

भारत के भारत-मंगोलीय जनजातियों में नागा बहुत आकर्षक एवं रंगीन है। उनके सामाजिक संगठन में विविध पद्धतियां हैं, जो तानाशाही से लेकर लोकतंत्र की पराकाष्ठा तक हैं। सेमाओं तथा चांगों को मुखिया का पद उत्तराधिकार में मिलता है। कोनियाक मुखियाओं को पवित्र माना जाता है और

उनका आदेश कानून होता है। यदि नागा पुरूष अच्छे शिकारी हैं तो उनकी स्त्रियां "उत्कृष्ट बुनकर" हैं। सेमा "नागा" महिलाओं की हैसियत ऊंची होती है। लड़की का विवाह कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता। नागा हैंडलूम कौशल और दस्तकारी में विख्यात हैं। वे लकड़ी पर नक्काशी करने में भी कुशल होते हैं। पुरातन काल से नागाओं ने अपने ऊपर" जेरेंटोक्रेसी" (वृद्ध लोगों की सरकार) के माध्यम से शासन चलाया है। वहाँ कोई केन्द्रीय प्राधिकारी नहीं था। गांवों के वृद्धों की राय हर मामले में अन्तिम होती थी। प्रत्येक नागा गांव अथवा गांवों का एक ग्रुप एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। जिला प्रशासन आगजनी तथा कत्ल का संज्ञेय लेता था और शेष सभी मामले गांव के वृद्धों द्वारा निपटाये जाते थे।

जेमी नागा

जेमी नागाओं के प्रत्येक गांव पर वस्तुतः "कादेपियो" (मुखिया) द्वारा ग्राम परिषद की सहायता से शासन चलाया जाता है। मोरूंग (सामूहिक कक्ष अथवा क्लब) अविवाहित लड़के-लड़कियों के लिए प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। आर्थिक मामलों में महिला की हैसियत पुरूष से अधिक अच्छी होती है परन्तु विवादों पर सुनवाई के दौरान उसे न्यायालयों में जाने की अनुमति नहीं है। एक महिला द्वारा मारे गए पशु के मांस का स्पर्श पुरूष नहीं करता। वह अपनी पत्नी की राय की कद्र करता है। महिलाओं के अपमान की घटनाएं बहुत कम होती हैं। विवाहित महिला के साथ बलात्कार के मामले में अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

मिजो

मिजो, जिन्हें पहले लुशाई कहा जाता था, बहुत सीधे-साधे और परिश्रमी होते हैं। वे सीढ़ीदार खेती करते हैं, जिसे झूमिंग कहा जाता है। उनकी पद्धति समाजवादी है। जमीन पर गांव का अधिकार होता है। आयोजित विवाह बहुत कम होते हैं, और प्रेम विवाह होते हैं। विवाह पूर्व जन्मे बच्चों की अच्छी तरह देख-भाल की जाती है। तलाक बहुत सरल और आसान है। सम्पत्ति का अधिकारी सबसे छोटा पुत्र होता है और इस भरोसे के साथ कि वह वृद्धावस्था में माता-पिता की देख-भाल करेगा। तथापि, मुखिया का पद उत्तराधिकार में सबसे बड़े बेटे को मिलता है। सामाजिक संहिता, जिसे "तलाधींमेना" कहा जाता है से मिजो लोग बहादुर, उदार, मददगार बने हैं और स्वैच्छिक कर्ताओं के समूह है। आज बहुत से मिजो पढ़े-लिखे हैं और उनमें से बहुत से लोग बड़े पदों पर कार्यरत हैं।

दिमासा कचारी

दिमासी कचारियों के निवास उत्तरी कचार पहाड़ियों मे हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और लड़कियों को अपना जीवन-साथी चुनने का पूरा अधिकार है। शिशु के जन्म से 20 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिला को अलग रखा जाता है। उसका पति अथवा कोई अन्य उसके समीप नहीं जा सकता। दिमासा परिश्रमी, मिलजुल कर रहने वाले और तरक्की पसंद लोग हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, कृषि, संचार, कुटीर उद्योगों आदि के लिए बेहतर सुविधाओं को सहर्ष अपनाया है।

बोडो कचारी

वे प्रायःएक विवाह करते हैं। प्रत्येक महिला से आशा की जाती है कि वह हथकरघे की कला में निपुण हो। पीला रंग महिलाओं को अति प्रिय है। ये काफी संख्या में तकनीकी पदों पर कार्यरत हैं। आजकल बोडो भाषा का विकास किया जा रहा है।

देवरी

उनकी वंशावली पितृक है और उनके नाते पुरूष वंशावली के अनुसार होते हैं। उनमें शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है और इनमें आधुनिक शिक्षा तथा नौकरियों की चाह है।

कारबिस (मिकीर)

वे पितृक प्रणाली का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है, जिसे गाओन बुरा कहते हैं। वे समय-समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। कारबी महिलाएं वनों से जंगली जड़ें, पौधे, पत्ते तथा जंगल के फल इक्टठे करने में निपुण होती हैं। उनमें अनाज बैंक की परम्परा बहुत पुरानी है, जिसे केरूंग कहते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है क्योंकि विवाह के पश्चात भी महिला का उप नाम बना रहता है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं।

मिकीर

मिकर पहाड़ी के मिकीर पहले मलेरिया, काला अजर तथा कुष्ठ रोग से पीड़त रहा करते थे। वे शांति प्रिय व्यक्ति हैं और अपना धन्धा शांतिपूर्वक करते हैं। आमतौर पर मिकीर एक विवाह करते हैं। किसी को दो विवाह करने की अनुमति नहीं है। तलाक बहुत कम होता है लेकिन उसके लिए अनुमति मिल जाती है। विधवा पुनर्विवाह अनुमत है। पुत्र सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। विधवा अपनी सम्पत्ति अपने पास रख सकती है।

मीरी (मिशिंग)

उनमें पुत्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। सामाजिक-आर्थिक मामलों में सहयोग एक विशेषता है। बच्चों द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर बहुत ऊंची है।

राभा

वे थोड़ा विकसित लोग हैं और उनमें से बहुत से लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। अब वे स्व-रोजगार का प्रयास करते हैं।

हजोंग

महिलाएं सूअर तथा चिड़िया नहीं पालती हैं। वे बचपन से कातना तथा बुनना जानती हैं।

जेंतिया

वे मातृक जन-जाति हैं, बागवानी तथा सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध हैं।

अपतानी

अरूणाचल प्रदेश में वे गतिशील, प्रभुत्ता वाला समुदाय है जो सरकार के शिक्षा सहित सभी प्रकार के विकास कार्यकलापों में शामिल हैं।

मनाली क्षेत्रीय कार्यशाला से संबंधित जानकारी

मनाली कार्यशाला भारत की जनजाति की कुल जनसंख्या (678 लाख के लगभग) की लगभग 1 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सहित) में आदिवासियों की जनसंख्या क्रमशः 2.20 लाख और 2.90 लाख है। इन दोनों राज्यों की यह विशेषता है कि यहां कि महिलाएं कृषि, पशु व मछली पालन, हथकरघा उद्योगों और घरेलू कार्यो में पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

भारत की 75 अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों में से 2 इन राज्यों में बसती हैं। इन महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए यह कार्यशाला दिशा निर्देश देगी। इन राज्यों में बसने वाली जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आगे के अनुच्छेदों में दिया गया हैं :–

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 2.20 लाख है। यहां की 8 जनजातियों में गद्दी, भोट/बोध, गूजर, जाद/लाम्बा/खम्पा, किन्नारा, लहौला, पांगवाला, एवं स्वांगला प्रमुख हैं। जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया गया है वे इस प्रकार हैं :–

1. लाहोल और स्पिति जिला
2. किन्नौर जिला
3. पांगी तहसील
4. भरमौर उप तहसील, जिला चंबा

कुछ जनजातियों का विवरण इस प्रकार हैः–

बोध :– बोध जनजाति हिमाचल प्रदेश के लाहौल–स्पिति क्षेत्र में पाई जाती है जो भोट, छांग, लांबा और जाड नाम से भी जानी जाती है। बोध जनजाति के लोगों का व्यवसायानुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	68.58 प्रतिशत
कृषि मजदूरी	04.12 प्रतिशत
पशुपालन एवं मछली पालन	02.45 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	24.85 प्रतिशत

1981 की जनगणना के आधार पर उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोध/भोट जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बोध जनजाति के लोग आधुनिक दवाईयां और औपचारिक शिक्षा को पसन्द करते हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में कुल जनजाति की साक्षरता दर 25.93 प्रतिशत वही बोध जनजाति की कुल साक्षरता दर 35.60 प्रतिशत है। बोध जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 21.61 प्रतिशत है।

गद्दी :– हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रचलित गादेर्न से गद्दी शब्द की उत्पत्ति हुई। गद्दी जनजाति में ब्राह्मण, राजपूत, आर्टिशन आदि वर्ण हैं। गद्दी जाति चंबा जिले के बाहरमोर खाड़ी, बहुतया पिछड़े क्षेत्र में निवास करती है। 1981 की जनगणना के आधार पर 99.27 प्रतिशत गद्दी जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। गद्दी जनजाति के लोगों का व्यवसायानुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	76.21 प्रतिशत
कृषि मजदूरी	0.78 प्रतिशत
पशुपालन एवं मछली पालन	06.76 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	16.25 प्रतिशत

1981 की जनगणना के आधार पर उक्त तालिका से स्पष्ट है कि गद्दी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 1981 की जनगणना के आधार पर गद्दी जनजाति की साक्षरता दर समग्र 19.60 प्रतिशत है। इनमें महिलाओं की साक्षरता दर 6.19 प्रतिशत है।

गूजर :– दूध एवं उसके उत्पादों का विपणन कर अपना जीवन यापन करने वाले गूजर जनजाति के लोग गर्मी में अपने पशुओं के साथ सतह से पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। सर्दियों में पहाड़ से जमीन की ओर लौट आते हैं। यह जनजाति हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों में पाई जाती हैं। इनकी प्रमुख भाषा गूजरी एवं उर्दू है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गूजर शहरों में बसने लगे हैं और कृषि एवं अन्य व्यवसाय करने लगे हैं। गूजर जनजाति का व्यवसायानुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	81.01 प्रतिशत
कृषि मजदूरी	1.28 प्रतिशत
पशुपालन एवं मछली पालन	8.96 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	8.75 प्रतिशत

1981 की जनगणना पर आधारित उक्त तालिका से स्पष्ट है कि गूजरों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गूजर बिचौलियों के माध्यम से अपना सामान बाजार में बेचते हैं। 42.96 प्रतिशत गूजर मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। सरकार के अथक पुनर्वास प्रयास से ये सिरमोर, चम्बा और कांगड़ा जिलों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल आदि सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। गूजर जनजाति की साक्षरता दर 18.86 प्रतिशत है। गूजरों में 9.09 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं जो कि चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इनकी पंचायत व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। जो कि समुदाय के सभी लोगों को पंचायत का निर्णय मानने के लिये बाध्य करती है।

खम्पा :– खम्पा घूमंतु एवं भेड़ पालन करने वाली जनजाति है। इसके लोग नेगी एवं प्रधान के नाम से भी जाने जाते हैं। संविधान में खम्पा को जाई एवं लाम्बा के साथ मिलाकर अनुसूचित किया गया है। 1981 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या मात्र 1221 है। इनमें 604 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष का स्त्री–पुरुष अनुपात है। इनमें तलाकशुदा विधवा पत्नी का पुनर्विवाह संभव है। खम्पा जनजाति की स्त्रियां अपने पतियों के कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त दुकान एवं ढाबा भी चलाती हैं। खम्पा जनजाति का विभिन्न व्यवसायानुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	17.74 प्रतिशत
कृषक मजदूर	1.89 प्रतिशत
पशुपालन एवं भेड़ पालन	14.53 प्रतिशत
घरेलू उद्योग से भिन्न	16.04 प्रतिशत
निर्माण कार्य	16.23 प्रतिशत
व्यापार एवं वाणिज्य	13.96 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	19.61 प्रतिशत

1981 की जनगणना पर आधारित उक्त तालिका का समग्र रूप से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि खम्पा जनजाति के लोग कृषि को छोड़ अन्य कार्यों में अधिक संलिप्त हैं। खम्पा जनजाति की स्त्रियां कुशल जुलाहा एवं कसीदाकार हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार खम्पा जनजाति की साक्षरता दर 42.75 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता दर 31.74 प्रतिशत है।

किन्नारा :– यह जनजाति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किनौर जिले में पाई जाती है। खोसिया एवं बेरू इसके दो मुख्य सामाजिक विभाग हैं। खोसिया समूह के लोग भूमिहर एवं किसान हैं वहीं बेरू समूह में लोगों का कोली, बढ़ई एवं लोहार मुख्य व्यवसाय है। किन्नारा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि, व्यापार और पशुपालन है। किन्नारा का व्यवसायानुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	78.37 प्रतिशत
कृषक मजदूर	5.00 प्रतिशत
पशुपालन एवं भेड़ पालन	3.43 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	13.20 प्रतिशत

अतः 1981 की जनगणना पर आधारित उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि किन्नारा भी कृषि व्यवसाय में ही संलिप्त है। इनमें कोली समूह को मंदिर एवं पूजा स्थल पर जाना वर्जित है। 1981 की जनगणना के अनुसार किन्नारा की साक्षरता दर 34.80 प्रतिशत है। 21.05 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। ये लोग परंपरागत दवाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं।

लाहौला :– हिमाचल प्रदेश के लाहोल–स्पिति जिले में लाहौला जनजाति पाई जाती है। 1981 की जनगणना के अनुसार लाहौला जनजाति के लोगों की संख्या मात्र 1874 है। इनकी प्रमुख भाषा लाहूली है। ये लोग बौद्ध एवं हिन्दू धर्म के अनुयायी है। लाहौला जनजाति की साक्षरता दर 42.93 प्रतिशत से अधिक है। इनमें 28.96 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

पांगवाल :– हिमाचल प्रदेश की पांगीबाड़ी के चंबा जिले में पांगवाल जनजाति निवास करती है। इसके उच्च वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर एवं राठी और निम्न वर्ग में हाली, लोहार, डाकी एवं मैग जातियां हैं। इस जनजाति की मुख्य भाषा हिन्दी है। पांगवाल का व्यवसायवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	89.56 प्रतिशत
कृषक मजदूर	0.14 प्रतिशत
पशुपालन एवं भेड़ पालन	0.92 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	9.38 प्रतिशत

अतः 1981 की जनगणना के अनुसार उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पांगवाल जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य में संलिप्त है। कृषक मजदूरी एकदम नगण्य है और यूँ कहें कि न के बराबर है तो उचित होगा। पांगवाल जनजाति की साक्षरता दर 19.43 प्रतिशत है। इस जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 6.09 प्रतिशत, पुरुषों की साक्षरता दर 32.37 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है जो कि चिन्ता का विषय है।

स्वांगला :– स्वांगला जनजाति, पट्टन खाड़ी के लाहोल स्पिति जिलों में पाई जाती है। स्वांगला जनजाति में ब्राह्मण (उच्च श्रेणी), राणा (शासक) एवं राजपूत (कृषक) मुख्य वर्ग हैं। इनकी मुख्य बोली मानचंद है। स्वांगला जनजाति का व्यवसायवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

जनजाति का व्यवसाय	प्रतिशत
किसान	84.05 प्रतिशत
कृषक मजदूर	0.72 प्रतिशत
पशुपालन एवं भेड़ पालन	1.56 प्रतिशत
अन्य व्यवसाय	13.67 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से स्पस्ट है कि स्वांगला का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषक मजदूर मात्र 0.72 प्रतिशत है। अतः स्वांगला जनजाति के लोग स्व रोजगार के रुप में कृषि पर निर्भर हैं। स्वांगला जनजाति की साक्षरता दर 33.86 प्रतिशत

है। राज्य की जनजातीय महिला साक्षरता दर 17.40 प्रतिशत है जो कि जनजातीय पुरुषों की साक्षरता दर 49.58 प्रतिशत की तुलना में नगण्य एवं विचारणीय है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1994–95 व 1995–96) में दर्शाया है कि हिमाचल प्रदेश में बालिका शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। जो महिलाएं मजदूरी या कृषि क्षेत्रों में काम करती हैं वे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देती हैं। क्योंकि वे उन्हें घरेलू कामों में मदद करती हैं और छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। कुपोषण और बार–बार की बीमारी से बच्चे कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। यह आवश्यक है कि पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या को रोका जाए और सुधारात्मक उपाय किए जाएं। जनजातीय क्षेत्रों में पदों को भरने पर किसी भी प्रकार की रोक नही होनी चाहिए। अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों में डाक्टरों, पुरूष एवं महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के खाली पड़े पदों पर भी आयोग द्वारा चिंता व्यक्त की गई है।

उत्तरांचल : उत्तरांचल राज्य की जनजातियों का विवरण पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ दिया गया है कृपया अवलोकन करें।

विकास से संबंधित जानकारी

हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों की जनजाति विकास से संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है :–

क्र.	विवरण	भारत	हिमाचल प्रदेश	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सहित)
1.	जनजाति संख्या लाखों में	678	2.20	2.9
2.	स्त्री अनुपात प्रति हजार	972	981	914
3.	महिला साक्षरता दर	18.2	31.9	19.9
4.	वक्षा 1 से 8 तक स्कूल छोड़ने की दर 1993–94	77.7	43.3	40.7
5.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	49.3	49.6	43.4
6.	कृषक प्रतिशत	54.5	72	69.6
7.	कृषि श्रमिक प्रतिशत	32.7	2.3	13
8.	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत–1993–94	51.94	63.94	37.11
9.	प्रशासनिक ढांचा (संख्या में) आई.टी.डी.पी.	194	5	1
	माडा (संख्या में)	259	2	1
	समूह (कलस्टर) (संख्या में)	82	–	–
10.	अत्यंत पिछड़ी जनजातियां (संख्या में)	75	–	2

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में आदिवासी महिलाओं का अनुपात पुरूषों की तुलना में कम है। उत्तरांचल में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर केवल 19.90 प्रतिशत है जो उनके पिछड़ेपन को दर्शाती हैं। आदिवासी महिलाओं का मुख्य कामगारों संबंधी विवरण परिशिष्ट 1ड़ में दिया गया है। कार्यशाला में भाग लेने वाले राज्यों की स्थिति निम्नानुसार है :–

संख्या लाखों में

राज्य	कुल कामगार आदिवासी महिलाएं	काश्तकार	कृषि मजदूर
हिमाचल प्रदेश	2.46	2.08 (84.55%)	0.08 (3.25%)
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सहित)	0.26	0.19 (73%)	0.3 (11 %)

अखिल भारतीय सेवाओं में आदिवासी महिलाओं का स्थान (1993 से 1996)

आदिवासी महिलाओं का भारत सरकार की प्रमुख सेवाओं में प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :–

केन्द्रीय सेवा	वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
भारतीय प्रशासनिक सेवा	1993	487	28	237	21
	1994	486	25	233	19
	1995	481	27	234	21
	1996	512	34	247	23
भारतीय लेखा–परीक्षा तथा लेखा सेवा	1993	93	4	29	–
	1994	96	4	28	–
	1995	99	4	28	–
भारतीय सीमा–शुल्क तथा	1993	192	11	85	10
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा	1994	202	11	93	12
	1995	222	11	86	12
	1996	28	11	89	12
भारतीय आर्थिक सेवा	1996	55	4	18	–
भारतीय विदेश सेवा	1993	70	2	29	4
	1994	75	2	34	4
	1995	82	2	31	4

केन्द्रीय सेवा	वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
भारतीय सूचना सेवा	1994	48	15	4	3
	1995	52	18	4	4
	1996	51	15	4	4
भारतीय डाक सेवा	1993	46	5	24	2
	1994	41	5	20	2
	1995	37	6	18	2
	1996	44	8	20	2
भारतीय राजस्व सेवा	1993	375	10	146	–
	1994	400	13	148	5
	1995	390	14	164	10
भारतीय सांख्यिकीय सेवा	1993	59	3	6	1
	1994	59	3	6	1
	1995	66	3	6	1
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	1996	86	1	12	1

' उपरोक्त आकड़े ग्रुप 'ए' अधिकारियों के हैं। जो यह दर्शाते है कि आदिवासियों की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत अनुपात में उनका अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व नगण्य है।

जनजाति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राशि

भारत सरकार, जनजाति मंत्रालय द्वारा कुछ चुनी हुई योजनाओं को राज्यवार प्रदत्त की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 1च पर दिया गया है। योजनाओं के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुच्छेद 275 (1)
3. कन्या छात्रावास
4. आश्रमशाला
5. प्रशिक्षण संस्थान
6. आदिवासी विकास सहकारी निगम

7. आदिवासी महिला अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए शिक्षा केन्द्र

8. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

दो दिवसीय कार्यशाला में चर्चा के लिए रखे गये मुद्दे निम्नानुसार थे :–

1. क्षेत्रीय आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर एक दृष्टि

2. आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों की समीक्षा

3. आदिवासी मामलों के मंत्रालय, आदिवासी विभागों, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी के प्रयासों की भूमिका

4. जल, भूमि एवं कृषि, रोजगार, वन, वनोपज तथा विपणन

5. संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास बैंक, वित्तीय संस्थान, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा ट्राईफेड की भूमिका

6. सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा

7. संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध एवं उससे बचाव तथा आदिवासी परंपरागत रूढ़ियों पर आधारित विधि

8. राजनैतिक सशक्तिकरण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास, लिंग भेदभाव तथा प्रचार माध्यम का सुदुपयोग

9. दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ठोस प्रयास

दसवीं पंचवर्षीय योजना और आदिवासी महिलाओं के विकास के लिए नई दृष्टि

राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रयास होगा कि विभिन्न जनजाति महिलाओं की ज्वलंत समस्याओं पर पुनः सिहांवलोकन हो तथा आने वाली 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्यों को ठोस सुझाव प्रस्तुत किए जाएं। एक ओर जहां संपूर्ण जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जनजातियों की महिलाओं के विकास पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है। अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन से कदम उठाए जाएं ? जंगलों, पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में बसने वाली जनजातीय महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए ? हमने किस–किस क्षेत्र में कहां तक उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा हमें और क्या करना चाहिए?

परिशिष्ट 1क

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति का अनुपात

क्र.	राज्य	राज्य में प्रतिशत	देश में प्रतिशत
	25% से अधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य		
1.	मणिपुर	34.41	.93
2.	मेघालय	85.53	2.24
3.	मिजोरम	94.75	.96
4.	नागालैंड	87.7	1.57
5.	त्रिपुरा	30.95	1.23
6.	अरुणाचल प्रदेश	63.66	.81
7.	दादर नगर हवेली	78.99	.16
8.	लक्षद्वीप	93.15	.07
	5 से 25% तक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य		
1.	मध्य प्रदेश मय छत्तीसगढ़	23.77	22.73
2.	महाराष्ट्र	9.27	10.80
3.	उड़ीसा	22.21	10.38
4.	बिहार मय झारखंड	7.61	9.77
5.	गुजरात	14.92	9.09
6.	राजस्थान	12.44	8.08
7.	आन्ध्र प्रदेश	6.31	6.20
8.	पश्चिम बंगाल	5.59	5.62
9.	असम	24.66	4.24
10.	सिक्किम	22.36	.13
11.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9.54	.05
12.	दमन और द्वीव	11.54	.02

क्र.	राज्य	राज्य में प्रतिशत	देश में प्रतिशत
	5% से कम जनजाति जनसंख्या वाले राज्य		
1.	कर्नाटक	4.26	2.83
2.	तमिलनाडु	1.03	.85
3.	केरल	1.10	.47
4.	उत्तर प्रदेश मय उत्तरांचल	.21	.42
5.	हिमाचल प्रदेश	4.22	.32

परिशिष्ट 1ख

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें एवं निवारण
विभिन्न राज्यों से विभिन्न वर्षो में प्राप्त शिकायतें

क्र.	राज्य	वर्ष			
		1997	1998	1999	2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	76	53	49
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	08	09	–
3.	असम	04	04	13	08
4.	बिहार	521	1008	943	545
5.	गुजरात	20	53	37	17
6.	हरियाणा	317	324	216	287
7.	हिमाचल प्रदेश	19	82	30	28
8.	जम्मू और कश्मीर	06	10	07	07
9.	कर्नाटक	22	146	87	35
10.	केरल	12	40	42	22
11.	मध्य प्रदेश	347	485	310	525
12.	महाराष्ट्र	46	95	86	118
13.	मणिपुर	04	04	05	02
14.	मेघालय	03	04	03	01
15.	मिजोरम	02	02	03	–
16.	नागालैंड	–	01	02	–
17.	उड़ीसा	32	65	62	38
18.	पंजाब	45	75	86	72
19.	राजस्थान	329	258	207	254
20.	सिक्किम	05	03	07	–
21.	तमिलनाडु	26	135	130	54
22.	त्रिपुरा	02	10	08	08

क्र.	राज्य	वर्ष			
		1997	1998	1999	2000
23.	उत्तर प्रदेश	1203	1723	1323	1891
24.	पश्चिम बंगाल	35	80	50	60
25.	गोवा	03	04	04	07
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	01	02
27.	दादर नागर हवेली	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	05	18	24	08
29.	दमन और द्वीव	–	–	01	–
30.	लक्षद्वीप	–	01	–	–
31.	दिल्ली	858	876	574	924
32.	पांडिचेरी	02	03	06	03
33.	नेपाल*	–	01	–	02
	कुल योग	3900	5594	4329	4967

* शिकायतकर्ता मूलतः नेपाल निवासी है; परन्तु जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है वे भारतीय नागरिक हैं।

परिशिष्ट 1ग

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें एवं उनका निवारण

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1996 – 99 के दौरान निम्न शिकायते प्राप्त की गई एवं उनका निवारण किया गयाः–

- ➢ कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या 18559
- ➢ निवारित शिकायतों की संख्या 16564
- ➢ जिन शिकायतों पर कार्यवाही जारी है उनकी संख्या 1995

सन् 1999 – 2000 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	शिकायत का स्वरूप	1999 जुलाई से दिसम्बर	2000 जनवरी से अक्टूबर
1.	दहेज हत्या	232	468
2.	दहेज अत्याचार	424	848
3.	हत्या	79	214
4.	बलात्कार	92	242
5.	छेड़छाड़	16	8
6.	द्विपत्नीकरण	32	98
7.	बालिका हत्या	03	02
8.	पुलिस उदासीनता	12	27
9.	संपत्ति, विधवा, पैतृक, स्त्रीधन	132	231
10.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	43	229
11.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	13	46
12.	परित्याग	66	229
13.	निर्वाह संबंधी मामले	08	07
14.	तलाक संबंधी मामले	–	–
15.	विविध मामले	407	551
16.	बच्चों की संरक्षता	06	–

क्र. सं.	शिकायत का स्वरूप	1999 जुलाई से दिसम्बर	2000 जनवरी से अक्टूबर
17.	अपहरण	36	141
18.	वैवाहिक कलह	04	13
19.	आश्रय	01	–
20.	उत्पीड़न	498	1037
21.	यौन उत्पीड़न	92	113
22.	पुलिस उत्पीड़न	208	236
	कुल योग	2191	4740

परिशिष्ट 1घ

अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये आदिवासी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया अनुमानित एवं वास्तविक व्यय का तुलनात्मक अवलोकन : –

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यक्रम एवं योजनाएं	व्यय अनुमानित	1999–2000 वास्तविक	व्यय अनुमानित
1.	आदिवासी उप योजना के लिये केन्द्रीय विशष सहायता	400.00	400.00	400.00
2.	संविधान के अनुछेच्द 275(I) के अंतर्गत अनुदान	100.00	100.00	200.00
3.	बालक छात्रावास	12.00	6.98	10.80
4.	बालिका छात्रावास	12.00	3.93	12.00
5.	आदिवासी उप योजना में आश्रम शाला का निर्माण	15.00	5.32	13.00
6.	अल्प साक्षरता आदिवासी क्षेत्र में महिला साक्षरता के विकास के लिये शैक्षणिक केन्द्र	9.00	1.83	5.40
7.	राज्य आदिवासी विकास सहकारिता निगम, अल्प वनोपज कार्यक्रम को अनुदान	15.00	9.05	13.00
8.	ग्राम अन्न बैंक	4.00	1.00	2.00
9.	NGO's को अनुदान	30.00	15.23	28.00
10.	आदिकालीन आदिवासी समूह का विकास (PTGs)	10.00	6.63	12.50
11.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	62.75	–	63.20

*स्त्रोत :– आदिवासी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2000 – 2001.

परिशिष्ट 1ड़

अनुसूचित जनजातीय महिलाओं का केन्द्रीय प्राथमिक जनगणना सार
अनुसूचित जनजातीय महिला मुख्य कामगारों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल ज.ज. जा. महिलाएं	कुल मुख्य श्रमिक	सीमान्त कामगार	गैर– कामगार	कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू	अन्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,56,664	9,12,753	1,28,620	1,01,529	2,93,151	5,39,339	25,610	5,40,492
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,74,954	1,16,327	1,407	1,53,720	1,09,151	1,636	166	58,743
3.	असम	14,12881	2,81,179	1,96,875	9,34,827	2,26,411	34,320	3,062	1,73,784
4.	बिहार	32,59,351	7,26,556	5,02,998	20,29,797	4,06,207	257,770	10,939	5,16,405
5.	गोवा	117	32	–	145	1	3	–	286
6.	गुजरात	30,29,828	7,71,900	6,49,304	16,08,624	2,74,780	4,34,074	5,541	5,75,057
7.	हरियाण	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	10,81,094	24,600	24,746	58,763	2,08,674	805	258	26,709
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	9,38ए947	2,99,281	72,195	5,67,471	71,990	1,82,766	5,699	38,87,611
11.	केरल	1,60,155	47,110	11,982	1,01,063	5,521	29,465	349	11,77,512
12.	मध्य प्रदेश	76,40,860	24,95,951	11,95,753	39,49,156	13,99,154	9,89,225	17,455	90,05,713
13.	महाराष्ट्र	36,00,498	14,81,812	3,06,258	18,12,428	5,18,554	8,50,255	13,754	99,24,914
14.	मणिपुर	3,09,453	1,33,615	8,647	1,67,191	1,21,214	3,755	2,399	6,22,715
15.	मेघालय	7,57693	2,56,134	30,064	1,81,353	1,65,936	35,843	1,027	53,32,816
16.	मिजोरम	3,23,746	1,11,329	31,064	1,81,353	82,871	3,275	942	24,24,117
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	13,93,818
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	59,96,719
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	11,70,427	4,69,525	6,02,115	15,66,227	3,24,338	1,21,497	564	23,12,621
21.	सिक्किम	16,344	12,981	714	29,702	9,142	518	88	3,23,322
22.	तमिलनाडु	2,81,182	1,08,854	16,302	1,56,026	32,442	57,790	1,947	14,67,523
23.	त्रिपुरा	4,19,120	78,827	27,289	3,13,004	47,757	28,870	389	1,79,124
24.	उत्तर प्रदेश	1,37,481	26,540	18,685	92,256	18,890	3,534	2,388	1,72,825
25.	पश्चिम बंगाल	18,69,805	6,22,612	1,44,560	11,02,633	1,30,428	3,81,505	10,649	1,00,03,026
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	13,020	1,497	2,074	9,447	–	–	1,327	12,427
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा और नगर हवेली	55,278	19,590	11,067	24,621	15,435	2,960	2	1,19,329
29.	दमन और द्वीप	5,651	1,177	1,111	3,363	113	340	8	71,630
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	24,003	1,327	433	22,243	–	–	209	1,11,832
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
	भारत	3,33,95,709	1,00,15,761	45,81,572	1,87,97,796	47,11,631	44,04,934	11,29,405	7,39,791

परिशिष्ट 1च

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को भिन्न–भिन्न योजनाओं में प्रदत्त की गई राशि निम्नानुसार है :–

नाशिक कार्यशाला

1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	सन 1995–2000 विमुक्त राशि (रूपये लाखों में)
	महाराष्ट्र	15999 लाख
	गुजरात	15166 लाख
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	
	महाराष्ट्र	3875 लाख
	गुजरात	3326 लाख
3.	कन्या छात्रावास	
	महाराष्ट्र	33.07 लाख (2 हॉस्टल, 98–99 में)
	गुजरात	6.25 लाख (7 हॉस्टल,99–2000 में)
4.	आश्रम शाला	
	महाराष्ट्र	157.38 लाख (56 स्कूल सन 98–99 में)
	गुजरात	83.17 लाख (15 स्कूल सन 99–2000 में)
5.	प्रशिक्षण संस्थान	1999 – 2000 में
	महाराष्ट्र	17.22 लाख
	गुजरात	14.15 लाख
6.	आदिवासी विकास सहकारी निगम	
	महाराष्ट्र	100 लाख (98–99)
	गुजरात	150 लाख (99–2000)
7.	आदिवासी महिला अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए शिक्षा केन्द्र	2000–2001 में
	महाराष्ट्र	6.33 लाख (2 संस्था)
	गुजरात	11.25 लाख (2 संस्था)
8.	(अ) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्यों को)	
	महाराष्ट्र	–
	गुजरात	67.5 लाख (10 संस्था) (99 – 2000)

	(ब) गैर सरकारी संस्थाओं को	
	महाराष्ट्र	19.26 (2 संस्था, 2000 – 2001)
	गुजरात	–

जबलपुर कार्यशाला

	योजनायें	सन 1995–2000
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	विमुक्त राशि (रूपये लाखों में)
	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	45756.52
	राजस्थान	14018.45
	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	464.77
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	
	मध्य प्रदेश	9013.46
	राजस्थान	3300.29
	उत्तर प्रदेश	236.58

3.	कन्या छात्रावास (1998–99)	छात्रावास	लाख रु.
	मध्य प्रदेश	100 (98–99)	34
	राजस्थान	70.77 (98–99)	6
	उत्तर प्रदेश	11 (98–99)	1

4.	आश्रमशाला	
	मध्य प्रदेश	100.21 (9–98–99)
	राजस्थान	–
	उत्तर प्रदेश	175.4(15 – 98–99)
5.	प्रशिक्षण संस्थान	
	मध्य प्रदेश	29.76(2000–01)
	राजस्थान	1.70 (1999–2000)
	उत्तर प्रदेश	1.40 (1999–2000)
6.	आदिवासी विकास सहकारी निगम	
	मध्य प्रदेश	255 (1998–99)
	राजस्थान	25 (1999–2000)
	उत्तर प्रदेश	–

7.	आदिवासी महिला अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए शिक्षा केन्द्र	
	मध्य प्रदेश	21.45(2000–01–6)
	राजस्थान	6.54 (2000–01–2)
	उत्तर प्रदेश	9.75 (2000–01–3)
8.	(अ) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्यों को)	
	मध्य प्रदेश	109.5 (1998–99)
	राजस्थान	24 (1997–98)
	उत्तर प्रदेश	–
	(ब) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (गैर सरकारी संस्थाओं को)	
	मध्य प्रदेश	9.63 (2000–01)
	राजस्थान	–
	उत्तर प्रदेश	3.6 (1999–2000)

नोट : मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की जानकारी में क्रमशः छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल शामिल हैं।

मनाली कार्यशाला

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त राशि निम्नानुसार है :–

	योजनायें	सन 1995–2000
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	विमुक्त राशि (रूपये लाखों में)
	हिमाचल प्रदेश	2890
2.	संविधान के अनुच्छेद 274(1)	
	हिमाचल प्रदेश	194
3.	कन्या छात्रावास (1998–99)	छात्रावास
	हिमाचल प्रदेश	15 लाख (97–98) 1छा.
9.	आश्रमशाला	
	हिमाचल प्रदेश	8.5 लाख (99–2000) 15आ.शा
10.	प्रशिक्षण संस्थान	
	हिमाचल प्रदेश	–

11. आदिवासी महिला अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए शिक्षा केन्द्र
हिमाचल प्रदेश –

11. (अ) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्यों को)
हिमाचल प्रदेश 40लाख (97–98) 5 प्र. के.

नोट : उत्तरांचल की प्रथक जानकारी के अभाव में उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के आकड़ो को संयुक्त रुप से पूर्व में प्रदर्शित किया गया है।

परिशिष्ट 2

सुश्री अनुसुईया उइके, सदस्य, रा. म. आ. का रांची कार्यशाला में दिया गया भाषण

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ।

राष्ट्रीय महिला आयोग में हमने निर्णय लिया कि आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर उन्हीं के बीच बैठकर चर्चा की जाये। संपूर्ण देश में 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं रांची, नाशिक, जबलपुर, गुवहाटी एवं मनाली में आयोजित की जायें। तत्पश्चात एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में हो। इस विचार मंथन के पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनका उल्लेख कर भारत सरकार के सम्मुख आदिवासी महिलाओं की समस्याएं और संभावनाएं को प्रस्तुत करेगा। इसी क्रम में हम पहली क्षेत्रीय कार्यशाला रांची में आयोजित कर झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की आदिवासी महिलाओं की समस्याओं एवं संभावनाओं के संदर्भ में विचार करने के लिये एकत्रित हुए हैं।

अब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में बताना चाहूंगी। आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग के कुल पांच सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का अवश्य हो। आयोग के अध्यक्ष एवं पांच सदस्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर भारत सरकार मनोनीत करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिये संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षापायों का पुनरीक्षण; उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने; शिकायतों का निवारण तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर सरकार को सलाह देने का दायित्व निभाता है। आयोग जरुरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी प्रदान करता है।

आदिवासी आदिकाल से वनों और पहाड़ों से जुड़े रहे हैं। कड़ी सर्दी, बर्फीली हवा, मैदानी धूप और समुद्री लहरों के बीच वे रहने के आदी हैं। वास्तव में आदिवासी समाज चारों ओर से भारत का प्रहरी है। हिमालय पर्वत, उत्तर–पूर्व, पूर्वी राज्य, दक्षिण के पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, पश्चिम की अरावली श्रृंखलायें तथा विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत उनके निवास स्थान हैं। समुद्र में लक्षद्वीप और अंडमान–निकोबार में भी जनजातियां बसती हैं।

कुछ क्षणों के लिए मैं इतिहास के पन्ने पलटना चाहूँगी। रांची की यही भूमि छोटा नागपुर है, जहॉ आदिवासियों ने 1789, 1801, 1807, 1808 में बेगार प्रथा और अन्याय के खिलाफ तथा खूंट कट्टी के परंपरागत अधिकारों के लिए विद्रोह किया था। 1831–32 की कोल अशांति आदिवासी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए ही हुई थी। 1855 में जमींदारों व महाजनों के प्रति संथालों द्वारा विद्रोह, 1869 व 1870 में वनों को लेकर धनबाद विद्रोह, 1887 का सरदारी और 1895 का बिरसा मुण्डा आंदोलन इसी क्षेत्र की माटी पर हुआ था। बिरसा आंदोलन में गया मुण्डा की पत्नी माकी ने जिस साहस से ब्रिटिश डिप्टी कमीशनर को पछाड़ा था वह मुण्डा महिला की हिम्मत का एक उदाहरण है। राजमोहिनी का त्याग और बलिदान भी पलामू क्षेत्र में अविस्मरणीय है। 'हो' जनजाति में महिलाएं ग्राम प्रमुख और पुजारिन भी हो सकती हैं। आज हम नवगठित झारखण्ड राज्य में आए हैं। झारखण्ड का गठन क्या आदिवासी महिलाओं के सहयोग के

बगैर संभव था? पुरूषों का साथ देने में महिलाओं ने अपने परिजनों को खोया और भूखे रहकर, एक नहीं कई रातें काटीं। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगी कि यही वह स्थल है जहॉ ताना भगतों ने अहिंसा का पालन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। राजमहल पर्वत श्रेणियों में विचरने वाले संथाल आदिवासी आज भी कलाकृतियों के प्रेमी, अच्छे और सुन्दर घर निर्माण करने में निपुण, लकड़ी के कुशल कारीगर माने जाते हैं। उराव जनजाति अपनी कठोर मेहनत के कारण सभी का मन जीत लेती है। हल की खेती छोटा नागपुर में सबसे पहले उन्होंने ही सीखी थी। आज वे न केवल अच्छे किसान हैं वरन् खूब शिक्षित और नामी–गिरामी खिलाड़ी भी हैं। इस क्षेत्र में कुछ अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है। आदिवासी महिलाएं अत्यंत सरल और सीधी परन्तु स्वाभिमानी होती हैं। रोगी और वृद्धों, पशु तथा पक्षियों की सेवा में वे पारंगत हैं। घर की भीत पर चीन्ह और घर की सफाई देखकर कोई भी कह सकता है कि यह आदिवासी का घर होगा। जब तक वह काम की है उसका समाज में अच्छा स्थान है परन्तु विडंबना यह है कि ज्यों–ज्यों वह बूढ़ी होती जाती है उसका स्थान गिरने लगता है। धन और संपत्ति के अभाव में 70 वर्ष से उपर की आदिवासी महिला समाज का कोप भाजन बन जाती है।

अब मैं जादू–टोना के बारे में बोलना चाहूँगी। आदिवासी महिलाएं यद्यपि बाल विवाह, दहेज प्रथा, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, गर्भ का चिकित्सकीय समापन जैसी कुरीतियों से दूर हैं, परन्तु कतिपय आदिवासी समुदायों विशेषकर संथाल, हो, उराव में महिलाएं डायन के रूप में प्रताड़ित होती हैं। हो विधवाएं भूमि धारक हैं और जिनके अवयस्क बच्चे हैं तथा जिनके गांव में कुछ विरोधी हैं उनमें से कुछ को जादू–टोना करने वाली डायन बता दिया जाता है। कभी–कभी जब ओझा किसी रोगी को ठीक नहीं कर पाता तब वह अपनी अज्ञानता किसी दूसरे के सर मंढ देता है और कहता है कि यह तो उस महिला के जादू टोने का असर है। उसके साथ मारना पीटना होता है तथा उसे जुर्माना देने को बाध्य किया जाता है। बताइये वह जुर्माने के 10 हजार रूपये कहां से लाए। जुर्माने की राशि बटोर कर असामाजिक तत्व मौज उड़ाते हैं। यह एक धन्धा बन गया है। प्रशासन इसे आदिवासी समाज का अपना अंदरूनी मामला मानता है। यद्यपि अविभाजित बिहार राज्य ने एक अधिनियम इस संबंध में बनाया था। लेकिन क्या आज इस अधिनियम की प्रासंगिकता पर विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रयास करने होंगे, ताकि इन सेवाओं का विस्तार गांवों तक हो जाए और जादू–टोने जैसी सामाजिक बुराई समाप्त हो जाए।

इस कुरीति को दूर करने के लिए गैर सरकारी संस्थाएं डायन विरोधी जागरूकता शिविर लगा सकती हैं। महिला आयोग उनकी सहायता के लिए तत्पर है। पुलिस प्रशासन इन प्रकरणों को 'स्पेशल रिपोर्ट' की श्रेणी में पंजीबद्ध करे और डायन घोषित करने वाले को अपराधी माना जाए। इसके निषेद्य के लिये प्रभावशाली केन्द्रीय कानून की आवश्यकता पर भी चर्चा की जा सकती है।

ठेवर आयोग ने 1960–61 में अपने प्रतिवेदन में जिन आदिवासी समस्याओं को चिन्हित किया था वे भूमि, वन, कृषि, पशु–पालन, हस्तकला, रोजगार, बाजार, बंधक श्रम, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, शराब का उपयोग, अशिक्षा, यातायात के साधन और न्याय व्यवस्था से संबंधित थी। चालीस वर्ष बाद के विकास दर्शाने वाले आंकड़े यह बताते हैं कि भारत की आदिवासी महिला का साक्षरता दर केवल 18.2 प्रतिशत तक पहुंच पाया है, जबकि समस्त महिलाओं का साक्षरता

दर 39.3 प्रतिशत है। कृषि श्रमिकों में आदिवासियों का अनुपात 32.7 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में केवल 26 प्रतिशत (1993–94 की जानकारी के अनुसार) गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों में आदिवासियों का प्रतिशत लगभग आधे से उपर (52 प्रतिशत) है जबकि संपूर्ण आबादी में यह मात्र 37.27 प्रतिशत है। आई. ए. एस. में आदिवासियों का प्रतिशत 5 प्रतिशत के लगभग है जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के मान से कम है। आदिवासी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की उच्च सेवाओं में मात्र कल्पना ही की जा सकती है।

मान्यवर मेरा मानना है कि आज के प्रसंग में आदिवासी महिलाओं की प्रमुख समस्या है, 'कुपोषण, विशेषकर गर्भवती महिला का। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल के साधनों की कमी, विकलांग बच्चे का भरण पोषण और देखभाल, अपूर्ण विकसित बच्चे का जन्म, निःसंतान महिला को गर्भधारण करने की डाक्टरी सलाह का अभाव और उसका विधवा हो कर बुढ़ापा काटना भी भीषण समस्याएं है। वर्षों पहले तो आदिवासी पंचायत, गांव और समाज उन मामलों में सहायता करता था परन्तु अब इसमें कमी आ रही है। रोजगार के अपर्याप्त साधन, जंगलों की कमी, अशिक्षा, कानूनी अनभिज्ञता और कर्ज से लदा होना भी कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनसे आदिवासी समाज घिरा हुआ है। विकास कार्यों के कारण उनका बार–बार विस्थापन और अपूर्ण पुनर्स्थापन, सरकार द्वारा असमर्थता प्रकट करना भी उनके दिल को ठेस पहुंचाता है। सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर भी विभिन्न प्रमाण–पत्र जैसे आय, आयु, जाति, शिक्षा व भूमि संबंधी कागजात प्राप्त नहीं होते हैं। यहां तक कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट देरी से मिलने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता भी देरी से मिल पाती है। जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक ढांचा आदिवासी महिलाओं के लिए संवेदनशील नही है।

मान्यवर, संविधान में निहित विशेष प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न कानून बनाये गये हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उनके हाथ से जमीन जाती रही है, जंगल के वे अब 'राजा' नहीं रहे, मजदूर हो गए हैं। वनोपज के साधनों में कमी हो गई है। पेट भरने के लिए गांव, पंचायत की सीमा तो दूर जिला और राज्य की परिधि के बाहर भी अनजान लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। आदिवासी महिला मूल निवास को छोड़कर बाल–बच्चों के साथ बिल्कुल नये वातावरण में रोजी–रोटी कमाने जा रही है। जंगल की तो वह आदी थी परन्तु खदानों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अकुशल है। जंगल में सब उसकी बात मानते थे परन्तु जंगल के बाहर उसे सबकी सुनना पड़ती है।

रोजी रोटी के लिए आदिवासी परिवार विदेश भी जा रहे हैं। कतिपय आदिवासी समूहों में लड़कियां गैर आदिवासी पुरूषों से विवाह कर रही हैं। इस प्रकार आदिवासी भूमि का लाभ गैर आदिवासी ले रहे हैं। अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की महिलाएं जब बाजार में क्रय – विक्रय के लिये जाती हैं तो उन्हें आदान–प्रदान में उचित दाम नहीं दिए जाते हैं। श्रमिक के रूप में आदिवासी महिला को जो भी मजदूरी दी जाती है वह स्वीकार कर लेती है। न्यूनतम मजदूरी कानून उस तक नहीं पहुंच पाये है। भुखमरी, लम्बे समय की बीमारी, बेरोजगारी, उन्हें बच्चों की बिक्री तक के लिए मजबूर कर रही हैं। पहले महिला स्वाभिमानी थी, अब हीन भावना से ग्रसित है। अब उसका शोषण हो रहा है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान समय में आदिवासी महिलाओं की समस्याएं सर्वाधिक उन क्षेत्रों में है जहां जंगली जानवरों के सुरक्षित वनों (CoreArea) में नक्सलवादी और आतंकवादी डेरा डाले हुए हैं।

मान्यवर, मैं सोचती हूं कि इन समस्याओं को एक साथ अल्प समय में तो हल नहीं किया जा सकता है परन्तु दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कार्य योजना बनाई जा सकती है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

1. आदिवासी क्षेत्रों में अन्न भण्डारण और अन्न वितरण की अच्छी व्यवस्था हो। भुखमरी के कारण बच्चों को बेचने के समाचार हृदय द्रवित हैं। इस समस्या की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

2. अत्यंत पिछड़ी जनजातियों का कुपोषण रोका जाये और स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं।

3. आदिवासी महिलाओं के समूहों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाएं।

4. पारंपरिक आदिवासी पंचायत की अच्छाइयों को संवैधानिक पंचायत व्यवस्था में सम्मिलित किया जाये।

5. आदिवासी महिलाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जायें जिससे कि उनके उत्थान की योजना बनाई जा सके। इस बात की जानकारी ली जाए कि कितनी आदिवासी महिलायें बैंकों की खातेदार हैं, कितनी महिलाएं आयकर जमा करती हैं, कितनों के पास टेलीफोन हैं और सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा में उनका क्या प्रतिशत है। स्वरोजगार में कितनी सम्मिलित हैं, आदि।

6. विशिष्ट और अभूतपूर्व दक्षता रखने वाली आदिवासी महिलाओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिये जाएं।

7. जेल में सजा काट रही आदिवासी महिलाओं अथवा जिनके पति जेल में हैं, उनके परिवार का सुख–दुख किसी अशासकीय संस्था को सौंपा जाना चाहिए।

8. बड़े शहरों में आदिवासियों के लिए धर्मशाला अथवा छात्रावास जैसे साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि वे कोचिंग, प्रशिक्षण तथा अच्छे अस्पतालों का लाभ उठा सकें।

9. प्रशासनिक ढ़ांचा कैसा हो तथा आदिवासी उपयोजना महिला विकासोन्मुख कैसे हो, इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।

10. जनप्रतिनिधियों और न्यायपालिका को आदिवासी महिलाओं की समस्याओं से समय–समय पर सूचित किया जाना चाहिए।

अन्त में , मैं आप सभी का पुनः अभिनन्दन करती हूँ। आशा है कि इस सदी का प्रथम दशक आदिवासी महिला के विकास की ओर समर्पित होगा। आपके सहयोग, चिन्तन और दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद!

परिशिष्ट 3

जनजातीय कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण की समस्याएं एवं समाधान

डॉ. सुश्री निभा बारा
प्रसार शिक्षा विभाग,
बिरसा कृषि वि.वि. राँची।

''नारी जागृति'' 'नारी सशक्तिकरण'' ''विकास में महिलाएं।'', ''कृषि में महिलाएं'' विगत कई दशकों से चर्चाओं एवं गोष्ठियों की विषय–वस्तु बने हुए हैं। आज विश्व भर में नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है। यों तो स्त्री एवं पुरुष की क्षमताएं, शक्तियां एवं गुण एक दूसरे के पूरक है, किन्तु सभ्यता के विकास के साथ–साथ ''पुरुष प्रधानता'' की मानसिकता विकसित हुई, पितृसत्तात्मक परिवार बनने लगे और यहाँ से लिंग विभेद की नीति की नींव रखी गई। विकास के संसाधनों में पुरुष वर्ग का कब्जा हो गया और नारियाँ परावलम्बी बन गई। आज विकास के सभी सूचांकों शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और राजनैतिक भागीदारी आदि में उनकी उपलब्धियाँ पुरुषों से कम हैं। जनजातीय समाज का मूल स्वरूप समतामूलक रहा है। इस समाज के बुनियादी तत्त्व हैं – सामुदायिकता, स्त्री–पुरुष सहभागिता, श्रमनिष्ठा, संसाधनों का सामूहिक नियंत्रण एवं वितरण। तो क्या आदिवासी कृषक महिलाएँ खुशहाल हैं ? नहीं, उनकी दशा दयनीय है। वे गरीबी, अशिक्षा एवं कुपोषण के शिकार हैं, इसके बावजूद कृषि कार्यों में उनकी भागीदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। ''प्रचुरता में निर्धनता'' इस क्षेत्र की विडम्बना है। इस विडम्बना को हमने विभिन्न अध्ययनों और कार्यक्रमों द्वारा समझने का प्रयास किया है।

झारखंड की कृषि में कृषक महिलाओं की भूमिका एवं चुनौतियाँ

जैसा कि विदित है कि झारखंड की कृषि में कृषक महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। महिलाएँ हल जोतने को छोड़कर हर कार्य में हाथ बटाती हैं। ज्ञात हो कि हल जोतना महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से निषेध है। बहुत से कृषि–कार्य जैसे रोपनी, निकौनी आदि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी 100 प्रतिशत है। खेती के साथ–साथ महिलाएँ घर का सारा काम करती हैं। जैसे भोजन, पानी, चारा, पशुओं की देखभाल, जलावन, घर–आंगन, बच्चों का लालन–पालन, दवा–दारू आदि। दुःख की बात यह है कि महिलाओं के किसी भी कार्य का आर्थिक मापदण्ड नहीं है। उसके कार्य को आर्थिक रूप से मापा नहीं गया है। आदिवासी महिलाओं की खासियत यह है कि वे दिन में 18 घंटे काम करती हैं। उनकी दूसरी विशेषता यह है कि उनके पास देशज ज्ञान की अतुल सम्पदा है। महिलाओं का प्रकृति के साथ घनिष्ठ रिश्ता रहा है। पेड़–पौधे, मिट्टी, पानी के साथ उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी जुड़ी है। वे न सिर्फ उन्हें पहचानती और प्रयोग करती हैं बल्कि इन संसाधनों की रक्षा हेतु संघर्ष भी करती हैं। उदाहरण स्परूप, राजस्थान की बिश्नोई महिलाओं द्वारा जयपुर महाराज के लिए वन आन्दोलन, संथाल परगना की ''सहयोगी महिला'' नामक संस्था का जंगल बचाव के लिए संघर्ष, महिलाओं का प्रकृति प्रेम एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं रख–रखाव की याद दिलाते हैं।

स्वाभाविक है, महिलाओं द्वारा सम्पादित किए जाने वाले काम का ज्ञान उन्हीं के पास है। परन्तु इन कामों से सम्बन्धित संसाधनों पर पुरुषों का स्वामित्व है। निर्णय उनका होता है। आदिवासी महिलाओं को भू–सम्पत्ति पर अधिकार नहीं है। जिससे वे बैंक से कर्ज नहीं ले पाती हैं। इन सब कारणों से महिलाएँ कृषि के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं की समस्याएँ, आवश्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ पुरुषों से भिन्न हैं। आज अगर महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं तो उसका मुख्य कारण है कि उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का सही तरह से कभी आंकलन नहीं किया गया। जिससे गलत नीतियों एवं कार्यक्रमों का सृजन होता है जो कि महिलाओं के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं हो पाता है।

यहाँ की कृषि अभी भी परम्परागत कृषि विधियों से त्रस्त है। किसान विशेषकर महिलाएँ पुस्तैनी विधियों एवं उपकरणों का व्यवहार करते हैं। देखा जाए तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की 1 प्रतिशत कृषक महिलाओं के पास नवीन तकनीकों की जानकारी नहीं है। यहाँ की कृषि प्रणाली (CDR Production System) जटिल, विविध एवं जोखिमपूर्ण है। कृषि मानसून पर निर्भर करती है। एक फसली प्रणाली होने के कारण बेकारी एवं रोजगारी की समस्या बहुत है। प्रछन्न रोजगारी (Disguised Unemployment) का आकार बहुत बड़ा है। महिलाओं की करीब 95 प्रतिशत जनसंख्या मौसमी बेरोजगारी से ग्रस्त है। कुछ इलाकों जहाँ पानी की सुविधा है, जैसे राँची, गुमला आदि जगहों में सब्जियों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यहां से सब्जियाँ राँची, जमशेदपुर, कलकत्ता, दिल्ली आदि नगरों एवं महानगरों में भेजी जाती हैं। किन्तु बाजार अव्यवस्थित होने के कारण, सारा मुनाफा बिचौलिए खा जाते हैं। कृषक महिलाएँ दबाव में आकर भी सस्ते दामों में अपने कृषि उत्पादों को बेच देती हैं। ''कोल्ड स्टोरेज'' के अभाव के कारण किसान मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। अन्य समस्या सही समय पर सही बीजों का अभाव है, जिसका कुप्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड किसानों, विशेषकर महिलाओं, को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उत्पादन प्रबन्ध में बदलाव लाना होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि, फसल चक्र सघनता, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, उन्नतशील कृषि यंत्रों का प्रयोग, उन्नतशील एवं प्रमाणित बीज, फसलों में कीट एवं खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण अब विकास एवं समय की माँग बन गई है। देशज ज्ञान एवं वैज्ञानिक तरीकों के सम्मिश्रण से इजाद की गई नवीन कृषि विधियाँ, सही समय पर उत्तम बीज एवं कृषि उपादानों की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधाएँ, जलछाजन विधियों का प्रयोग एवं प्रशिक्षण द्वारा इस क्षेत्र में हरित क्रांति लाई जा सकती है।

कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निदान एवं उपाय

आदिवासी कृषक महिला सशक्तिकरण हेतु विकास के मुख्य आयाम हो सकते हैं – लाभकारी रोजगार के अवसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी एवं कानूनी साक्षरता। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए उत्तम आय के साधन हो सकते हैं – सब्जी उत्पादन, फूलों एवं औषद्यीय पौधों की खेती, मशरुम की खेती, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट–पालन, बकरी–पालन, सूअर–पालन, मत्स्य–पालन, लाख की खेती, रेशम उद्योग, वर्मी कम्पोस्ट लगाना, वनों पर आधारित उद्योग जैसे पत्तल, दोने बनाना, चटाई, टोकरी बनाना, रस्सी बनाना आदि। उपर्युक्त कुछ उद्योगों की

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे आई. सी. ए. आर. की तकनीकी आंकलन एवं परिष्करण परियोजना के अंतर्गत 'करगे पंचायत', मांडर के गाँवों में उन्नत विधियों का प्रयोग करके जाँचा है। ग्रामीणों की सहभागिता से चलाए जाने वाले इस शोध कार्यक्रम में मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट–पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, बत्तख–सह मत्स्य पालन, लाख की खेती, वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण, रस्सी एवं चटाई बनाने वाले उद्योगों को महिलाओं के लिए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाभकारी पाया गया है। इसमें आय के साथ – साथ रोजगार के अतिरिक्त दिनों में भी वृद्धि हुई है।

स्त्री शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की कुंजी है। झारखंड में जनजातीय कृषक महिलाओं की साक्षरता दर (15 प्रतिशत) बहुत कम है। शिक्षा के अभाव में कृषि प्रसार तंत्रों एवं प्रशिक्षण कार्यों से दूर हो जाती है या इसका भरपूर लाभ नहीं उठा सकती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, रात्रि पाठशाला आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

अच्छा स्वास्थ्य विकास की पूर्व शर्त है। विश्व की करीब 60 प्रतिशत लड़कियाँ एवं औरतें ऐसे वातावरण में रहती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा है। उदाहरण स्वरूप झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा में रोपनी का काम पूर्णतः महिलाओं का है वे ठंडे पानी में घंटों कमर के बल झुकी रहती हैं, जिससे कालान्तर में उन्हें कमर दर्द, आदि की शिकायत हो जाती है। निकौनी एवं कटनी के दौरान यही बात देखने को मिलती है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से भी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखने को मिलती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के भार को कम करने के लिए उनकी शरीर की संरचना एंव ताकत के मुताबिक ऐसे यंत्रों एवं विधियों का प्रचलन एवं प्रचार प्रसार हो जिससे उनके कार्य का बोझ कम हो सके एवं उनका स्वास्थ भी बना रहे।

झारखंड की जनजातीय कृषक महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी के लिए पुरुषों को सुग्राही एवं महिलाओं को जागृत होना होगा ताकि जनजातीय महिला कृषकों के हित में कानून बनाए जा सकें। झारखंड की जनजातीय कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानूनी साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी महिलाओं को जागृत होना होगा। अनेक सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हैं किन्तु निरक्षर होने के कारण अधिकांश जनजातीय कृषक महिलाएँ इन प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। स्वयंसेवी संस्थानों एवं सरकारी संस्थाओं का कर्त्तव्य है कि वे महिलाओं को इसके प्रति जागरुक बनाएँ ताकि वे इसका भरपूर लाभ उठा सकें।

संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यदि ऊपर वर्णित बातों को हम ध्यान में रखकर जनजातीय कृषक महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें तो यह राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा एवं सम्मान होगा।

परिशिष्ट 4

जनजातीय कृषि व्यवस्था एवं पारिवारिक आय में महिलाओं का योगदान तथा उनके सशक्तिकरण की रणनीति

डॉ. आर. पी. सिंह 'रतन'
विभागाध्यक्ष, कृषि प्रसार विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची।

भारत के राष्ट्रीय विकास में कृषि अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है तथा आनेवाले वर्षों में कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रबल सम्भावना के मद्देनजर आने वाले समय में इसके और महत्त्वपूर्ण होने की संभावना है। कृषि अर्थव्यवस्था का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यस्क पुरुषों एवं महिलाओं के अतिरिक्त बालक एवं बालिकाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य यह कि कृषि एक पारिवारिक उद्यम है, जिसका क्रियान्वयन परिवार के सभी लिंग एवं आयुवर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में अधिकांश आहार उत्पादन महिलाएँ ही करती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ विश्व आहार का लगभग 50 प्रतिशत पैदा करती हैं। महिलाएँ घर की देख–रेख और घरेलू कार्यों के साथ ही कृषि का कार्य करती हैं। जनजातीय समुदायों में अधिकतर तो एक ही समय में ये दोनों कार्यों को सम्पादित करती हैं। उदाहरण के लिये खेती करने, जलावन या पानी लाते हुए भी वे एक बच्चे को पीठ या गोद में उठाये तथा बाकी को साथ लिये रहती है। इतना ही नहीं जनजातीय महिलाएं इन कार्यों को बहुत कम उम्र से ही करने लगती हैं। उदाहरण के लिये झारखंड में दस से पन्द्रह वर्ष की आयु की लड़कियाँ, व्यस्क औरतों के समान कार्य करती हैं।

महिलाओं का अधिकतर कृषि कार्य पारम्परिक आर्थिक क्षेत्रों में नहीं गिना जाता है। कृषि योजनाएँ बनाने वालों द्वारा भी नजर अन्दाज किया जाता रहा है। कुछ मौकों पर तो इसका अर्थ होता है, कृषि विकास कार्यक्रमों में औरतों का शामिल ही न किया जाना तथा कुछ अन्य हालात में औरतों की दशा पहले से भी खराब हो जाती है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि कई कृषि परियोजनाएँ उतनी सफल नहीं हो सकीं जितनी कि वे तब होतीं यदि औरतों को उनमें शामिल किया जाता। वर्ष 1979 में हुए कृषि सुधार एवं ग्रामीण विकास के विश्व सम्मेलन में यह बताया गया कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के प्रत्येक स्तर से महिलाओं को जोड़ना आवश्यक है।

महिलाओं के उत्थान के लिये भारत में समय–समय पर कई प्रकार के उपागमों को प्रयोग में लाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से जिस उपागम को प्रयोग में लाया गया उसे हम कल्याणकारी योजनाओं की संज्ञा देते हैं। पिछली शताब्दी के सातवें दशक के प्रारम्भ में जब यह महसूस किया गया कि विकास कार्यक्रमों के लाभ महिलाओं तक उस अनुपात में नहीं पहुँच पा रहे जितने की पुरुषों तक तब महिला–पुरुष समानता के उपागम को प्रयोग में लाया गया। वर्ष 1975 से 1985 तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक के आयोजन के बाद इस उपागम को क्षमता मूलक उपागम में परिवर्तित किया गया जिसके अन्तर्गत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में विकास तथा राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान पर बल दिया

गया। नौंवे दशक के प्रारम्भ से पुनः उपागम में परिवर्तन लाते हुए उनके सशक्तिकरण की बात को अब तक बल दिया जा रहा है।

ऊपर वर्णित विभिन्न उपागमों एवं प्रयोगों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विकास तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बल प्रदान करने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में ये बातें और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।

जनजातीय समुदायों में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक तरफ तो यह कहा जाता है कि ये गैर जनजातीय महिलाओं की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र, स्वावलम्बी, परिश्रमी एवं साहसी हैं तथा समाज में इनका स्थान पुरुषों के बराबर है। शायद ऐसी बात जनजातीय मूल संस्कृति में विद्यमान महिलाओं के मामले में खुलापन एवं सहजता के आधार पर कही जाती है। परन्तु जब जमीन, जायजाद एवं पारिवारिक सम्पत्ति पर महिलाओं के अधिकार के मद्देनजर इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि महिलाएँ इनसे वंचित हैं। जनजातीय समाज में महिलाएँ अपनी इच्छानुसार अपना जीवन साथी चुन सकती हैं और छोड़ भी सकती हैं। विधवा होने पर वे पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। परन्तु कई धार्मिक समारोहों एवं पर्व त्योहारों में महज सहायक की भूमिका उन्हें दी जाती है तथा पुरुष मुख्य भूमिका में होते हैं। इसी प्रकार कई कृषि कार्यों जैसे हल चलाने तथा बुआई आदि से उन्हें कुछ अंधविश्वासों एवं निषेधों के कारण वंचित रखा गया है। परन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनजातीय महिलाओं की स्थिति उनके समाज में गैर जनजातीय महिलाओं से अपेक्षाकृत बेहतर है।

झारखंड प्रदेश में जनजातियों की आबादी कुल जनसंख्या के लगभग एक – तिहाई से थोड़ा कम है। जनजातीय आबादी में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के लगभग बराबर है (स्त्रीःपुरुष अनुपात 955:1000)। कुल 30 समुदायों में बँटी जनजातीय आबादी का 90 प्रतिशत से अधिक सुदूर जंगल–पहाड़ों से आच्छादित ग्रामीण अंचलों में निवास करतीं हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार खेती, पशुपालन, वन एवं कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। साक्षरता दर जनजातियों में मात्र लगभग 27 प्रतिशत है, जो पुरुष एवं महिलाओं में क्रमशः लगभग 39 एवं 15 प्रतिशत हैं।

जनजातीय कृषि व्यवस्था एवं पारिवारिक आय में महिलाओं का योगदान पुरुषों से अधिक है, परन्तु विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों की भाँति इनके योगदान एवं सहभागिता को सही रूप में आँका नहीं जाता है तथा ये पर्दे पर दिखाई नहीं देने वाले पात्र की भूमिका निभाते हैं। इनमें व्याप्त घोर निरक्षरता एवं अज्ञानता के परिणामस्वरूप इनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, जबकि विकास कार्यक्रमों के लाभ से इन्हें वंचित कर दिया जाता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी एवं वर्षा पर आधारित कृषि प्रणाली के परिणामस्वरूप एक फसली कृषि व्यवस्था (लगभग 90 प्रतिशत कृषि भूमि में) यहाँ की कुल खाद्यान्न आवश्यकता की लगभग आधी ही पूरी कर पाती है। इसके चलते भूख, कुपोषण, बीमारी एवं गरीबी की समस्या यहाँ की नियति बनी हुई है, जिसका शिकार अधिकतर महिलाएँ ही होती हैं। इन विपदाओं से निजात पाने के लिये जनजातीय पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं को भी रोजी–रोटी के जुगाड़ के लिये अन्य जगहों पर पलायन करना पड़ जाता है। जिन परिवारों में सिर्फ पुरुष पलायन करते हैं, उन परिवारों में कृषि व्यवस्था का सम्पूर्ण दायित्व महिलाओं पर ही आ जाता है तथा महिलाओं का पलायन अन्य बड़ी–बड़ी समस्याओं को पैदा करता है।

झारखंड में जनजातीय महिलाओं द्वारा उनकी कृषि व्यवस्था में सहभागिता पर किये गये अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया है कि

- फसलों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक तथा पशुपालन में लगभग बराबर है। खेती के कुछ कार्यों में पुरुषों, महिलाओं एवं दोनों की एक साथ सहभागिता दर क्रमशः 33, 45 एव 22 प्रतिशत है।
- इसके विपरीत पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता का दर पुरुषों की तुलना में कम पाया गया है। लगभग एक–तिहाई निर्णय ही पुरुष एवं महिलाएँ मिलकर लेते पाए गए। बाकी दो–तिहाई निर्णयों में पुरुषों का ही वर्चस्व पाया गया। इस संदर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि अक्सर प्रतिष्ठापूर्ण कार्य पुरुषों द्वारा सम्पादित होते हैं तथा महिलाओं को कम महत्व वाले कार्य दिए जाते हैं।
- प्रति एकड़ धान की खेती में कुल 65 कार्य दिवसों में औसतन 15 कार्य दिवस पुरुषों का तथा 50 कार्य – दिवस महिलाओं का योगदान होता है।
- पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुषों से लगभग चार गुना अधिक होता है।
- फसलोत्पादन एवं पशुपालन के कार्यों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि लगभग 75 प्रतिशत कार्य महिलाओं के द्वारा सम्पादित होते हैं तथा सिर्फ 25 प्रतिशत ही पुरुषों के द्वारा।
- जनजातीय कृषि व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक योगदान का अध्ययन उनके द्वारा सम्बंधित कार्यों में दिये गये समय के आधार पर करने से पता चलता है कि वयस्क पुरुषों की तुलना में वयस्क महिलाएँ दो गुना से अधिक समय इन कार्यों में व्यतीत करती हैं तथा लड़कियाँ लड़कों की तुलना में तीन गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं।
- कुल पारिवारिक आय में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान वयस्क महिलाओं एवं लड़कियों का होता है तथा सिर्फ 48 प्रतिशत वयस्क पुरुषों एवं लड़कों का।
- इन कार्यों से उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदाओं एवं जोखिमों का शिकार भी अधिकतर महिलाएँ ही होती हैं।
- आधुनिक कृषि तकनीकों के ज्ञान एवं कौशल का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में आधुनिक कृषि तकनीकों के ज्ञान का स्तर 25 प्रतिशत से भी नीचे है।
- अधिकतर तकनीकों के अंगीकरण में भी वे पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं।

जनजातीय कृषि व्यवस्था में लिंग सम्बंधी मुद्दे

ऊपर वर्णित शोध परिणामों के आधार पर जनजातीय कृषि व्यवस्था में लिंग सम्बंधी जो मुद्दे उभर कर सामने आये, वे इस प्रकार हैं –

1. जनजातीय कृषक महिलाएँ अपनी कृषि व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा पारिवारिक आय में आधा से अधिक योगदान करती हैं, परन्तु फिर भी उन्हें किसान का दर्जा नहीं दिया जाता है।

2. गृह कार्यों एवं बच्चों के पालन–पोषण के अतिरिक्त पारिवारिक आर्थिक पद्धति के चार आयामों – कृषि कार्यों, गृह उद्योग, स्थानीय बाजार एवं विस्तृत बाजार में जनजातीय महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका के बावजूद उनके योगदान को सरकारी आंकड़ों में या तो कम करके अंकित किया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है।

3. झारखंड में जनजातियाँ 30 विभिन्न समुदायों में बँटी हैं, जिनकी अलग–अलग पहचान है, संस्कृति, बोली, वेश–भूषा, आर्थिक गतिविधियाँ आदि के आधार पर इन बातों को जनजातीय विकास की रणनीतियों में उपयुक्त स्थान नहीं दिया जाता है।

4. जनजातीय कृषक महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण, कृषि साख, कृषि बाजार, कृषि प्रसार आदि क्षेत्रों में भाग लेने का अवसर लगभग नहीं दिया जाता है। वे आधुनिक कृषि तकनीकों के ज्ञान एवं कौशल से वंचित हो जाती हैं।

5. जनजातीय कृषक महिलाएँ कृषि कार्यों के बोझ के परिणामस्वरूप बहुधा शारीरिक एवं मानसिक त्रासदी का शिकार हो जाती हैं। उपयुक्त कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के अभाव में कई प्रकार की शारीरिक कठिनाइयों को उन्हें झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले रसायनों के दुष्प्रभाव से भी कृषक महिलाओं को कई प्रकार की पेशाजनित स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार होना पड़ता है।

6. जनजातीय कृषक महिलाओं पर आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रभाव घनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों तरह से पड़ा है।

7. जनजातीय पुरुषों की मानसिकता ऐसी है जो अधिकतर गैर उत्पादक कार्यों में लगी रहती है तथा महिलाओं के योगदान को भी वे महत्त्व नहीं देते।

8. जनजातियों में सामान्य धारणा यह रही है कि पूंजी निर्माण में वे दिलचस्पी नहीं लेते। इस धारणा में आवश्यक परिवर्तन के लिये व्यापक मनोवृत्ति परिवर्तन कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

9. जनजातीय महिलाओं में एक विशेषता यह पाई जाती है कि वे समूह में कार्य करना पसंद करती हैं। इसके आधार पर सहकारी कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन की काफी सम्भावना बनती है।

उपर्युक्त मुद्दों के आधार पर जनजातीय कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जिन बिन्दुओं पर अमल करने की आवश्यकता है, उन्हें निम्नलिखित रणनीति के रूप में देखा जा सकता है :–

जनजातीय कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति

जनजातीय कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति को निम्न विशिष्ट उपागमों में विभक्त किया जा सकता है :–

सामान्य उपागम

- व्यापक पैमाने पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- महिलाओं की सहभागिता पारिवारिक एवं सामुदायिक निर्णयों में बढ़ाने के लिये जनजातीय पुरुषों में शिक्षा का व्यापक प्रसार।
- कृषक महिलाओं को विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने के उद्देश्य से असली किसान का दर्जा दिया जाना।
- महिलाओं द्वारा गठित हो रहे स्व सहायता समूहों के तकनीकी, आर्थिक प्रबंधकीय क्षमता का विकास।
- कृषक महिलाओं के बीच विभिन्न उपादानों तथा बीज, उर्वरक, उपकरण आदि की व्यवस्था गाँवों में ही सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना।
- जनजातीय कृषक महिलाओं के लिये संस्थागत ऋण, बाजार, परिवहन, संचार आदि सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करना।
- कृषक महिलाओं को भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में पुरुष एवं स्त्री दोनों के विभिन्न वार्डों से बराबरी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, कम से कम जनजातीय बहुल पंचायतों में।
- सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जनजातीय कृषक महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये विशेष प्रावधान करना।
- कृषि कार्य जिन महीनों में कम होते हैं, उन महीनों में कृषक महिलाओं के लिये अन्य उद्यमों के सहारे रोजगार तथा आमदनी के अतिरिक्त अवसर पैदा करने का अवसर प्रदान करना।
- कृषि विकास में लगे कार्यकर्त्ताओं, अधिकारियों आदि को कृषि के अतिरिक्त, महिलाओं को कानूनी जानकारी, विकास के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।

विशिष्ट उपागम

- जनजातीय कृषक महिलाओं के लिये आवश्यकता के अनुरूप उनके गाँवों, घरों, खेतों पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करना।

- उपयुक्त कृषि तकनीकों के विकास एवं प्रसार हेतु प्रसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- सम्पूर्ण कृषि प्रणाली पर आधारित कृषि शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों को अपनाना जिसमें कृषक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को लैंगिक मुद्दों के आधार को निरूपित किया जा सके।
- झारखंड में जनजातियों की बहुलता के मद्देनजर जनजातीय कृषक महिलाओं के लिये एक क्षेत्रीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
- कृषि पदाधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं के चयन में कृषक महिलाओं के लाभ हेतु कम से कम 50 प्रतिशत स्थान सुयोग्य महिला उम्मीदवारों के लिये सुनिश्चित करना।
- जनजातीय कृषक महिलाओं के पारम्परिक/देशज ज्ञान के संग्रहण तथा उसे और परिष्कृत कर प्रभावी बनाने के कार्यक्रमों पर बल।
- कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्दों, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कृषि विकास के कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये ठोस पहल।

अन्त में, देश में दूसरी हरित क्रांति जनजातीय महिलाओं में नवीन ज्ञान एवं कौशल के विकास से सुनिश्चित की जा सकती है। ये उद्गार हैं प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के। इस परिप्रेक्ष्य में इन महिलाओं का सशक्तिकरण एक आवश्यक शर्त होगा। इस सशक्तिकरण का अर्थ है, उनमें स्वाभिमान एवं स्वावलंबन का विकास तथा भेद–भाव, अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति। इसके लिये लिंग संवेदी नीतियों की आवश्यकता होगी। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि लिंग संवेदी नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर पहल करें।

परिशिष्ट 5

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

सीमा शर्मा
सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड

महिलाएं किसी भी समाज का एक अहम हिस्सा हैं। समाज का सार्थक विकास उनके विकास के बिना संभव नहीं है। महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण से जहाँ पूरे समाज के विकास दर में वृद्धि एवं विकास की गुणवत्ता में सुधार आता है वहीं दूसरी तरफ अगर हम यह मानकर चले कि सिर्फ आर्थिक विकास से महिलाओं का विकास स्वतः हो जायेगा तो यह जरूरी नहीं है। इसलिए विकास के प्रावधानों एवं उनके मूल्यांकन के लिए मापदण्डों के निर्धारण में महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का आंकलन उनकी जनसंख्या, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थिति के आधार पर किया जा सकता है। राजनैतिक एवं महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत निर्णय लेने में स्वतंत्रता, आय, ऋण, भूमि, ज्ञान आदि सम्पदाओं पर उनका सापेक्षिक नियंत्रण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मसम्मान का एहसास कुछ दूसरे मापदण्ड हैं जो महिलाओं की स्थिति को उजागर करते हैं।

जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जब सामने आती है तब उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य समस्याऐं एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु के रूप में उभर कर सामने आती हैं। अन्य सामाजिक, आर्थिक पक्षों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय लोग अलग–अलग स्तरों पर हैं। हमारा अनुभव बताता है कि जनजातीय महिलाओं पर औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। 1950 के पहले जनजातियों को शिक्षित करने की कोई प्रत्यक्ष योजना भारत सरकार के पास नहीं थी। परन्तु संविधान के प्रभावी होने के पश्चात जनजातीय लोगों को शिक्षित करना – केन्द्र एवं राज्य सरकार का दायित्व हो गया। 29.60% जनजातीय लोग ही साक्षर हैं। उसमें भी जनजातीय महिलाओ की संख्या 18% ही है। झारखंड में तो जनजातीय महिलओं की साक्षरता दर मात्र 10% है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

झारखंड की जनजातियों के साक्षरता दर का प्रतिशत

सं.	जनजातियां	पुरुष साक्षरता दर	स्त्री साक्षरता दर	पुरुष–स्त्री साक्षरता का अन्तर
1.	संथाल	21.0	4.0	17.0
2.	उराँव	40.9	19.2	21.7
3.	मुन्डा	43.5	15.3	28.2
4.	हो	41.9	8.5	33.4
5	अन्य जनजातियाँ	33.4	11.3	22.1
6	कुल जनजातियाँ	31.8	11.3	20.5

उपरोक्त तालिका को हम देखें तो यह पता चलता है कि सरकार द्वारा काफी स्कूल खोलने एवं शिक्षा पर अधिकाधिक व्यय करने के बावजूद भी इनकी शिक्षा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि जन जातीय लोगों को सिर्फ औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल शिक्षा नीति चाहिए। जो उनके अंधविश्वासों एवं पूर्वाग्रहों को दूर कर सके।

आर्थिक पक्ष

अधिकतर जनजातीय परिवार इतने निर्धन होते हैं कि वे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। अधिकांश जनजातियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से उनका एक कमाने वाला सदस्य कम हो जायेगा और उसकी शिक्षा पर व्यय भी करना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार कोई भी बच्चा दस – बारह वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान के योग्य हो सकता है। जबकि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो रोजगारोन्मुखी एवं जिससे तत्काल लाभ हो।

औपचारिक शिक्षा में रूचि की कमी

एल. आर. श्रीवास्तव ने इस समस्या का व्यवहारिक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि आधुनिक सभ्यता से दूर रहने वाला जनजातीय बच्चा देश के इतिहास, भूगोल, ओद्यौगिकरण, तकनीकी विकास में कम रूचि रखेगा। उसे तो अपने पड़ोसी समुदायों एवं ग्राम्यजीवन, सामाजिक संगठनों, रीति–रिवाजों, विश्वासों तथा परम्पराओं के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। उसके बाद ही उसे देश की विभिन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि पारम्परिक रूप से प्रशिक्षित एक जनजातीय बच्चा अपने वातावरण से पूर्णरूप से अवगत होता है। उसे घर बनाना कपड़ा बुनना, हस्त शिल्प, आदि अनेक ऐसे कार्य आते हैं जो उसे अपनी संस्कृति में उचित ढंग से जीवन यापन करने में सहायक होते हैं।

अतः शिक्षा प्रणाली जनजातीय परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के अनुरूप हो। उनके पाठ्यक्रम में शिल्पकला, खेल, तीरंदाजी, इत्यादि शामिल रहें। शिक्षक प्रशिक्षित, समर्पित और उनके बीच का होना चाहिए जो उनके रहन–सहन, जीवन मूल्यों को समझता हो, जो उसे जंगली एवं हेय दृष्टि से नहीं देखता हो। जनजातीय समुदायों से ही शिक्षक का चयन हो।

भाषा की समस्या

अधिकतर जनजातीय भाषाएँ मौखिक हैं, उनकी कोई लिपि नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का माध्यम एक बड़ी समस्या है। अतः उन्हें क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित करना पड़ता है जिससे शिक्षा उन्हें अरूचिकर लगती है।

स्कूल का दूर होना

स्कूल का दूर होना भी जनजातीय महिलाओं की शिक्षा में एक बड़ी बाधा है। इस वजह से अधिकांश जनजातीय लड़कियाँ बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

शिक्षा भवन एवं शौचालय का अभाव

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा भवनों का भी अभाव है, जिसके कारण कई स्कूल वृक्ष के नीचे तथा निजी टूटे–फूटे मकानों में चलते हैं। उपरोक्त कमियों को दूर कर जनजातीय महिलाओं में शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

जनजातीय महिलाएँ एवं स्वास्थ्य

निर्धनता सभी समस्याओं का मूल कारण होता है। यही कारण है कि जनजातीय महिलाएँ जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिन्हें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, संतुलित आहार नहीं मिल पाने के कारण कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। कुपोषण का उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट प्रभाव गर्भवती जनजातीय महिलाओं पर पड़ता है। ऐसा देखा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर अधिक होती है।

झारखंड में आदिवासियों की बीमारी एवं इलाज दर

सं.	बीमारी एवं इलाज	पुरुष	स्त्री	कुल
1.	प्रति 1000 बीमारों की संख्या	58	68	59
2.	प्रति 1000 बीमारों में इलाज पाने वालों की संख्या	675	649	662
	इलाज का स्रोत**(%)**			
	सरकारी	25.1	30.7	27.8
	निजी	56.7	49.0	52.9
	पारम्परिक	18.2	20.3	19.3

राष्ट्रीय परिवार का स्वास्थ्य सर्वेक्षण 93 के अनुसार 88% गर्भवती आदिवासी महिलाओं को आयरन / फौलिक की गोलियाँ नहीं मिलती हैं। 47% महिलाओं की प्रसव पश्चात देखभाल नहीं हाती है। 83% को गर्भ निरोधकों का ज्ञान नहीं है। 57% बच्चों को टीके नहीं लगते हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य

पुरुषों की तुलना में आदिवासी महिलाओं में बीमारियों की दर ज्यादा है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति बीमारी दर झारखंड की आदिवासी महिलाओं में 68 है जबकि आदिवासी पुरुषों में यह दर 58 है। प्रति 1000 बीमार में 649 आदिवासी महिलाओं का किसी प्रकार से इलाज हो पाता है। जबकि पुरुषों में यह संख्या 675 है। जिन महिलाओं का इलाज होता है उनमें 30.7% सरकारी स्रोतों से इलाज होता है। 49% निजी डाक्टरों से तथा 20.3% पारम्परिक स्रोतों से इलाज होता है।

जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष में खास तरह की बीमारियाँ भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम झारखंड प्रदेश के सिंहभूम, सरायकेला जिलों को लेते हैं तो वहाँ मलेरिया का प्रकोप काफी अधिक है। मलेरिया से काफी लोग समुचित इलाज के अभाव में मरते हैं। सिंहभूम के सारड़ा जंगल के निरिल पोसी, वालिवा, किरकिस सोभा, नावागोंव इत्यादि कई गाँवों के लोग तो आज भी पुरातन सभ्यता में जी रहे हैं। वहाँ मलेरिया बुखार होने पर आज भी जनजातीय लोग भगत के पास जाते हैं, मुर्गा काटकर चढ़ाते हैं मतलब कि अंधविश्वासों पर आधारित ईलाज कराते हैं। आज भी इस इलाके में जब शहर के लोग किसी तरह पहुँचते हैं तो ग्रमवासी अपने–अपने घरों में छिप जाते हैं। बात करने के लिए दुभाषिए को साथ ले जाना पड़ता है। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में घेंघा रोग, कुष्ठरोग, एनिमिया इत्यादि से भी काफी लोग ग्रसित हैं। इन सबका मूल कारण है गरीबी, कुपोषण, गंदा पीने का पानी तथा गंदगी भरा अस्त–व्यस्त रहन–सहन।

प्रजनन दर

दूसरे समुदायों की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की शादी की उम्र अधिक है एवं कुल प्रजनन दर कम है। फिर भी उनकी शादी की औसत उम्र 15.9 वर्ष है जो शादी की वैधानिक उम्र से कम है। कुल प्रजनन दर 3.42 है और प्रतिस्थापन दर 2.1 से अधिक है। इस तरह से इन दो निदेशकों के आधार पर सापेक्षिक रूप से बेहतर परिस्थिति में रहने के बाद भी निरपेक्ष रूप से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है।

चिकित्सा वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य के दो पहलुओं की चर्चा की है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के भी दो पहलू हो सकते हैं – पहला पहलू चिकित्सात्मक है। अर्थात यदि महिला किसी सामान्य या प्रजनन रोग से ग्रसित है तो उसे इलाज की समुचित सुविधा मुहैया हो। झारखंड के संदर्भ में यदि देखा जाय तो सवा दो करोड़ की आबादी पर अस्पतालों में कुल बिस्तरों की संख्या 3789 है। यह काफी कम है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रसव एवं अन्य परिवार नियोजन सुविधाओं के लिए 5 से 20 कि. मी. तक पैदल चलना पड़ता है। शहरों के पास गाँव में जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं वे खुद बीमार हैं। न वहाँ चिकित्सक जाते हैं न दवाइयाँ हैं, न ढ़ांचागत सुविधाएँ। सुदूर ग्रामीण इलाकों में तो डाक्टर एवं नर्स के दर्शन दुर्लभ हैं। जनजातीय महिलाएं प्रसव और प्रजनन संबंधी अनेक रोगों से ग्रस्त दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही हैं। दवाओं और इलाज तक इनकी पहुँच नहीं है।

स्वास्थ्य का दूसरा पहलू प्रतिरोधात्मक है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें रोगों से बचने पर जोर दिया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि उत्तम स्वास्थ्य के नियमों एवं कायदों को जानकर जीवन को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि बीमारियाँ हो ही नहीं। प्रजनन संबंधी रोगों से बचने, माता एवं शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु आहार और पोषण, परिवार नियोजन तथा अन्य स्वास्थ्य नियमों की जानकारी एवं उनके प्रति चेतना की आवश्यकता है।

ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हम जनजातीय महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चुनौतियों को निश्चित कर इनके समाधान का प्रयास करें। कुछ चुनौतियों को निम्न रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढाँचे में सुधार एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि।
2. स्वास्थ्य के प्रतिरोधात्मक पहलू पर अधिक जोर देना ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3. क्षेत्र विशेष में प्रचलित बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था।
4. महिला एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सही अनुपालन।

इन चुनौतियों का सामना करने हेतु कुछ सुझाव हैं जो नीति निर्धारण में मददगार हो सकते हैं।

(i) झारखंड के सभी जिलों में प्रत्येक जिले का प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक निर्धारित करना जिससे उस जिले का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्तर का पता चल सके।

(ii) ढाँचागत सुविधाओं का सर्वेक्षण जिससे यह पता चल सके कि क्या सुविधाएं घटी हैं और क्या मुहैया कराना है।

(iii) स्त्री शिक्षा को बढ़ाना एवं प्रजनन शिक्षा को सामान्य शिक्षा में शामिल करना।

(iv) बालिका पोषण कायक्रमों को बढ़ावा देना।

(v) गाँव स्तर पर कार्यरत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकर्ताओं को पुनः प्रशिक्षण मिले ताकि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की नई नीतियों को समझाया जा सके।

(vi) अधिकाधिक संख्या में चल– चिकित्सा इकाई की स्थापना।

(vii) जनजातियों की परम्परागत चिकित्सा व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और उसमें शोध एवं ज्ञान को संरक्षित करना।

(viii) क्षेत्र से गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना ताकि व्यक्ति अच्छी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सके।

अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार का पूर्ण दायित्व केवल सरकार का नहीं है, वरन स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मिडिया आदि का भी है। लेकिन नीति निर्धारण और उसका कार्यान्वयन तथा अनुपालन सरकार का दायित्व है।